उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2015 -16

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,
नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश
website -http://updes.up.nic.in

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,
नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश
website -http://updes.up.nic.in

पत्रिका संख्या–479

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2015-2016

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश

प्राक्कथन

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष **"उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा"** प्रकाशित की जाती हैं। इसके अन्तर्गत प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों का तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाता है।

2. प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा वर्ष 2015–2016 को नये कलेवर में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभागों/संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रदेश में संचालित की जा रही योजनाओं की अधुनान्त स्थिति स्पष्ट करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों यथा जनांकिकी, कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा, पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, सेवा क्षेत्र, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार, श्रम शक्ति एवं सेवायोजन, प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति, ग्राम्य विकास के कार्यक्रम तथा खनिज एवं विद्युत आदि का विस्तृत विश्लेषण अलग–अलग अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। महत्वपूर्ण आंकड़ों को इस प्रकाशन में तालिका/ग्राफ के माध्यम से भी दर्शाया गया है।

3. मैं इस संस्करण हेतु अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराकर इसे प्रकाशित करने में दिये गये सहयोग हेतु विभिन्न विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ तथा अर्थ एवं संख्या प्रभाग के सम्बद्ध सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करता हूँ।

4. मुझे आशा है कि प्रस्तुत प्रकाशन नियोजकों, नीति निर्धारकों, योजना निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं एवं प्रशासकों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकाशन को और अधिक सार्थक बनाने हेतु सुझावों को विचारार्थ सहर्ष स्वीकार किया जायेगा।

लखनऊः
दिनांकः 01 मई, 2017

(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रस्तावना

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा वार्षिक प्रकाशन " उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2015–16" का प्रस्तुत संस्करण नये कलेवर में प्रकाशित किया जा रहा है।

2. इस प्रकाशन में उत्तर प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा प्रदेश में व्याप्त चुनौतियों एवं सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गयी है।

इस अंक में 14 अध्यायों में मुख्यतः प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुधन, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, समाज कल्याण, रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति तथा ग्राम्य विकास के कार्यक्रम आदि पर सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े एवं तथ्य सम्मिलित हैं।

3. मैं इस प्रकाशन को प्रकाशित करने में सम्बन्धित विभागों तथा संस्थाओं के अनवरत एवं उदार सहयोग के लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, साथ ही इसके संकलन में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के सम्बद्ध सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करना चाहूँगा।

4. मुझे विश्वास है कि यह अंक योजनाकारों, नीति–निर्माताओं, अनुसन्धानकर्ताओं एवं शिक्षाविदों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकाशन के विषय–विस्तार एवं गुणात्मक सुधार हेतु उपयोगकर्ताओं के सुझावों का सहर्ष स्वागत किया जायेगा।

लखनऊः २६ अप्रैल, 2017

(जी0 एस0 कटियार)

निदेशक

प्रकाशन से सम्बन्धित अधिकारी एवं सहायक

1– श्री जी0 एस0 कटियार	निदेशक

प्रावैधिक मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण

1– श्री ओ0पी0 सिंह	संयुक्त निदेशक
2– श्री संजय कुमार श्रीवास्तव	उप निदेशक
3– श्रीमती डुमनेश दीक्षा साहू	अर्थ एवं संख्याधिकारी

पाण्डुलिपि संरचना, समन्वय, टंकण एवं परिनिरीक्षण कार्य

1– श्रीमती रेखा शुक्ला	अपर सांख्यिकीय अधिकारी
2–कु0 आरती गुप्ता	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी
3–श्रीमती आभा	कनिष्ठ सहायक

ग्राफ/चार्ट, नक्शा एवं कवर पृष्ठ के कार्य

1– श्री शिव शंकर यादव	चीफ आर्टिस्ट
2– श्री संजय कुमार	वरिष्ठ कलाकार

उत्तर प्रदेश का नक्शा

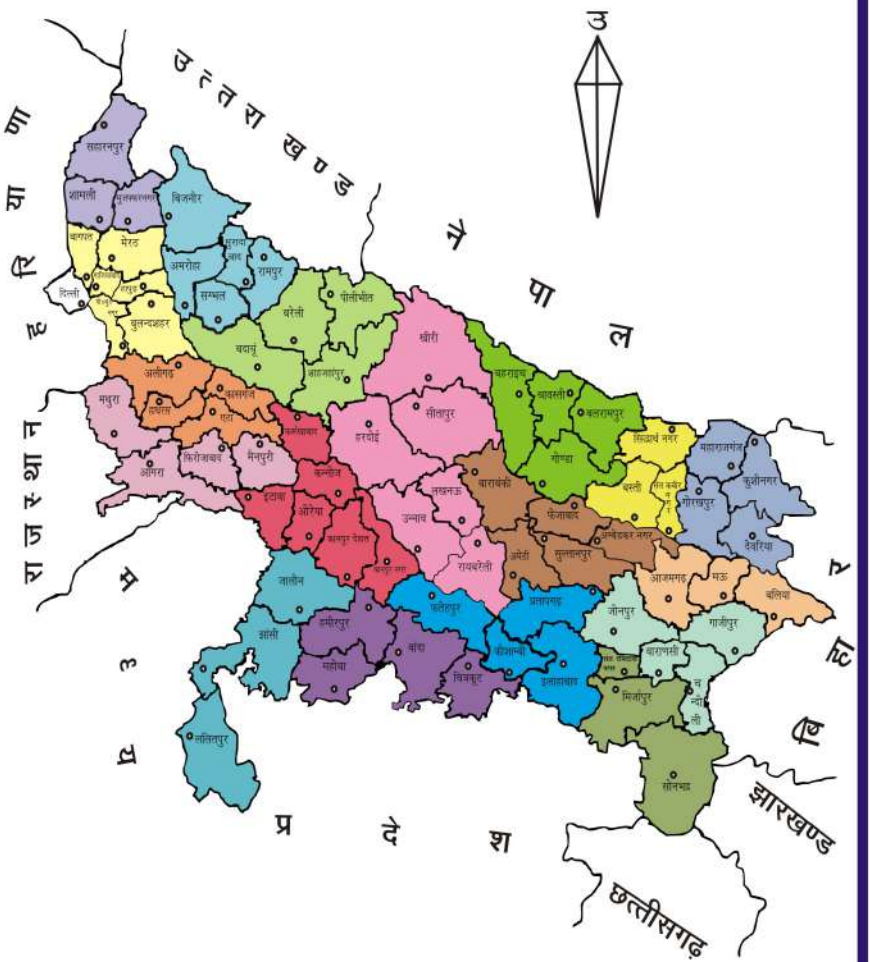

अनुमानित नक्शा

विषय–सूची

अध्याय		*पृष्ठ संख्या*
1.	राज्य की अर्थव्यवस्था	1–9
2.	प्रदेश के विकास की चुनौतियां तथा रणनीति	10–14
3.	वित्त एवं बैंकिंग सेवायें	15–30
4.	कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा	31–53
5.	पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास	54–66
6.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	67–70
7.	ग्राम्य विकास के कार्यक्रम	71–80
8.	औद्योगिक प्रगति	81–92
9.	सेवा क्षेत्र	93–98
10	अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार	99–118
11.	शिक्षा	119–136
12.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	137–149
13.	समाज कल्याण	150–167
14.	श्रमशक्ति एवं सेवा योजन	168–184

अध्याय–1
राज्य की अर्थव्यवस्था

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य आय के वर्ष 2015–16 के जारी त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2015–16 में स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 7.3% रही है। वर्ष 2015–16 में स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन (जी एस वी ए) में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर क्रमशः 5.3%, 8.0%, 7.3% रही है। प्रचलित भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के संदर्भ में वर्ष 2015–16 की प्रतिव्यक्ति आय रू० 47496 आंकलित हुई है जो गत वर्ष से 8.3% की वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2015–16 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) का खण्डवार वितरण इस प्रकार है–(क) प्राथमिक खण्ड–26.5% (ख) द्वितीयक खण्ड–25.9% तथा(ग) तृतीयक खण्ड–47.6%। प्रदेश के राज्य आय के वर्ष 2015–16 के जारी त्वरित अनुमानों का विस्तृत विवरण निम्नवत है :–

सकल राज्य मूल्य वर्धन (स्थायी भावों पर)

आधार वर्ष 2011–12 पर जारी वर्ष 2015–16 के त्वरित अनुमानों के अनुसार बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12 में रू० 681893 करोड़, वर्ष 2012–13 में रू० 712958 करोड़, वर्ष 2013–14 में रू० 752269 करोड़, वर्ष 2014–15 में रू० 793846 करोड़ तथा वर्ष 2015–16 में रू० 849145 करोड़ रहा है जो वर्ष 2012–13 में 4.6%, वर्ष 2013–14 में 5.5%, वर्ष 2014–15 में 5.5% तथा वर्ष 2015–16 में 7.0% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर वर्ष 2012–13 में क्रमशः 4.6%, 2.9% तथा 5.5%, वर्ष 2013–14 में क्रमशः 0.5%, 8.0% तथा 7.1%, वर्ष 2014–15 में क्रमशः (–)2.8%, 6.3% तथा 9.8% तथा वर्ष 2015–16 में क्रमशः 5.3%, 8.0% तथा 7.3% रही है।

खण्डवार विश्लेषण

प्राथमिक खण्ड

इसके अन्तर्गत कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शामिल हैं। नवीन श्रृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक–पृथक आंकलित किये गये हैं जबकि पुरानी श्रृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत एक साथ आंकलित किये जाते थे। प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशालय, उद्यान निदेशालय तथा राजस्व परिषद तथा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में फसल उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में क्रमशः 5.0%, (-)2.3%, (-) 6.8% तथा 6.0% की वृद्धि हुई है।

पशुपालन उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग, रेशम निदेशालय तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये दर एवं अनुपात के आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में पशुपालन उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में क्रमशः 4.9%, 4.7%, 5. 7% तथा 3.7% की वृद्धि हुई है।

वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अनुमान उत्तर प्रदेश के वन विभाग तथा वन निगम एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में क्रमशः (–)1.2%, (–)1.9%, (–)2.3% तथा (–)1.9% की वृद्धि हुई है।

मत्स्य उपखण्ड के अनुमान मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का उपयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में मत्स्य उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष

2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में क्रमशः 4.7%, 3.3%, 6.4% तथा 2.1% की वृद्धि हुई है।

खनन तथा पत्थर निकालना उपखण्ड के अनुमान भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, आई०बी०एम०, नागपुर तथा के0 सां0 कार्या0, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का उपयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में खनन एवं पत्थर निकालना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में क्रमशः 6.6%, 27.2%, 4.3% तथा 14.3% की वृद्धि हुई है।

माध्यमिक खण्ड

माध्यमिक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखण्ड शामिल है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में द्वितीयक खण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में क्रमशः 2.9%, 8.0%, 6.3% तथा 8.0% की वृद्धि हुई है।

विनिर्माण उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से अखिल भारतीय थोक भाव सूचकांक एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तथा एमसीए 21 डाटा बेस का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में क्रमशः 4.3%, 13.9%, 5.3% तथा 9.6% की वृद्धि हुई है।

विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से विद्युत विभाग, उत्तर प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से उपलब्ध कराये गये आंकड़ों, स्थानीय निकायों के आय–व्ययक के खातों तथा प्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं वितरण में संलग्न निगमों की बैलेन्स शीट का विश्लेषण कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में क्रमशः 5.8%, 13.0%, 5.0% तथा 5.5% की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में निर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में क्रमशः 1.0%, 1.1%, 7.7% तथा 6.4% की वृद्धि हुई है।

तृतीयक खण्ड

अर्थ व्यवस्था के तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन, संचार, व्यापार", "वित्त तथा स्थावर संपदा" एवं "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उपखण्ड सम्मिलित हैं। तृतीयक खण्ड के अनुमान मुख्य रूप से केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों तथा राज्य की आय–व्ययक, स्थानीय निकायों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के लेखा खातों का विश्लेषण कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में क्रमशः 5.5%, 7.1%, 9.8% तथा 7.3% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2015–16 में सर्वाधिक वृद्धि 12.4 प्रतिशत "अन्य साधनों द्वारा परिवहन" उपखण्ड में परिलक्षित हुई है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन(प्रचलित भावों पर)

बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12 में रू० 681893 करोड़, वर्ष 2012–13 में रू० 777716 करोड़, वर्ष 2013–14 में रू० 885939 करोड़ तथा वर्ष 2014–15 में रू० 973052 करोड़ तथा वर्ष 2015–16 में रू० 1062374 करोड़ रहा है। प्राथमिक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में क्रमशः रू० 189778 करोड़, रू० 219953 करोड़, रू० 246708 करोड़, रू० 256289 करोड़ तथा रू० 281588 करोड़ रहा है। द्वितीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 में क्रमशः रू० 181781 करोड़, रू० 200719 करोड़, रू० 231544 करोड़, रू० 255808 करोड़, रू० 275384 करोड़ रहा है। तृतीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 में क्रमशः रू० 310333 करोड़, रू० 357044 करोड़, रू० 407686 करोड़, रू० 460955 करोड़ तथा रू० 505402 करोड़ अनुमानित रहा है।

सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष 2011–12 में प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद रू० 724049 करोड़ था जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर स्थायी भावों (2011–12) पर रू० 914988 करोड़ तथा प्रचलित भावों पर रू०

1144494 करोड़ हो गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में स्थायी भावों पर क्रमशः 6.2 प्रतिशत तथा 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर तथा प्रचलित भावों पर क्रमश 10.4 प्रतिशत तथा 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।

वर्ष 2011–12 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद रू० 645130 करोड़ था जो वर्ष 2015–16 में स्थायी भावों पर बढ़कर रू० 806490 करोड़ तथा प्रचलित भावों पर बढ़कर रू० 1017487 करोड़ हो गया है। निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में स्थायी भावों पर क्रमशः 6.1 तथा 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर तथा प्रचलित भावों पर क्रमशः 10.5 तथा 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।

तालिका–1.01

प्रदेश में सकल एवं निवल राज्य घरेलू उत्पाद

विवरण	करोड. रू० में					वृद्धि दर (प्रतिशत में)			
	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर)	724049	822903	944676	1042882	1144494	13.7	14.8	10.4	9.7
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थायी भाव पर)	724049	754687	803013	852453	914988	4.2	6.4	6.2	7.3
निवल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर)	645130	733505	838145	925757	1017487	13.7	14.3	10.5	9.9
निवल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थायी भाव पर)	645130	670054	708193	751356	806490	3.9	5.7	6.1	7.3

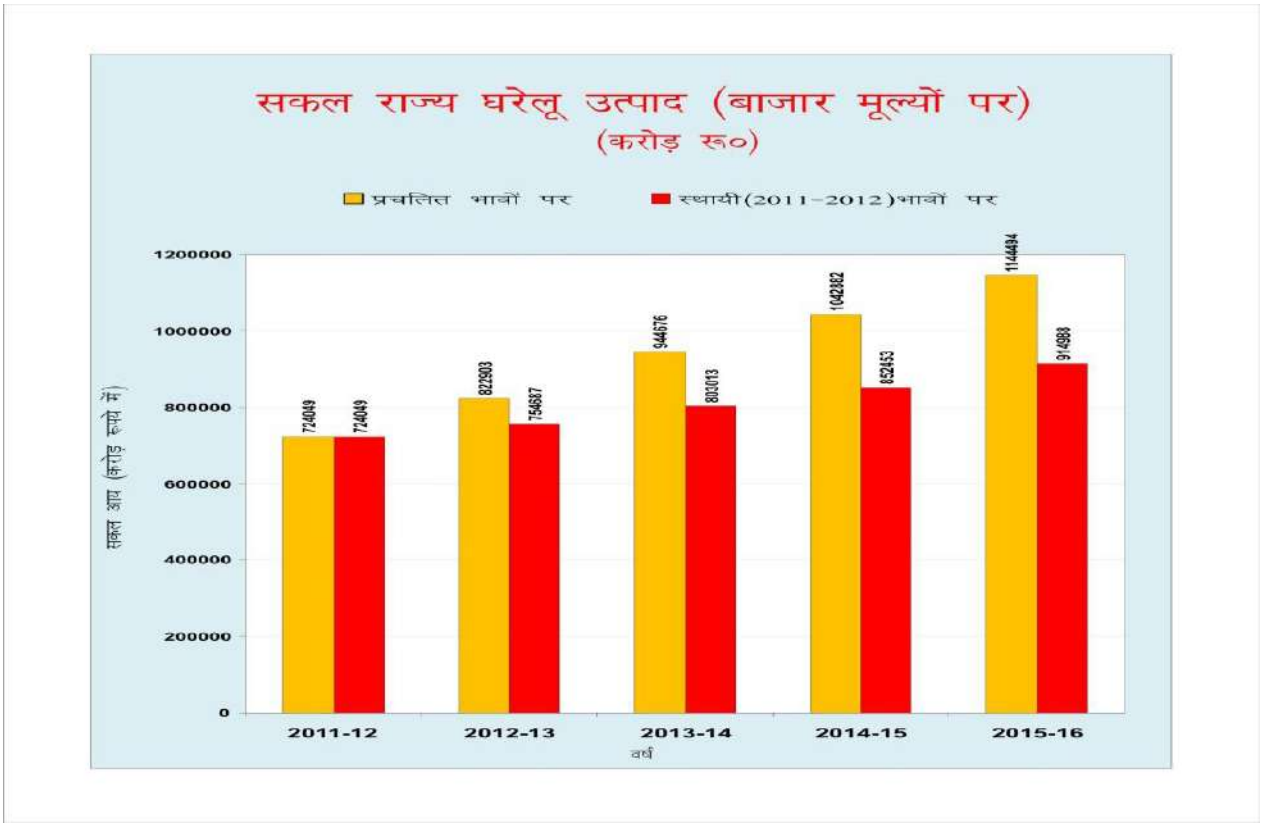

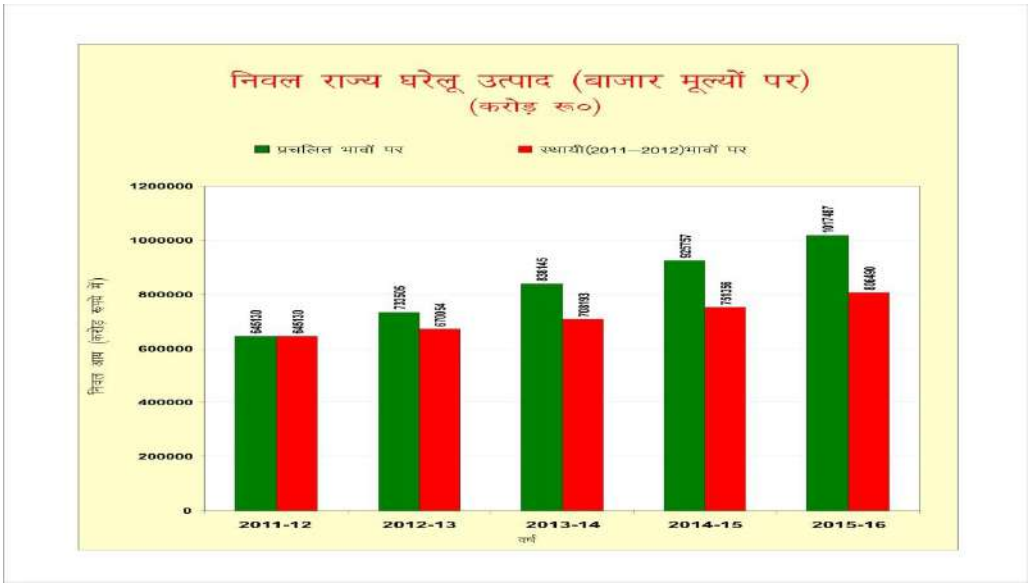

अर्थ–व्यवस्था की खण्डीय संरचना

राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न खण्डों के अंशदानों एवं निश्चित अवधि में हुए परिवर्तनों से यह बोध होता है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्र किस प्रकार विकसित हो रहे हैं। वर्ष 2015–16 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्राथमिक खण्ड का स्थायी (2011–2012) भावों पर राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान जो वर्ष 2011–12 में 29.0 प्रतिशत था घटकर वर्ष 2015–16 में 25.2 प्रतिशत रह गया है। इस अवधि में राज्य की अर्थ व्यवस्था के प्राथमिक खण्ड में कृषि (फसल) का योगदान 18.5 प्रतिशत से घटकर 15.0 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2015–16 में पशुपालन खण्ड का योगदान 7.0 प्रतिशत तथा वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना खण्ड का योगदान 1.5 प्रतिशत है। इस प्रकार प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल खण्ड का योगदान अभी भी सर्वाधिक है।

माध्यमिक खण्ड का राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011–12 में 25.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 26.7 प्रतिशत हो गया है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में विनिर्माण उपखण्ड का योगदान 13.4 प्रतिशत तथा निर्माण उपखण्ड का योगदान 12.5 प्रतिशत रहा है।

तृतीयक खण्ड का राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011–12 में 45.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 48.1 प्रतिशत हो गया है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में सर्वाधिक योगदान स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक उपखण्ड का 14.6 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2015–16 में व्यापार, होटल एवं जलपान ग्रह का योगदान 10.7 प्रतिशत तथा परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान 7.9 प्रतिशत आंकलित हुआ है। खण्डीय संरचना के इस परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि वर्ष 2011–12 से राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषीय से अकृषीय की ओर निरन्तर अग्रसर होती जा रही है तथापि राज्य की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था में कृषि की प्रधानता है।

प्रतिव्यक्ति आय

वर्ष 2015–16 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में रू० 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2015–16 में रू० 47496 हो गयी है। वर्ष 2014–15 व वर्ष 2015–16 में प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 8.8 तथा 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रदेश की निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में रू० 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2015–16 रू० 37647 हो गयी है। वर्ष 2014–15 व वर्ष 2015–16 मे प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 4.5 प्रतिशत तथा 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।

तालिका–1.02

प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रति व्यक्ति आय

(रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	गत वर्ष में प्रतिशत वृद्धि	स्थायी भावों पर	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
2011–12	32002	–	32002	–
2012–13	35837	12.0	32737	2.3
2013–14	40332	12.5	34079	4.1
2014–15	43876	8.8	35610	4.5
2015–16	47496	8.3	37647	5.7

त्रैमासिक अनुमान– अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जारी राज्य आय के वर्ष 2015–16 के समस्त चारों तथा वर्ष 2016–17 के दो त्रैमास के त्रैमासिक अनुमानों का विश्लेषण निम्नवत् है :–

प्रथम त्रैमास के अनुमान (क्यू 1)(अप्रैल से जून)

स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2015–16 के राज्य आय के प्रथम त्रैमासिक अनुमान में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2014–15 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है।

वर्ष 2016–17 में स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) के प्रथम त्रैमास के अनुमान में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2015–16 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है। स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन(जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2016–17 के प्रथम त्रैमास में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर वर्ष 2015–16 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष क्रमशः 2.6 प्रतिशत, 4. 7 प्रतिशत तथा 7.8 प्रतिशत रही है। इस प्रकार तृतीयक खण्ड में सर्वाधिक वृद्धि दर परिलक्षित हुई है।

द्वितीय त्रैमास के अनुमान (क्यू 2)(जुलाई से सितम्बर)

स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2015–16 में राज्य आय के द्वितीय त्रैमास के अनुमान में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2014–15 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है।

वर्ष 2016–17 में स्थिर (2011–12) भावों पर सकल घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2015–16 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है। स्थिर भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2016–17 के द्वितीय त्रैमास में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर वर्ष 2015–16 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष क्रमशः 3.6 प्रतिशत, 6.2 प्रतिशत तथा 8.0 प्रतिशत अनुमानित की गयी है। इस प्रकार तृतीयक खण्ड में सर्वाधिक वृद्धि दर परिलक्षित हुई है।

तृतीय त्रैमास के अनुमान (क्यू 3)(अक्टूबर से दिसम्बर)

स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद(जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2015–16 के तृतीय त्रैमास के अनुमान में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2014–15 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है।

चतुर्थ त्रैमास के अनुमान (क्यू 4)(जनवरी से मार्च)

स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद(जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2015–2016 के चतुर्थ त्रैमास के अनुमान में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2014–15 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है।

इस प्रकार वर्ष 2015–16 के जारी चारो त्रैमासिक अनुमानों में से राज्य आय के चतुर्थ त्रैमास में वृद्धि दर सर्वाधिक रही है । इसी प्रकार वर्ष 2016–17 के जारी दो त्रैमासिक अनुमानों में से राज्य आय के द्वितीय त्रैमास में वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक रही है।

प्रदेश के राज्य आय तथा अखिल भारतीय राष्ट्रीय अनुमानों का विश्लेषणः–

प्रदेश के वर्ष 2015–16 के त्वरित अनुमान तथा राष्ट्रीय आय के वर्ष 2015–16 के प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार तुलनात्मक आंकड़े निम्नवत् हैं–

तालिका–1.03

उत्तर प्रदेश तथा भारत के तुलनात्मक आंकड़े

वर्ष		उत्तर प्रदेश					भारत				
		2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
प्रतिशत वितरण	प्राथमिक खण्ड	27.8	28.3	27.8	26.3	26.5	21.7	21.4	21.5	20.8	19.8
	द्वितीयक खण्ड	26.7	25.8	26.1	26.3	25.9	29.3	28.6	27.9	27.4	27.2
	तृतीयक खण्ड	45.5	45.9	46.0	47.4	47.6	49.0	50.0	50.6	51.8	53.0
प्रतिशत वृद्धि	प्राथमिक	–	4.6	0.5	(–)2.8	5.3	–	1.2	5.2	1.8	2.6
	द्वितीयक	–	2.9	8.0	6.3	8.0	–	3.9	4.3	6.1	7.8
	तृतीयक	–	5.5	7.1	9.8	7.3	–	8.3	7.7	9.5	9.8
	कुल	–	4.2	6.4	6.2	7.3	–	5.5	6.5	7.2	7.9
प्रति व्यक्ति आय(रू० में)		32002	35837	40332	43876	47496	63460	71011	79146	86513	94178

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के वर्ष 2015–16 के प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों पर वर्ष 2011–12 में प्राथमिक तथा द्वितीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 21.7 प्रतिशत व 29.3 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2015–16 में 19.8 प्रतिशत व 27.2 प्रतिशत हो गया है। इसके विपरीत तृतीयक खण्ड का योगदान वर्ष 2011–12 में 49.0 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2015–16 में 53.0 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2015–16 में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान 16.6 प्रतिशत विनिर्माण खण्ड का है। उक्त अवधि में प्रदेश में भी प्राथमिक खण्ड के योगदान में कमी आयी है तथा तृतीयक खण्ड का योगदान 45.5 प्रतिशत से बढ़कर 47.6 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2015–16 में राज्य की अर्थ व्यवस्था में अभी भी कृषि खण्ड की प्रधानता है।

वर्ष 2015–16 में स्थायी (2011–12) भावों पर सकल घरेलू उत्पाद में अखिल भारतीय स्तर पर 7.9 प्रतिशत तथा राज्य स्तर पर 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।

वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 की अवधि में प्रचलित भावों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रू० 32002 से बढ़कर रू० 47496 हो गयी जबकि अखिल भारतीय स्तर पर रू० 63460 से बढ़कर रू० 94178 हो गयी है। वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय का लगभग 50 प्रतिशत रही है।

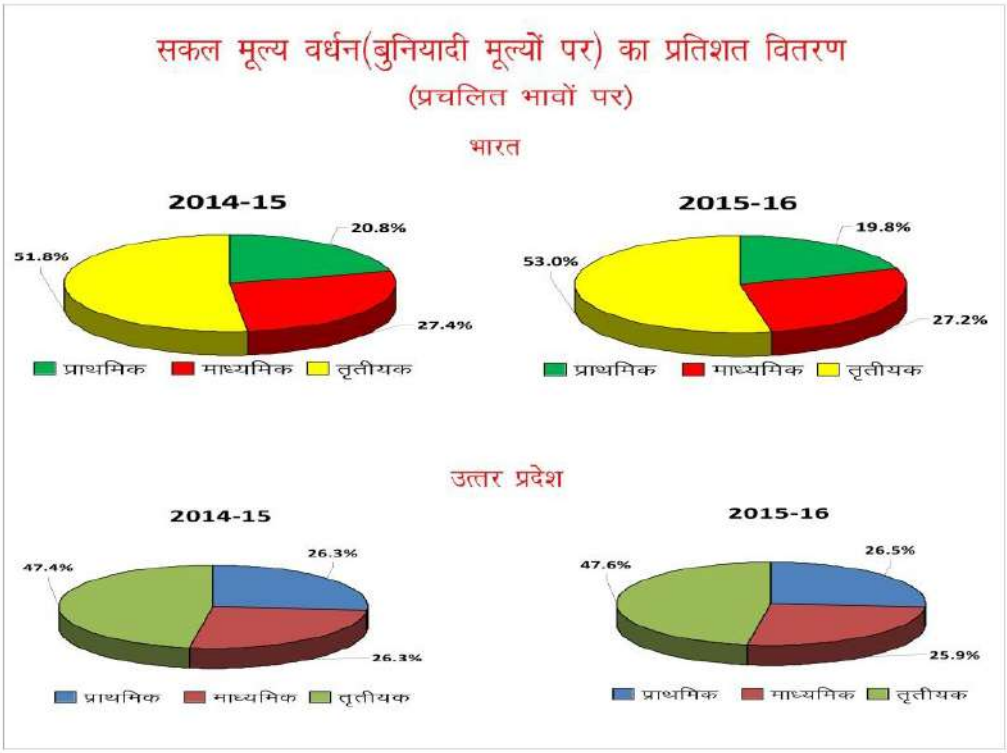

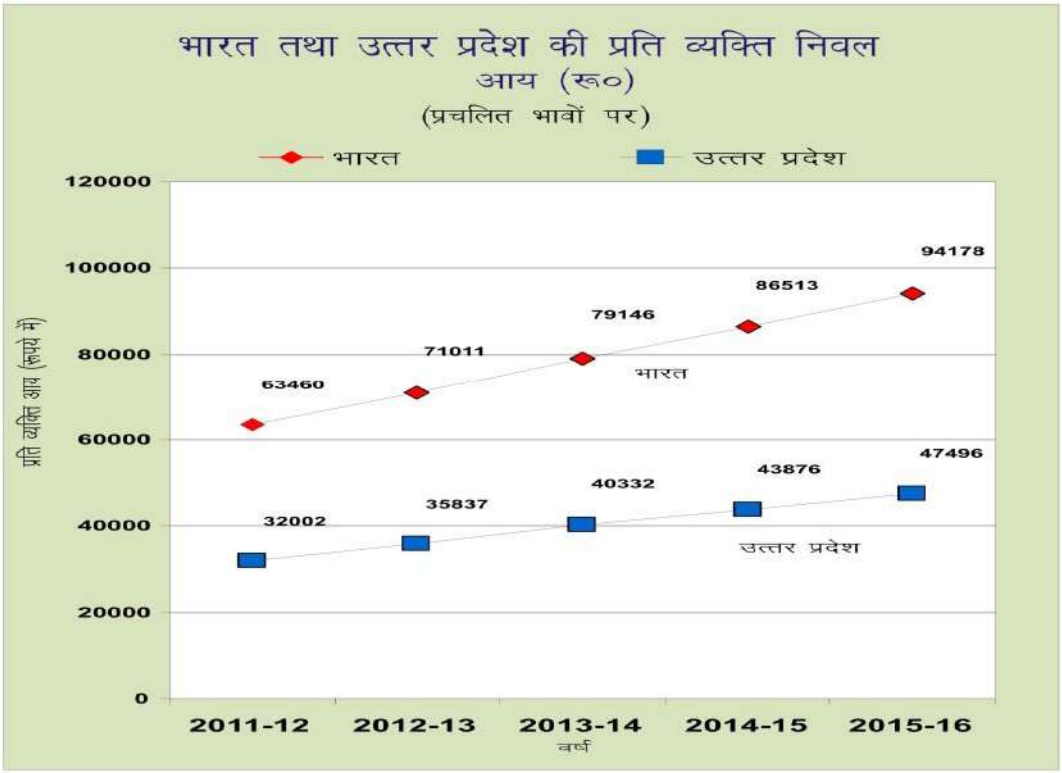

सकल मूल्य वर्धन(बुनियादी मूल्यों पर) का प्रतिशत वितरण
(प्रचलित भावों पर)
भारत
2014-15
20.8%
51.8%
27.4%
प्राथमिक
माध्यमिक
तृतीयक
2015-16
19.8%
53.0%
27.2%
उत्तर प्रदेश
2014-15
26.3%
47.4%
26.3%
2015-16
26.5%
47.6%
25.9%

भारत तथा उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति निवल आय (रू०)
(प्रचलित भावों पर)
भारत
उत्तर प्रदेश
प्रति व्यक्ति आय (रूपये में)
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
63460
71011
79146
86513
94178
32002
35837
40332
43876
47496
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
वर्ष

तालिका–1.04
निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य की प्रति व्यक्ति आय

(प्रचलित भावों पर)

क्रम सं0	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आन्ध प्रदेश	68866	74639	84579	95689
2	अरूणाचल प्रदेश	73068	81353	91990	101100
3	असम	41142	44599	49734	54618
4	बिहार	21750	24487	26948	31380
5	छत्तीसगढ़	55177	60849	69863	78495
6	गोवा	258666	237929	258856	274939
7	गुजरात	87481	102826	113139	124518
8	हरियाणा	107343	122571	136734	150260
9	हिमाचल प्रदेश	87721	99730	114095	124500
10	जम्मू कश्मीर	51382	56201	63202	65598
11	झारखण्ड	41254	47360	50006	56737
12	कर्नाटक	89899	101806	119160	132749
13	केरल	97912	110314	123387	139382
14	मध्य प्रदेश	38550	44931	51639	56516
15	महाराष्ट्र	98910	111005	125146	134081
16	मणिपुर	39762	41246	47852	52436
17	मेघालय	60013	64036	65118	67082
18	मिजोरम	57654	65013	77581	85659
19	नागालैण्ड	51314	58727	71511	78526
20	ओडिशा	47019	53196	56941	63108
21	पंजाब	85577	94318	105143	114561
22	राजस्थान	57427	63722	69925	76881
23	सिक्किम	158667	174183	194624	210394
24	तमिलनाडु	92984	105032	116583	130197
25	तेलंगाना	91664	101602	114669	129182
26	त्रिपुरा	47079	52434	61570	71666
27	उत्तर प्रदेश	32002	35837	40332	43876
28	उत्तराखण्ड	100497	113826	126957	134784
29	पश्चिम बंगाल	NA	NA	NA	NA
30	अन्डमान निकोबार	88183	96032	109787	121954
31	चंडीगढ़	159114	180624	203377	225369
32	दिल्ली	185044	206407	232269	252011
33	पाण्डिचेरी	119649	130548	148147	158830
अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय (NNI)		63460	71011	79146	86513

अन्य राज्यों से तुलना

नये आधार वर्ष 2011–12 पर उपलब्ध अन्य राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना से स्पष्ट होता है कि प्रचलित भावों पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 तक प्रदेश का राष्ट्र में तीसरा स्थान है। केवल महाराष्ट्र व तमिलनाडु का सकल घरेलू उत्पाद उत्तर प्रदेश से अधिक है जबकि पश्चिम बंगाल के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त अवधि में विभिन्न राज्यों की प्रचलित तथा स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति आय के

अनुमानों की तुलना से स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों के सापेक्ष उ0प्र0 की प्रति व्यक्ति आय कम रही है। केवल बिहार की प्रति व्यक्ति आय उ0प्र0 से कम रही है।

तालिका–1.05
प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद(जी0एस0डी0पी0)

(करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आन्ध प्रदेश	379230	410961	468494	532922	603376
2	अरूणाचल प्रदेश	11063	12547	14607	16389	19473
3	असम	143175	156864	177745	198098	NA
4	बिहार	247144	282368	317101	373920	413503
5	छत्तीसगढ़	158074	177511	206786	236318	NA
6	गोवा	42253	38647	42243	45548	NA
7	गुजरात	615606	724496	807623	895927	NA
8	हरियाणा	300756	350407	395748	441864	NA
9	हिमाचल प्रदेश	72720	82820	94764	104369	NA
10	जम्मू कश्मीर	77945	86537	97400	102681	NA
11	झारखण्ड	150918	174724	188567	217107	241955
12	कर्नाटक	603778	692224	818167	920061	1040148
13	केरल	364048	412313	465040	526774	NA
14	मध्य प्रदेश	315561	380926	435790	484538	565053
15	महाराष्ट्र	1272967	1448466	1647506	1792122	NA
16	मणिपुर	12915	13748	16198	18043	NA
17	मेघालय	19918	21872	22938	24065	27305
18	मिजोरम	7259	8362	10293	11021	NA
19	नागालैण्ड	11839	13619	16612	18414	NA
20	ओडिशा	225283	255273	277271	309807	332329
21	पंजाब	266628	297734	334714	368011	NA
22	राजस्थान	436465	494004	549701	612194	NA
23	सिक्किम	11165	12338	13862	15209	16637
24	तमिलनाडु	751485	855481	971090	1092564	1212668
25	तेलंगाना	361701	404105	460172	522001	583117
26	त्रिपुरा	19208	21663	25593	29667	NA
27	उत्तर प्रदेश	724049	822903	944676	1042882	1144494
28	उत्तराखण्ड	115523	131835	149817	161985	184091
29	पश्चिम बंगाल	NA	NA	NA	NA	NA
30	अन्डमान निकोबार	3979	4421	5159	5721	NA
31	चंडीगढ़	18768	21609	24787	27844	30304
32	दिल्ली	343260	391071	446807	494460	558745
33	पाण्डिचेरी	16818	18875	21870	24089	26533

****

अध्याय–2
प्रदेश के विकास की चुनौतियाँ तथा रणनीति

प्रदेश के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न सेक्टरों के अंतर्गत चुनौतियों को चिन्हित करते हुए विकास की रणनीति बनाया जाना अपेक्षित है। इसके अन्तर्गत एक ओर जहाँ प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाये जाने के साथ–साथ भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करके उसको सही ढंग से लागू किया जाना सम्मिलित है वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा गत वर्ष लागू की गयी विभिन्न नीतियों का कार्यान्वयन, महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण हेतु रणनीति, निजी निवेश अर्जित करने का प्रयास, जनसामान्य के लिए विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, नगरीय सुविधाएं, श्रम एवं ग्राम विकास सेक्टरों के विशिष्ट कार्य बिन्दुओं, समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा प्रशासन तंत्र को प्रभावी बनाये जाने के साथ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए तंत्र विकसित करने का प्रयास अपेक्षित हैं।

समग्र विकास हेतु विभिन्न सेक्टरों के अंतर्गत चिन्हित चुनौतियाँ तथा प्रदेश विकास की रणनीति निम्नवत प्रस्तुत है :–

चुनौतियाँ

• कृषि तथा सम्वर्गीय क्षेत्र

1. कृषि विकास दर को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के अनुरूप बनाये रखना।
2. मृदा स्वास्थ्य में गिरावट को रोकना।
3. विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि करना।
4. कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत को कम करना।
5. छोटी जोतों को लाभकारी बनाना।
6. कृषि पर रोजगार की निर्भरता को कम करना।
7. कृषि उत्पादों विशेषकर औद्यानिक फसलों का विपणन तथा भण्डारण।
8. औद्यानिक फसलों के आच्छादन, उत्पादन आदि का आंकड़ा आधार खाता तैयार करना।

• पशुपालन तथा सम्वर्गीय क्षेत्र

1. कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन बढ़ाना।
2. पशु आहार/पशु चारा का उत्पादन बढ़ाना।
3. कुक्कुट तथा मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना।
4. अति हिमीकृत वीर्य का उत्पादन बढ़ाना।
5. सहकारी क्षेत्र की डेयरियों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करना।
6. दुग्ध उत्पादन एवं विपणन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

• उद्योग

1. निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करना।
2. औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना।
3. निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
4. कुशल मानव संसाधन का विकास करना।

5. औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
6. हस्त शिल्प तथा दस्तकारी इकाईयों को जीवनक्षम बनाना।
7. सम्यक रूप से औद्योगिक वातावरण में सुधार।

- **सेवा क्षेत्र**

1. विभिन्न सेवाओं के मूल्य वर्धन का आंकलन।
2. सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न आर्थिक क्रिया–कलापों में सन्लिप्त इकाईयों का आंकड़ा आधार तैयार करना।
3. सेवा क्षेत्र में संलग्न श्रम शक्ति का कौशल विकास।

- **अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार तथा परिवहन**

1. प्रदेश में सड़क घनत्व को राष्ट्रीय स्तर तक लाना।
2. नये विद्युत उत्पादन के निर्माण की बाधाओं को दूर करना।
3. पारेषण लाईनों का विस्तार।
4. विद्युत आपूर्ति में सुधार।
5. लाईन हानियों में कमी लाना।
6. क्रियाशील विद्युत उत्पादन इकाईयों की क्षमता में वृद्धि।
7. वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना।
8. नगरीय यातायात को सुविधाजनक एवं सरल बनाना।

- **ग्राम्य विकास**

1. योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ लक्षित समूह/जन सामान्य को पहुँचाना।
2. योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना संसाधनों का निर्माण
4. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना।
5. पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।
6. ग्रामीण समाज के समस्त वर्गों की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित करना।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता हेतु जागरूकता उत्पन्न करना।

- **शिक्षा**

1. 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना।
2. विभिन्न वर्गों में साक्षरता अन्तराल को कम करना।
3. ड्रॉप आऊट दर को कम करना।
4. प्राथमिक शिक्षा की पहुँच में सुधार करना।
5. विद्यालय के प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय भागीदारिता सुनिश्चित करना।
6. शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक, शैक्षिक तथा लैंगिक भेद को समाप्त करना।

- **माध्यमिक शिक्षा**

1. प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय विषमता को दूर करना।
2. प्रत्येक विकास खण्ड में बालिकाओं हेतु कम से कम एक हाई स्कूल स्तर का विद्यालय खोला जाना।

3. समग्र शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि।

- **उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा**

1. शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं विस्तार।
2. शिक्षा को रोजगार से जोड़ना।
3. ई–लर्निंग/स्मार्ट क्लासेस।
4. समग्र शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि।

- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य**

1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार।
2. जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर तथा मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना।
3. सुरक्षित प्रसव।
4. प्रदेश में उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों की स्थापना।
5. चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना।
6. लिंगानुपात को बढ़ाना।
7. टीकाकरण का विस्तार।

- **सामाजिक कल्याण**

1. छात्र वृत्ति तथा पेंशन सम्बन्धी लाभार्थी परक़ योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना।
2. समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना।

विकास की रणनीति

- **कृषि तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**

1. कृषि क्षेत्र के विकास हेतु कृषि नीति 2013 का प्रभावी कार्यान्वयन।
2. आलू नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
3. खाद्यान्न उत्पादन में प्रजाति प्रतिस्थापन दर में वृद्धि हेतु प्रभावी कार्यवाही।
4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 का प्रभावी कार्यान्वयन।
5. कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता हेतु कृषि यन्त्रीकरण के लिए मैकेनाईजेशन मिशन तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार विशेषकर औद्यानिक फसलों हेतु नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन का प्रभावी कार्यान्वयन।
6. सोलर फोटोबोल्टैइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना।
7. कृषकों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब एवं नवीन मण्डियों की स्थापना, किसान बाज़ार का विकास किया जाना आदि।
8. गन्ने के बीज की उन्नत प्रजातियों का विकास।
9. भण्डार गृहों का निर्माण।
10. पारदर्शी किसान योजना का कार्यान्वयन।
11. कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।

- **पशुपालन तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**

1. कुक्कुट विकास नीति 2013 का प्रभावी कार्यान्वयन।
2. कामधेनु योजना तथा मिनी कामधेनु योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
3. डेरी विकास फण्ड का गठन किया जाना।
4. सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना।
5. मत्स्य विकास नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।

- **उद्योग**

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 का प्रभावी कार्यान्वयन।
2. उत्तर प्रदेश औद्योगिक सेवा गारन्टी अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन।
3. औद्योगिक इकाईयों हेतु भूमि आवंटन नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
4. उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
5. चीनी उद्योग, को–जेनेरेशन एवं आसवानी प्रोत्साहन नीति 2013 का प्रभावी कार्यान्वयन।
6. मेगा लेदर क्लस्टर योजना आदि का प्रभावी कार्यान्वयन।
7. व्यक्तिगत बुनकरों को क्रेडिट कार्ड निर्गत किया जाना।
8. एम0एस0एम0ई0 पोर्टल विकसित किया जाना।

- **अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार तथा परिवहन –**

1. दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर का प्रभावी कार्यान्वयन।
2. अमृतसर–दिल्ली–कोलकाता इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर का प्रभावी कार्यान्वयन।
3. ग्रेटर नोएडा में नाईट सफ़ारी परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
4. आगरा में ताजगंज क्षेत्र के विकास की परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
5. मैत्रेय परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
6. विश्व बैंक सहायतित प्रो–पुअर टुरिज़्म योजना का कार्यान्वयन।
7. कुशीनगर व आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जाना।
8. मेगा लेदर क्लस्टर योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
9. 500 से अधिक आबादी के अंसतृप्त बसावटों को शत प्रतिशत सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाना।
10. जिला मुख्यालयों को चार लेन की सड़कों से जोड़ना।
11. ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण की नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
12. प्रदेश की समस्त सडकों को गड्ढा–मुक्त किया जाना।
13. अधुरे सेतुओं तथा रेल उपरिगामी सेतुओं एवं अधूरे उपरिगामी सेतुओं को पूर्ण किया जाना।
14. हैरीटेज़ टूरिज़म पॉलिसी 2016 का कार्यान्वयन।
15. प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए हैलीकाप्टर सेवा शुरु करना।
16. प्रदेश के अन्य शहरों में एयरपोर्ट बनाने का काम किया जाना।
17. लखनऊ में मेट्रो रेल का संचालन तथा झांसी एवं गोरखपुर मे मेट्रो रेल का विस्तार।
18. कानपुर, वाराणसी, मेरठ तथा आगरा में मेट्रो रेल का संचालन करना।
19. ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घण्टे के अन्दर क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना।
20 प्रदेश की तहसीलों में 33/11 के०वी० उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण करना।
21. प्रदेश के विद्युत गृहों के पीएलएफ को बढ़ाने हेतु कार्य योजना बनाना तथा उसका समयबद्ध कार्यान्वयन कराया जाना।
22. मेज़ा एवं घाटमपुर में संयुक्त उपक्रम में बनाई जा रही तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में गति लाना।

23. रूफटॉप सोलर पॉलिसी का प्रभावी कार्यान्वयन।
24. उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2013 का प्रभावी कार्यान्वयन।
25. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए सब्सिडाइज्ड सोलर पैक की व्यवस्था किया जाना जिससे कुछ आवश्यक घरेलू उपकरण चल सकें।
26. ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक 8 स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था किया जाना।

- **शिक्षा**

1. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नीति निर्धारण करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया जाना।
2. उच्च शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम परिवर्धन के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार।
3. कन्या विद्या धन योजना, अक्षय पात्र योजना आदि का प्रभावी कार्यान्वयन।
4. उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम परिवर्धन के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए उन्हें रोजगारपरक बनाये जाना।
5. ई–लर्निंग को बढ़ावा दिया जाना।
6. समस्त प्राविधिक संस्थाओं में एकेडमिक मॉनिट्रिंग की एकीकृत व्यवस्था।

- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य**

1. विगत वर्षों के निर्माणाधीन अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों को पूर्ण कर क्रियाशील करना।
2. नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/नये जनपदों में जिला चिकित्सालयों का निर्माण।
3. ट्रामा सेन्टरों के भवनों का निर्माण, उन्हें क्रियाशील किया जाना।
4. चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश अर्जित करने हेतु नीति निर्धारित करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार।
5. एम्स के तर्ज पर उच्च चिकित्सा अनुसन्धान संस्थानों तथा चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना।

- **ग्राम्य विकास तथा सामाजिक कल्याण**

1. छात्रवृत्ति पेंशन आदि सम्बन्धी समस्त योजनाओं का इंटरनेट आधारित प्रणाली द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन एवं अुनश्रवण।
2. डॉ० राममनोहर लोहिया समग्र विकास योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
3. जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
4. हर घर में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

- **लोक निधि**

1. प्रदेश के विकास हेतु वाह्य सहायतित परियोजनाओं में अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त कर प्रभावी कार्यान्वयन।
2. प्रदेश में विकास हेतु कर एवं करेत्तर राजस्व के रूप में अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन जुटाया जाना।

****

अध्याय–3
वित्त एवं बैंकिंग सेवायें

लोक निधि

उत्तर प्रदेश राज्य भौगोलिक रूप से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है जहाँ देश की आबादी का सबसे बड़ा अंश निवास करता है जो मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। विदित है कि उत्तर प्रदेश राज्य एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा राज्य कहा जाता है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण संसाधनों की सृजन क्षमता भी सीमित है ऐसी स्थिति में प्रदेश के विकासात्मक गतिविधियों हेतु अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता एवं सीमित संसाधनों के दृष्टिगत प्रदेश का विकास किया जाना एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश सरकार द्वारा जहाँ एक तरफ प्रदेश के जनोपयोगी एवं लोकहित से जुड़ी योजनाओं के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध कराये जाने के सभी समुचित प्रयास किये गये वहीं दूसरी तरफ अपने वित्तीय संकेतकों को भी नियन्त्रण में रखे जाने के अथक प्रयास किये गये हैं। यही कारण है कि प्रदेश में विकासात्मक कार्यों के साथ–साथ राज्य को अपनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित रखने में सफलता प्राप्त हुयी है।

2. राजस्व प्राप्ति

राज्य के संसाधन मुख्य रूप से राज्य के अपने संसाधन तथा केन्द्र सरकार से संक्रमण के आधार पर प्राप्त होते हैं। राज्य के राजस्व आय के प्रमुख स्रोत हैं– कर, करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से संक्रमण। संक्रमण के स्रोत हैं केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश में राज्य का अंश तथा केन्द्र से अनुदान। वर्ष 2014–15 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश को रू0 1,93,421.61 करोड़ रूपये की कुल राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व से 94,107.78 करोड़ रूपये तथा केन्द्र से करों के विभाज्य अंश में तथा केन्द्रीय अनुदानों के रूप में रू0 99,313.83 करोड़ रूपया प्राप्त हुआ। राज्य के गत पांच वर्षों की राजस्व प्राप्तियों को तालिका–3.01 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.01 राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति से आय के स्रोत का प्रतिशत

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का राजस्व		केन्द्रीय संक्रमण		कुल राजस्व प्राप्तियां
	राज्य कर तथा शुल्क	राज्य करेत्तर राजस्व	केन्द्रीय करों में अंश	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	
1	2	3	4	5	6
2011–12	52613.43	10145.30	50350.95	17760.02	130869.70
2012–13	58098.36	12969.98	57497.85	17337.79	145903.98
2013–14	66582.11	16449.81	62776.66	22405.17	168213.75
2014–15	74172.98	19934.80	66622.35	32691.48	193421.61
2015–16 (पु०अ०)	86400.10	22788.61	94313.46	44220.26	247722.43

नोटः वर्ष 2014–15 से केन्द्रीय योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सीधे विभागों को उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान को राज्य सरकार के बजट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है जिस कारण अप्रत्याशित वृद्धि केन्द्रीय अनुदान में परिलक्षित हो रही है।

राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2014–15 में 48.65 प्रतिशत था अर्थात राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग आधा अंश राज्य अपने संसाधनों से ही एकत्रित करता है। संसाधनों में वृद्धि के लिये राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्रयासों को बाक्स–1 में दर्शाया गया है।

बाक्स–1

वाणिज्यिक कर विभाग।

- पेट्रोल पर 26.80% या रू0 16.74 प्रति लीटर जो भी अधिक हो, डीजल आयल जैसा कि यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन एक्ट, 1939 में परिभाषित है, क्रम सं0–4(क) एवं 4 (ख) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त पर 17.48% या रू0 9.41 प्रति लीटर जो भी अधिक हो पर कर देयता का निर्धारण।
- सिगरेट/सिगार, बिना तम्बाकू युक्त पान मसाला एवं खैनी, जर्दा, सुर्ती व अन्य निर्मित तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादन जिसमें बीडी अपवर्जित है, पर 40% की दर से कर देयता का निर्धारण।
- कोयला जिसके अन्तर्गत कोक अपने सब रूपों में भी है पर 2% प्रवेश कर का निर्धारण।

परिवहन विभाग

गैर परिवहन यानों के पुनः पंजीयन के समय, पंजीयन के समय देय कर के 10 प्रतिशत की दर से ग्रीन टैक्स लगाया जाना।

निबन्धन विभाग

- सहकारी आवास समिति द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित विलेखों पर प्रदत्त निबन्धन शुल्क में छूट समाप्त की गई।
- जनपदों के द्विवार्षिक मूल्यांकन के स्थान पर वार्षिक मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण दिनांक 01–08–2014 से प्रभावी किया गया जिसके क्रम में वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी सर्किल रेट का पुनरीक्षण किया गया।

आबकारी विभाग

- देशी शराब की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस, एम0जी0क्यू0, बेसिक लाइसेंस फीस, प्रतिफल फीस आदि में वृद्धि की गयी।
- विदेशी शराब एव बीयर की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस, बेसिक लाइसेंस फीस, प्रतिफल फीस, लेबिल अनुमोदन फीस आदि में वृद्धि की गयी।
- सभी श्रेणियों के बार अनुज्ञापनों एवं माडल शाप्स की लाइसेंस फीस में वृद्धि।

मनोरंजन कर विभाग

- प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये थीम पार्क/अम्यूजमेंट पार्क जैसी वृहद योजनायें स्थापित करने की आवश्यकता को देखते हुए थीम पार्क/अम्यूजमेंट पार्क आदि की स्थापना के लिये एक नीति बनायी गयी जिसमें थीम पार्क/अम्यूजमेंट पार्क परियोजनाओं को संचालन की तिथि से 10 वर्ष तक मनोरंजन कर से छूट कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है।
- प्रदेश में नये मल्टीप्लेक्स छविगृहों को खोलने के उद्देश्य से लागू प्रोत्साहन योजना को दिनांक 31 मार्च, 2020 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत नगर निगम एव ंनोएडा/ग्रेटर नोयडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम वर्ष 100 प्रतिशत, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 75 प्रतिशत एवं चतुर्थ एवं पंचम वर्ष 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान किया गया है। नगर निगम एव ंनोयडा/ग्रेटर नोयडा से भिन्न स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 100 प्रतिशत और चतुर्थ एवं पंचम वर्ष 75 प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान किया गया। यह दीर्घकालीन उपाय हैं जिससे भविष्य में प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी।

राज्य के स्वयं का कर राजस्व में मुख्य भागीदारी वाणिज्यिक कर विभाग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) की है। वर्ष 2015–16 के पुनरीक्षित अनुमान में मूल्य संवर्द्धित कर का अंश लगभग 57 प्रतिशत है। राज्य उत्पाद शुल्क तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क अन्य दो महत्वपूर्ण घटक है जिनका अंश क्रमशः 19 प्रतिशत एवं 16 प्रतिशत है। राज्य का कर राजस्व मुख्यतः इन्हीं तीन मदों से प्राप्त होने वाले कर पर निर्भर रहता है।

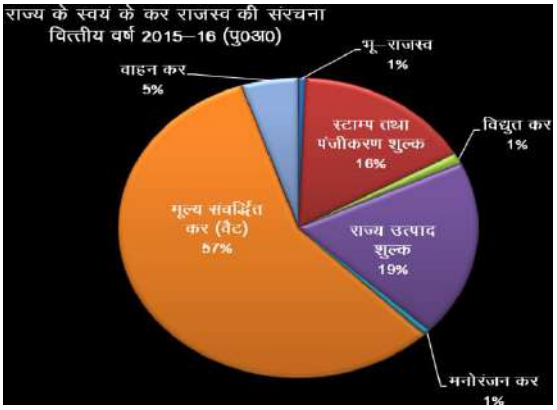

3. राजस्व व्यय

राजस्व व्यय के मुख्य भाग हैं– राज्य करों की वसूली पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय। वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 की अवधि में राजस्व प्राप्ति तथा सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं एवं स्थानीय निकायों के अनुदान पर होने वाले राजस्व व्यय को तालिका–3.02 में दिया गया हैः–

तालिका 3.02 राजस्व व्यय के मुख्य घटक

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	राजस्व व्यय के घटक			
		सामान्य सेवायें	सामाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें	स्थानीय निकायों को अनुदान
1	2	3	4	5	6
2011–12	123885.17	52946.91	47390.94	18292.22	5255.10
2012–13	140723.64	59906.73	53300.32	21337.35	6179.24
2013–14	158146.87	61983.49	60756.28	25710.72	9696.38
2014–15	171027.33	64305.73	60905.78	34885.24	10930.58
2015–16 (पु०अ०)	229354.17	74942.51	90701.59	53528.73	10181.34

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय विकासात्मक श्रेणी में तथा सामान्य सेवाओं पर किया जाने वाला राजस्व व्यय विकासेत्तर व्यय की श्रेणी में आता है। ग्राफ को देखने से यह पूर्णतया स्पष्ट हो रहा है कि वर्ष 2011–12 में राजस्व व्यय का विकासात्मक कार्यों में किया जाने वाला व्यय 53.0 प्रतिशत था जो वर्ष 2014–15 में बढ़कर 56.0 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है तथा वर्ष 2015–16 में इसके बढ़कर 62.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय को भी इस प्रकार समायोजित किया जा रहा है कि उसका अधिकांश उपयोग विकास कार्यों में किया जा सके। जहाँ तक आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का सम्बन्ध है तो इसमें भी आयोजनागत राजस्व व्यय में वर्ष 2014–15 को छोड़कर वृद्धि होती रही है। वर्ष 2011–12 में कुल राजस्व व्यय का 18.3 प्रतिशत अंश का उपयोग आयोजनागत मद में किया जा रहा था जो वर्ष 2012–13 में 18.4 प्रतिशत के स्तर पर ही रहा परन्तु इसके उपरान्त राज्य सरकार के अथक प्रयास से यह वर्ष 2013–14 में बढ़कर 20. 0 प्रतिशत तक पहुच गया। वर्ष 2015–16 में इसके 22.7 प्रतिशत होने का अनुमान है।

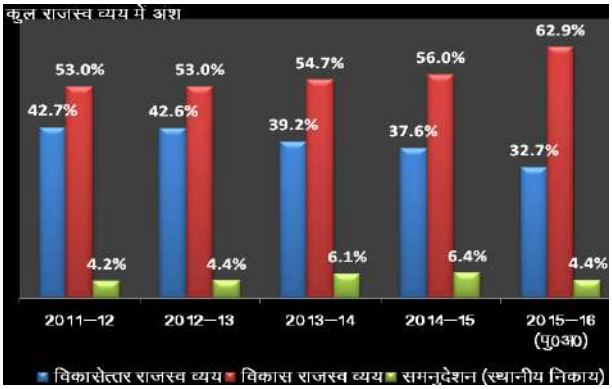

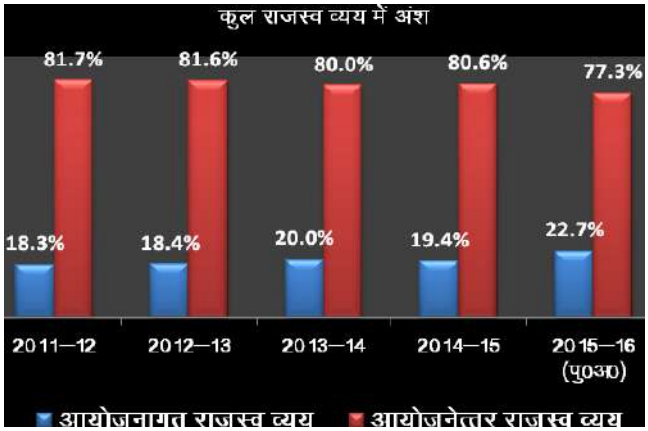

राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह राज्य सरकार का वचनबद्ध व्यय है जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। इन मदों में किये जाने वाले व्यय का विवरण तालिका–3.03 में दिया गया है।

तालिका–3.03 वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर राजस्व व्यय

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	वेतन	पेंशन	ब्याज	वेतन+पेंशन+ब्याज
1	2	3	4	5
2011–12	46922.39	14127.06	15480.95	76530.40
2012–13	52231.57	17920.61	16920.59	87072.77
2013–14	54363.41	19521.21	17412.44	91297.06
2014–15	61557.74	22304.61	18864.44	102726.72
2015–16 (पु०अ०)	75387.42	24934.08	21313.49	121634.99

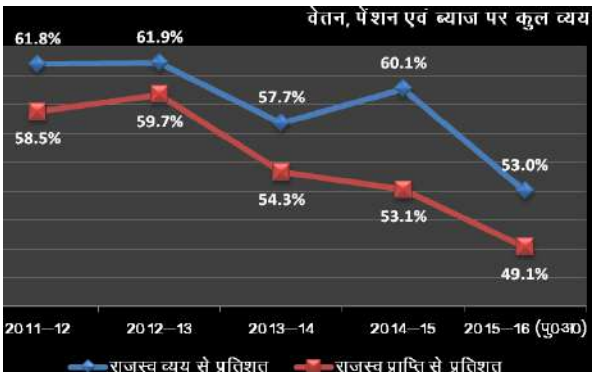

वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर होने वाले कुल व्यय का राज्य के स्वयं के राजस्व एवं कुल राजस्व के साथ प्रतिशत ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले वचनबद्ध व्यय के राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय से प्रतिशत के रूप में विगत 5 वर्षों में सुधार हुआ है।

वर्ष 2011–12 में जहाँ वचनबद्ध व्यय, राजस्व व्यय का 61.8 प्रतिशत था वहीं वर्ष 2013–14 में यह घट कर 57.7 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है तथा वर्ष 2015–16 में इसके और भी घट कर 53.0 प्रतिशत तक आने का अनुमान है। इसी प्रकार राजस्व प्राप्ति से भी इसके प्रतिशत अंश में भी कमी आयी है जो वर्ष 2015–16 में 49.1 प्रतिशत तक आने का अनुमान है। यह दर्शाता है कि राज्य के राजस्व की वृद्धि दर वचनबद्ध व्यय की तुलना में काफी अधिक रही है जिस कारण प्रतिशतता गिर रही है।

4. पूंजीगत परिव्यय

वर्ष 1998–99 में राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत परिव्यय के रूप में मात्र रू0 2096.96 करोड़ का व्यय किया गया था जो स.रा.घ.उ. का मात्र 1.4 प्रतिशत था। वर्ष 2009–10 में यह बढ़कर रू0 25091.23 करोड़ हो गया जो स.रा.घ.उ. का 5.5 प्रतिशत था। यद्यपि वर्ष 2010–11 से पूंजीगत परिव्यय में अपेक्षाकृत कमी हुयी है जो घटकर रू0 20272.80 करोड़ तथा स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में 3.5 प्रतिशत के स्तर पर आ गयी। इसका मुख्य कारण यह है कि 13वें वित्त आयोग द्वारा अपनी संस्तुतियों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य हर सम्भव प्रयास कर राजकोषीय घाटे को नियन्त्रण में रखें, तद्हेतु यदि आवश्यकता हो तो पूंजीगत परिव्यय में कमी कर राजकोषीय घाटे को नियन्त्रण में रखें। अतः राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संकेतकों को नियन्त्रण में रखने हेतु पूंजीगत परिव्यय को सुनियोजित किया गया यद्यपि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पटलों पर लगातार यह मांग की जाती रही है कि राजकोषीय संकेतकों एवं ऋण सीमा में केन्द्र सरकार द्वारा लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिये ताकि राज्यों के पास अपने विकासात्मक एवं जन उपयोगी योजनाओं हेतु अधिक धन की उपलब्धता हो सके।

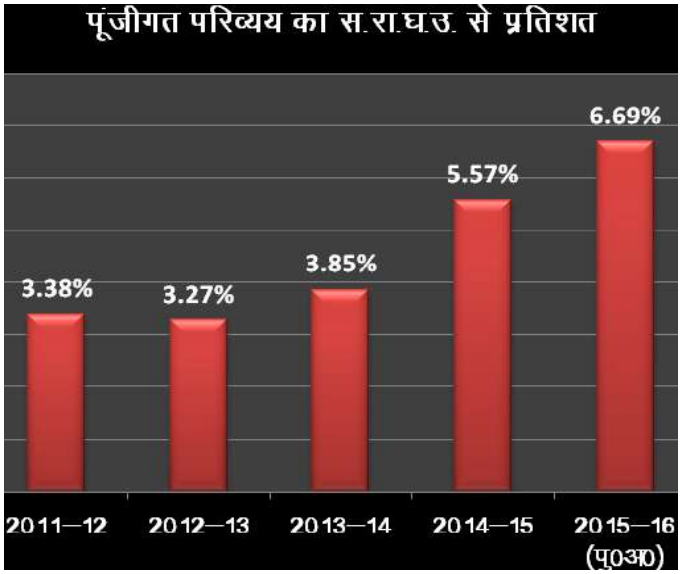

राज्य सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग के समक्ष भी इस बिन्दु को प्रमुखता से उठाया गया था जिसपर आयोग द्वारा कतिपय शर्तों के पूर्ण होने की स्थिति में राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा को 3.0 के स्थान पर 3.5 प्रतिशत तक जाने की लोचनीयता सशर्त प्रदान की गयी है।

4.01 ऋण का उपयोग

परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा कतिपय तरीकों से ऋण लिया जाता है तथा वित्तीय अनुशासन के अभाव में लिया जाने वाला ऋण अनियन्त्रित हो कर पूरी अर्थव्यवस्था को चरमरा सकता है। लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यय को वहन करने के लिये ऋण लेना बुरा नहीं है बशर्ते उस ऋण का उपयोग परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये किया जाय। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2002–03 में लिये गये ऋण का मात्र 46 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय में उपयोग हुआ था जिसका अर्थ है कि ऋण के आधे से अधिक अंश का उपयोग पूंजीगत कार्यों में नहीं किया जा रहा था जो एक अव्यस्थित अर्थव्यवस्था को इंगित करता है। राज्य सरकार के प्रयासों से यह 100 प्रतिशत के स्तर से उपर ही रहा है। स्पष्ट है कि न सिर्फ शत प्रतिशत ऋण का उपयोग विकास कार्यों के लिये किया गया बल्कि राजस्व बचत का उपयोग भी पूंजीगत कार्यों के लिये किया जा रहा है जो कि एक सकारात्मक अर्थव्यवस्था को इंगित करता है।

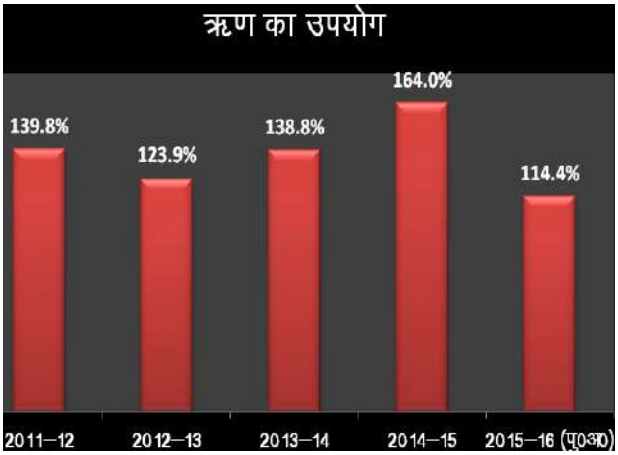

5. वित्तीय संकेतक

वर्ष 1998–99 में प्रदेश के विकास की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सभी संकेतक अत्यन्त विषम स्थिति को प्रदर्शित कर रहे थे परन्तु समय के साथ इन सभी संकेतको में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 1987–88 के पश्चात् लगातार 19 वर्ष तक राजस्व घाटा देखने के बाद वर्ष 2006–07 में पुनः राजस्व अधिशेष की प्राप्ति से स्थिति बदल चुकी है तथा वित्तीय राजकोषीय घाटा में भी इन वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य के वित्तीय संकेतकों को तालिका–3.04 से समझा जा सकता हैः–

तलिका 3.04 राजकोषीय स्थिति के प्रमुख संकेतक

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	राजस्व अधिशेष	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा
2011–12	6984.53	15431.83	(–)49.12
2012–13	5180.34	19238.39	2317.80
2013–14	10066.88	23679.54	6267.10
2014–15	22394.28	32513.16	13648.72
2015–16 (पु०अ०)	18368.26	64316.80	43003.31

5.01 राजस्व घाटा/अधिशेष

वर्ष 2006–07 में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व अधिशेष की स्थिति को इसके बाद के वर्षों में भी लगातार बनाये रखा गया है तथा साथ ही लगातार यह प्रयास भी किया जाता रहा है कि राजस्व बचत के कुल आकार में भी वृद्धि की जाय।

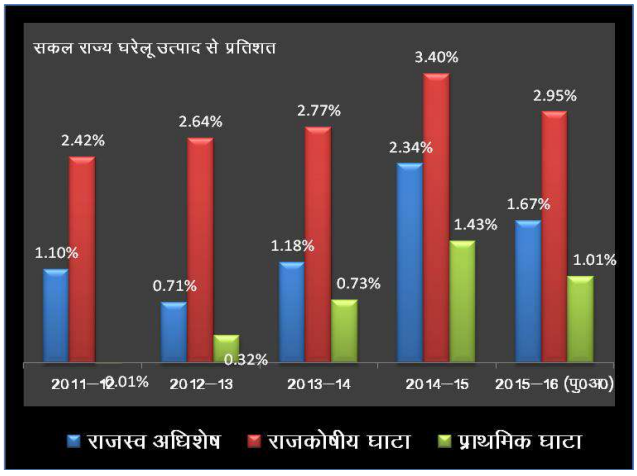

5.02 राजकोषीय घाटा

किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति को आंकने के सबसे महत्वपूर्ण संकेतक राजकोषीय घाटा का स.रा.घ.उ. से प्रतिशत होता है जिसमें उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित

हो रहा है। जहॉ वर्ष 1998–99 में यह प्रदेश के इतिहास में अब तक अधिकतम 7.6 प्रतिशत के स्तर पर था वहीं वर्ष 2011–12 में यह घट कर 2.42 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 की अवधि हेतु 13वें वित्त आयोग द्वारा 3.0 प्रतिशत की सीमा भी निर्धारित की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा आयोग की संस्तुति के अनुसार उक्त वर्षों में राजकोषीय घाटा को निर्धारित 3 प्रतिशत के स्तर से नीचे ही बनाये रखे जाने का प्रयास किया गया है जो राज्य सरकार के वित्तीय अनुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। यद्यपि वर्ष 2015–16 में इसके 5.85 प्रतिशत रहने का अनुमान है जिसका मुख्य कारण उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्संरचना के लिये वर्ष 2015–16 में रू0 31,876.13 करोड़ के जारी किये जाने वाले बाण्ड हैं। उदय योजना के प्रभाव को शामिल न करने पर सकल राजकोषीय घाटा 2.95 प्रतिशत आगणित होता है।

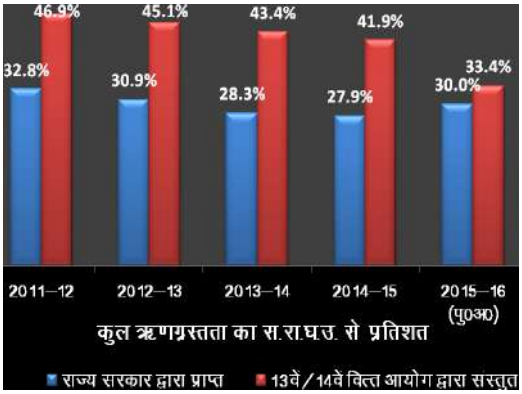

5.03 प्राथमिक घाटा

राजकोषीय घाटे की राशि में से ब्याज अदायगियों का कुल व्यय भार घटाने से जो राशि निकलती है वह प्राथमिक घाटा दर्शाती है। राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2015–16 में उदय योजना के प्रभाव को सम्मिलित न करने पर यह लगभग 1.01 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान है।

6. राज्य की कुल ऋणग्रस्तता

प्रदेश में विकासात्मक योजनाओं एवं सामाजिक उत्थान के अनेकों कार्यों हेतु राज्य सरकार को अपने सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ऋण लेने की आवश्यकता होती है। लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत विकासात्मक एवं पूंजीगत निवेश जैसे कार्यों हेतु ऋण लिया जाना पूर्णतया उचित है। स्पष्ट है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास हेतु ऋण लिया जाना अपरिहार्य है बशर्ते कि ऋण का उचित प्रबन्धन किया जाय जिसके अभाव में पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है तथा राज्य ऋण जाल जैसे भंवर में फंस सकते है।

तालिका 3.05 राज्य की कुल ऋणग्रस्तता

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण	अल्प बचत	भविष्य एवं पेंशन निधियां	अन्य*	कुल ऋणग्रस्तता
2011–12	7784091	53922.69	38636.19	38827.53	209227.32
2012–13	84103.42	56351.56	41935.55	42733.06	225123.59
2013–14	89157.44	59119.36	44297.81	49111.26	241685.87
2014–15	102666.91	65444.26	45480.38	53229.14	266820.69
2015–16 (पु०अ०)	132102.55	66030.89	50566.28	81510.15	330209.87
*अन्य में वित्तीय संस्थाओं से ऋण, पॉवर बाण्ड्स, भारत सरकार से ऋण, जमा एवं अग्रिम अन्य देयतायें शामिल हैं।					

उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था विकासशील है जिस कारण अनेकों स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है। राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता को तालिका–3.05 से समझा जा सकता है जिसके अनुसार वर्ष 2014–15 तक कुल ऋणग्रस्तता रू0 266820.69 करोड़ तक पहुंच गयी है तथा वर्ष 2015–16 के अन्त तक इसके रू0 330209.87 करोड़ तक होने का अनुमान है।

तालिका से स्पष्ट है कि राज्य की कुल ऋणग्रस्तता लगातार बढ़ती जा रही है परन्तु किसी भी राज्य की ऋणग्रस्तता का आंकलन उसकी कुल ऋणग्रस्तता से नहीं अपितु सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में किये जाने पर ही राज्य की सही स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कतिपय केन्द्रीय वित्त आयोगों द्वारा राज्य एवं संघ के लिये ऋण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिये निर्धारित अनुपात की संस्तुति की जाती रही है तथा यदि राज्य अथवा संघ अपने निर्धारित प्रतिशत अनुपात की सीमा के अन्दर हैं तो राज्य की ऋण स्थिति उचित मानी जाती है। 13वें वित्त आयोगों द्वारा वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के लिये भी राज्य का ऋण प्रतिशत निर्धारित किया गया था तथा ग्राफ को देखने से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य का अनुपात, 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुपात से प्रत्येक वर्ष काफी कम रहा है जो. इस तथ्य का द्योतक है कि राज्य की ऋण स्थिति पूर्णतया नियन्त्रण में है। वर्ष 2015–16 से 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ लागू हो गयी हैं तथा राज्य की ऋण स्थिति 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ही है।

6.03 ऋण के स्रोत

राज्य की ऋण की संरचना में सर्वाधिक अंश बाजार ऋण का है। वर्ष 2015–16 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल ऋणग्रस्तता का लगभग 40 प्रतिशत अंश बाजार ऋण से ही प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात् अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से लिया गया ऋण लगभग 20 प्रतिशत है। यद्यपि 14वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गयी है कि एन.एस.एस.एफ. से राज्य सरकार को ऋण लेने की प्रकिया समाप्त की जाय। भविष्य एवं पेंशन निधियॉ भी राज्य के ऋण में समुचित योगदान करती हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 से 12वें वित्त आयोग की अवधि लागू होने पर आयोग द्वारा बाजार ऋण को अधिक महत्ता देते हुये केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋण को हतोत्साहित किया गया जिसके उपरान्त यह लगातार घटते हुये अब मात्र 4 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। विदित है कि ग्राफ में दृष्टव्य राज्यों को प्राप्त होने वाले ऋण की अदायगी की अवधि एवं ब्याज दर, ऋण की शर्तों के अनुसार अलग–अलग होते हैं।

7. ऋण सीमा एवं ऋण सेवा

13वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की ऋण सीमा अवार्ड अवधि 2010–15 हेतु निर्धारित की गयी थी जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्यों की मौद्रिक रूप में ऋण सीमा निर्धारित की जाती है तथा राज्यों का यह दायित्व है कि इस ऋण सीमा के अन्दर ही ऋण लिया जाये। 14वें वित्त आयोग द्वारा भी यही 3 प्रतिशत ऋण सीमा लागू की गयी है यद्यपि राज्य 0.25–0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त लोचनीयता प्रदान की गयी है यदि उनका ऋण–जीएसडीपी अनुपात उसके पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम है अथवा ब्याज भुगतान में राजस्व प्राप्ति 10 प्रतिशत से कम है। यह लोचनीयता अलग–अलग अथवा एक साथ राज्यों को प्राप्त हो सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा विगत कई वर्षों से निर्धारित सीमा के अधीन ही प्रत्येक वर्ष ऋण लिया जा रहा है।

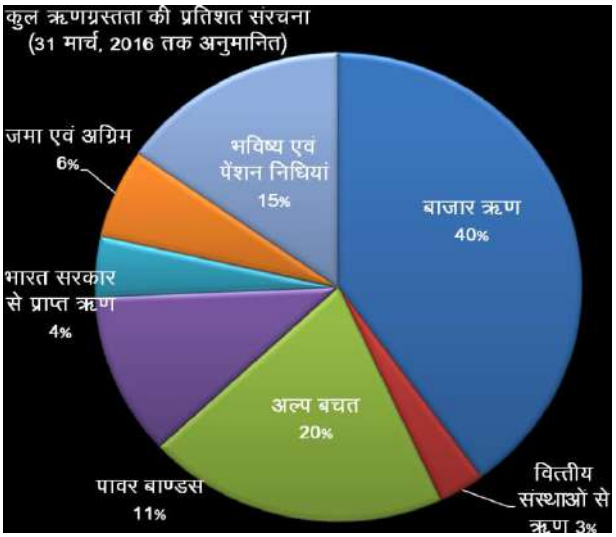

राज्य सरकार की ऋण सेवा जिसके ऋणों का प्रतिसंदाय एवं ब्याज अदायगी घटक हैं, में विगत वर्षों में लगातार कमी हुयी है। एक दशक पूर्व ऋण सेवा का राजस्व प्राप्ति से अनुपात लगभग 27 प्रतिशत था जो वर्ष 2011–12 तक घटते हुये 18.2 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। इसके उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों से ऋण सेवा में लगातार कमी जारी रही है तथा वर्ष 2013–14 में यह 15.2 प्रतिशत के स्तर पर

आ गया है एवं वर्ष 2015–16 में इसके और भी घट कर 13.2 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ऋणों की उगाही के उचित प्रबन्धन के साथ–साथ अपनी प्रतिदान क्षमता को भी नियन्त्रित करने में पूर्णतया सक्षम है।

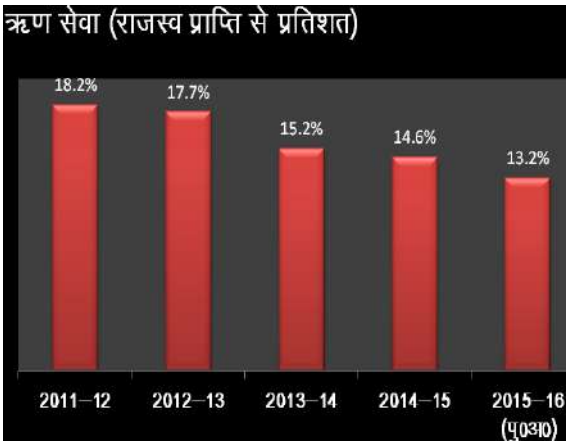

8. चौदहवें वित्त आयोग की सस्तुतियां एवं उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय स्थिति पर वर्ष 2015–16 से प्रभाव

14वें वित्त आयोग की संस्तुति वित्तीय वर्ष 2015–16 से लागू हो गयी हैं तथा इसकी अवार्ड अवधि मार्च , 2020 तक रहेगी। आयोग की संस्तुति के अनुसार विभाज्य पूल में राज्यों का अंश 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है परन्तु राज्यों के कर हिस्सेदारी में उत्तर प्रदेश राज्य का 13वें वित आयोग द्वारा निर्धारित अंश 19.667 प्रतिशत से घट कर 17.959 प्रतिशत हो गया है। आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को दिये जाने वाले अनुदान में समुचित वृद्धि की गयी है। प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को रू0 35,776.56 करोड़ तथा नगर निकायों को रू0 10,249.21 करोड़ प्राप्त होंगे जो गत आयोग द्वारा दी गयी धनराशि से क्रमशः 265 प्रतिशत एवं 247 प्रतिशत अधिक है।

13वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में राज्यों को प्राप्त हो रहे सहायता अनुदान/विशेष समस्या अनुदान को 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है जिस कारण राज्य को केन्द्र से अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राप्त धनराशि अब प्राप्त नहीं हो रही है। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा कतिपय योजनाओं को केन्द्रीय बजट से डि–लिंक कर दिया गया है अथवा योजनाओं में केन्द्रांश में कमी कर दी गयी है। इसका प्रभाव यह हुआ कि राज्य सरकार को डिवीजबल पूल में वृद्धि से जो लाभ हुआ था उसका उपयोग अब योजनाओं के वित्त पोषण में व्यय हो जा रहा है।

9. राज्य सरकार के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां एवं निराकरण

राज्य के वित्तीय अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राज्य को लगातार अपनी प्राप्तियों का प्रबन्धन करना चाहिये ताकि संसाधनों का व्यय ऐसे प्राथमिकता वाले कार्यों में किया जाय जो प्रदेश के विकास को गति प्रदान करें। इसी को ध्यान में रखते हुये वित्त विभाग द्वारा लगातार प्रदेश की समग्र वित्तीय स्थिति एवं परियोजनाओं का अनुश्रवण समय–समय पर किया जा रहा है तथा इसी आधार पर संसाधन उपलब्ध कराये जा रहें है।

वित्त विभाग द्वारा बजट से पूर्व विभागों से योजनाओं के उचित क्रियान्वयन, अभिनवीकरण आदि के सम्बन्ध में चर्चा की जा रही है। ऐसा देखा गया है कि परियोजना के पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही उसके लाभ प्राप्त होते हैं जबकि अब परियोजनाओं को विभिन्न चरणों में विभक्त कर योजनाबद्ध तरीके से व्यय किया जा रहा है ताकि किसी भी चरण में किये जा रहे कार्य के पूर्ण होने पर उस समय तक योजना क्रियाशील हो सके और उक्त का सीधा लाभ जन सामान्य को मिल सके। राज्य सरकार द्वारा डवटेल सिद्धान्त के अनुरूप एक ही योजना का वित्त पोषण एक से अधिक मदों से किया जा रहा है जिससे राज्य सरकार के संसाधनों का बेहतर प्रयोग हो। साथ ही व्यापक प्रभाव एवं जनहित वाली परियोजनाओं को चिन्हित कर प्राथमिकता प्रदान की गयी है जैसे आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस.वे, मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण, सी0जी0 सिटी, लखनऊ में मेट्रो रेल का कार्य, अन्य महत्वपूर्ण बडे जिलों में मेट्रो के डी.पी.आरकी तैयारी, मा0 उच्च न्यायालय का भवन, चिकित्सा विश्वविद्यालय, आई0टी0आई0, कैन्सर संस्थान, जनेश्वर मिश्र पार्क, जे0पी0 नारायण सैन्टर, अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट एवं अन्य खेल स्टेडियम, ब्लाक स्तर पर छोटे

स्टेडियम का निर्माण, गोमती नदी के लखनऊ तट का चैनलाइजेशन, सैनिक स्कूल आदि। इसके अतिरिक्त अनेकों ऐसी अन्य लाभकारी कल्याणकारी योजनायें एवं कार्य भी हैं जिन्हें अत्यधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है जैसे समाजवादी पेंशन योजना, वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना, पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं एवं बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान, किसानों के लिये 'वन स्टाप शाप' की स्थापना, लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा, किसान बाजार का निर्माण, प्रत्येक जनपद में महिला हेल्प लाइन की स्थापना, कन्या विद्याधन योजना, समाजवादी स्वास्थ्य सेवा (एम्बुलेन्स), सबके लिये आवास योजना, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, कतिपय छात्रवृत्ति योजना, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, कृषि के क्षेत्र में तकनीक को प्रोत्साहन इत्यादि।

7वें वेतन आयोग द्वारा भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है तथा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन, वेतन एवं पेंशन पुनरीक्षण करने पर आने वाले भार को भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है जिसका व्यय भार भी आगामी वर्षों में सम्भावित है। अतः राज्य को सुनियोजित तरीके से अपना वित्तीय प्रबन्धन आगामी वर्षों में करने की बड़ी चुनौती है।

प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं की स्थिति

प्रदेश में 2000 से कम जनसंख्या वाले चयनित 76855 ग्रामों में 31 मार्च, 2016 तक 72274 ग्रामों को 3007 शाखाओं, 69104 बी0सी0 एवं 163 अन्य माध्यमों से संतृप्त किया जा चुका है।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार प्रदेश में 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक शाखा रहित 571 ग्रामों में 31 मार्च, 2017 तक बैंक शाखायें स्थापित की जानी हैं ताकि बैंक शाखारहित ग्रामों में बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध हो सके।

1.प्रदेश में बैंकिंग नेटवर्क

प्रदेश में मार्च, 2016 तक कुल 17783 बैंक शाखायें कार्यरत हैं जिनके माध्यम से बैंकिंग सुविधायें प्रदान की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में मार्च, 2016 तक कुल कार्यरत बैंक शाखाओं का विवरण निम्नवत् हैं :–

तालिका–3.06

प्रदेश में बैंकिंग नेटवर्क

क्र0सं0	बैंक का प्रकार	बैंक शाखाओं की संख्या
1	सावर्जनिक बैंक	10879
2	निजी बैंक	1107
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4133
4	सहकारी बैंक	1664
	कुल	**17783**

2.ऋण प्रवाह की स्थिति

प्रदेश में व्यवसायिक बैंकों (ग्रामीण बैंकों सहित) द्वारा मार्च, 2016 तक रू0 411790.40 करोड़ के ऋण बकाया थे। प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त अवधि तक रू0 239637.76 करोड़ (58.19%) के ऋण बकाया थे जो वितरित कुल अग्रिम के साथ निर्धारित मानक 40% से अधिक है।

3.बैंकों की वार्षिक जमा

प्रदेश में बैंकों (ग्रामीण बैंकों सहित) में मार्च, 2016 तक रू0 750810.31 करोड़ की धनराशि जमा है।

4. प्रदेश में कम आय वर्ग के लिए सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाओं के वितरण हेतु कार्यान्वित योजनायें –

(I) प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अगले चरण के अन्तर्गत केन्द्रीय बजट भाषण 2015 में बीमा एवं पेंशन सेक्टर से संबंधित घोषित की गयी 3 योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी0एम0जे0जी0बी0वाई0), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी0एम0एस0बी0वाई0) एवं अटल पेंशन योजना (ए0पी0वाई0) का शुभारम्भ मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 मई, 2015 को किया गया। इन योजनाओं को लागू करने का मुख्य उद्देश्य एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कायम करना तथा अल्प सुविधा प्राप्त निर्धन वर्ग को योजना से जोड़ना है।

(II) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी0एम0एस0बी0वाई0) के अन्तर्गत समस्त बचत बैंक खाता धारकों जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष है, को वार्षिक प्रीमियम रू0 12 में रू0 2.00 लाख के दुर्घटना बीमा का कवरेज उपलब्ध होगा जो विकलांगता की स्थिति में भी उपलब्ध होगा। योजनान्तर्गत 31 मार्च, 2016 तक 1.11 करोड़ लोगों को पंजीकृत किया गया है।

(III) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी0एम0जे0जी0बी0वाई0) के अन्तर्गत बैंक के बचत खाता धारकों जो 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में हैं, को रू0 2.00 लाख का जीवन बीमा वार्षिक प्रीमियम रू0 330/– पर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2016 तक 34.12 लाख लोगों को पंजीकृत किया गया है।

(IV) अटल पेंशन योजना (ए0पी0वाई0) वृद्धावस्था में आय का स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु यह योजना लागू की गयी है ताकि न्यूनतम 20 वर्ष का भुगतान करने पर 60 वर्ष की आयु से उन्हें मासिक पेंशन का लाभ मिल सके। योजनान्तर्गत 31 मार्च, 2016 तक 2.57 लाख लोगों को पंजीकृत किया गया है।

(V) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

(अ) एकल उद्यम, ऋण, अनुदान, परियोजना लागत बैंक ऋण एवं सम्पार्श्विक गारन्टी

कोई भी शहरी गरीब लाभार्थी जो स्वरोजगार हेतु एक सूक्ष्म उद्यम की स्थापना का इच्छुक हो, इस घटक के अन्तर्गत किसी भी बैंक से अनुदानित ऋण प्राप्त कर सकता है। एकल सूक्ष्म उद्यम हेतु ऋण के लिये लाभार्थी की आयु आवेदन करते समय 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिये। अधिकतम परियोजना लागत रू0 2,00,000/– तक होगी। ऐसे ऋणों पर किसी सम्पार्श्विक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।

(ब) समूह उद्यम, ऋण अनुदान परियोजना लागत, बैंक ऋण एवं सम्पार्श्विक गारन्टी

स्वयं सहायकता समूह अथवा (एस.जे.एस.आर.वाई./एन.यू.एल.एम.) के तहत गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्य अथवा शहरी गरीबों के समूह जो स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित करना चाहते हो, के तहत नजदीकी किसी भी बैंक से अनुदानित ऋण प्राप्त कर सकते है। समूह सूक्ष्म उद्यम ऋण हेतु समूह उद्यम में न्यूनतम 05 सदस्य होने चाहिये जिसके कम से कम 70% सदस्य शहरी गरीब परिवारों से हों। बैंक ऋण के लिये आवेदन करते समय उद्यम के सभी सदस्यों की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिये।

प्रत्येक समूह उद्यम की परियोजना लागत अधिकतम रू0 10.00 लाख तक होगी। परियोजना लागत से लाभार्थियों के अंश को घटाकर (जैसा कि बैंक निर्दिष्ट करें) शेष राशि समूह उद्यम हेतु बैंक ऋण के रूप में प्राप्त होगी। ऋण हेतु किसी सम्पार्श्विक गारन्टी नहीं होगी। एकल एवं समूह उद्यम के ऋण आवेदनों को स्थानीय नगर निकायों द्वारा प्रायोजित किया जायेगा जो प्रायोजक एजेन्सी होगें। पूर्ण आवेदन पत्रों को स्थानीय नगर निकाय स्तर पर गठित एक टास्क फोर्स/कार्यदल के पास परीक्षण हेतु भेजा जायेगा जो कि आवेदन पत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने से पूर्व लाभार्थी को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा। गठित

टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित मामलों को स्थानीय नगर निकाय सम्बन्धित बैंकों को आगे की कार्यवाही हेतु अग्रसारित करेगें।

योजनान्तर्गत सूडा से प्राप्त सूचनानुसार विगत वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वरोजगार कार्यक्रम एकल उद्यम के अन्तर्गत कुल निर्धारित लक्ष्य 21,000 के सापेक्ष 7763 लाभार्थियों को तथा समूह उद्यम के अन्तर्गत कुल निर्धारित लक्ष्य 4,000 के सापेक्ष कुल 101 समूहों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

(VI) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)

01 अप्रैल, 2013 से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना चलाये जाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। योजनान्तर्गत महिलाओं के संगठित समूहों को समूह आधारित क्रिया–कलापों को बढ़ावा दिया जाना है। उन्हीं महिला समूहों को बैंकिंग वित्तीय सुविधा प्रदान की जायेगी जो योजना के अनुरूप पंचसूत्रों का अनुपालन करेगें। उक्त योजना अन्तर्गत किसी प्रकार की कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था नहीं की गयी है।

योजनान्तर्गत 04 चरणों में वित्त पोषण की व्यवस्था की गयी है। प्रथम चरण में परियोजना लागत का 04 से 08 प्रतिशत अथवा रू0 50 हजार जो भी अधिक हो, देय होगा। द्वितीय चरण में परियोजना लागत का 05 से 10 गुना अथवा समूह द्वारा 12 माहों में की जाने वाली बचत रू0 01 लाख में जो भी अधिक हो। तृतीय चरण में समूह द्वारा तैयार माइक्रो क्रेडिट प्लान जिसका फेडरेशन द्वारा अनुमोदन किया गया हो, उन्हें कम–से–कम रू0 02 लाख तथा अन्तिम चरण में समूह सदस्यों द्वारा तैयार माइक्रो क्रेडिट प्लान के आधार पर रू0 05 से 10 लाख तक की ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। योजनान्तर्गत समूहों को रू0 10 लाख तक के ऋणों पर किसी प्रकार की सिक्योरिटी/मार्जिन देय नही होगी।

(5)डेयरी उद्यमी विकास की योजनायें –

कामधेनु एवं मिनी कामधेनु डेयरी इकाई स्थापना

प्रदेश में पशुपालन तथा डेयरी उद्योग को विकसित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में एक है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा कामधेनु योजना एवं मिनी कामधेनु डेयरी इकाई योजना का शुभारम्भ किया गया है।

इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

(क) कामधेनु डेयरी इकाई स्थापना

- प्रदेश सरकार द्वारा 100 दुधारू पशुओं की प्रत्येक जनपद में कम से कम एक इकाई स्थापित किये जाने का लक्ष्य प्रथम चरण में निर्धारित किया गया है। इकाई स्थापना की लागत का 25% धनराशि लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा एवं 75% धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध होगा। योजना लागत के 75% धनराशि पर अथवा लाभार्थी द्वारा बैंक से प्राप्त किये गये ऋण पर जो भी कम हो ब्याज की प्रतिपूर्ति 05 वर्षों तक शासन द्वारा वहन किया जायेगा।
- 100 दुधारू पशुओं की एक इकाई स्थापना की परियोजना लागत रू0 1.21 करोड़ निर्धारित की गयी है जिसमें से लाभार्थी को परियोजना लागत का 25% अर्थात रू0 30.13 लाख मार्जिन मनी के रूप में स्वयं वहन करना होगा एवं 75% धनराशि अर्थात रू0 90.38 लाख बैंक ऋण के रूप में प्राप्त होगा।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु 300 इकाईयों को वित्त पोषित करने का लक्ष्य रखा गया था। पशुपालन विभाग से प्राप्त सूचनानुसार योजनान्तर्गत मार्च, 2016 तक निर्धारित भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 281 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।

(ख) मिनी कामधेनु डेयरी इकाई स्थापना

- प्रदेश सरकार द्वारा 50 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापना की जायेगी। पशुपालक अपनी सुविधानुसार यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें स्थापित की जाने वाली इकाई में समस्त गाय रखनी है या समस्त भैंस रखनी है अथवा गाय और भैंस दोनों को शामिल किया जाना है।
- इकाई स्थापना की लागत का 25% धनराशि लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा एवं 75% धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध होगा। योजना लागत के 75% धनराशि पर अथवा लाभार्थी द्वारा बैंक से प्राप्त

किये गये ऋण पर जो भी कम हो ब्याज की प्रतिपूर्ति 05 वर्षों (60 माह) तक विभाग द्वारा बैंक को की जायेगी।

- 50 दुधारू पशुओं की एक इकाई स्थापना की परियोजना लागत रू0 52.35 लाख निर्धारित की गयी है जिसमें से लाभार्थी को परियोजना लागत का 25% अर्थात रू0 13.09 लाख मार्जिन मनी के रूप में स्वयं वहन करना होगा एवं 75% धनराशि अर्थात रू0 39.26 लाख बैंक ऋण के रूप में प्राप्त होगा।

वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु मिनी कामधेनु डेयरी इकाईयों का लक्ष्य 1500 को वित्त पोषित करने का लक्ष्य रखा गया था। पशुपालन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार योजनान्तर्गत मार्च, 2016 तक 1466 लाभार्थियों को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया।

(ग) माइक्रो कामधेनु योजना–

- प्रदेश के समस्त जनपदों में 25 दुधारू पशु (गाय/भैंस) की यूनिटें स्थापित की जायेगीं।
- यूनिट स्थापित करने हेतु पशुपालक अपनी सुविधानुसार यह स्वयं निर्धारित करेगा कि उसे यूनिट में समस्त गाय रखनी है या समस्त भैसें रखनी है अथवा गाय/भैंसे दोनों कितनी संख्या में रखनी है लेकिन यूनिट में जो भी गाय होंगी समस्त गायें एक ही प्रजाति की होंगी।
- यूनिट की पूर्ण लागत का 25% धनराशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी एवं 75% धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करनी होगी।
- योजना लागत के 75% पर या लाभार्थी द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति 5 वर्षों (60 माह) तक विभाग द्वारा की जायेगी।
- लाभार्थी द्वारा बैंक से लिए गये ऋण की नियमित अदायगी पर ही ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी। नियमित ऋण अदा न होने पर लाभार्थी को योजना का लाभ नही दिया जायेगा।
- सिर्फ गायों की इकाई स्थापित करने वाले पशुपालकों को प्रोत्साहन स्वरूप राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त रूप से एक मुश्त अनुदान भी दिया जायेगा। 25 गायों की डेयरी इकाई को स्थापित करने वाले पशुपालक को प्रोत्साहन स्वरूप 1.25 लाख रू0 का अनुदान दिया जाएगा लेकिन यह गाय/भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान उच्च गुणवत्ता के सांड़ों से प्राप्त अति हिमीकृत वीर्य द्वारा किया जायेगा।
- पशुओं का क्रय प्रदेश के बाहर से किया जायेगा।
- क्रय किये गये समस्त पशुओं का बीमा कराया जाना आवश्यक है।

पशुपालक को राष्ट्रीयकृत बैंक/ग्रामीण बैंक/को–आपरेटिव बैंक से ऋण लेकर पशुओं का क्रय करना होगा एवं ऋण ली गयी धनराशि को पांच वर्षों (60 माह) में नियमित रूप से बैंक को अदा कराना होगा। नियमित ऋण अदा न करने पर योजनान्तर्गत प्राविधानित कुल ब्याज की प्रतिपूर्ति की धनराशि के अतिरिक्त यदि ब्याज पड़ता है तो लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा।

(6) नाबार्ड द्वारा संचालित योजनायें –

(अ) साहूकारी ऋण मुक्ति योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारी कर्जों के बोझ से दबे किसानों/भूमिहीनों को बैंक ऋण वितरित कराकर उन्हें इससे मुक्ति प्रदान कराने का प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में माह दिसम्बर, 2014 तक बैंकों द्वारा कुल 8736 व्यक्तियों को रू0 57.24 करोड़ का ऋण देकर साहूकारी कर्जों से मुक्त कराया गया।

(ब) संयुक्त देयता समूह

प्रदेश के भूमिहीन मजदूरों, बटाईदारों एवं ओरल लेसीज कृषकों/मजदूरों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना नाबार्ड द्वारा संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत 4–10 व्यक्तियों के समूहों को कृषि उत्पादों या उपभोग ऋणों तथा मार्केटिंग आदि के लिये क्रेडिट लिमिट अथवा टर्म लोन के रूप में रू0 50,000/– तक की ऋण सुविधा बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। उक्त ऋण के सापेक्ष ऋणी से किसी प्रकार की कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं ली जाती है।

संस्थागत वित्त विभाग के प्रयासों से चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2012 तक योजनान्तर्गत 14226 समूहों को कुल रू0 59.66 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है। जहाँ वर्ष 2011–12 तक 27835 समूह के सदस्यों को रू0 137.60 करोड़ का ऋण वितरण किया गया था वहीं यह दिसम्बर, 2012 में बढ़कर 41844 लाभार्थियों को रू0 208.58 करोड़ हो गया है।

(7) कृषि क्षेत्र में की गयी पहल –

(अ)–किसान क्रेडिट कार्ड वितरण

किसानों को समय से कृषि कार्यों हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 1999–2000 से उक्त योजना का संचालन बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश के शेष पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा बैंकों के सहयोग से विशेष प्रयास किये गये। फलस्वरूप वर्ष 2015–16 में प्रदेश में 32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड लक्ष्य के सापेक्ष कुल 34.18 लाख (107%) किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं।

चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रदेश में कुल 35 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका समय से शत–प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु बैंकों से अनुश्रवण किया जा रहा है।

(ब)–फसली ऋण योजना

बैंकों की सेवाओं को जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से विभाग के प्रयासों से पहली बार प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में दस–दस करोड़ के ऋण वितरण लक्ष्य के आधार पर मेगा क्रेडिट कैम्पों का आयोजन बैंकों के माध्यम से कराया गया। फलस्वरूप प्रदेश में फसली ऋण वितरण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वर्ष 2007–08 में वितरित कुल फसली ऋण 10599 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय **वर्ष 2014–15 में 05 गुनी से अधिक वृद्धि के साथ खरीफ एवं रबी मौसम में कुल रू0 58233 करोड़ का फसली ऋण बांटा गया।** वित्तीय वर्ष 2015–16 में खरीफ एवं रबी मौसम में कुल लक्ष्य रू0 84021.08 करोड़ के सापेक्ष कुल रू0 66470 करोड़ (79%) का फसली ऋण वितरित किया गया है वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु रू0 93790 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य बैंकों के माध्यम से प्रस्तावित है जिसकी शत–प्रतिशत पूर्ति हेतु बैंकों से निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है।

(स) वार्षिक ऋण योजना

प्रदेश में एक समान विकास की अवधारणा से कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में बैंकों से ऋण वितरण कराये जाने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए प्रति वर्ष वार्षिक ऋण योजना तैयार करायी जाती है। संस्थागत वित्त विभाग के गहन अनुश्रवण/अनुसरण के फलस्वरूप वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में ऋण वितरण जो वर्ष 2007–08 में 29334 करोड़ था। वर्ष 2013–14 में बढ़कर रू0 85711 करोड़ हो गया। **वार्षिक ऋण योजना 2015–16** के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य रू0 136357 करोड़ के सापेक्ष रू0 123186 करोड़ (90%) का ऋण वितरण व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से कराया गया है जो विगत वर्ष 2014–15 में वितरित धनराशि से लगभग रू0 13968 करोड़ अधिक है। वर्ष 2016–17 हेतु वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत रू0 168398 करोड़ का लक्ष्य प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की शत्–प्रतिशत पूर्ति हेतु बैंकों से सघन अनुसरण एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

(द) अन्य प्रमुख कार्य –

(i)''समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना''

- ❖ समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना दिनांक 14 सितम्बर, 2016 से प्रदेश में लागू।
- ❖ योजना का लाभ मिलेगा, प्रदेश के लगभग 3 करोड़ परिवारों के मुखिया/रोटी अर्जक को।
- ❖ दुर्घटना के उपरान्त चिकित्सा का लाभ मिलेगा। परिवार के समस्त सदस्यों (लगभग 15 करोड़) को भी।
- ❖ मुखिया/रोटी अर्जक की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर रू0 5 लाख की धनराशि दी जायेगी।
- ❖ दुर्घटना होने पर स्थायी विकंलागता की दशा में मिलेगा अधिकतम् 5 लाख रूपये।
- ❖ मुखिया/रोटी अर्जक के स्वयं तथा परिवार के समस्त सदस्यों को दुर्घटना होने पर रू0 2.5 लाख तक का इलाज मुफ्त। जरूरत पड़ने पर 1 लाख रू0 तक के कृत्रिम अंग भी लगाये जाने की व्यवस्था।
- ❖ मुखिया/रोटी अर्जक की प्रदेश की सीमा के बाहर दुर्घटनावश मृत्यु/विकलांग होने की दशा में भी मिलेगा लाभ।
- ❖ समस्त सरकारी चिकित्सालय, सरकारी मेडिकल कालेज तथा 30 बेड से अधिक के निजी चिकित्सालय में होगा निःशुल्क इलाज।
- ❖ लगभग 1740 चिकित्सालय देगें निःशुल्क इलाज की सुविधा।
- ❖ दुर्घटना होने पर फौरी तौर पर नजदीक के किसी भी चिकित्सालय में रू0 25000 तक का प्राथमिक इलाज कराने की भी सुविधा होगी, चाहे वह चिकित्सालय योजना में पंजीकृत न हो।
- ❖ मुख्यमंत्री बैंकिंग एवं बीमा हेल्पलाइन–1520 (24 घण्टे टोल फ्री) पर सम्पर्क करने पर मिलेगी योजना की पूर्ण जानकारी तथा बीमा क्लेम प्राप्त करने हेतु जो प्रपत्र भरे जाने हैं उसकी सूचना।
- ❖ हेल्पलाइन–1520 पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित थाने/चिकित्सालय तथा एम्बुलेंस से समन्वय कर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जायेगी।
- ❖ योजना में पात्रता के लिए मुखिया/रोटी अर्जक का तात्पर्य 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य ऐसे स्त्री या पुरूष से है, जो खातेदार/सहखातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज है।
- ❖ ऐसे मुखिया/रोटी अर्जक जिनकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य है तथा उनकी पारिवारिक वार्षिक आय रू0 75000 से कम है, वे भी योजना में पात्र हैं।
- ❖ बी0पी0एल0 परिवार एवं समाजवादी पेंशन पाने वाले परिवारों को आय प्रमाण–पत्र देनें की आवश्यकता नही होगी, ये भी योजना में पात्र हैं।
- ❖ परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक को समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा केयर कार्ड निःशुल्क दिया जायेगा, जिसमें बैंक/नामिनी का विवरण भी होगा ताकि दावा भुगतान में कोई कठिनाई न हो।
- ❖ जब तक केयर कार्ड जारी नही हो जाता तो भी योजना का लाभ मिलेगा।
- ❖ जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/ अपरजिलाधिकारी (वित्त/राजस्व/बीमा) से सम्पर्क किया जा सकता है।

(ii) उ0प्र0 वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम–2016

प्रदेश में कार्यरत ऐसे वित्तीय अधिष्ठान जो जनता से अव्यावहारिक और अव्यवहार्य वापसी का वचन देकर धन प्राप्त कर रहे हैं एवं परिपक्वता पर जमा को वापस करने या ब्याज को भुगतान करने या ऐसे जमा के सापेक्ष कोई विशिष्ट सेवा देने में जान–बूझकर विफल हुए हैं। ऐसे जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा **''द उ0 प्र0 प्रोटेक्शन ऑफ इन्ट्रेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स इन फाइनेन्शियल इस्टैबलिशमेंट एक्ट, 2016''** पारित किया जा चुका है जिस पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति भी प्राप्त हो गयी है। प्रदेश में सन्दर्भित एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जा रही है। इस अधिनियम के फलस्वरूप प्रदेश के जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जा सकेगी और इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगायी जा सकेगी।

****

अध्याय–4

कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा

कृषि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है। अर्थ एंव संख्या प्रभाग द्वारा जारी राज्य आय के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2015–16 में प्रचलित भावों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद 1144494 करोड़ रू० में कुल कृषीय फसलों का अंश 173684 करोड़ रू० था। वर्ष 2015–16 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र का योगदान 25.6 प्रतिशत रहा जिसमें कृषीय फसलों का योगदान 16.3 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2014–15 में स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर (–)3.1 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2015–16 में 4.8 हो गयी है। इसी प्रकार फसलों की वृद्धि दर जो कि वर्ष 2014–15 में (–)6.8 प्रतिशत थी वर्ष 2015–16 में 6.0 प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार वर्ष 2014–15 में कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि थी जबकि 2015–16 में वृद्धि दर घनात्मक रही है।

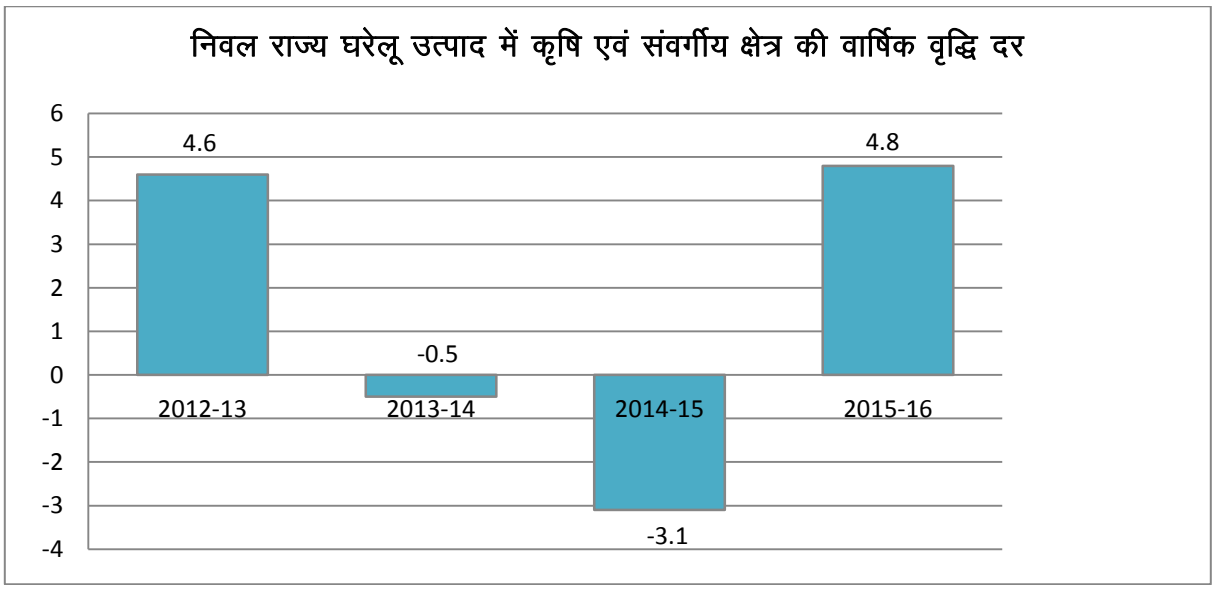

कृषि में कार्यरत कर्मकरों की स्थिति

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल 658.15 लाख कर्मकर थे, जिसमें 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश 59.3 था। वर्ष 2001 एवं 2011 की भारतीय जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों का विवरण तालिका–4.01 में दर्शाया गया है:–

तालिका–4.01
उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों की संख्या तथा उनका प्रतिशत वितरण

मद	इकाई	कर्मकरों की संख्या		कर्मकरों का प्रतिशत	
		2001	2011	2001	2011
1	2	3	4	5	6
1– कृषक	लाख	221.68	190.58	41.1	29.0
2– कृषि श्रमिक	,,	134.01	199.39	24.8	30.3
3– पारिवारिक उद्योग	,,	30.31	38.99	5.6	5.9
4– अन्य	,,	153.84	229.19	28.5	34.8
योग		539.84	658.15	100.0	100.0

तालिका में दो जनगणना वर्षो के आंकड़ों की तुलना से स्पष्ट है कि कृषकों की संख्या घट रही है तथा कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है।

वर्ष 2011–12 के भू–उपयोग सांख्यिकी के अनुसार प्रदेश का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 166.23 लाख हेक्टेयर (68.8 प्रतिशत) क्षेत्र शुद्ध बुआई का क्षेत्र है और 154.77 फसल सघनता के साथ सकल बुआई क्षेत्र 257.28 लाख हेक्टेयर है।

प्रदेश में वर्ष 2013–14 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 165.46 लाख हेक्टेयर था जो वर्ष 2014–15 में 0.31 प्रतिशत बढ़कर 165.98 लाख हेक्टेयर हो गया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में भूमि उपयोग के आंकड़े तालिका–4.02 में दर्शाये गये हैं :–

तालिका–4.02
उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग के आंकड़े

(हजार हेक्टेयर में)

मद	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1	2	3	4	5
1.कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	24170	24170	24170	24170
2. वन	1656	1658	1658	1659
3.ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	457	479	464	462
4. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि	2893	2893	3027	3046
5. कृष्य बेकार भूमि	420	423	410	405
6. स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि	66	66	65	65
7.अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि	350	350	325	305
8. वर्तमान परती	1173	1201	1135	1122

9. अन्य परती	533	537	539	509
10. वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	**16623**	**16564**	**16546**	**16598**
11. एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	9105	9257	9350	9549
12.कुल बोया गया क्षेत्रफल	**25728**	**25821**	**25896**	**26147**

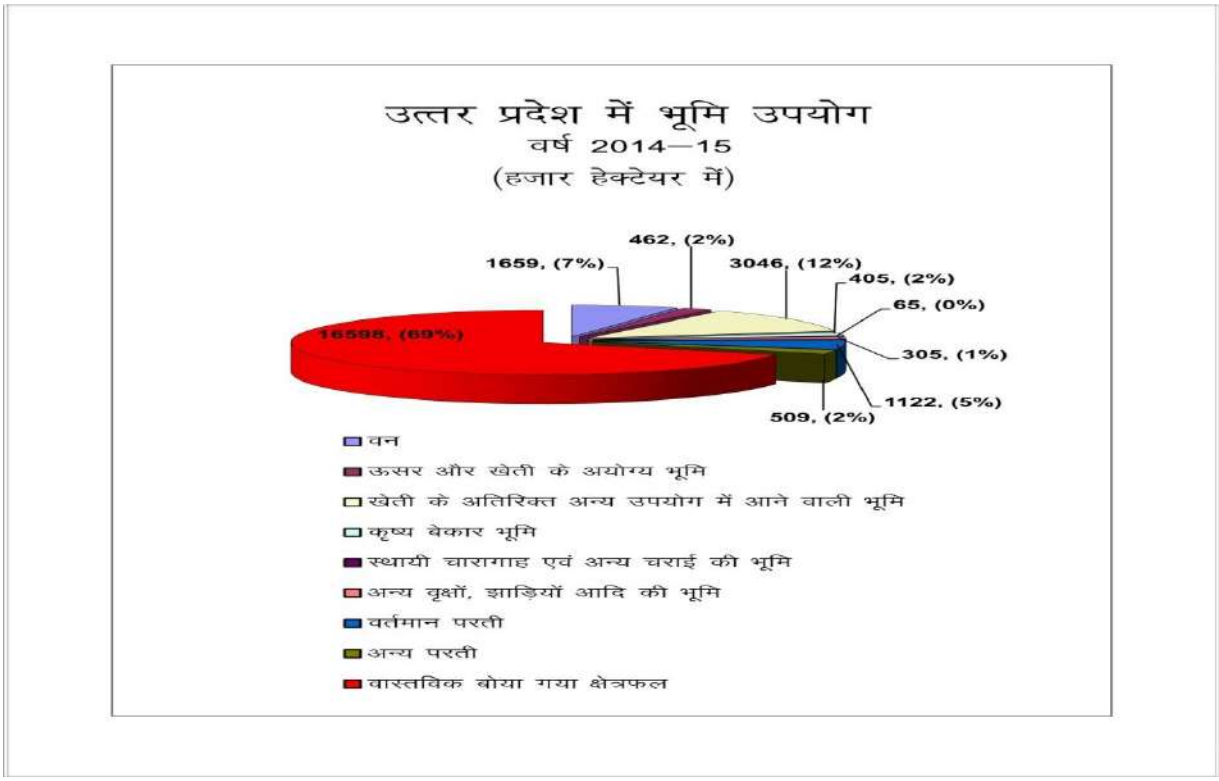

जोतों का आकार

कृषि गणना 2005–06 के आंकड़ों से विदित होता है कि उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में एक हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 78.0 था जो कि वर्ष 2010–11 में बढ़कर 79.5 प्रतिशत हो गया। स्पष्ट है कि प्रदेश में जोतों का औसत आकार घटता जा रहा है। वर्ष 2010–11 की कृषि गणना के आधार पर प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या 233.25 लाख है।जिसमें से 215.68 लाख (92.5 प्रतिशत) कृषक लघु एवं सीमान्त श्रेणी के हैं उनके पास प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्रफल का 64.8 प्रतिशत कृषि क्षेत्रफल है अर्थात् प्रदेश के कृषि विकास का भविष्य प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है किन्तु इन कृषकों की जोतों का आकार छोटा हैं अतः गहन खेती को बढावा देकर कृषि को लाभप्रद बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2005–06 एवं 2010–11 में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल तालिका–4.03 में दर्शाया गया है:–

तालिका–4.03

उत्तर प्रदेश में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल

आकार वर्ग (हेक्टे0में)	2005–06		2010–11	
	क्रियात्मक जोतों की सं0(हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टे0 में)	क्रियात्मक जोतों की सं0 (हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टे0में)
1	2	3	4	5
1.0 से कम	17507.1 (78.0)	6971.6 (38.9)	18532.3 (79.5)	7170.8 (40.7)
1.0–2.0	3103.1 (13.8)	4340.9 (24.2)	3035.3 (13.0)	4243.3 (24.1)
2.0–4.0	1391.6 (6.2)	3795.6 (21.2)	1334.3 (5.7)	3628.9 (20.6)
4.0–10.0	427.9 (1.9)	2374.2 (13.3)	398.3 (1.7)	2198.8 (12.5)
10.0 और अधिक	27.9 (0.1)	423.6 (2.4)	25.3 (0.1)	379.8 (2.1)
योग	**22457.6 (100.0)**	**17905.9 (100.0)**	**23325.5 (100.0)**	**17621.6 (100.0)**

स्रोतः राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

नोटः– कोष्ठक में दी गयी सूचनायें प्रतिशत वितरण से सम्बंधित है।

प्रदेश की कृषि क्षमता की तुलना अखिल भारतीय आंकड़ों से करने पर निम्न स्थिति उभरती है।

तालिका–4.04

प्रदेश की कृषि क्षमता की तुलनात्मक समीक्षा

क्र0 सं0	विवरण	इकाई	भारत	उ0प्र0	योगदान (प्रतिशत में)
1	प्रतिवेदित क्षेत्रफल (2003–04)	लाख हे0 में	3287.3	241.71	7.4
2	कुल कृषित क्षेत्रफल (2003–04)	,,	1896.6	258.96	13.6
3	शुद्ध कृषित क्षेत्रफल (2003–04)	,,	1407.1	165.46	11.8
4	फसल सघनता (2003–04)	प्रतिशत में	134.79	156.51	
5	कुल सिंचित क्षेत्रफल (2003–04)	लाख हे0 में	780.00	204.03	26.2
6	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (2003–04)	,,	571.00	140.27	24.6

प्रदेश में कृषक परिवार तथा उनके अधीन जोतों का क्षेत्रफल की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् है :–

तालिका–4.05
प्रदेश में कृषक परिवार तथा उनके अधीन जोतों का क्षेत्रफल

क्र0 सं0	वर्गीकरण	कृषक परिवार (लाख)	क्षेत्रफल (लाख हे0 में)	क्षेत्रफल प्रति परिवार (हे0)
01	सीमान्त कृषक	185.32	71.71	0.39
क– ख–	सीमान्त कृषक(0.5 हे0 से कम) सीमान्त कृषक (0.5 हे0–0.1 हे0 से कम)	135.70 49.62	36.99 34.72	
02	लघु कृषक (01 हे0 से 02 हे0 तक) लघु एवं सीमान्त कृषक (02 हे0 तक)	30.35 215.68	42.43 114.13	0.27
03	अन्य कृषक (02 हे0 व उससे अधिक)	17.58	62.08	3.53
	कुल योग	**233.25**	**176.22**	**0.76**

गत बीस वर्षो (1995–96 से 2015–16 तक) में प्रदेश में फसलों के अन्तर्गत आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति निम्नवत् रही है–

तालिका–4.06
प्रदेश में फसलों के अन्तर्गत आच्छादन,उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति

फसल	आच्छादन (लाख हे0 में)					
	1995–96	अधिकतम		न्यूनतम		2015–16
		वर्ष	आच्छादन	वर्ष	आच्छादन	
धान	52.79	2001–02	60.68	2002–03	52.09	58.37
गेहूँ	85.37	2014–15	98.46	1995–96	85.37	96.45
धान्य फसलें	165.59	2013–14	177.54	2005–06	173.67	174.73
दलहनी फसलें	28.00	2004–05	28.17	2015–16	18.81	18.81
खाद्यान्न फसलें	193.98	2001–02	203.98	2002–03	191.66	193.54
तिलहन	11.37	2015–16	12.91	2003–04	7.70	12.91

फसल	उत्पादन (लाख मी0टन में)					
	1995–96	अधिकतम		न्यूनतम		2015–16
		वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन	
धान	97.84	2013–14	146.32	2002–03	95.87	124.34
गेहूँ	210.77	2011–12	321.50	2014–15	200.55	268.55
धान्य	345.09	2012–13	498.87	1995–96	345.09	428.35
दलहन	21.63	1996–97	25.92	2015–16	11.12	11.12
खाद्यान्न	366.72	2012–13	522.76	1995–96	366.72	439.47
तिलहन	10.11	2010–11	13.91	1997–98	6.91	10.14

फसल	उत्पादकता (कु0 / हे0)					
	1995–96	अधिकतम		न्यूनतम		2015–16
		वर्ष	उत्पादकता	वर्ष	उत्पादकता	
धान	18.53	2012–13	24.53	2004–05	18.11	21.30
गेहूँ	24.69	2011–12	32.83	2014–15	20.37	27.86
धान्य	20.84	2012–13	28.14	2014–15	20.82	24.51
दलहन	7.74	2012–13	9.97	2014–15	5.36	5.91
खाद्यान्न	18.95	2012–13	25.98	1995–96	18.95	22.71
तिलहन	11.37	1996–97	12.43	2014–15	6.13	6.56

तालिका 4.06 से स्पष्ट है कि धान्य फसलों का कुल आच्छादन वर्ष 1995–96 में 165.59 लाख हे0 था जो विगत 20 वर्षो में बढ़ कर 174.73 लाख हे0 हो गया। दलहनी फसलों का आच्छादन विगत 20 वर्षो में 28 लाख हे0 से घटकर 18.81 लाख हे0 हो गया जबकि तिलहन के अन्तर्गत आच्छादन 11.37 से बढ़कर 12.91 लाख हे0 रहा है।

इन फसलों के उत्पादन की स्थिति का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि धान्य फसलों का उत्पादन विगत बीस वर्षो में बढकर 428.35 लाख मी0 टन हो गया। दलहन में औसत उत्पादन में अत्यधिक कमी आयी है और यह विगत 20 वर्षो में 21.63 लाख मी0 टन से घटकर औसतन 11.12 लाख मी0 टन रह गया। तिलहन के अन्तर्गत उत्पादन 20 वर्षो में औसतन स्थिर रहा। इसी प्रकार उत्पादकता की दृष्टि से धान्य फसलों में प्रति हे0 उत्पादकता बढ़ी है जबकि दलहन तथा तिलहन की स्थिति में घटी है। इस स्थिति को प्रमुख फसलों के आच्छादन की रेखीय वृद्धि दर से भी समझा जा सकता है।

1995–96 से 2015–16 के बीच प्रमुख फसलों के आच्छादन की रेखीय वृद्धि दर (Linear Growth) निम्नवत् रही है–

तालिका–4.07

प्रमुख फसलों के आच्छादन की रेखीय वृद्धि दर

फसल	रेखीय वृद्धि दर (%)		
	आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
धान	0.230	1.427	0.162
गेहूँ	0.600	3.234	0.199
धान्य फसलें	0.478	4.746	0.208
दलहन	(–)0.319	(–)0.446	(–)0.080
खाद्यान्न	0.159	4.300	0.199
तिलहन	0.064	0.161	(–)0.202

वर्ष 2014–15 में प्रमुख फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में प्रदेश की अन्य प्रदेशों के साथ तुलनात्मक स्थिति

तालिका–4.08

उत्पादन (लाख मै0टन में)

फसल	उत्तर प्रदेश	भारत	योगदान प्रतिशत	श्रेणी	प्रथम तीन स्थान पर आवण्टित राज्य
धान	132.42	1048.00	12.6	द्वितीय	1.पश्चिम बंगाल 2.उत्तर प्रदेश 3.आन्ध्र प्रदेश
गेहूँ	200.55	889.00	22.6	प्रथम	1.उत्तर प्रदेश 2.पंजाब 3.मध्य प्रदेश
दलहन	12.48	171.90	7.3	पाचवॉ	1.मध्य प्रदेश 2.राजस्थान 3.महाराष्ट्र
खाद्यान्न	381.63	2526.80	15.1	प्रथम	1.उत्तर प्रदेश 2.पंजाब 3.मध्य प्रदेश
तिलहन	8.87	266.70	3.3	नौवॉ	1.मध्य प्रदेश 2.राजस्थान 3.गुजरात

तालिका–4.09

उत्पादकता (कु0/हे0)

फसल	उत्तर प्रदेश	भारत	श्रेणी	प्रथम तीन स्थान पर आवण्टित राज्य
धान	22.67	23.90	11वॉ	1. पंजाब 2. तमिलनाडु 3. हरियाणा
गेहूँ	20.37	28.72	6ठॉ	1. हरियाणा 2. पंजाब 3. राजस्थान
दलहन	5.36	7.44	11वॉ	1. झारखण्ड 2. गुजरात 3. मध्य प्रदेश
खाद्यान्न	19.01	20.70	6ठॉ	1. पंजाब 2. हरियाणा 3. पश्चिम बंगाल
तिलहन	6.13	10.37	11वॉ	1.तमिलनाडु 2. गुजरात 3. हरियाणा

तालिका 4.08 एवं 4.09 से स्पष्ट है कि प्रदेश का गेहूँ तथा खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है किन्तु उत्पादकता की दृष्टि से प्रदेश की स्थिति देश के अन्य राज्यों से पीछे है।

वर्ष 2015–16 में उत्पादन, खपत व अधिशेष निम्नवत् रहा –

तालिका–4.10
उत्पादन, खपत व अधिशेष की स्थिति

फसल	उत्पादन (लाख मै0टन)	खपत (लाख मै0टन)	अधिक/कमी (लाख मै0टन)	आवश्यक (ग्राम/व्यक्ति/दिन)	उपलब्धता (ग्राम/व्यक्ति/दिन)
धान	125.01	105.28	19.73	132.50	161.66
गेहूँ	268.74	226.32	42.42	284.83	347.53
धान्य	428.35	360.73	67.62	454.00	553.94
दाल	11.12	58.93	(–)47.81	85.00	14.38
खाद्यान्न	439.47	419.65	19.82	539.00	568.32
तिलहन	10.14	37.50	(–)32.72	19.17	4.54

तालिका 4.10 से स्पष्ट है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यकता से अधिक है किन्तु दलहन एवं तिलहन की उपलब्धता आवश्यकता से क्रमशः 83.1 प्रतिशत एवं 76.3 प्रतिशत कम है।

वर्षा की स्थिति

➢ मौसम की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता का प्रभाव सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में पड़ता है इससे फसलों का आच्छादन एवं उत्पादकता सबसे अधिक प्रभावित होती है और उत्पादन अपेक्षानुसार नही होता है। धान्य, दलहनी एवं तिलहनी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में लक्ष्य के अनुरूप न प्राप्त होने का कारण मुख्यतया इन वर्षो में प्राकृतिक आपदायें खरीफ में सूखा, रबी में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि तथा शीतलहर रही है।

रबी – 2015–16

वर्ष 2014–15 व 2015–16 में मानसून अवधि में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण रबी 2015–16 में भूमि में आवश्यक नमी की कमी रही, साथ ही जाड़े की वर्षा भी नगण्य रही। यद्यपि प्रदेश का 84 प्रतिशत शुद्ध कृषित क्षेत्रफल सिंचित है जिसके कारण रबी की फसलों की बुवाई लगभग लक्ष्य के अनुरूप की जा सकी किन्तु उनकी उत्पादकता एवं उत्पादन लक्ष्य के अनुरूप नहीं रहा।

रबी 2015–16 में वर्षा की स्थिति निम्नवत् रही :–

तालिका–4.11

प्रदेश में वर्षा की स्थिति

मौसम	माह	सामान्य वर्षा (मिमी0 में)	वास्तविक वर्षा (मिमी0 में)	सामान्य से प्रतिशत
मानसून अवधि के बाद	अक्टूबर	35.8	9.2	25.7
	नवम्बर	4.9	1.1	22.4
जाड़े की वर्षा	दिसम्बर	6.8	4.0	58.8
	जनवरी	17.6	3.7	21.0
	फरवरी	19.9	1.4	7.0

खरीफ 2016 में वर्षा की स्थितिः–

खरीफ 2016 में मानसून अवधि में वर्षा सामान्य रही। मानसून अवधि में सामान्य वर्षा का 83.4 प्रतिशत वर्षा प्राप्त हुई। फसलों का आच्छादन लक्ष्य के अनुरूप रहा। फसलों की स्थिति अच्छी है। उत्पादन एवं उत्पादकता गत वर्ष के सापेक्ष अच्छी रहने की सम्भावना है।

सिंचाई

कृषि का उत्पादन बढ़ाने हेतु सिंचाई महत्वपूर्ण साधन है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014–15 में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का 143.89 लाख हेक्टेयर (86.7 प्रतिशत) क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्रफल है, जिसमें से 101.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल (70.8 प्रतिशत) नलकूपों से सिंचित है। वर्ष 2014–15 में प्रदेश का सकल सिंचित क्षेत्रफल 209.65 लाख हेक्टेयर था, जो सकल बोये गये क्षेत्रफल का 78.8 प्रतिशत था। वर्ष 2014–15 में सकल सिंचित क्षेत्रफल 209.65 लाख हेक्टेयर है जो कि सकल बोये गये क्षेत्रफल का 80.2 प्रतिशत है।

सिंचाई आच्छादन जो कि सकल सिंचित क्षेत्रफल से शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अनुपात है, वर्ष 2013–14 में सिंचाई आच्छादन 68.7 प्रतिशत था जो वर्ष 2014–15 में घटकर 68.6 प्रतिशत रह गया।

तालिका–4.12

उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल तथा प्रतिशत वितरण

मद	इकाई	2012–13	2013–14	2014–15	2012–13 की अपेक्षा 2013–14 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6
(क)शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	(ह0 हेक्टे0)				
1– नहर	''	2541 (18.3)	2557 (18.2)	2482 (17.2)	(–)2.9
2– नलकूप	''	9965 (71.5)	9984 (71.2)	10183 (70.8)	2.0
(अ) राजकीय	''	617 (4.4)	435 (3.1)	444 (3.1)	2.1
(ब) निजी	''	9348 (67.1)	9549 (68.1)	9739 (67.7)	2.0
3– कुएं	''	1250 (9.0)	1308 (9.3)	1474 (10.2)	12.7
4–तालाब, झील तथा पोखर	''	116 (0.8)	119 (0.9)	184 (1.3)	54.6
5–अन्य	''	56 (0.4)	60 (0.4)	67 (0.5)	11.7
योग		**13929 (100.0)**	**14027 (100.0)**	**14389 (100.0)**	2.6
(ख)सकल सिंचित क्षेत्रफल(ह0 हेक्टे0)		**20191**	**20403**	**20965**	**2.8**

उर्वरक

कृषि उपज बढ़ाने के लिये सिंचाई के साधनों की पर्याप्त आवश्यकता के साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014–15 में 42.72 लाख मी0 टन रासायनिक उर्वरकों का उपभोग किया गया जो वर्ष 2015–16 में 42. 30 लाख मी0 टन रह गया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरकों की खपत का विवरण तालिका– 4.13 में दर्शाया गया है :–

तालिका–4.13

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की खपत

(हजार मी0 टन में)

मद	नाइट्रोजन(एन0)	फास्फेट(पी0)	पोटाश (के0)	योग
1	2	3	4	5
2011–12	3067	1024	167	4258
2012–13	3352	1166	133	4651
2013–14	2972	765	105	3842
2014–15	3169	915	187	4272
2015–16	2930	1098	202	4230

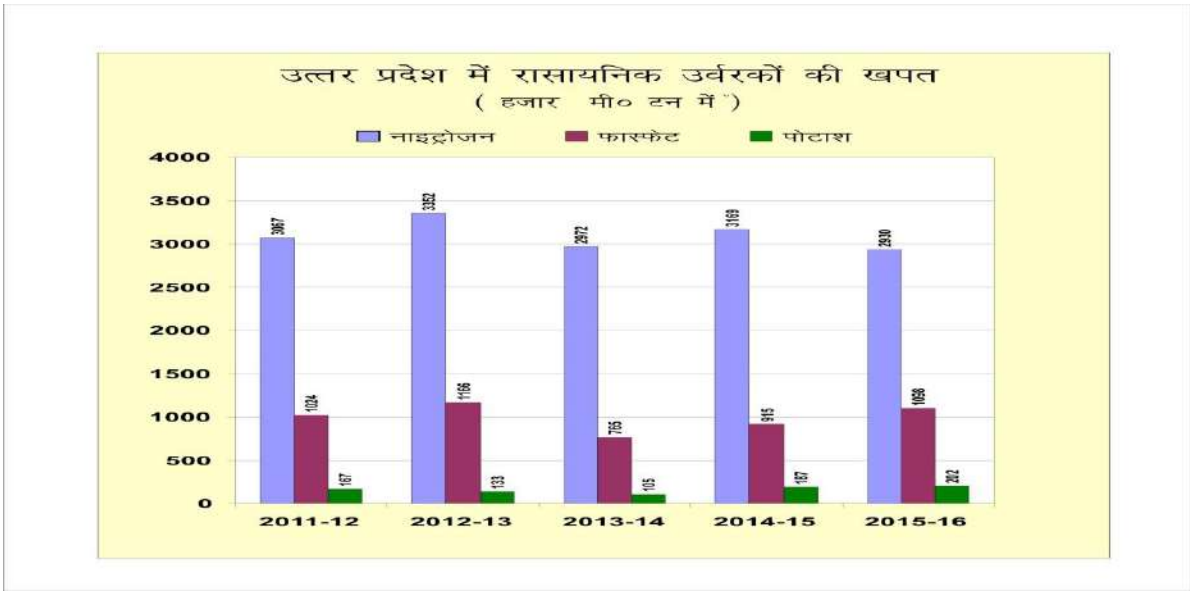

उन्नतिशील बीज का उत्पादन एवं वितरण

कृषि उत्पादन में वृद्धि उन्नतिशील बीजों पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012–13 में 5209 हजार कुन्तल उन्नतिशील बीजों का उत्पादन हुआ था जो वर्ष 2013–14 में बढ़कर 5450 हजार कुन्तल एवं वर्ष 2014–15 में बढ़कर 5497 हजार कुन्तल हो गया। वर्ष 2015–16 में उन्नतिशील बीजों का प्रत्याशित उत्पादन 5587 हजार कुन्तल रहा। इस प्रकार 2013–2016 की अवधि में उन्नतिशील बीजों के उत्पादन में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

उन्नतिशील बीजों के उत्पादन के साथ–साथ इनका ससमय वितरण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012–13 में 5321 हजार कुन्तल उन्नतिशील बीजों का वितरण हुआ था जो वर्ष 2013–14 में बढ़कर 5581 हजार कुन्तल एवं वर्ष 2014–15 में घटकर 5371 हजार कुन्तल हो गया। वर्ष 2015–16 में उन्नतिशील बीजों का प्रत्याशित

वितरण घटकर 5097 हजार कुन्तल हो गया। इस प्रकार 2013–2016 की अवधि में उन्नतिशील बीजों के वितरण में 4.2 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई।

उन्नतिशील बीजों के अन्तर्गत आच्छादन एवं बीज प्रतिस्थापन दर

प्रदेश में मुख्य–मुख्य फसलों के औसत उपज में वृद्धि लाने हेतु अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीजों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अधिक उपजदायी प्रजातियों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल वर्ष 2013–14 में 165.03 लाख हेक्टेयर था जो वर्ष 2014–15 में बढ़कर 172.64 लाख हेक्टेयर हो गया। वर्ष 2015–16 में अधिक उपजदायी प्रजातियों की फसलों के अन्तर्गत प्रत्याशित क्षेत्रफल 170.11 लाख हेक्टेयर रहा। परम्परागत बीजों का प्रतिस्थापन उन्नतशील बीजों से किया जा रहा है। वर्ष 2012–13 में गेहूँ के बीजों की प्रतिस्थापन दर 41 प्रतिशत थी, बाजरे की प्रतिस्थापन दर 71 प्रतिशत थी एवं उर्द दाल की प्रतिस्थापन दर 34 प्रतिशत थी।

तालिका–4.14

उत्तर प्रदेश में अधिक उपजदायी प्रजातियों की फसलों के अन्तर्गत बोया गया क्षेत्रफल

	क्षेत्रफल(लाख हेक्टेयर में)		
मद	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16***
1– चावल	57.22	56.25	56.03
2– गेहूं	95.79	98.07	95.99
3– बाजरा	6.15	6.38	6.53
4– मक्का	5.87	5.73	5.43
योग	**165.03**	**172.64**	**170.11**

***प्रत्याशित क्षेत्रफल**

कीटनाशक

विभिन्न प्रकार की फसलों को बीमारियों से बचाने के लिये कीटनाशक औषधियों का प्रयोग नितान्त आवश्यक है। ये बीमारियां फसलों की उपज को प्रभावित करती हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012–13 में 19.10 हजार मी0 टन कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया था, इसके पश्चात् वर्ष 2015–16 तक इसमें वृद्धि एवं कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही। वर्ष 2014–15 में यह 15.21 हजार मी0 टन था जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 15.42 हजार मी0 टन हो गया।

प्रदेश में कृषि विकास हेतु संचालित योजना एवं उनकी प्रगति

राज्य सरकार प्राकृतिक संसाधनों यथा– मृदा, जल एवं जैव विविधता के समुचित सरंक्षण, देश प्रदेश की कृषि उत्पादन नीतियों के विनिर्माण एवं कियान्वयन तथा संसाधनों के क्षरण को अक्षुण्ण बनाये रखते हुये उत्तरोत्तर वृद्धि परक उत्पादन के आयाम विकसित करने के लिए सतत् प्रयासरत है। इस हेतु राज्य सरकार का उत्तरदायित्व क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुसार तकनीकी प्रसार एवं कृषि निवेश प्रबंधन के माध्यम से विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करना तथा प्रदेश में कृषि विकास की दर को गति प्रदान करना है साथ ही भारत सरकार, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के उपयोगी कार्यक्रमों के कियान्वयन का दायित्व भी उस पर है।

प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने, जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने, राज्य को राष्ट्र के खाद्य भण्डार के रूप में सम्पन्न बनाने तथा ग्रामीण जनता की आर्थिक उन्नति एवं सम्पन्नता सुनिश्चित कर ग्राम्य जीवन में गुणवत्तायुक्त सुधार लाने के लिए कृषि नीति के अन्तर्गत प्रदेश शासन द्वारा सप्तक्रान्ति– प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबन्धन, विपणन, मशीनीकरण एवं शोध तथा कृषि विविधीकरण पर विशेष बल दिये जाने का संकल्प लिया गया।

प्रदेश में कृषि के विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना, नेशनल मिशन ऑन आयलसीड एवं नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी, नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल क्राप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स, सोलर फोटो वोल्टिक इरीगेशन पम्प की स्थापना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना आदि योजनाएं संचालित की जा रही है।

- वर्ष 2015–16 में कुल 47.94 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया है जिसमें खरीफ 2015 में 9.55 लाख कुन्तल एवं रबी में 38.40 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया।
- वर्ष 2015–16 में कुल 88.67 लाख मै0टन उर्वरकों के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष माह जनवरी, 2016 तक उपलब्धता 98.37 लाख मै0टन हो चुकी है जिसमें 63.41 लाख मै0 टन उर्वरकों का वितरण कराया जा चुका है। वांछित उत्पादन प्राप्त करने एवं मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए नेत्रजन के साथ–साथ फास्फोरस एवं पोटाश के उपयोग पर विशेष बल दिया गया इससे संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा मिला है।
- वर्ष 2015–16 में कुल 84021.09 करोड़ रु0 फसली ऋण वितरण का लक्ष्य है जिसमें खरीफ में रु0 22771.09 करोड़ का फसली ऋण वितरण किया गया एवं रबी के अन्तर्गत रु0 43707.07 करोड़ एवं कुल रु0 66478.89 करोड़ का फसली ऋण वितरण किया जा चुका है।
- वर्ष 2015–16 में 32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2015 तक 34.18 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

वर्ष 2015–16 में फसल बीमा योजना की प्रगति निम्नवत् है–

तालिका–4.15
वर्ष 2015–16 में फसल बीमा योजना की प्रगति

मौसम	फसल बीमा योजना	बीमित कृषक (लाख में)	लाभान्वित कृषक (लाख में)	क्षतिपूर्ति (लाख रु0 में)
खरीफ	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	13.49	5.26	38695.50
	मौसम आधारित फसल बीमा योजना	3.34	3.34	21347.21
	योग –	**16.83**	**8.60**	**60042.71**
रबी	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	16.88	8.97	60071.02
	मौसम आधारित फसल बीमा योजना	3.72	3.62	17507.76
	योग –	**20.60**	**12.59**	**77578.78**

- **भूमि सरंक्षण मद के अन्तर्गत भूमि सुधार हेतु भूमि सेवा योजना संचालित की जा रही है।** वर्ष 2013– 2014 में 48708 हे0, वर्ष 2014– 2015 में 41805 हे0 वर्ष 2015–2016 में माह दिसम्बर 2015 तक 31632 हे0 का भूमि उपचार किया जा चुका है।
- **जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना**

यह एक नई प्रस्तावित योजना है। पर्यावरण संतुलन बनाये रखते हुए कम लागत वाली कृषि तकनीक अपनाकर रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक से मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जनपद हमीरपुर जैविक खेती हेतु माडल जिले के रूप में विकसित किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2016– 2017 में रू0 10 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

तालिका–4.16
12वीं पंचवर्षीय योजना के विभिन्न वर्षों में कृषि का आय व्यय अनुमान एवं व्यय विवरण–

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राविधान			व्यय			व्यय प्रतिशत		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
2012–13	1666.37	1237.78	2904.15	992.03	1090.01	2082.04	59.5	88.06	71.69
2013–14	1838.84	1299.76	3138.60	965.15	1157.67	2122.82	52.5	89.07	67.64
2014–15	2142.24	1347.10	3489.34	1522.78	1254.22	2474.00	57.08	93.11	70.90
2015–16	2321.63	1365.35	3686.98	1464.26	1104.75	2569.01	63.07	80.91	69.68
2016–17 (अक्टूबर, 2016 तक)	2579.15	1420.70	3999.85	545.32	679.84	1225.16	21.14	47.85	30.63

कृषि उत्पाद का विपणन

कृषि के विकास के लिए ये आवश्यक है कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य, व्यापारियों को उनकी सेवाओं का उचित प्रतिफल एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाये। इसी उद्देश्य से वर्ष 1964 में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम पारित किया गया। प्रदेश में कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के सुनियोजित विकास और कृषि बाजारों में प्रचलित कुरीतियों पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम **1964** के अधीन **251** मुख्य मण्डियां एवं **372** उप मण्डियां विनियमित हैं। प्रत्येक विनियमित मण्डी के लिए एक मण्डी समिति की स्थापना है। मण्डी समितियों द्वारा मण्डियों के विनियमन के साथ–साथ किसानों एवं व्यापारियों हेतु सुख–सुविधा युक्त नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश में **218** मुख्य मण्डी स्थलों, **94** उपमण्डी स्थलों, **72** फल/सब्जी मण्डी स्थलों, **05** दुग्ध मण्डी स्थल, **05** मत्स्य बाजारों, **225** हाट–पैठ, **238** ग्रामीण गोदाम, **87** कृषक सेवा केन्द्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में **20,167 कि0मी0** लम्बाई के सम्पर्क मार्गो का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

कृषि उत्पाद के विपणन हेतु संचालित योजनायें–

कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब (ए0एम0एच0) का निर्माण, किसान बाजार का निर्माण, मण्डी स्थलों का निर्माण, इलेक्टानिक वे–ब्रिज की स्थापना, भण्डारण सुविधा का विकास आदि योजनायें संचालित की जा रही हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब योजना के वर्ष 2011–12 से आरम्भ होने से अब तक 1644 ए0एम0एच0 का निर्माण हो चुका है।

इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मण्डी परिषद द्वारा रू0 10.00 करोड़ से अधिक की लागत वाले निर्माण कार्यों हेतु ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गयी है तथा मण्डी परिषद की मण्डी समितियों का कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है। मण्डी परिषद के कार्यक्षेत्र में हुए विस्तार के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सिस्टम को आटोमेटड किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। आटोमेशन की इस प्रक्रिया में मण्डी परिषद के विभिन्न कार्यालयों, यथा–प्रशासनिक कार्यालय, निर्माण खण्ड आदि के साथ ही मण्डी समितियों के कार्यालयों को, आफिस आटोमेशन सिस्टम के द्वारा विभागीय नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से एकीकृत सूचना प्रणाली विकसित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। कृषि उत्पाद के विपणन सम्बन्धी कुछ प्रमुख योजनायें निम्नवत् हैः–

मण्डी आवक–किसान उपहार योजनाः–

अक्सर छोटे किसान अपनी उपज सीधे मण्डी में न लाकर ग्राम में व्यापारियों के हाथों सस्ते दामों पर बेच देते हैं जो तौल में गड़बड़ी करके तथा अन्य तरीको से किसान को उचित मूल्य नहीं देते हैं। मण्डी परिसर में उचित तौल, अवैध कटौतियों से मुक्ति, प्रतिस्पर्धात्मक भाव किसान को प्राप्त होता है। किसानों को स्वयं अपनी उपज सीधे मण्डी में लाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मण्डी आवक किसान उपहार योजना लागू की गयी है।

मण्डी में आकर किसान अपनी उपज व्यापारी को बेचकर प्रपत्र–6 प्राप्त करता है। प्रपत्र–6 में लिखे हुए मूल्य के प्रत्येक रू0 5000 पर एक कूपन मण्डी समिति कार्यालय से प्राप्त होगा। कूपन का आधा पन्ना कार्यालय में रहेगा जिसके आधार पर मुख्य रूप से कुकर, साईकिल, पावर ट्रिलर एवं ट्रैक्टर उपहार लकी ड्रा के माध्यम से दिये जाते हैं।

तालिका–4.17
योजना की प्रगति

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	लाभान्वित कृषकों की संख्या	आवंटित धनराशि(लाख रू0 में)
1	2012–13	320	213.63
2	2013–14	297	192.35
3	2014–15	159	99.54
4	2015–16	284	291.98
5	2016–17 (अक्टूबर, 2016 तक)	222	79.86

मण्डी सुगम परिवहन योजना–

फल–सब्जी के लघु एवं सीमान्त कृषक उत्पादकों को अपना कृषि उत्पाद यातायात के अभाव में स्थानीय हाट/बाजार में न बेचना पड़े, इसलिये उनके उत्पाद को निकटतम मण्डी में लाने हेतु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये मण्डी परिषद द्वारा प्रथम चरण में 05 मण्डियों कन्नौज, बहराइच, कानपुर, महोबा एवं ललितपुर में सुगम परिवहन योजना लागू की गयी है एवं जनपद–गाजीपुर से गाजीपुर–देवकली–सैदपुर होते हुए तथा गाजीपुर–जंगीपुर –सादियाबाद–सादात–सैदपुर होते हुए वाराणसी तक दुग्ध उत्पादकों के निःशुल्क परिवहन हेतु दो बसें चलायी जा रही हैं। योजना के अक्टूबर, 2014 से आरम्भ होने से अब तक 9360 दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हो चुके हैं।

समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजनाः–

यह योजना उ0प्र0 के समस्त कृषक तथा खेतिहर मजदूर एवं मण्डी समिति के मजदूरों पर लागू है। इस योजना के तहत कृषि कार्य के अन्तर्गत उपकरणों का संचालन, बिजली उपकरण का संचालन, कुओं की खुदाई, ट्रैक्टर द्वारा कृषि उत्पाद की ढुलाई, थ्रेसिंग करते समय अंग–भंग तथा मृत्यु होने पर सहायता दी जाती है। इस योजना में कृषि उपकरण, खाद्य रसायन, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली के उपयोग के साथ पल्लेदारी, गाय/बैल द्वारा सींग मारना अथवा कृषि कार्य करते समय विषैले जन्तु के काटने से हुई मृत्यु तक समझी जायेगी।
सरकार द्वारा घोषित मण्डी क्षेत्रों के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी कार्य करते हुए किसानों, खेतिहर मजदूरों, मण्डी समिति के मजदूरों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समिति के माध्यम से संचालित उक्त योजना द्वारा दुर्घटनाग्रस्त को सहायता दी जाती है।

इसकी स्वीकृति क्षेत्र के परगनाधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता का विवरण निम्नवत् हैः–

(क)	दुर्घटना द्वारा मृत्यु होने पर	रू0 2,00,000.00
(ख)	दुर्घटना द्वारा दोनों पैर, दोनों हाथ या दोनों आँखें या उपरोक्त में से कोई दो की क्षति होने पर	रू0 60,000.00
(ग)	दुर्घटना द्वारा एक हाथ, एक पैर अथवा एक आँख की क्षति होने पर	रू0 30,000.00
(घ)	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ चार उंगलियों की क्षति होने पर	रू0 28,000.00
(ड़)	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की तीन उंगलियों की क्षति होने पर	रू0 20,000.00
(च)	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की दो उंगलियों की क्षति होने पर	रू0 12,000.00
(छ)	छोटी अंगुली की क्षति होने पर	रू0 3,000.00

तालिका–4.18

समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना की प्रगति

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	लाभान्वित कृषकों की संख्या	आवन्टित धनराशि (लाख रू0 में)
1	2012–13	418	95.26
2	2013–14	424	111.60
3	2014–15	340	253.13
4	2015–16	448	487.79
5	2016–17 (अक्टूबर, 2016 तक)	284	335.73

(ख) खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजनाः–

इस योजना में खलिहान में रखी गयी फसल अथवा किसान की खड़ी फसल आग, बिजली अथवा आकाशीय बिजली से यदि जलकर नष्ट हो जाती है तो उसे मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समिति के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सहायता धनराशि दी जाती है–

(I) सीमान्त कृषक : एक हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ भूमि रखने वाले को अधिकतम रूपये 15,000.00 अथवा वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो।

(II) लघु कृषक : एक हेक्टयर से दो हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक भूमि रखने वाले को अधिकतम रूपये 20,000.00 अथवा वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो।

(III) सामान्य कृषक : दो हेक्टेयर या 5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले को अधिकतम रूपये 30,000/– अथवा वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त खलिहान अग्नि दुर्घटना योजना के अन्तर्गत किसानों की खड़ी फसल को भी शामिल करने तथा जहाँ किसी एक अग्निकाण्ड दुर्घटना में सहायता की धनराशि रू0 1.00 लाख से अधिक आंकलित हो रही है तो उस दावे के निपटारण हेतु जनपद के जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

तालिका–4.19

खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना की प्रगति

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	लाभान्वित कृषकों की संख्या	आवन्टित धनराशि (लाख रू0 में)
1	2012–13	5587	256.70
2	2013–14	7401	304.72
3	2014–15	2655	134.50
4	2015–16	2477	180.09
5	2016–17	15947	668.53

(ग) छात्रवृत्ति योजनाः–

किसानों के प्रतिभावान बच्चों को कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने तथा भविष्य में कृषि क्षेत्रों में योगदान देने के उद्देश्य से मण्डी परिषद द्वारा छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। प्रदेश के तीन कृषि विश्वविद्यालयों, दो कृषि संस्थानों तथा 24 कृषि महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं में से मण्डी परिषद द्वारा चयनित विद्यार्थियों को रू0 3,000.00 प्रतिमाह प्रतिवर्ष तथा कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि संस्थाओं में अध्ययनरत, कृषि क्षेत्र में शोध करने वाले शोधार्थियों को (प्रत्येक में 25–25 शोधार्थियों को) रू0 6,000.00 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना में आवेदन छात्र को अपने संस्थान में ही करना होता है और वहीं से छात्रवृत्ति मिलती है।

तालिका–4.20

छात्रवृत्ति योजना की प्रगति

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	छात्रों की संख्या जिन्हें छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गयी	उपलब्ध करायी गयी धनराशि (लाख रू0 में)
1	2012–13	725	273.84
2	2013–14	723	250.40
3	2014–15	757	273.42
4	2015–16	743	301.05
5	2016–17 (अक्टूबर, 16 तक)	378	122.39

संपर्क मार्गो का निर्माण एवं मरम्मतः–

विगत वित्तीय वर्षो में निम्नानुसार नवीन सम्पर्क मार्गों एवं मरम्मत के सम्पर्क मार्गों का लेपन कार्य पूर्ण कराया गया है :–

तालिका–4.21

नवीन सम्पर्क मार्गों एवं मरम्मत के सम्पर्क मार्ग

वर्ष	निर्मित सम्पर्क मार्ग (कि0मी0 में)	मरम्मत के सम्पर्क मार्ग (कि0मी0 में)
2012–2013	801.00	187.00
2013–2014	587.00	548.00
2014–2015	640.00	191.00
2015–2016	23.00	472.00
2016–2017	–	142.00

मण्डी समितियों का कम्प्यूटराइजेशनः–

निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मण्डी परिषद द्वारा रू0 10.00 करोड़ से अधिक की लागत वाले निर्माण कार्यों हेतु ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गयी है तथा मण्डी परिषद की मण्डी समितियों का कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है। मण्डी परिषद के कार्यक्षेत्र में हुए विस्तार के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सिस्टम को आटोमेट किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। आटोमेशन की इस प्रक्रिया में प्रबन्धन को सुगम, तीव्र एवं नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से मण्डी परिषद के विभिन्न कार्यालयों यथा–प्रशासनिक कार्यालय, निर्माण खण्ड आदि के साथ ही मण्डी समितियों के कार्यालयों को आफिस आटोमेशन सिस्टम के द्वारा विभागीय नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से एकीकृत सूचना प्रणाली विकसित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

नूतन अभिनव कार्य

- जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अन्तर्गत अब तक 6907 ग्रामों का चयन किया गया है जिसमें से 4807 ग्रामों को संतृप्त किया जा चुका है। उक्त योजना के अन्तर्गत सी0सी0 रोड, नाली का निर्माण एवं विद्युत कार्य कराया जाता है। वर्ष 2012–13 में रू0 25.00 लाख प्रति गाँव के विकास पर व्यय किया गया, वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में रू0 40.00 लाख प्रति गाँव के विकास पर व्यय किया गया तथा वर्ष 2016–17 में ग्रामों की संख्या बढ़ाते हुए 2000 की गयी तथा रू0 35.00 लाख प्रति गाँव के विकास पर व्यय किया जा रहा है।
- कृषको को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 08 जनपदों यथा–लखनऊ, सैफई (इटावा), मैनपुरी, कासगंज, कन्नौज, झांसी, हरदोई एवं बहराइच में किसान बाजार बनाये जाने की योजना के अंतर्गत सैफई (इटावा) एवं

झांसी में किसान बाजार का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा उसके संचालन की प्रक्रिया गतिमान है।

- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत विशिष्ट मण्डियों के निर्माण कराये जाने की श्रृंखला में 07 विशिष्ट मण्डियों हेतु कुल रू0 433.94 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गयी है, जिनमें से 02 पूर्ण कराये जा चुके है तथा 05 निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार 133 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों (रिनों) हेतु रू0 219.31 करोड़ की परियोजनायें स्वीकृत की गयी हैं। 132 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों (रिनों) का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है जिसमें 120 संचालित कराये जा चुके हैं।
- प्रदेश में मण्डी परिसरों के घनत्व को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक 100 वर्ग कि0मी0 में एक मण्डी परिसर की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से 1644 नग एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब के निर्माण हेतु रू0 464.17 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त में से 1644 एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा 1381 एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब संचालित करा दिये गए हैं।
- मण्डी परिषद द्वारा 20167 कि0मी0 ग्रामीण सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराया जा चुका है।
- **विशिष्ट आलू मण्डी** की स्थापना कन्नौज में **रू0 101.74 करोड़** की लागत से करायी जा रही है।
- **विशिष्ट लहसुन एवं फल सब्जी मण्डी** की स्थापना लखनऊ–आगरा एक्सप्रेस वे पर मण्डी समिति, मैनपुरी के अन्तर्गत करायी जा रही है।
- **विशिष्ट आम मण्डी** की स्थापना मलिहाबाद (लखनऊ) में **रू0 79.45 करोड़** की लागत से करायी जा रही है।

प्रदेश के सम्मुख कृषि सम्बंधी चुनौतियां

1. प्रदेश की जनसंख्या की खाद्य पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा बदलते मौसम में विभिन्न फसलों की उत्पादकता को बढाना।
2. विश्व व्यापार समझौते के परिप्रेक्ष्य में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तथा उत्पादन लागत को कम करना।
3. प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण को रोकने हेतु सरंक्षण के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करना।
4. पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखने हेतु स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बनाये रखना।
5. लघु एवं सीमान्त कृषकों के अर्थिक हितों के दृष्टिगत छोटी जोतों को लाभदायी बनाना।
6. कृषि में निजी यंत्रों को बढावा देने हेतु सार्वजनिक निजी सहभागिता द्वारा निवेश को प्रोत्साहन ।
7. कृषि पर निर्भरता कम करने हेतु रोजगार सृजन के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढावा देना।
8. जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत कृषि उत्पादन के वृद्धि दर को बनाये रखना।

प्राथमिकतायें –

कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने एवं चुनौतियों का प्रभावी ढ़ंग से सामना करने के लिए निम्न प्राथमिकतायें निर्धारित की गयी हैं:–

1. अच्छे इनपुट का प्रयोग, मृदा स्वास्थ्य तथा ऊसर एवं अकृष्य भूमि विकास द्वारा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना।
2. गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की समय से उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
3. बेहतर फसल प्रबन्धन, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि निवेश के प्रयोग तथा नवीन तकनीकों को अपनाकर कृषि लागत को कम करना।
4. मूल्यवर्धन द्वारा कृषि उत्पादों के लाभ में वृद्धि करना।
5. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देना।
6. निजी क्षेत्र की सहभागिता को सुनिश्चित करना।
7. ग्रामीण स्तर पर आधारभूत संरचनाओं के विकास को प्रोत्साहित करना।
8. कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर भूमिहीन कृषि मजदूरों को आत्म–निर्भर बनाना तथा कृषि पर निर्भरता को कम करना।

वन एवं वन्य जीव संरक्षण

वृक्षों से ही भूमि संरक्षण, जलसंरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वन दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों का प्राकृतिक वास है। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल 21,505 वर्ग कि0मी0 है जो कि कुल भौगौलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग कि0मी0 के सापेक्ष मात्र 8.93 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के मानक स्तर 33.33 प्रतिशत से कम है।

सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2015–16 (त्वरित अनुमान के अनुसार) में वनों का अंश रु0 14073.74 करोड़ है, जो कि सकल राज्य आय का 1.3 प्रतिशत है। विगत तीन वर्षों से वन क्षेत्र की विकास दर ऋणात्मक ही रही हैं। वर्ष 2015–16 में वन क्षेत्र की विकास दर (–)1.9 है।

प्रदेश की विविधतापूर्ण भौगोलिक संरचना एवं जलवायु में पाये जाने वाले वन्य जीवों एवं जैव विविधता संरक्षण हेतु प्रदेश में स्थापित 1 राष्ट्रीय उद्यान, 25 वन्य जीव विहारों तथा 2 प्राणि उद्यानों का प्रबन्धन भी किया जा रहा है एवं 1 प्राणि उद्यान की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014–15 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 241.70 लाख हेक्टेयर था, जिसमें वनों का क्षेत्रफल 16.59 लाख हेक्टेयर था। वनों का क्षेत्रफल प्रदेश के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 6.9 प्रतिशत है जबकि भारत में यह लगभग 23 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, वनावरण तथा वृक्षावरण निम्न प्रकार है:–

तालिका–4.22
उत्तर प्रदेश के वन–एक दृष्टि
(क्षेत्रफल वर्ग किमी0)

अः वन क्षेत्र	
1–उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	2,40,928
2–अभिलिखित वन क्षेत्र	16,582
क–आरक्षित वन क्षेत्र	12,071
ख–संरक्षित वन क्षेत्र	1,157
ग–अवर्गीकृत वन क्षेत्र	3,354
3–वनावरण	14,461
क–अति घना वन क्षेत्र	2,195
ख–घना वन क्षेत्र	4,060
ग–खुला वन क्षेत्र	8,206
4–वृक्षावरण	7,044
5–वनावरण एवं वृक्षावरण	21,505
6–भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत	8.93
बःवन्य जीव परिरक्षण	
1–प्रदेश में वन्य जीव विहारों की संख्या	25
2–प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क	1
3–प्रदेश में प्राणि उद्यान *	2
4–बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क **	1

स्रोतः– स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015

* गोरखपुर जनपद में एक प्राणि उद्यान की स्थापना का कार्य चल रहा है।

** बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र स्थापित है। सफारी का कार्य प्रगति पर है।

वानिकी एवं वन्य जीव योजनाएं

(क) वानिकी एवं वन्य जीव योजनाएं

प्रदेश में कार्यान्वित हो रही वृक्षारोपण की मुख्य योजनाओं का विवरण निम्न हैः–

1.सामाजिक वानिकी

प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाष्ठ, ईधन एवं चारा पत्ती तथा लघु वन उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की भूमि यथा अवनत वन क्षेत्र सामुदायिक भूमि, नहर, रेल तथा सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाता है।

1.1 सामाजिक वानिकी–स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में उनके कल्याणार्थ स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की भूमि यथा सामुदायिक भूमि, पटरी के किनारे की भूमि आदि पर वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है।

1.2सामाजिक वानिकी–ट्राइबल सब प्लान

प्रदेश की अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों जैसे–श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद, रेनुकूट तथा ओबरा वन प्रभागों में ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की सामुदायिक भूमि आदि पर वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है।

2.शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण एवं सौन्दर्य को दृष्टिगत रखते हुए सड़कों के किनारे खाली पड़ी भूमि एवं पार्कों की भूमि पर इस योजना के अन्तर्गत पर्यावरण दृष्टिकोण से उपयोगी तथा शोभाकार वृक्षों का रोपण किया जाता है।

3.हरित पट्टी विकास योजना

यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु क्रियान्वित की जा रही है। पर्यावरण सुधार से समस्त प्रदेशवासियों को शुद्ध एवं स्वस्थ पर्यावरण का लाभ प्राप्त होगा।

4.टोटल फारेस्ट कवर

यह योजना जनपद मैनपुरी, इटावा, लखनऊ, उन्नाव कन्नौज तथा बदायूँ को पूर्ण रूप से हरा–भरा किये जाने हेतु लागू किया गया है। यह योजना जनपद आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, रामपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, ललितपुर तथा चित्रकूट में बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तावित है।

(ख) वन्य जीव परिरक्षण योजनाएं

1–जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क की विकास योजना

वर्तमान में एशियन बब्बर शेर का अस्तित्व खतरे में है तथा इनके प्राकृतवास मात्र गिर फारेस्ट, गुजरात तक सीमित रह गये हैं। अतः इन्हें उपयुक्त वासस्थल का विकास करके संरक्षण प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इटावा जनपद में लायन सफारी की स्थापना से बब्बर शेरों के लिए वैकल्पिक वास स्थल विकसित होगा। क्षेत्र की स्थानीय जलवायु के अनुसार वनस्पतियों का संरक्षण एवं सम्वर्द्धन कर क्षेत्र को बब्बर शेरों के प्राकृतिक वासस्थल के रूप में विकसित करना है।

प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015–16 में 250 हजार घनमीटर इमारती लकड़ी, 6 हजार घन मी0 चट्टा जलाने की लकड़ी, 35 हजार कौड़ी बांस, 200 हजार मानक बोरी तेंदू पत्ता तथा 1 हजार कुन्तल भाभड़ घास का उत्पादन हुआ। इमारती लकड़ियों में साल, सागौन, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस आदि प्रमुख है। विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज का विवरण तालिका–4.23 में दर्शाया गया है–

तालिका–4.23
उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

मद	2001–02	2004–05	2011–12	2014–15	2015–16रु
1	2	3	4	5	6
1–**इमारती लकड़ी (हजार घन मी0)**	171	143	193	228	250
(क) साल	32	27	27	32	40
(ख) सागौन	8	6	8	8	10
(ग) शीशम	34	30	12	14	15
(घ) खैर	3	3	3	3	1
(च) असना	1	2	–	1	1
(छ) यूकेलिप्टस	61	48	111	112	150
(ज) विविध	32	27	32	58	70
2–**जलाने की लकड़ी (हजार घनमी0 चट्टा)**	26	18	3	4	6
3–**बांस (हजार कौड़ी)**	168	25	40	25	35
4–**तेंदू पत्ता (हजार मानक बोरी)**	458	482	175	186	200
5–**भाभड़ घास (हजार कुन्तल)**	6	14	2	1	1

अनुमानित

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 की अपेक्षा वर्ष 2015–16 में खैर एवं असना को छोड़कर सभी इमारती लकड़ियों का उत्पादन बढ़ा है। असना का उत्पादन यथावत रहा है जबकि खैर के उत्पादन में कमी आयी है। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 में गत वर्ष 2014–15 की अपेक्षा बांस तथा तेंदू पत्ता का उत्पादन भी बढ़ा है।

प्रदेश में नगरीकरण के तीव्र विकास के साथ वन क्षेत्र का विस्तार तथा वृक्षारोपण का आच्छादन बढ़ाना इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौती है।

****

अध्याय–5
पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास

प्रदेश की जनता के जीवकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। यह सेक्टर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के रोजगार एवं आय का प्रमुख स्त्रोत है। पशुधन उत्पाद खाद्य सुरक्षा एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। वर्ष 2015–16 के त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2015–16 में स्थायी भावों पर पशुपालन खण्ड की वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत रही है जबकि वर्ष 2014–15 मे यह 5.7 प्रतिशत थी। वर्ष 2011–12 में प्रचलित भावों पर राज्य के निवल मूल्य वर्धन में पशुधन क्षेत्र का योगदान 7.1 प्रतिशत था जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 8.4 प्रतिशत हो गया। आर्थिक क्रिया कलापों के अनुसार निवल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा क्षेत्र के योगदान को तालिका–5.01 में दर्शाया गया है।

तालिका–5.01
निवल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र के खण्डवार प्रतिशत वितरण के आंकड़े

(प्रचलित भावों पर)						
क्रम सं०	मद	वर्ष				
		2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
1	फसलें	18.5	19.6	18.6	16.6	16.6
2	पशुधन	7.1	6.7	7.4	8.1	8.4
3	वानिकी और लट्ठा बनाना	2.0	2.0	1.7	1.6	1.5
4	मत्स्यन और जलीय कृषि	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
(स्थायी भावों पर)						
1	फसलें	18.5	18.6	17.1	15.1	15.0
2	पशुधन	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0
3	वानिकी और लट्ठा बनाना	2.0	1.9	1.8	1.7	1.5
4	मत्स्यन और जलीय कृषि	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

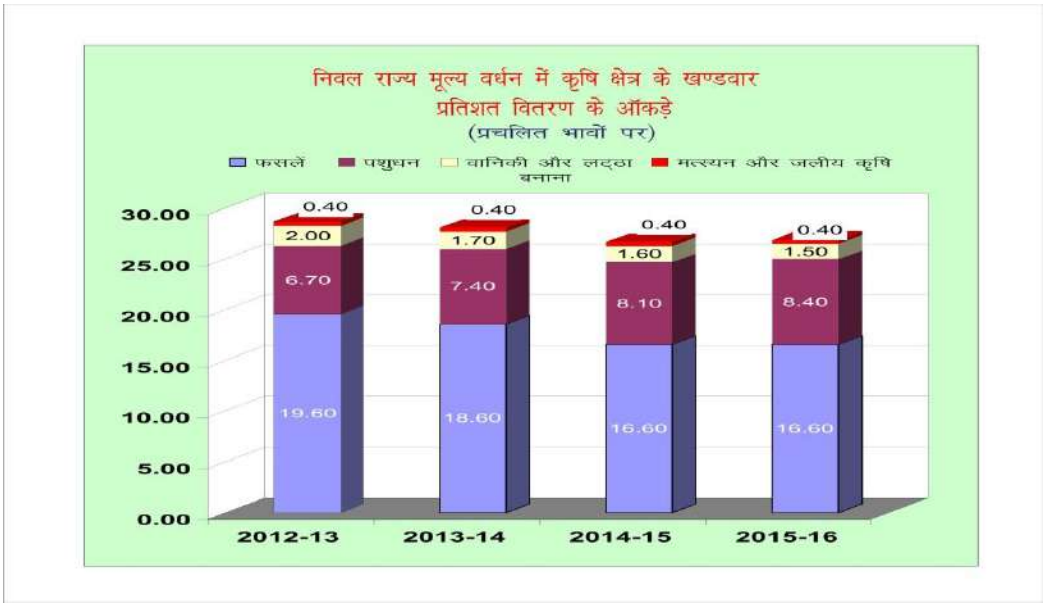

पशुधन

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 की पशु गणनानुसार कुल पशुओं की संख्या 687.16 लाख थी। इसमें गायों की संख्या 90.69 लाख तथा भैसों की संख्या 154.32 लाख थी, जो कुल पशुधन का क्रमशः 13.2 प्रतिशत व 22. 5 प्रतिशत है। कुल गायों एवं भैसों की संख्या में दूध देने वाली गायों एवं भैसों की संख्या क्रमशः 64.9 प्रतिशत तथा 68.3 प्रतिशत रही। 2007 एवं 2012 की पशु गणनानुसार उत्तर प्रदेश में पशुधन तालिका–5. 02 में दर्शाया गया है:–

तालिका–5.02
उत्तर प्रदेश में पशुधन संख्या

(हजार में)

मद	**2007**	**2012**	**वृद्धि दर (प्रतिशत में)**
1	**2**	**3**	**4**
1–**कुल गोजातीय**	**19097**	**19557**	2.41
(क)गाय *	**6558**	**9069**	38.29
(1) दूध दे रही	4546	5883	29.41
(2) दूध न दे रही	1404	2372	68.95
2–**कुल महिष जातीय**	**26440**	**30625**	15.83
(ख)भैंस*	**12869**	**15432**	19.92
(1) दूध दे रही	9186	10538	14.72
(2) दूध न दे रही	2575	3412	32.50
3– भेड़	1400	1354	(–)3.29
4– बकरी	14829	15586	5.10
5– सूकर	1987	1334	(–)32.86
6– अन्य पशुधन	212	260	22.64
कुल पशुधन	**63966**	**68716**	7.43
कुल कुक्कुट	**17880**	**18668**	4.41

**इसमें दुधारू, एक बार न ब्यायी तथा अन्य मादाएं सम्मिलित हैं।*

प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवायें

प्रदेश में पशु चिकित्सा एवं नस्ल सुधार हेतु 2200 पशुचिकित्सालय 2575 पशु सेवा केन्द्र, 268 द श्रेणी पशु औषधालय, 25 सचल पशु चिकित्सालय, 05 पालीक्लीनिक, 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला, 10 मण्डलीय प्रयोगशाला, 5043 कृत्रिम गर्भाधन केन्द्र, 03 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पाद केन्द्र एवं 01 पशु जैविक औषधि उत्पादन संस्थान मुख्य रूप से पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन केन्द्रों द्वारा विभिन्न वर्षों मे कराये गये कार्यों का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है–

तालिका–5.03
उ0प्र0 में पशुपालन सेवाओं की प्रगति

(लाख में)

कार्यक्रम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5	6
कृत्रिम गर्भाधान	55.00	62.77	71.34	77.87	83.95
टीकाकरण	608.09	717.40	712.05	965.83	1115.91
चिकित्सा	250.33	292.39	319.12	329.60	343.30
बधियाकरण	10.48	12.63	13.89	14.40	15.27

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में 77.87 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया जो वर्ष 2015–16 में 7.8 प्रतिशत बढ़कर 83.95 लाख हो गयी। वर्ष 2014–15 में 965.83 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया जो 15.5 प्रतिशत बढ़कर 1115.91 लाख हो गया। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 के 329.60 लाख के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में चिकित्सित पशुओं की संख्या 4.2 प्रतिशत बढ़कर 343.30 लाख हो गयी है।

पशुधन उत्पाद एवं उत्पादकता

प्रदेश में वर्ष 2012–13 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 308 ग्राम थी, जो वर्तमान में बढ़कर 312 ग्राम प्रतिदिन हो गयी है। उ0प्र0 माँस उत्पादन में देश का अग्रणी प्रदेश है जिसके द्वारा लगभग देश का 60 प्रतिशत माँस का निर्यात किया जाता है। विभिन्न वर्षों मे पशु उत्पादों की प्रगति तालिका 5.04 मे दी जा रही है। वर्ष 2015–16 में दूध, अण्डा एवं ऊन का उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 3295.0 लाख कुन्तल, 25159.80 लाख एवं 2572.0 हजार किग्रा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके सापेक्ष दूध, अण्डे एवं ऊन की पूर्ति क्रमशः 2638.7 लाख कुन्तल, 21928.5 लाख एवं 1264.0 हजार किग्रा प्राप्त हुआ है। उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें कार्यान्वित की जा रही है जिनका विवरण आगे दिया गया है।

तालिका–5.04
तुलनात्मक उत्पादकता स्थिति

उत्पाद	उत्पादकता स्थिति				
	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17 (31–12–16 तक)
दूध (लाख कुन्तल)	2334.6 (3.4)	2419.3 (3.6)	2519.7 (4.2)	2638.7 (4.7)	3624.5
अण्डा (लाख)	16503.60 (6.2)	18122.32 (9.8)	20774.50 (14.6)	21928.5 (5.6)	26865.80
ऊन (हजार किग्रा)	1456.0 (2.5)	1472.0 (1.1)	1494.0 (1.4)	1264.0 (-15)	2623.0
माँस (लाख किग्रा)	11368.55	12608.7 (10.9)	13971.84 (10.8)	14178.8 (1.5)	–

नोट– कोष्ठक में वृद्वि–दर दर्शाया गया हैं।

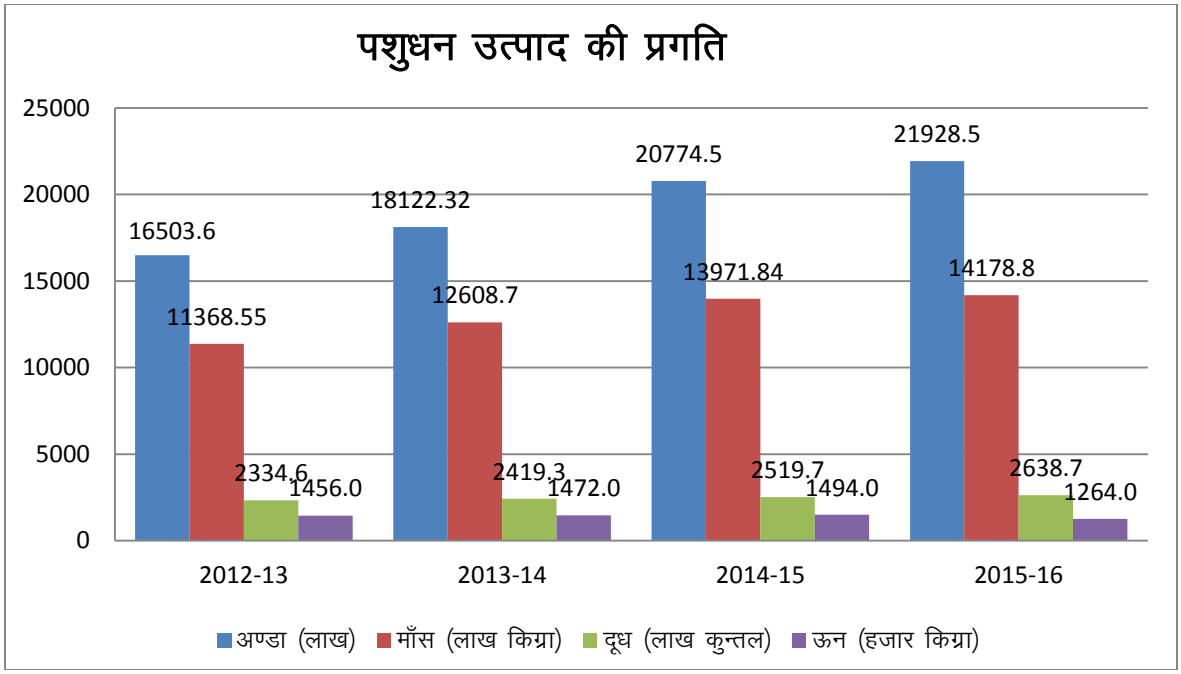

तालिका–5.05

पशुपालन हेतु राज्य सरकार द्वारा आयोजनागत योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था

(रू0 लाख में)

वर्ष	बजट	स्वीकृति	व्यय
2013–14	**17006.560**	**13957.063**	**13733.011**
2014–15	**21990.86**	**17728.42**	**16425.75**
2015–16	**28592.790**	**23892.705**	**22012.997**
2016–17	**63099.91**	**32149.64**	**19137.66**

पशुपालन सम्बन्धी प्रमुख योजनाएं

1. ब्याज मुक्त कामधेनु इकाई की स्थापना

प्रदेश के किसानो को अधिक दुग्ध उत्पन्न करने वाले पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त कामधेनु (100 दुधारू पशु गाय/भैस), मिनी कामधेनु (50 दुधारू पशु गाय/भैस) एवं माइक्रों कामधेनु (25 दुधारू पशु गाय/भैस) योजना संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2015–16 में सरकार द्वारा 300 कामधेनु, 1500 मिनी कामधेनु एवं 2500 माइक्रों कामधेनु इकाईयों को प्रदेश में स्थापित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में 15 अक्टूबर, 2016 तक 300 कामधेनु ईकाइयां, 1500 मिनी कामधेनु ईकाइयां एवं 2500 माइक्रों कामधेनु ईकाइयां क्रियाशील हैं जिनसे क्रमशः 135391 लीटर, 404728 लीटर एवं 180734 लीटर प्रतिदिन अतिरिक्त दुग्ध का उत्पादन हो रहा है।

2. पशुधन समस्या निवारण केन्द्र की स्थापना–

पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु इस केन्द्र की स्थापना लखनऊ में 28 अगस्त, 2012 को की गयी। किसानों से जो शिकायते प्राप्त हुई उन्हें 3 श्रेणियों ए,बी,सी, में वर्गीकत कर क्रमशः 24 घंटे, 72 घंटे, 1 सप्ताह में निस्तारित किया जाता है। पशुपालक पशुधन से सम्बन्धित नई तकनीकी सूचनाएं भी इस केन्द्र से जान सकता है। इसके लिए विभाग ने टोल फ्री नं0–1800–1805–141, फोन नं0–0522–2741991 एवं फैक्स नं0– 0522–2740832 की व्यवस्था की है। वर्ष 2015–16 में जनपद स्तर से 1411 शिकायतें प्राप्त हुयी और 768 शिकायतों अर्थात 54.43 प्रतिशत का निस्तारण किया गया। निदेशालय स्तर पर कुल 04 शिकायतें प्राप्त हुयी जिनमें से 03 शिकायतों अर्थात 75 प्रतिशत का निस्तारण किया गया।

3. वृहद टीकाकरण योजना

विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में सभी पशुओं का शत–प्रतिशत टीकाकरण पशु स्वामी के द्वार पर मूर्त रूप में देने की योजना है। प्रदेश में उपलब्ध पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाव हेतु शत–प्रतिशत टीकाकरण का कार्य 3126 उपलब्ध पशुधन प्रसार अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है ।

4. सचल पशु चिकित्सा क्लीनिक का संचालन

प्रदेश के सीमित आर्थिक संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में 15000 बड़े पशुओं के आधार पर एक पशुचिकित्सालय स्थापित किये जा रहे हैं। इनसे अधिकांशतः सेवायें स्टैटिक ही पशुपालकों को उपलब्ध करायी जा रही हैं। चिकित्सालयों पर पदस्थ पशुचिकित्सा अधिकारियों को मोबिलिटी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान एवं अशक्त अवस्था के पशुधन की किसी बीमारी में त्वरित आकस्मिक सेवाएं उपलब्ध कराने में प्रायः कठिनाई होती है, जिसके कारण पशुधन सम्पदा को सुरक्षित, सम्वर्धित करने में व्यवधान होता है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुये सरकार द्वारा 774 विकासखण्डों (बुन्देलखण्ड को छोड़कर) में प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड स्तर के पशुचिकित्सालय पर बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें (राज्य योजना) अन्तर्गत आवश्यक निवेशों यथा तरल नत्रजन लघु पात्र (बीए–3) पशुचिकित्सा उपकरण किट्/इन्स्ट्रूमेण्ट छोटा किट्, वैक्सीन कैरियर, मेडिसिन किट्, कोल्डचेन की व्यवस्था एवं अन्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री से युक्त एक एक मोबाइल वैन/वाहन के प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें (राज्य योजना) अन्तर्गत शासन द्वारा राजस्व मद में रू0 70000.00 हजार (रू0 सात करोड़ मात्र) एवं पूँजीगत मद में रू0 330000.00 हजार (रू0 तैंतीस करोड़ मात्र) की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें (राज्य योजना) अन्तर्गत पशुपालकों को निम्नवत् सुविधायें उपलब्ध कराया जाना लक्षित हैः–

- पशुधन विकास हेतु क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप विकास खण्ड स्तर से बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों के द्वार पर चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, टीकारण, बाँझपन निवारण आदि सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- साथ ही ऐसे पशुओं को भी पशुचिकित्सा सुलभ कराना जिन्हें पशुचिकित्सालय तक लाने में कठिनाई हो।
- किसी संक्रामक/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम।
- पशुओं में शत–प्रतिशत टीकाकरण, मेडिकोलीगल केसेज, कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष फालोअप, सीरम सैम्पुल एकत्र करने की कार्यवाही निष्पादित करना।

5. पेस्टडिस् पेट्टिस रूमिनेन्ट्स कण्ट्रोल प्रोग्राम–

भूमिहीन कृषक/पशुपालकों द्वारा जीवकोपार्जन/लघु व्यवसाय हेतु बकरियों एवं भेड़ों का पालन किया जाता है। 19वीं पशुगणना के अनुसार प्रदेश में अन्य पशुधन के साथ साथ 13.54 लाख भेड़ एवं 155. 86 लाख बकरियां विद्यमान है। इन पशुओं में प्रायः विषाणु जनित पी0पी0आर0 बीमारी की महामारी के रूप में होने की प्रबल सम्भावना होती है जिसके कारण 90–95 प्रतिशत पशु प्रभावित होते हैं जिनके सापेक्ष 75 प्रतिशत पशुओं की मृत्यु होने की प्रबल सम्भावना होती है। ऐसी परिस्थिति में वर्णित बीमारी के प्रकोप से पशुपालकों को आर्थिक रूप से नुकसान होता है। इन पशुओं में विषाणु जनित पी0पी0आर0 बीमारी की रोकथाम हेतु पी0पी0आर0सी0पी0 कार्यक्रम चलाया जाना अपरिहार्य है।

प्रदेश के लक्षित पशुओं (भेड एवं बकरियों) में उक्त रोग के कारण पशुओं में होने वाली उच्च मृत्युदर का संज्ञान लेते हुए उन्हें रोग मुक्त रखने के उद्देश्य से भारत सरकार के वित्त पोषण से वर्ष 2016–17 में उक्त योजना 60 प्रतिशत के0पो0 के रूप में चलाई जायेगी ।

6. उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 का क्रियान्वयन

उ0 प्र0 में अण्डा उत्पादन खपत की तुलना में बहुत कम है। प्रति वर्ष 108 करोड़ अण्डा उत्पादन के सापेक्ष खपत 473 करोड़ अण्डे की है लगभग 365 करोड़ अण्ड़े प्रति वर्ष अन्य प्रदेशों से आयात होते है। इसी प्रकार 1082 लाख ब्रायलर चूजे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पाले जा रहे हैं जिसमें 972 लाख ब्रायलर चूजों का अन्य प्रदेशों से आयात होने के कारण प्रदेश से अन्य प्रदेशों को भारी मुद्रा प्रवाह होता है।

प्रदेश को अण्डा उत्पादन एवं ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कामर्शियल।लेयर पालन तथा ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना हेतु उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 लागू की गयी है, जिसमें उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करने तथा इनवेस्टर फ्रेन्डली वातावरण सृजित करने हेतु नीतिगत व्यवस्था की गयी है।

उक्त दोनो योजनाओं से प्रदेश में कुक्कुट विकास कार्यक्रम सुदृढ़ होगा तथा भारी संख्या में स्वरोजगार उपलब्ध हो सकेगा। उक्त के अतिरिक्त योजना से भारी मात्रा में प्रदेश के बाहर निजी क्षेत्र में जा रहा राजस्व का प्रवाह भी रूकेगा।

प्रदेश में आवश्यक माँग की पूर्ति हेतु वर्ष 2013–14, 2014–15 और 2015–16 के लिये 245 कामर्शियल लेयर ईकाइयां व 30 ब्रायलर पैरेन्ट फार्म ईकाइयों का लक्ष्य के सापेक्ष 117 कामर्शियल लेयर ईकाइयां वर्तमान में क्रियाशील है जिनसे 1500 व्यक्तियों के लिये रोजगार सृजन हुआ। वर्ष 2016–17 में 40.05 लाख अण्डों का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। प्रदेश में स्वीकृत कुक्कुट ईकाइयों व बैंक ऋण के आधार पर कामर्शियल लेयर ईकाइयों एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म ईकाइयों पर कुल रू0 372.53 करोड़ का निवेश हुआ।

मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता

उत्तर प्रदेश का कुल अर्न्तस्थलीय मत्स्य उत्पादन 4.94 मिलियन मिट्रिक टन रहा है, जो आन्ध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के बाद भारत में तीसरा स्थान है। मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार पड़ी कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि/तालाब/पोखरों/जलाशयों का उपयोग करके अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है, तथा ग्रामीण अंचल में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का साधन जुटाने तथा सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने का एक अच्छा अवसर सुलभ कराया जा सकता है।

प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में समस्त स्रोतों से आंकलित मत्स्य उत्पादन 4.50 लाख मी0 टन के स्तर तक पहुँच चुका है। इस स्तर को 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल के तृतीय वर्ष 2015–16 में 5.05 लाख मी0 टन तथा वर्ष 2016–17 मे 6.50 लाख मी0 टन के स्तर तक पहुॅचाया जाना निर्धारित है। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की त्रैमासिक गणना की जाती है। वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक अनुमानित मत्स्य उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता की सूचना निम्नवत है–

तालिका–5.06

अनुमानित मत्स्य उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता

वर्ष	अनुमानित मत्स्य उत्पादन (लाख मी0टन0)	औसत मत्स्य उत्पादकता (किग्रा0/हे0/वर्ष)
	उपलब्धि	उपलब्धि
2011–12	4.30	3335
2012–13	4.50	3402
2013–14	4.64	3600
2014–15	4.94	4140
2015–16	5.04	4140

विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान फार द डेवलेपमेन्ट आफ फिशरीज सेक्टर 2013

प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु शासन द्वारा विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान फार द डेवलेपमेन्ट आफ फिशरीज सेक्टर 2013 का अवधारण करते हुए दस वर्षीय कार्यक्रमों को लागू कराने का संकल्प लिया है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करते हुए उसके प्राविधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

प्रदेश में उपलब्ध वृहद एवं मध्यमाकार जलाशयों, प्राकृतिक झीलों तथा ग्रामीण अंचलों के तालाबों का कुल 5.22 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है। इन जल संसाधनों की उपलब्धता तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाये गये जल क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है–

तालिका–5.07
प्रदेश में जल संसाधनों की उपलब्धता

बंधा हुआ जल संसाधन	कुल उपलब्ध जलक्षेत्र(लाख हेक्टेयर)	मत्स्य पालन के अन्तर्गत उपयोग में लाया गया जलक्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत
वृहद एवं मध्यमाकार जलाशय	2.28	2.26	99.12
प्राकृतिक झीलें	1.33	0.20	15.03
ग्रामीण अंचल के तालाब	1.61	0.742	46.09
योग	**5.22**	**3.202**	**61.34**

संचालित मत्स्य विकास कार्यक्रम

1.तालाबों का पट्टा

उत्तर प्रदेश में उपलब्ध जलसंसाधनों में मुख्यतः ग्रामसभा के अन्तर्गत आने वाले तालाब एवं झीलें हैं। ग्रामसभा में निहित तालाबों का पट्टा मछुआ समुदाय एवं अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को ही दिया जाता है, जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इसके अतिरिक्त मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु आवास/बीमा/ऋण आदि की सुविधायें भी सुलभ करायी जाती हैं।

2.मत्स्य बीज उत्पादन, अंगुलिकाओं के संचय तथा अंगुलिका वितरण

तालाबों में उत्तम मत्स्य प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का संचय मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है। मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य विभाग के 48 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की 218 हैचरियों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में एक मिनी हैचरी की स्थापना हेतु रू0 12.00 लाख इकाई लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान अर्थात रू0 6,00,000/– अनुदान व बैंक ऋण की सुविधा अनुमन्य है तथा हैचरी निर्माण की तकनीक उपलब्ध करायी जाती है। मछली के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से उत्तम प्रजाति का मत्स्य बीज मत्स्य पालकों को उनकी माँग

पर निर्धारित मूल्य पर वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागीय जलाशयों में मत्स्य बीज का संचय भी किया जाता है।

विगत तीन वर्षो में मत्स्य बीज उत्पादन, अंगुलिकाओं के संचय तथा अंगुलिका वितरण से सम्बन्धित उपलब्धियों का विवरण निम्नांकित है :–

तालिका–5.08

वर्ष	अंगुलिका/मत्स्यबीज वितरण संख्या (लाख में)	अंगुलिका/मत्स्य बीज संचय संख्या (लाख में)	मत्स्य बीज उत्पादन संख्या (लाख में)
2011–12	14136.42	627.57	14763.99
2012–13	15322.02	629.10	15951.12
2013–14	15652.87	724.76	16377.63
2014–15	15964.75	650.66	16615.41
2015–16	17653.23	600.83	18299.26

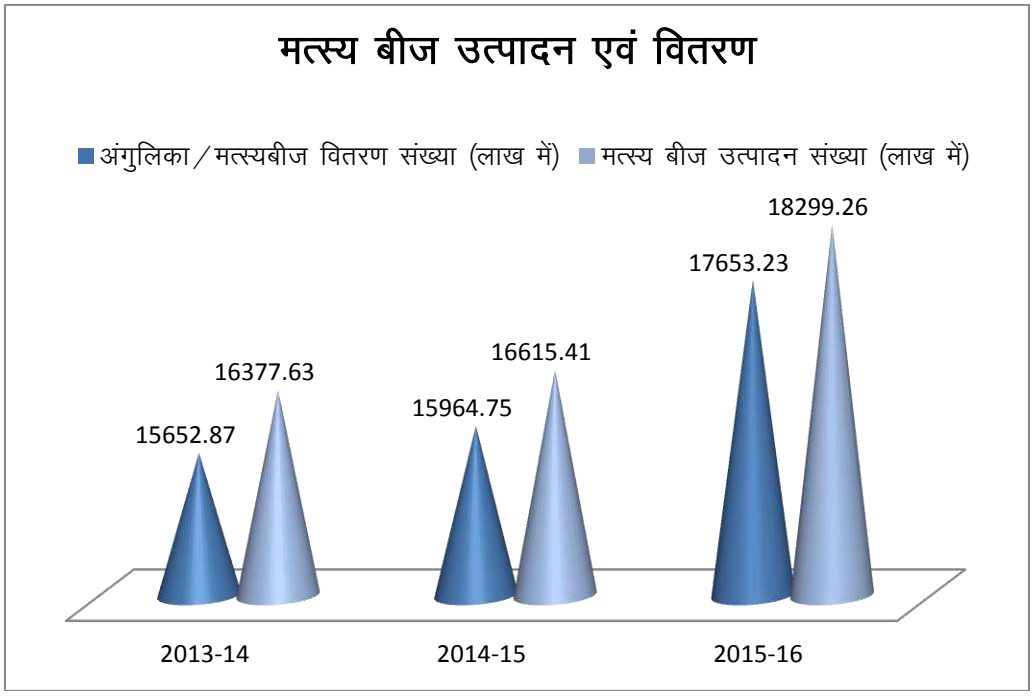

3.मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ कार्यक्रम

पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर मछुआ समुदाय के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन व पंजीकरण, मछुआ दुर्घटना बीमा एवं आवास विहीन मछुआरों के लिए मछुआ आवास योजना क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में 1032 प्राथमिक समितियां, 21 जनपद स्तरीय संघ एवं एक प्रदेशीय संघ संचालित है।

क– मछुआ दुर्घटना बीमा योजना

दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों तथा सक्रिय मत्स्य पालको की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता होने की दशा में रू0 2,00,000 व स्थाई आंशिक अपंग होने

की दशा में रू0 1,00,000 की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। बीमा धनराशि का प्रीमियम रू0 20.34 (रू0 10.17 भारत सरकार व रू0 10.17 राज्य सरकार) प्रति सदस्य की दर से राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, नई दिल्ली के माध्यम से बीमा कम्पनी को भुगतान किया जाता है। लाभार्थी को कोई भी धनराशि स्वयं वहन नहीं करनी पड़ती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 1,93,000 व्यक्तियों को आच्छादित किया गया है । योजना के प्रारम्भ से अब तक **122 मृत सदस्यों के आश्रितों को रू0 68.67 लाख एवं 5 अपंग सदस्यों को रू0 0.675 लाख का भुगतान सुनिश्चित कराया गया है ।**

ख– मछुआ आवासो का निर्माण

मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत आवास विहीन मछुआरों को लोहिया आवास की दर पर प्रति आवास रूपये 3.05 लाख की सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी जिसमें से रू0 0.60 लाख केन्द्रांश का वहन केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष रू0 2.45 लाख राज्यांश का वहन प्रत्येक आवास हेतु राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। एक ग्राम में कम से कम 20 मछुआ आवास निर्मित कराये जायेंगे। अब तक कुल 23585 मछुआ आवास निर्मित कराये जा चुके हैं।

4. नई केन्द्र पुरोनिधानित ''ब्लू रिवोलुशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज'' योजना

भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में केन्द्र पोषित एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं भिन्न–भिन्न वित्त पोषण पर वर्ष 2015–2016 तक संचालित थी। केन्द्र सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने हेतु पूर्व संचालित समस्त केन्द्र पोषित एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं को एक अम्ब्रैला के अंतर्गत लाते हुए नई केन्द्र पुरोनिधानित ''ब्लू रिवोलुशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज'' योजना को प्रदेश में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं मई 2016 में प्रशासनिक अनुमोदन एवं दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना लागत (इकाई लागत व अधिकतम सीमा के आधार पर) में कुल का 50 प्रतिशत पोषण केन्द्रीय सहायता अंश तथा शेष 50 प्रतिशत राज्यांश सहायता/लाभार्थी अंश के रूप में वहन किया जाएगा।

5. जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण की योजना

इस योजना के अन्तर्गत कृषि हेतु अनुपयुक्त जल प्लावित भूमि को तालाब के रूप में विकसित कर मत्स्य पालन के अन्तर्गत आच्छादित किया जाता है। योजना की इकाई लागत रू0 1.25 लाख प्रति हे0 निर्धारित है, जिसमें सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 80 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/लाभार्थियों को 90 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 2015–16 में 200 हैक्टेयर जल प्लावित भूमि को मत्स्य पालन योग्य बनाया गया है।

दुग्ध विकास

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन एवं उसके विक्रय को संगठित करने के उद्देश्य से प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन(पी.सी.डी.एफ.) का गठन किया गया है। पी.सी.डी.एफ. द्वारा उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नाकिंत योजनाएं संचालित की जा रही हैं–

1.पी.सी.डी.एफ. की सुदृढ़ीकरण योजना

प्रदेश के 10 जनपदों में नवीन पूर्णतया आटोमेटिक ग्रीन फील्ड डेरी प्लाण्ट की स्थापना एवं 04 डेरी प्लाण्ट्स का उच्ची करण एवं आधुनिकीकरण किया जाना–

प्रदेश के 10 जनपदों यथा लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद एवं मुरादाबाद में नवीन पूर्णतयाः आटोमेटिक ग्रीन फील्ड डेरी प्लाण्ट की स्थापना तथा 04 डेरी प्लाण्टों यथा इलाहाबाद, अलीगढ़, झांसी एवं नोएडा के उच्चीकरण हेतु राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सब्सिडियरी कम्पनी आई0डी0एम0सी0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। उक्त कार्य राज्य बजट, अवस्थापना विकास

विभाग की ''अवस्थापना विकास निधि'' एवं नाबार्ड की ''ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि'' (आर0आई0डी0 एफ0) की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है। परियोजनावार विवरण निम्नवत् हैः–

- इस योजना के अन्तर्गत जनपद कानपुर में राज्य बजट से रू0 153.09 करोड़ की लागत से **नवीन डेरी एवं पाउडर प्लाण्ट** की स्थापना की जा रही है। परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 41.00 करोड़ तथा वर्ष 2016–17 में रू0 40.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। कार्यदायी संस्था आई0डी0एम0सी0 द्वारा टर्नकी के आधार पर निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
- जनपद कन्नौज में अवस्थाना विकास विभाग की ''अवस्थापना विकास निधि'' की वित्तीय सहायता से रू0 140.89 करोड़ की लागत से **काऊ मिल्क प्लाण्ट** की स्थापना की जा रही है।
- प्रदेश के 10 जनपदों में से 08 जनपदों लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद, मुरादाबाद में नवीन पूर्णतया **आटोमेटिक ग्रीन फील्ड डेरी प्लाण्ट** की स्थापना क्रमशः रू0 138.85 करोड, रू0 149.02 करोड., रू0 154.29 करोड़, रू0 108.06 करोड़, रू0 76.04 करोड़, रू0 80.00 करोड़, रू0 54.34 करोड़,रू0 78.89 करोड़ की लागत से की जा रही है।

2.डेरी प्लान्टों का उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण

प्रदेश की 04 डेरी प्लान्टों यथा इलाहाबाद, अलीगढ़, नोएडा एवं झांसी का उच्चीकरण तथा आधुनिकीकरण का कार्य नाबार्ड की ''ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि'' (आर0आई0डी0एफ0) की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है। 08 डेरी प्लान्टों में से 05 जनपदों यथा लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली एवं गोरखपुर की परियोजनाओं में आंशिक वित्त पोषण औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास विभाग की ''अवस्थापना विकास निधि'' (आर0आई0डी0एफ0) से किया जा रहा है।

3. गुणवत्ता लैब सुद्ढ़ीकरण परियोजना

गुणवत्ता लैब सुद्ढ़ीकरण से सम्बन्धित परियोजना (लागत रू0 29.44 करोड़) के क्रियान्वयन हेतु एनडीडीबी (राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद) आनन्द, गुजरात को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

4. ट्रांजिट हानि नियंत्रण एवं आनलाइन मानीटरिंग सिस्टम सहित दुग्ध जांच नेटवर्क परियोजना

ट्रांजिट हानि नियंत्रण एवं आनलाइन मानीटरिंग सिस्टम सहित दुग्ध जांच नेटवर्क (लागत रू0 164. 57 करोड़) तथा बी0एम0सी0 कूल चेन नेटवर्क परियोजना (लागत रू0 184.10 करोड़) का क्रियान्वयन पी0सी0डी0एफ0 के माध्यम से किया जा रहा है।

जनपद लखनऊ के विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ (वेब सिनेमा हाल के बगल में) स्थित पराग केन्द्र का निर्माण राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है।

तालिका–5.09

प्रदेश में दुग्ध विकास की स्थिति

भौतिक लक्ष्य एवं पूर्ति									
		2013–14		2014–15		2015–2016		2016–17	
क्र0सं0	विवरण	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	दुग्ध संघो की संख्या	59	58	59	58	59	59	18	18
2	जनपद	73	75	73	75	73	75	75	75
3	कार्यरत समितियों की संख्या	16173	12700	16703	10818	16703	7288	10211	6619
4	सदस्यता (000)	661.19	566.00	702.05	479.00	702.05	309.2	434.31	278.88
5	औसत दुग्ध उपार्जन(000कि0ग्रा0)	850.01	481.00	850.00	529.00	850.00	401.90	445.00	245.00
6	औसत तरल दुग्ध विक्रय (000ली0)	1000.00	318.00	1300.00	263.00	1550.00	216.82	414.59	199.29

विभिन्न प्रदेशों के दुग्ध उपार्जन एवं विपणन की स्थिति निम्नवत है–

तालिका–5.10

प्रदेशवार दुग्ध उपार्जन एवं विपणन

प्रदेशवार दुग्ध उपार्जन (000कि0ग्रा0/दिन), विपणन (000ली0/दिन)				
विवरण	**उपार्जन जून, 2015**	**उपार्जन जून, 2016**	**विपणन जून, 2015**	**विपणन जून, 2016**
दिल्ली			5919	5987
हरियाणा	255	284	368	329
हिमाचल प्रदेश	66	38	24	20
पंजाब	1004	1224	932	942
राजस्थान	1941	2179	2071	2036
उत्तर प्रदेश	286	255	715	761
आसाम	24	31	42	48
बिहार	1677	1572	842	905
झारखण्ड	55	75	316	331
उड़ीसा	544	574	385	349
सिक्किम	24	37	29	35
पश्चिम बंगाल	229	204	1124	1171
आन्ध्र प्रदेश	1302	1495	1288	1358
कर्नाटक	7073	7027	3331	3249
केरल	1158	1165	1231	1279
तेलंगाना	423	521	620	656
तमिलनाडु	3188	3165	2082	2024
छत्तीसगढ़	76	84	131	137
गोवा	56	57	79	83
गुजरात	14653	15870	4606	4796
मध्य प्रदेश	759	696	793	812
महाराष्ट्र	3374	3196	4336	4629

उत्तर प्रदेश के उपार्जन में (ओ0एफ0यूनिट सम्मिलित है) तरल दुग्ध विपणन में (पी0सी0डी0एफ0 की इकाईयां एवं जी0सी0एम0एफ0 लि0 सम्मिलित है)

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में प्रदेश में डेरी के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैः–

तालिका–5.11

क्र0सं0	**संचालित परियोजना**	**बजट प्राविधान 2016–17 (लाख रू0 में)**
1	गोकुल पुरस्कार	27.25
2	आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन युनिट	330.00
3	इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी एण्ड कम्प्यूटराइजेशन	50.00
4	गोमती नगर लखनऊ स्थित पराग केन्द्र	1000.00
5	दुग्ध संघों/समितियों का सुदृढीकरण	6828.52
6	समितियों को तकनीकी निवेश कार्यक्रम	720.00
7	कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम	200.00
8	राज्यांश आर0के0वी0वाई स्कीम्स	200.00

प्रदेश के सम्मुख पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास सम्बंधी चुनौतियां

1. 240 लाख प्रजनन योग्य पशुधन संख्या है, जिसमें से केवल 70 से 80 लाख प्रजनन योग्य पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कार्य किया जाता है। अतः इस क्रिटीकल गैप को दूर करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन बढ़ाया जाना आवश्यक है।
2. प्रदेश में 38 प्रतिशत हरा चारा, 47 प्रतिशत पशु आहार तथा 0.66 प्रतिशत शुष्क चारा की कमी है जिसे बढ़ाया जाना चुनौती पूर्ण कार्य है।
3. प्रदेश में कुक्कुट उत्पाद अपर्याप्त मात्रा में होता है। 84 लाख (रू0 612 करोड़ प्रति वर्ष) अण्डे प्रति दिन एवं 972 लाख (210 करोड़ प्रति वर्ष) कुक्कुट माँस दूसरे प्रदेशों से आयात होता है।
4. प्रदेश में प्रशिक्षण एवं विभागीय कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार हेतु पर्याप्त व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।
5. अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है। अतः 3 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र की स्थापना किया जाना आवश्यक है।
6. उ0प्र0 पशुजैविक संस्थान का सुदृढ़ीकरण तथा प्रदेश में वैक्सीन की माँग को पूर्ण करने के लिये आधुनिक तकनीक की व्यवस्था करना आवश्यक है।
7. कार्यशील पूँजी के अभाव में सहकारी क्षेत्र की डेरियों द्वारा समय से उत्पादकों को दुग्ध मूल्य भुगतान न करने के कारण दुग्ध उत्पादक निजी क्षेत्र की डेरियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
8. दुग्ध की माप–तौल एवं गुणवत्ता परीक्षण हेतु समिति स्तर पर ए०एम०सी०यू०/डी० पी०एम० सी०यू० की आवश्यकता है।
9. स्थापित दुग्धशालाओं/अवशीतन केन्द्रों की क्षमता का कम उपयोग हो पा रहा है।
10. आपरेशन लागत में वृद्धि व्यवसाय में संकुचन का एक प्रमुख कारण है।
11. अधिक सेल्फ लाईफ के दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण सुविधा का अभाव है।
12. लीन (ग्रीष्म) सीजन में ताजा दूध की अनुपलब्धता।

प्राथमिकतायें एवं सुधारात्मक कदम

1. पशु प्रजनन के क्षेत्र में एन0जी0ओ0/विभाग के माध्यम से अधिक से अधिक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये जायें।
2. प्राईवेट पशु प्रजनन कार्यकर्ता द्वारा अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों को स्थापित किये जायें एवं पशुधन प्रजनन प्रक्षेत्र पर गुणवत्ता युक्त पशुधन प्रजाति का उत्पादन सुनिश्चित किया जायें।
3. कृत्रिम गर्भाधान के आच्छादन को बढ़ाने तथा पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु विकास खण्ड स्तर पर मोबाईल वेटनरी क्लीनिक की स्थापना की जाये।
4. गुणवत्ता युक्त ब्रीड/बीज भण्डार केन्द्रों को विकसित किये जाये।
5. वर्तमान में स्थापित चिकित्सालयों का सुदृढीकरण एवं अधिक से अधिक पशुचिकित्सालयों की स्थापना की जाये।
6. मण्डल स्तर पर नये पालीक्लीनिक की स्थापना की जाये।
7. जनपद स्तर पर पशु रोग निदान प्रयोगशाला की व्यवस्था व स्थापना की जाये।
8. प्रत्येक पशुचिकित्सालयों पर विभागीय कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार हेतु प्रशिक्षित पशुपालन कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाये।
9. पशु एवं कुक्कुट बाजार असंगठित रूप से व्यवस्थित है, उनमें सुविधाओ की कमी को दूर किया जाये।
10. कुक्कुट उत्पादों का विपणन बिचौलियों के माध्यम से होने के कारण कुक्कुट पालकों को लाभ कम मिलता है। अतः बिचौलियो को दूर करने हेतु विपणन व्यवस्था को सुदृढ किया जाये।

11. ऊन विपणन की व्यवस्था मे भी सुधार अपेक्षित है।

12. 70 प्रतिशत दूध की बिक्री बिचौलियो के माध्यम से होती है जो दूध की गुणवत्ता को संरक्षित नही रख पाते है। अतः बिचौलियो को दूर करने हेतु विपणन व्यवस्था को ठीक किया जाये।

समस्त दुग्ध संघों की री–स्ट्रक्चरिंग करते हुए 59 दुग्ध संघों की क्लस्टर बनाते हुए मुख्य 18 एंकर यूनिट बनाये गये हैं, जिसके फलस्वरूप प्रशासिनक व्ययों में कमी होने की सम्भावना है।

****

अध्याय–6
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

बागवानी का क्षेत्र आर्थिक एवं पोषणीय दृष्टि से कृषि के विविधीकरण का एक सक्षम विकल्प हो सकता है। प्रदेश की विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में उपयुक्त एवं अनुकूल फसल चक्र अपनाकर छोटी जोत के किसानों द्वारा अधिक आय, रोजगार एवं पोषण सुरक्षा प्राप्त की जा सकती हैं। औद्यानिक फसलों में फल, शाकभाजी, आलू, मसाले, पुष्प, औषधीय एवं सुगन्ध फसलें, मशरूम, पान एवं शहद उत्पादन में वृद्धि की अपार सम्भावनायें विद्यमान है। इस कारण ही प्रदेश सरकार द्वारा भी बागवानी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। बागवानी फसलों के उत्पादन से लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि एवं तुड़ाई उपरान्त होने वाले क्रियाकलापों यथा–विपणन, प्रसंस्करण, भण्डारण आदि से अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।

बागवानी फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति

मुख्य बागवानी फसलों यथा फल, शाकभाजी, पुष्प, मसाला एवं आलू का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता की वर्तमान स्थिति निम्नवत् हैः–

तालिका – 6.01

फसल	क्षेत्रफल (लाख है0)	उत्पादन (लाख मी0टन)	उत्पादकता (मी0टन/है0)	राष्ट्रीय उत्पादकता
फल	12.10	160.14	13.23	12.43
शाकभाजी	30.60	587.83	19.21	16.45
मसाला	0.87	2.90	3.325	1.87
पुष्प	0.20	0.50	2.52	6.01
आलू	6.13	141.13	23.02	21.19

बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समेकित विकास की प्रमुख योजनाएं

प्रदेश सरकार द्वारा **उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति– 2012** एवं **उ0प्र0 आलू विकास नीति– 2014** लागू की गई है ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके और उपभोक्ता को गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री सुलभ हो सके।

प्रदेश में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समेकित विकास हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, औषधीय पौध मिशन, सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु औद्यानिक विकास, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन, लोहिया पर्यावर्णीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

प्रमुख योजनाएं – एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, उ0प्र0 आलू विकास नीति एवं उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति पर संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (राज्य औद्यानिक मिशन)

बागवानी विकास के दृष्टि से राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके सफल कार्यान्वयन से व्यवसायिक दृष्टि से औद्यानिक विकास को नयी दिशा प्राप्त हुयी है। इस योजनान्तर्गत पेरीनियल एवं नॉन पेरीनियल फलों के नवीन उद्यान रोपण, शाकभाजी बीज उत्पादन, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, आई0पी0एम0 प्रोत्साहन, कृषकों को नवीन तकनीकों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास एवं रोजगार सृजन सम्बन्धी कार्यक्रम यथा– मॉडल एवं लघु पौधशालाओं की स्थापना, सीड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, संरक्षित खेती के अन्तर्गत ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस की स्थापना, एच0डी0पी0ई0 वर्मी बेड, बागवानी में मशीनीकरण, समेकित मशरूम इकाई की स्थापना तथा पोस्ट हार्वेस्ट के अन्तर्गत पैक हाउस का निर्माण, प्री–कूलिंग यूनिट, मोबाइल प्री–कूलिंग यूनिट/रिफर वैन, कोल्ड स्टोरेज एवं राइपेनिंग चैम्बर की स्थापना, प्रसंस्करण इकाईयों एवं प्याज भण्डार गृह की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्मिलित है।

केन्द्र पुरोनिधानित इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 में केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत है।

यह योजना प्रदेश के 45 जनपदों में संचालित की जा रही है। वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि रू0 51.39 करोड़ थी, जिसके सापेक्ष रू0 48.36 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत अर्जित प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नवत् है :–

1. ट्रिश्यूकल्चर केला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1464 हे0 आच्छादन एवं 1141 हे0 नवीन उद्यान रोपण (आम, अमरूद, लीची और आंवला) की गयी।
2. मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत 2250 हे0 तथा पुष्प क्षेत्र विस्तार के अधीन 1519 हे0 की पूर्ति की गयी।
3. प्रदेश में संरक्षित खेती के अन्तर्गत हाई वैल्यू पुष्प एवं सब्जियों का उत्पादन एक उभरता हुआ क्षेत्र है। 208776 वर्ग मी में संरक्षित खेती का कार्य पूर्ण किया गया ।
4. एकीकृत तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत राइपनिंग चैम्बर–132, (घन मी0) कोल्ड स्टोरेज–9, फंक्शनल पैक हाउस–25 लघु प्रसंस्करण इकाई–11, प्याज भण्डार गृह–14 का निर्माण कराया गया।

5. मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराकर 4560 कृषकों को औद्यानिकी की नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा 125 कृषकों को भ्रमण कराया गया।
6. बागवानी में मशीनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 165 कृषकों के मध्य ट्रैक्टर 20 बी.एच.पी. तक एवं 8 बी. एच.पी. से कम एवं उससे अधिक बी.एच.पी. के पावर टिलर सुलभ कराया गया।
7. मधुमक्खी पालन के माध्यम से पालीनेशन सपोर्ट 8700 (संख्या) तथा एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन(आई0पी0एम0) 3537 हे0 की पूर्ति की गई।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना में भारत सरकार से परिवर्तित फण्डिंग पैटर्न पर कुल धनराशि रू0 62.12 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदित की गई है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष के दायित्वों के सापेक्ष धनराशि रू0 9.51 करोड़ अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण

उत्तर प्रदेश को देश में कृषि, औद्यानिकी, दुग्ध, पशु इत्यादि के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त है। प्रदेश में उत्पादित अनेक फल–सब्जियाँ, खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादों का अधिकांश भाग बिना प्रसंस्करण किये ही प्रयोग किया जाता है। किसानों के हित एवं उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक प्रसंस्कृत उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएँ संचालित हैं।

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना डी–लिंक्ड कर दी गई परन्तु विगत वर्षो के स्वीकृत परियोजना प्रस्तावों के सापेक्ष लम्बित देनदारियों के भुगतान किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और इस निमित्त बजट में अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था कराते हुए कुल धनराशि रू0 23.59 करोड़ अनुदान का भुगतान किया गया।

उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की महत्ता के दृष्टिगत *प्रदेश में* खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति– 2012 लागू की गई है। योजनान्तर्गत प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने हेतु ब्याज उपादान बैंकेबुल प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु सहायता, बाजार विकास अनुदान योजना, अनुसंधान एवं गुणवत्ता विकास प्राविधान, खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित प्रोटोकॉल विकास एवं मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान एवं पेटेन्ट हेतु प्रस्तावित गतिविधियों के ब्याज पर 07 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख अनुदान की सुविधाएं उपलब्ध है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 54 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष रू0–25181 लाख का पूँजी निवेश हुआ है। पूर्व के स्वीकृत 16 संस्थाओं को अनुदान धनराशि रू0 112.60 लाख उनके खाते में हस्तगत करायी गयी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना हेतु अवमुक्त बजट रू0 203.05 लाख के सापेक्ष रू0 199.90 लाख का अनुदान संस्थाओं के खाते में बैंक के माध्यम से हस्तगत कराया गया।

उ0प्र0 आलू विकास नीति–2014

उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आलू उत्पादक राज्य है। प्रदेश की इस प्रमुख नकदी फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा कृषकों को गुणवत्तायुक्त आलू बीज उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 आलू विकास नीति–2014 संचालित की गयी, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2015–16 में 6.13 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में 141.13 लाख मिट्रिक टन आलू का उत्पादन प्राप्त हुआ तथा प्रदेश में स्थापित 1649 निजी शीतगृहों में 113.73 लाख मिट्रिक टन आलू का भण्डारण किया गया, जो सर्वाधिक है। इस योजना के अन्तर्गत 14.10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में निजी कृषकों के यहां आलू बीज का उत्पादन कराया गया तथा कृषकों के उत्पादित आलू को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुणे एवं मुम्बई (महाराष्ट्र) में एक दिवसीय आलू, प्रदर्शनी एवं बायर सेलर मीट का आयोजन कराया गया। आलू की खेती में डिप एवं स्प्रिंकलर विधि से आलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

चुनौतियाँ एवं रणनीति

फल सब्जियाँ अति संवेदनशील उत्पाद हैं, जिनके तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन, उचित एवं त्वरित विपणन हेतु सुविधाओं का विकास एवं मार्केट फेसिलिटी आवश्यक पहलू है। प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 राज्य उत्पादन मण्डी परिषद एवं कृषि विपणन विभाग के माध्यम से बागवानों की तकनीकी समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने तथा औद्यानिक फसलों के विपणन को संगठित कर बागवानों एवं कृषकों को उनका उचित मूल्य दिलवाने का प्रयास करना अति आवश्यक है। इसके लिए कृषकों तथा बागवानों को क्षेत्र स्तर पर नवीनतम् विकसित तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे औद्यानिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो तथा कृषकों को उनका उचित मूल्य मिल सके। औद्यानिक फसलों के विपणन हेतु प्राथमिक औद्यानिक विपणन सहकारी समितियों को भी क्रियाशील बनाना एक आवश्यक कदम है। प्रदेश सरकार द्वारा औद्यानिक विकास कार्यक्रम में कृषि विभाग के किसान पारदर्शी योजना के पोर्टल पर ऑन लाइन पंजीकरण एवं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) प्रक्रिया को अपनाकर सीधे लाभार्थी कृषक के खाते में अनुदान की धनराशि अंतरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

****

अध्याय–7
ग्राम्य विकास के कार्यक्रम

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का विचार था कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का मूलाधार ग्राम स्वराज है। ग्राम स्वराज ग्राम विकास तथा पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के बिना सम्भव नहीं। ग्राम स्वराज की दिशा में प्रदेश का ग्राम्य विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग सतत प्रयत्नशील है।

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा)

यह देश में लागू एक रोजगार गारन्टी योजना है जिसे अगस्त, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के नाम से विधान द्वारा अधिनियमित कर फरवरी, 2006 में लागू किया गया। अक्टूबर, 2009 में इसका पुनः नामकरण कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम किया गया।

- इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।
- यह एक माँग आधारित योजना है। परिवारों का पंजीकरण ग्राम पंचायत में किया जाता है। ग्राम पंचायतें/कार्यक्रम अधिकारी रोजगार आवंटित करने के लिए उत्तरदायी है।
- प्रदेश में प्रति मानव दिवस औसत मजदूरी 01–04–2016 से रू0 174/– निर्धारित है।
- भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी पर शत प्रतिशत वित्त पोषण किया जाता है तथा सामग्री पर 75 प्रतिशत अंश भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में 49.47 लाख परिवारों को 14.12 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया। योजनान्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि रू0 3408.31 करोड़ के सापेक्ष रु0 2744.05 करोड़ (81 प्रतिशत) धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2013–14 में 49.94 लाख परिवारों को 17.53 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया। योजनान्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि रू0 3967.23 करोड़ के सापेक्ष रु0 3546.56 करोड़ (89 प्रतिशत) धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 39. 15 लाख परिवारों को 13.12 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया। योजनान्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि रू0 3178.26 करोड़ के सापेक्ष रु0 3145.66 करोड़ (99 प्रतिशत) धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 54.35 लाख परिवारों को 18.22 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। योजनान्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि रू0 3123.48 करोड़ के सापेक्ष रु0 2976.13 करोड़ (95 प्रतिशत) धनराशि व्यय की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में (नवम्बर 2016 तक) 44.49 लाख परिवारों को 12.39 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। योजनान्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि रू0 3449.49 करोड़ के सापेक्ष रु0 3180.33 करोड़ (92 प्रतिशत) धनराशि व्यय की गयी है।

2. उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यू0पी0एस0आर0 एल0एम0)

उ0 प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन चरणबद्ध ढंग से इन्टेन्सिव एवं नॉन इन्टेन्सिव रणनीति के तहत किया जा रहा है। राज्य के समस्त 75 जिलों को चरणबद्ध तरीके से परियोजना के अन्तर्गत लिया जाना है। अगले 10 वर्षो में परियोजना से सभी गाँवों को आच्छादित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक 31 जिलों के 78 विकास खण्डों को इन्टेन्सिव विकास खण्डों के रुप में चयनित किया है। इन्टेन्सिव जिलों के अमले में सम्पूर्ण प्रशिक्षित प्रोफेशनल कर्मचारी होंगे एवं सर्वव्यापी और तीव्र सामाजिक, वित्तीय समावेश, आजीविका, साझेदारी इत्यादि की विभिन्न गतिविधियाँ की जाएंगी। इन विकास खण्डों में सी.आर.पी. (समुदाय सन्दर्भ व्यक्ति) रणनीति का पालन किया जाएगा। समुदाय सन्दर्भ व्यक्ति (सी.आर.पी) समुदाय से ही होता है एवं वह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से

गरीबी से उबरा हुआ व्यक्ति होता है। यह रणनीति इस आधार पर टिकी है कि समुदाय ही समुदाय से बेहतर सीखता है।

यू0पी0एस0आर0एल0एम0 के 78 इन्टेन्सिव विकास खण्डों के सापेक्ष 17 विकास खण्डों में ''जीविका'' बिहार के द्वारा सी0आर0पी0 रणनीति के तहत समूह गठन का कार्य किया जा रहा है। 10 विकास खण्डों में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। सी0आर0पी0 रणनीति के तहत 07 विकास खण्डों में समूह गठन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इस रणनीति के तहत 5 विकासखण्ड एन0आर0एल0एम0 इन्टेन्सिव योजना के अर्न्तगत लिए गए हैं।

साथ ही 46 विकास खण्डों मे एन0आर0एल0पी0–पार्टनरशिप रणनीति के तहत राजीव गाँधी महिला विकास परियोजना के अन्तर्गत समूह गठन एवं उनके संवर्धन का कार्य किया जा रहा है।

इसके संस्थागत ढांचे के अन्तर्गत राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई, जिला मिशन प्रबन्धन इकाई एवं ब्लाक मिशन प्रबन्धन इकाइयां संचालित हैं। कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु नए जनपदों एवं विकासखण्डों में दोनो स्तरों पर प्रोफेशनल्स एवं आवश्यकतानुसार सरकारी कर्मचारियों को पदस्थापना/तैनाती की व्यवस्था है। यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित है।

प्रगति

- वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजना के प्रारम्भिक वर्ष होने के कारण योजना का क्रियान्वयन आरम्भ करने से पूर्व आवश्यक तैयारियों यथा फील्ड स्तर पर स्टाफ की तैनाती, प्रशिक्षण आदि में लगा जो वर्ष 2013–14 तक जारी रहा। वित्तीय वर्ष 2013–14 में नई योजना एन.आर.एल.एम. के दिशा–निर्देशों के अनुरुप 35209 समूह गठन का कार्य पूर्ण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 31980 समूह गठन लक्ष्य के सापेक्ष 37396 (117 प्रतिशत) समूह गठित किये गए, 29870 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड दिया गया तथा 8474 स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 29083 समूह गठन लक्ष्य के सापेक्ष 45384 (156 प्रतिशत) समूह गठित किये गए, 23053 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष 31607 (137 प्रतिशत) समूहों को रिवाल्विंग फण्ड दिया गया तथा 8000 समूहों के लक्ष्य के सापेक्ष 10713 (134 प्रतिशत) स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17(अक्टूबर–16 तक) 52690 समूह गठन लक्ष्य के सापेक्ष 27415 (52 प्रतिशत) समूह गठित किये गए, 38000 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष 23392 (62 प्रतिशत) समूहों को रिवाल्विंग फण्ड दिया गया तथा 28618 समूहों के लक्ष्य के सापेक्ष 5667 (20 प्रतिशत) स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

3. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

वर्ष 2016–17 से इन्दिरा आवास योजना के स्थान पर प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है। प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मुख्य उद्देश्य बेघर और जीर्णशीर्ण एवं कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है। लाभार्थियो के अभिज्ञापन हेतु सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकडो का प्रयोग किया जाएगा।

योजनान्तर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत दिनांक 01–04–2016 से सामान्य क्षेत्रों के लिये रू0 1,20,000/– तथा नक्सल प्रभावित जनपदों के लिये रू0 1,30,000/– निर्धारित है। निर्मित आवास का क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है जिसमें रसोई का क्षेत्रफल भी सम्मिलित है। योजना के अन्तर्गत फंडिग पैटर्न में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है।

प्रगति (पूर्व संचालित इन्दिरा आवास योजना)

- वित्तीय वर्ष 2012–13 में रु0 986.68 करोड़ की धनराशि व्यय कर 2.83 लाख आवासों का निर्माण कराया गया।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 में रु0 1697.84 करोड़ की धनराशि व्यय कर 2.86 लाख आवासों का निर्माण कराया गया।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 में रु0 2441.95 करोड़ की धनराशि व्यय कर 3.83 लाख आवास स्वीकृत किये गये।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 2504.03 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी। योजनन्तर्गत 3.58 लाख आवासों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं।
- वर्ष 2016–17 के लिये रू0 3661.72 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गयी है जिससे 4,30,065 आवासों का निर्माण कराया जाना है।

4. लोहिया ग्रामीण आवास योजना

20 फरवरी, 2013 से प्रारम्भ यह योजना राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों मे आवास विहीन परिवारों को आवास जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाना है जिनकी सालाना आमदनी रू0 36,000/– तक है। परिवारों को आवास आवंटित किये जाने की वर्तमान में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी हैः–

- सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के सर्वेक्षण के आधार पर आवास हेतु पात्र लाभार्थियों की चिन्हित सूची के परिवार योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने हैं। इस हेतु 02 सितम्बर, 2016 को विस्तृत मार्ग निर्देश जारी किये गए हैं।
- संशोधित इकाई लागत के अनुसार लाभार्थी को अनुदान के रूप में रू0 3.05 लाख दिया जायेगा जिसमें सोलर पैक के लिए रू0 30,000/– की धनराशि सम्मिलित है। आवास का आकार वर्तमान में 30 वर्गमी0 किया गया है जो पहले 21.11 वर्गमी0 फिर 28.30 वर्गमी0 था।
- प्रत्येक आवास के सोलर पावर पैक में **03** एल0ई0डी0 लाइट,एक डी0सी0 फैन एवं मोबाइल चार्ज हेतु एक प्वांइट उपलब्ध कराया जा रहा है। आवास के शौचालय का निर्माण अनिवार्य रूप से जिला स्तर पर पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के तहत कराया जा रहा है।

प्रगति

वित्तीय वर्ष 2012–13 में रु0 782.80 करोड़ की धनराशि से 42576 आवासों का, वर्ष 2013–14 में रु0 604.90 करोड़ की धनराशि से 40,980 आवासों का एवं वर्ष 2014–15 में रु0 2233.91 करोड़ की धनराशि से 99016 आवासों का निर्माण कराया गया। वर्ष 2016–17 के लिये रू0 2133.66 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गयी है जिससे 57585 आवासों का निर्माण कराया जाना है। माह अक्टूबर–16 तक वर्ष 2015–16 के 54614 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया ।

5. प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन पूर्णतः केन्द्र पोषित योजना के रूप में वर्ष 2000 से प्रदेश में किया गया था किन्तु वित्तीय वर्ष 2015–16 से भारत सरकार द्वारा फण्डिंग पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है जिसके अनुसार केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत है।

योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में 500 अथवा उससे अधिक आबादी (2001 की जनगणना के आधार पर) की बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ना लक्षित है। नक्सल प्रभावित जनपदों में सम्पर्क मार्गों के चयन हेतु आबादी का न्यूनतम मानक 250 है। साथ ही पूर्व में निर्मित ग्रामीण सम्पर्क मार्ग (अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग) के उच्चीकरण के कार्य भी योजनान्तर्गत अनुमन्य किये गये हैं। वर्तमान में 500 या उससे

अधिक आबादी वर्ग की समस्त जुड़ सकने योग्य ग्रामीण बसावटों को पक्के मार्गो से एकल सम्पर्कता के आधार पर आच्छादित करने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के नक्सल प्रभावित तीन जनपदों (सोनभद्र, चन्दौली एवं मिर्जापुर) में 250 या उससे अधिक आबादी वर्ग की ग्रामीण बसावटों को योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने का लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का द्वितीय चरण (पीएमजीएसवाई–2)

प्रदेश की उक्त उपलब्धियों के कारण ही इसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण (पीएमजीएसवाई–2) के क्रियान्वयन हेतु देश में चयनित 07 राज्यों के साथ सम्मिलित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई–2 के अन्तर्गत पूर्व निर्मित व जर्जर मार्गों के सुधार के कार्य अनुमन्य किये गये हैं। प्रदेश हेतु निर्धारित 7575 किमी0 लक्ष्य के विपरीत 2965 किमी0 के प्रस्ताव अभी तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं।

इस योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यू0पी0आर0आर0डी0ए0) का एक पंजीकृत समिति के रूप में गठन किया गया है।

प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः दो कार्यदायी संस्थाओं–लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के 43 जनपदों में तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा शेष 42 जनपदों में योजना क्रियान्वित की जा रही है।

योजना की प्रगति

- योजनान्तर्गत अभी तक 10 चरणों में कुल 17492 मार्गो हेतु लगभग 49674 कि0मी0 के मार्ग निर्माण हेतु कुल रू0 13334 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए जिसके सापेक्ष माह अक्टूबर 2016 तक रू0 12487 करोड़ व्यय कर 16629 मार्ग पूर्ण कर लिए गये हैं। फेज–6 तक के कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है तथा फेज–7 व फेज–8 के मात्र 06 मार्ग निर्माणाधीन हैं जिन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाना लक्षित है। फेज–9 के अन्तर्गत स्वीकृत 482 मार्गो के सापेक्ष 459 मार्ग पूर्ण कर लिए गये हैं तथा शेष 23 कार्य निर्माणाधीन हैं। फेज–10 के अन्तर्गत स्वीकृत 1773 मार्ग जिसके सापेक्ष 1673 मार्ग पूर्ण कर लिए गये है तथा शेष 100 मार्ग निर्माणाधीन है फेज–9 व 10 के शेष मार्गो को मार्च 17 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।
- पीएमजीएसवाई–2 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में 247 मार्ग, लम्बाई 1886 किमी तथा लागत रू0 1120.55 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए गये। माह अक्टूबर, 2016 तक 101 मार्ग पूर्ण कर लिये गये है तथा शेष 146 मार्ग निर्माणाधीन हैं, जिन्हें मार्च 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।
- पीएमजीएसवाई–2 मे वित्तीय वर्ष 2016–17 के बैच–1 के अन्तर्गत अगस्त, 2016 में 113 मार्गों हेतु रू0 545.79 करोड़ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। इन मार्गो के निर्माण हेतु माह दिसम्बर, 2016 के मध्य तक कार्य प्रारम्भ किया जाना लक्षित है।

इसके अतिरिक्त पीएमजीएसवाई–2 मे वित्तीय वर्ष 2016–17 के बैच–2 के अन्तर्गत 533 मार्ग, लम्बाई 4219.59 किमी0, लागत रू0 2406.02 करोड़ अक्टूबर, 2016 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये।

अनुरक्षण व्यवस्था

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों का निर्माणोपरान्त 5 वर्ष तक सुनिश्चित रख–रखाव भी है। मार्ग के पूर्ण होने की तिथि से 6 माह पश्चात् उसके 5 वर्षीय अनुरक्षण की व्यवस्था प्रभावी हो जाती है जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विभागीय आय–व्ययक में उचित वित्तीय प्राविधान भी सुनिश्चित किया जाता है। निर्माणोपरान्त 5 वर्ष तक निर्मित मार्गो के अनुरक्षण का दायित्व उसी ठेकेदार का है जिसके द्वारा मार्ग का निर्माण किया गया है। अनुरक्षण के 5 वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् मार्गों को आगे नियमित अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों के अनुरक्षण हेतु माह अक्टूबर, 2016 तक प्रदेश सरकार द्वारा कुल रू0 431.27 करोड़ उपलब्ध कराये गये हैं जिसके सापेक्ष अक्टूबर, 2016 तक रू0 394.78 करोड़ का क्रमिक व्यय किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा मार्गों के नियमित अनुरक्षण हेतु प्रदेश के समस्त ग्रामों में सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु ''उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013'' नवम्बर, 2013 में जारी की गयी है। इससे योजनान्तर्गत निर्मित किये गये मार्गों तथा सृजित परिसम्पत्तियों का स्थायी तौर पर नियमित रख–रखाव सुनिश्चित हो सकेगा।

गुणवत्ता नियंत्रण

सड़कों के निर्माण एवं रख रखाव में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली प्रभावी है। राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रक (नेशनल क्वालिटी मॉनीटर), राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (स्टेट क्वालिटी मॉनीटर) व सम्बन्धित विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर योजनान्तर्गत निर्मित व निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की जाँच की जाती है। इसके अतिरिक्त अनुरक्षणाधीन मार्गो का भी स्टेट क्वालिटी मानीटर्स के माध्यम से नियमित निरीक्षण कराया जाता है ताकि अनुरक्षण कार्यो में भी अपेक्षित गुणवत्ता सुनिश्चित करायी जा सके।

6–प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना

वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ हुई यह योजना शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित है। इसका उद्देश्य 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति अथवा अधिक आबादी वाले चयनित ग्रामों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाना है जिससे आधारभूत भौतिक व सामाजिक अवस्थापना सुविधाएं समाज के प्रत्येक वर्ग हेतु उपलब्ध हो सके।

भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 04 जनपदों के 210 ग्राम योजनान्तर्गत चयनित किये गये हैं, जिसमें जनपद पीलीभीत में 05 ग्राम, सुल्तानपुर में 05 ग्राम, लखनऊ में 60 ग्राम तथा सीतापुर में 140 ग्रामों का चयन किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस कार्य हेतु रू0 43.00 करोड़ अवमुक्त किये गये हैं।

भारत सरकार व प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों यथा– ग्राम्य विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला एवं बाल कल्याण एवं पंचायतीराज विभाग आदि द्वारा चलायी जा रही विभिन्न चिन्हित योजनाओं से कन्वर्जेंस व गैप फिलिंग कम्पोनेंट द्वारा चयनित ग्रामों का तीन वर्षों की तय सीमा में निर्धारित मानकों पर विकास किया जाना है।

प्रत्येक राज्य से योजना में अच्छा प्रदर्शन करने वाले तीन सर्वोत्तम ग्रामों को राज्य स्तर पर तथा इस प्रकार चयनित ग्रामों में से राष्ट्रीय स्तर पर 03 सर्वोत्तम ग्रामों को पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर चयनित ग्राम को रू0 05 लाख तथा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित ग्राम को रू0 10 लाख का पुरस्कार दिया जायेगा।

संबंधित जनपदों द्वारा चयनित ग्रामों का बेसलाइन सर्वे व विलेज डेवलपमेंट प्लान तैयार कराया जा चुका है।

7–राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वित्त पोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बायोगैस को घरेलू उपयोग के लिये प्रयोग करने में प्रोत्साहित करना है। इसका उपयोग खाना पकाने, रोशनी तथा जेनरेटर चलाने में किया जाता है। बायोगैस के प्रयोग से धुआं न उत्पन्न होने के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। कार्बनिक खाद उत्पन्न होने से कृषि उत्पादकता वृद्धि में मदद मिलती है। वर्ष 2015–16 में

बायोगैस संयंत्रों की क्षमतावार लागत, वांछित पशु, लाभान्वित सदस्य एवं अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:–

संयंत्र क्षमता	वांछित पशु संख्या	संयंत्र लागत (रू0)	लाभान्वित सदस्य संख्या	अनुदान सामान्य (रू0)	अनुदान अ0जा0 / ज0जा0 (रू0)
1	2	22,000 / –	3–4	5500 / –	7000 / –
2	4	30,000 / –	7–8	9000 / –	11000 / –
3	6	36,000 / –	11–12	9000 / –	11000 / –
4	8	50,000 / –	14–15	9000 / –	11000 / –
6	12	60,000 / –	22–24	9000 / –	11000 / –

उक्त अनुदान के अतिरिक्त शौचालय को बायोगैस संयंत्र से जोड़ने पर रू0 1200 / – अतिरिक्त अनुदान तथा कार्यकर्ता को बायोगैस संयंत्रों की देख रेख हेतु रू0 1500 / – प्रति संयंत्र देय है।

- वित्तीय वर्ष 2012–13 में 2000 बायोगैस लक्ष्य के सापेक्ष 2047 संयंत्र वर्ष 2013–14 में 2400 बायोगैस लक्ष्य के सापेक्ष 1348 संयंत्र, वर्ष 2014–15 में 1300 बायोगैस लक्ष्य के सापेक्ष 778 संयंत्र की स्थापना की गयी। वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार द्वारा कुल 550 बायोगैस संयंत्रों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2016–17 में भी माह अक्टूबर–16 तक भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है और न ही कोई भौतिक लक्ष्य आवंटित किया गया है।

8–सामुदायिक विकास कार्यक्रम

राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वित्त पोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिला मुख्यालय पर विकास भवन तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्डों के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 में कुल उपलब्ध धनराशि क्रमशः रु0 3.50 करोड़, 17.5891 करोड़, रु0 19.869 करोड़ तथा रु0 20.00 करोड़ के सापेक्ष शत–प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2015–16 **(अक्टूबर, 2016 तक)** में कुल उपलब्ध धनराशि रु0 15.2092 करोड़ के सापेक्ष 10.3940 करोड़ (68 प्रतिशत) धनराशि व्यय की गयी।

9–विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) योजना

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का आरम्भ वर्ष 1999–2000 में किया गया। वर्ष 2003–04 से इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रति विधायक 24 लाख रूपए की धनराशि निर्धारित की गई है। यह योजना माननीय विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय अनुभूत स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा संतुलित विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

योजनान्र्तगत वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल उपलब्ध धनराशि रु0 1065.75 करोड़ के सापेक्ष 443.47 करोड़, वर्ष 2013–14 में कुल उपलब्ध धनराशि रु0 1369.42 करोड़ के सापेक्ष 775.19 करोड़, वर्ष 2014–15 में कुल उपलब्ध धनराशि रु0 1347.34 करोड़ के सापेक्ष 637.25 करोड़ तथा वर्ष 2015–16 में कुल उपलब्ध धनराशि रु0 1531.16 करोड़ के सापेक्ष 773.06 करोड़, वर्ष 2016–17 में अक्टूबर 2016 तक कुल उपलब्ध धनराशि रु0 1523.79 करोड़ के सापेक्ष 413.32 करोड़ व्यय की गयी।

10—अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना (ए0वी0आर0वाई0)

- शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप बहुआयामी स्वरोजगार हेतु परियोजनाओं का संचालन करना है।
- योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थियों को प्रति इकाई लागत का 33/प्रतिशत अथवा अधिकतम 10,000 रू0, अन्य लाभार्थियों के लिए 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 7,500/तक राज्य सहायता/शासकीय अनुदान देय होगा।

प्रगति

- वित्तीय वर्ष 2012—13 में 7106 लाभार्थियों को लाभान्वित करने हेतु रू0 498.985 लाख, वर्ष 2013—14 में 3566 लाभार्थियों हेतु रू0 267.43 लाख, वर्ष 2014—15 में 7577 लाभार्थियों हेतु रू0 568.275 लाख तथा वर्ष 2015—16 में 6365 लाभार्थियों हेतु रू0 477.30 लाख की धनराशि व्यय की गयी। इसी प्रकार वर्ष 2012—13, 2013—14, 2014—15 तथा 2015—16 में क्रमशः अनुसूचित जाति/जन जाति के 1907 लाभार्थियों हेतु रू0 190.70 लाख, 2611 लाभार्थियों हेतु रू0 261.10 लाख, 5137 लाभार्थियों हेतु रू0 513.70 लाख तथा 4300 लाभार्थियों हेतु रू0 430.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी।
- वित्तीय वर्ष 2016—17 में सामान्य मद में रु0 300.00 लाख तथा एस.सी.एस.टी. में रू0 300.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

11—समाजवादी शुद्ध पेयजल सेवा योजना (वाटर ए0टी0एम0)

समाजवादी शुद्ध पेयजल सेवा योजना वर्ष 2015—16 मे प्रारम्भ हुई। राज्य सरकार से शत प्रतिशत वित्त पोषित इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों/जिला अस्पतालों/ जिला महिला अस्पतालों/ विकास खण्डों एवं तहसीलों में आम जन को शुद्ध एंव सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वाटर ए0टी0एम0 की स्थापना की जानी है।

पंचायती राज

प्रदेश में पंचायती राज का विकास

73वें संविधान संशोधन के पश्चात जनगणना वर्ष 1991 के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के पुनगर्ठन की कार्यवाही की गयी थी। लगभग 20 वर्ष बाद जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में व्यापक स्तर पर पंचायतों के पुनगर्ठन की कार्यवाही की गयी जिसके फलस्वरूप 7,315 नई ग्राम पंचायतें गठित की गयी। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को और अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक कदम उठाया गया, इसके फलस्वरूप पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणजन को अधिक सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ। वर्ष 2015 में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये गये। 31—03—2016 को प्रदेश में 59073 ग्राम पंचायतें थी।

प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता विकास हेतु सतत् प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए लखनऊ में डा0 राममनोहर लोहिया राज्य स्तरीय पंचायत भवन का निर्माण कराया गया और इस भवन में ही पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है।

पंचायती राज द्वारा संचालित योजनाएँः—

1.डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना

डा0 राम मनोहर लोहिया योजना वर्ष 2012—13 से प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत वर्ष 2012—13 से वर्ष 2016—17 (पांच वर्ष) के लिए 10,000 ग्रामों की आन्तरिक गलियों को

सी0सी0रोड/के0सी0ड्रेन एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स से संतृप्त किये जाने की योजना है। इस योजना के प्रारम्भिक वर्ष 2012–13 में लगभग 1600 एवं अनुवर्ती वर्षों में लगभग 2100 ग्राम प्रतिवर्ष 4 वर्षों तक चयनित किये जाने की योजना है। इस योजना में ग्रामों की आबादी के अनुसार अधिकतम वित्तीय व्यय की सीमा निर्धारित की गयी है। योजनान्तर्गत 2000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों को रू0 20.00 लाख, 2001 से 5000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायमों को रू0 30.00 लाख तथा 5001 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को रू0 40.00 लाख प्रति ग्राम पंचायत की दर से स्वीकृत प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में चयनित 2100 ग्रामों में बसावटों की आन्तरिक गलियों में सी0सी0रोड के साथ नाली या के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु कुल रू0 50087.88 लाख की धनराशि व्यय की गयी, जिसके सापेक्ष 1257.93 किमी0 सी0सी0रोड/के0सी0ड्रेन का निर्माण कराया गया है।

2.बहुउद्देशीय पंचायत भवन (जिला योजना)

ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनकी बैठकों के आयोजन तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त योजनान्तर्गत आयोजनागत मद में कुल 287 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु आय–व्ययक धनराशि रू0 2053.49 लाख का प्राविधान किया गया था, जिससे 287 पंचायत भवनों के लिए प्रति पंचायत भवन रू0 7.155 लाख की दर से धनराशि शतप्रतिशत अवमुक्त की जा चुकी है। प्राविधानित धनराशि में से माह नवम्बर, 2016 तक रू0 1816.47 लाख की धनराशि व्यय की गयी है, जिसके सापेक्ष 256 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया है।

3.ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थल (जिला योजना)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास एवं अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अंत्येष्टि स्थलों का विकास कराये जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त योजनान्तर्गत आयोजनागत मद में कुल 755 ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु आय–व्ययक धनराशि रू0 10000.00 लाख का प्राविधान किया गया था, जिसमें प्रति ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल हेतु रू0 13.23 लाख की दर से रू0 9988.65 लाख की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है। प्राविधानित धनराशि में माह नवम्बर, 2016 तक रू0 8896.46 लाख की धनराशि व्यय की गयी है, जिसके सापेक्ष 639 अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया गया है।

4.जनपद–अम्बेडकर नगर में लोहिया भवन का निर्माण

प्रदेश सरकार द्वारा जनपद–अम्बेडकर नगर में लोहिया भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में रू0 1390.62 लाख का प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है और लोहिया भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है।

5.निर्मल भारत अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता अभियान को नाम बदलकर वर्ष 2012 में निर्मल भारत अभियान कर दिया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना था।

पुनः भारत सरकार द्वारा 02 अक्टूबर, 2014 से निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन करते हुए ''स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)'' प्रारम्भ किया गया है, जिसमें शौचालय की लागत रू0–10,000 के स्थान पर रू0–12,000 की गयी, जिसमें केन्द्रांश रू0–9,000 तथा राज्यांश रू0–3,000 है तथा वर्ष 2019 तक देश को खुले में शौच मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

- **वर्तमान में व्यक्तिगत शौचालय की इकाई लागत :–**

शौचालय निर्माण की इकाई लागत रू0– 12,000/– है, जिसमें केन्द्रांश रू0–7,200/– (60 प्रतिशत) तथा राज्यांश रू0–4,800/– (40 प्रतिशत) निर्धारित की गयी है।

- **पात्रता श्रेणी :–**

- ग्राम पंचायत के समस्त बी0पी0एल0 परिवार।
- गरीबी रेखा के ऊपर निम्न श्रेणी के परिवार।
- समस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार।
- समस्त लघु एवं सीमान्त कृषक परिवार।
- समस्त भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिवार।
- विकलांग सदस्य वाला परिवार।
- महिला मुखिया वाला परिवार।

वित्तीय वर्ष 2015–16 की उपलब्धियां :–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में (अ) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0–153629.64 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्रांश मद में कुल रू0 59567.09 लाख तथा राज्यांश मद में कुल रू0 39625.30 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। अवमुक्त धनराशि में से रू0 83336.88 लाख का व्यय कर कुल 6,94,474 शौचालयों का निर्माण कराया गया।

प्रदेश में बेसलाइन सर्वे के अनुसार चिन्हित 2,40,69,867 परिवारों को शौचालय सुविधा से संतृप्त किया जाना है, जिसमें 1,90,01,532 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण प्रोत्साहन राशि से तथा 50,68,335 शौचालयों का निर्माण स्वयं के संसाधन से किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में 1,34,873 वित्तीय वर्ष 2013–14 में 7,89,092, वर्ष 2014–15 में 5,15,440 एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में 6,94,474 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। इस प्रकार 21,33,879 शौचालयों का निर्माण किया गया है। प्राथमिकता की श्रेणी के अनुरूप ग्राम पंचायतों को धनराशि अवमुक्त कर शौचालयों का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है।

6. ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) "हमारी योजना हमारा विकास"

ग्राम पंचायतें स्वयं के समग्र विकास हेतु पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना का निर्माण करेंगी। ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की जाने वाली **ग्राम पंचायत विकास योजना** सहभागी नियोजन एवं विभिन्न संसाधनों के अभिसरण (कनवर्जेन्स) पर आधारित होगी। ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत 14वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मनरेगा, एन.आर.एल.एम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पंचायत भवन निर्माण, अंत्येष्टि स्थलों का विकास तथा ग्राम पंचायत की स्वयं की आय को सम्मिलित करते हुए उपलब्ध वित्तीय एवं मानव संसाधनों का अभिसरण (कनवर्जेन्स) किया जायेगा। प्रदेश में इस व्यवस्था का नाम **ग्राम पंचायत विकास योजना "हमारी योजना हमारा विकास"** है।

योजना का उद्देश्य

- ग्राम पंचायतों का समग्र एवं समेकित विकास करना जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास, सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास भी सम्मिलित है।
- निर्णय लेने की प्रकिया का विकेन्द्रीकरण के साथ समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।
- ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकताओं का चिन्हीकरण, प्राथमिकीकरण सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण को बढ़ावा देना।
- ग्राम पंचायत विकास योजना में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों यथा–निर्धनों की आजीविका, निर्धनता एवं सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी है।

****

अध्याय–8
औद्योगिक प्रगति

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी राज्य आय के वर्ष 2015–16 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 4.3 प्रतिशत, 13.9 प्रतिशत, 5.3 प्रतिशत तथा 9.6 प्रतिशत रही है। वर्ष 2015–16 में संगठित एवं असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में क्रमशः 9.4 प्रतिशत तथा 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्ष 2015–16 में कुल विनिर्माण में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र का योगदान क्रमशः 66.8 प्रतिशत एवं 33.2 प्रतिशत आंकलित किया गया है। प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12, वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 में क्रमशः 12.9 प्रतिशत, 12.2 प्रतिशत, 12.8 प्रतिशत, 12.6 प्रतिशत तथा 12.5 प्रतिशत रहा है जबकि खनन क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2015–16 में योगदान क्रमशः 1.0 प्रतिशत तथा 11.4 प्रतिशत दृष्टिगोचर हुआ है। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 में क्रमशः 6.6, 27.2, 4.3 तथा 14.3 प्रतिशत रही है, वहीं निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2012–13 वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 में क्रमशः 1.0 प्रतिशत, 1.1 प्रतिशत, 7.7 प्रतिशत तथा 6.4 प्रतिशत रही है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी मदों में हुई प्रगति का आंकलन करने के लिए तालिका 8.01 दी जा रही है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का व्यापक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2004–05=100) वर्ष 2014–15 में 132.08 था जो 0.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2015–16 में 132.7 हो गया। सबसे अधिक वृद्धि (14.5 प्रतिशत) रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त) वर्ग में हुई। गत वर्ष 2014–15 की अपेक्षा वर्ष 2015–16 में मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग, यातायात उपकरण एवं पुर्जे तथा अन्य वर्ग के उत्पादन सूचकांकों में कमी परिलक्षित हुई।

तालिका–8.01

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2004–05 = 100)

क्रमांक	उद्योग वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2014–15	2015–16	
1	2	3	4	5
1	खाद्य विनिर्माण	185.92	201.94	8.62
2	पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद	117.70	134.60	14.36
3	सूती कपड़ा	122.61	129.02	5.23
4	रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त)	106.63	122.09	14.50
5	मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग	105.58	100.76	(–)4.57
6	यातायात उपकरण एवं पुर्जे	260.81	229.07	(–)12.17
7	अन्य	104.46	98.16	(–)6.03
	विनिर्माण सूचकांक	**132.08**	**132.73**	**0.49**

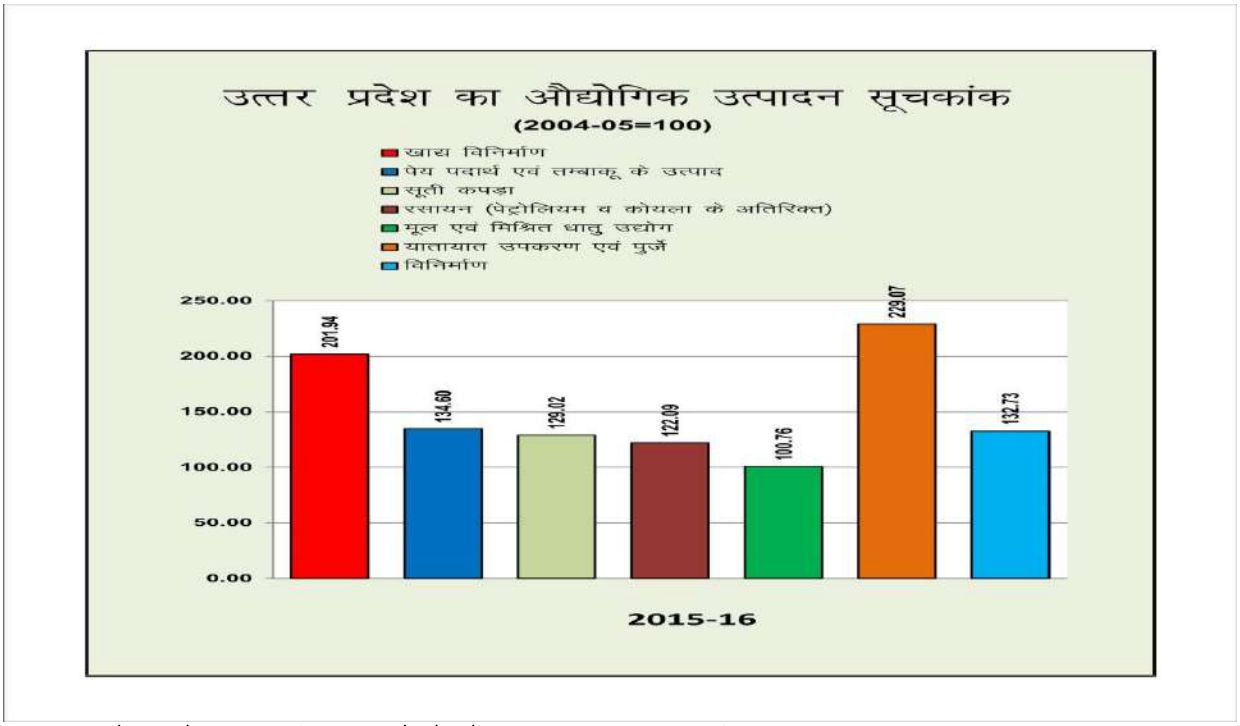

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति (अ)

सीमेन्ट, चीनी, वनस्पति एवं वस्त्र उद्योगों आदि की गिनती प्रदेश के अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगों में की जाती है। ये उद्योग लोगों को रोजगार तो सुलभ कराते ही हैं साथ ही इनके उत्पाद से दैनिक जीवन की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन उद्योगों का सुदृढ़ होना उस प्रदेश के आर्थिक स्तर को ऊंचा करता है। इन मदों से सम्बंधित आंकड़े तालिका– 8.02 में दिये जा रहे हैं।

तालिका–8.02

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

वर्ष	चीनी (हजार मी.टन)#	सीमेन्ट (हजार मी.टन)	वनस्पति तेल (हजार मी.टन)	सूती कपड़ा (लाख वर्ग मी)	सूत (हजार मी.टन)
1	2	3	4	5	6
2004–05	5037	4228	301	263	83
2005–06	5784	4881	283	268	51
2006–07	8475	5141	258	252	51
2007–08	7320	5298	261	122	46
2008–09	4064	6033	302	43	38
2009–10	5179	5875	200	6	41
2010–11	5887	7052	145	–	–
2011–12	6974	7021	113	–	–
2012–13	7485	–	–	51	40
2013–14	6495	–	–	49	40
2014–15	7100	–	–	30	39

नोटः– वर्ष 2001–02 से उत्तराखण्ड छोड़कर आंकड़ें दर्शाये गये हैं।

+केवल मिल क्षेत्र।

गत वर्ष के अक्टूबर से वर्तमान वर्ष के सितम्बर तक।

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि चीनी के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही। चीनी के उत्पादन में वर्ष 2014–15 (7100 हजार मी० टन) में 2013–14 (6495 हजार मी० टन) की तुलना में वृद्धि आयी है। इसी प्रकार सीमेंट का उत्पादन वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक निरन्तर वृद्धि को प्रदर्शित करता है। सीमेन्ट के उत्पादन में वर्ष 2009–10 (5875 हजार मी० टन) में 2008–09 (6033 हजार मी० टन) की तुलना में तथा वर्ष 2011–12 (7021 हजार मी० टन) मे वर्ष 2010–11 (7052 हजार मी० टन) की तुलना में कमी आयी है। वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 को छोड़कर वनस्पति तेल का उत्पादन विगत वर्षों की तुलना में कमी को प्रदर्शित करता है। प्रदेश में सूती कपड़े एवं सूत के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही है।

औद्योगिक विकास सम्बन्धी उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य प्रमुख राज्यों के संकेतक

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों में औद्योगिक विकास की प्रगति का बोध कराने के लिए वर्ष 2013–14 में प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत कारखानों की संख्या एवं उनमें कार्यरत दैनिक श्रमिकों की संख्या तथा प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य के आंकड़े तालिका–8.03 में दिये जा रहे हैं–

तालिका–8.03

औद्योगिक विकास सम्बन्धी उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य प्रमुख राज्यों के संकेतक

(वर्ष 2013–14)

राज्य	कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या (हजार)	शुद्ध आवर्धित मूल्य (करोड़ रु0)	प्रतिलाख जनसंख्या पर कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	प्रतिलाख जनसंख्या पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य (हजार रु0)
1	2	3	4	5	6	7
1–आन्ध्र प्रदेश	12941	522	18628	26	1047	357
2–आसाम	3283	186	8018	10	577	431
3–बिहार	3130	114	5155	3	105	452
4–झारखण्ड	2347	188	19872	7	546	1057
5–गुजरात	18069	1373	128420	29	2196	935
6–हरियाणा	5293	612	37096	20	2328	606
7–हिमांचल प्रदेश	2409	195	22766	34	2777	1167
8–कर्नाटक	10062	927	55334	16	1475	597
9–केरल	6143	352	13460	18	1041	382
10–मध्य प्रदेश	3437	323	21247	5	428	658
11–छत्तीसगढ	2271	166	21254	9	623	1280
12–महाराष्ट्र	23369	1886	200516	20	1628	1063
13–ओडिशा	2399	261	21340	6	606	818
14–पंजाब	10394	603	20065	36	2102	333
15–राजस्थान	7874	470	26811	11	661	570
16–तमिलनाडु	28597	2047	87213	39	2770	426
17–उत्तर प्रदेश	12382	912	51871	6	439	569
18–उत्तराखण्ड	2656	387	37864	25	3707	978
19–प.बंगाल	7895	646	22438	9	705	347
20–गोवा	577	57	7640	39	3838	1340
भारत	**185690**	**13538**	**895342**	**15**	**1080**	**661**

स्रोत– उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2013–14 खण्ड–1, भारत सरकार।

प्रदेश में औद्योगिक विकास में तीव्र गति लाने के लिये अनेक औद्योगिक संस्थायें कार्यरत् हैं जिनमें से पिकअप, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया तथा इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया जैसी अखिल भारतीय संस्थायें भी उद्योगों के विकास में सहयोग प्रदान कर रही हैं।

प्रदेश में औद्योगिक प्रगति तथा **अवस्थापना विकास के दृष्टिगत उ0प्र0 की ''अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012''** प्राख्यापित की गयी है जिसका उद्देश्य 11.2 का औद्योगिक विकास दर प्राप्त करना है। इस नीति में रणनीतिक रूप से–

1–अवस्थापना सुविधाओं का विकास।
2–औद्योगिक वातावरण में सुधार।
3–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) को प्रोत्साहन।
4–पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट।
5–मानव–शक्ति को रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु दक्षता एवं क्षमता विकास।
6–प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के प्रोत्साहन हेतु विशेष नीतियों का निर्धारण आदि पर विशेष बल दिया गया है।

वर्ष 2015–16 तक इस नीति के तहत 512 इण्डस्ट्रीयल इण्टरप्रिन्योर मेमोरेण्डम/लेटर ऑफ इण्टेन्ट प्राप्त हुए है जिसमें रू0 50793.79 करोड का निवेश संभावित है।

उ0प्र0 सरकार की दूरदर्शी अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 को पूर्ण रूप से अंगीकृत करते हुये यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कई नई परियोजनाओं का शुभारम्भ भी किया है जिसमें ट्रांस गंगा परियोजना–उन्नाव, सरस्वती हाई–टेक सिटी–इलाहाबाद, प्लास्टिक सिटी–औरैया तथा मेगा लेदर क्लस्टर परियेाजना, रमईपुर–कानपुर के बाद परफयूम पार्क कन्नौज तथा थीम पार्क आगरा को प्रमुख रूप से विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर(ई0डी0एफ0सी0) पर अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता इण्डस्ट्रियल कारीडोर परियोजना को विकसित किये जाने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हो गई है।

उ0प्र0 द्वारा औद्योगिक विकास से संबधित संचालित योजनायें

प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं रोजगार के सृजन से संबधित अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनका प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हो रहा है।

1–औद्योगिक आस्थान योजना

औद्योगिक आस्थान योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योगों के विकास हेतु प्राथमिक अवस्थापना आवश्यकता के रूप में भूमि की उपलब्धता हानि–लाभ रहित कीमत पर तथा दीर्घ कालिक आसान किश्तों पर सुनिश्चित कराने के लिए है। औद्योगिक आस्थान योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को भूखण्ड एवं शेडों के साथ–साथ उनमें आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं को सुसज्जित कर उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश की औद्योगीकरण की आवश्यकता एवं महत्ता के परिप्रेक्ष्य में इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थानों का विकास ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किया गया है।

वृहद औद्योगिक आस्थान 1960 के दशक में 56 जिलों में 78 स्थानों पर स्थापित हुए हैं जिनमें 987 शेड और 3648 भूखण्ड विकसित हैं, तथा 981 शेड एवं 3593 भूखण्ड आवंटित हैं जिनमें 2675 इकाईया स्थापित हैं। शेडों की कीमत को हायर परचेज अनुबन्ध के साथ तथा भूखण्डों को 99 वर्षीय लीज डीड के आधार पर उद्यमियों को दिया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना विकास खण्ड तथा तहसील स्तर पर वर्ष 1985 से 1992 के मध्य की गयी। मिनी औद्योगिक आस्थानों का औसत क्षेत्रफल 2.5 एकड़ है तथा 50–200 वर्ग मी0 तक छोटे–छोटे 7561 भूखण्ड विकसित हैं। वर्तमान में 161 मिनी औद्योगिक आस्थानों में कुल 5821 भूखण्ड आवंटित हैं।

सरकार द्वारा नये औद्योगिक आस्थान विकसित न कर उपलब्ध औद्योगिक आस्थानों में प्रारम्भ में विकसित की गयी अवस्थापना सुविधाओं (सड़क, सम्पर्क मार्ग, जल निकास, पुलिया, विद्युत फीडर एवं विद्युत लाइन) की उपयुक्त विकास एवं रख–रखाव हेतु वर्ष 2007–08 में औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण योजना लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 03, 03 एवं 14 इकाईयां लाभान्वित की गयी।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 700.00 लाख की धनराशि से 13 औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2–उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन) योजना

आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण और उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिपेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को तकनीकी उन्नयन हेतु निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही हैं :–

- तकनीक की खरीद और आयात में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.50 लाख।
- उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु मशीन/संयंत्रों के क्रय में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.00 लाख।
- मशीनों के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज का 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (अधिकतम रू0 50,000)।
- आई0एस0ओ0/आई0एस0आई0 पर व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.00 लाख।
- परामर्श प्राप्त किये जाने पर व्यय की गई धनराशि का 90 प्रतिशत (अधिकतम रू0 50,000)।

योजनान्तर्गत वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 103, 106 एवं 105 इकाईयां लाभान्वित की गयी।

(1) ब्रॉण्डिंगः–इकाई द्वारा शासनादेश में उल्लिखित पात्रता को पूरी करने की स्थिति में तीसरे वर्ष के उत्पादन अथवा उसके पश्चात आवेदन करने की स्थिति में सम्बन्धित वर्ष के पूर्ण विपणन का एक प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 50,000 का अनुदान।

(2) बौद्धिक सम्पदाः– यदि कोई उद्यम अपने उत्पाद एवं उत्पाद श्रंखला हेतु बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा का आवश्यक प्रमाणीकरण अथवा ट्रेडमार्क हेतु प्रमाणीकरण प्राप्त करता है तो प्रमाणीकरण हेतु भुगतान किये गये वास्तविक शुल्क का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.00 लाख और यदि कन्सलटेन्सी ली गयी हो तो मूल योजना के प्राविधानानुसार कन्सलटेन्सी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3–उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार (डा0 राम मनोहर लोहिया प्रादेशिक पुरस्कार)

प्रदेश के सफल एवं उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना अगस्त, 2009 में प्रारम्भ की गई। गई। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में कुल 37 पुरस्कार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के उद्यमियों को प्रदान किये जाते हैं। उत्पादन क्षेत्र की 14 श्रेणियों तथा सेवा की 12 श्रेणियों के अतिरिक्त 11 विशिष्ट चिन्हित श्रेणियों के लिए पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं, जिनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी को उ0प्र0 उद्यमी पुरस्कार के रूप में रू0 1.00 लाख तथा अन्य श्रेणियों में रू0 25,000, रू0 20,000 तथा रू0 15,000 प्रदान किया जाता है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 33, 30, एवं 37 इकाईयां लाभान्वित की गयी।

4–हस्तकला विकास योजना

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की अपार सफलताएं एवं सम्भावनायें हैं और उत्तर प्रदेश अपनी परम्परागत शैली के कारण अपने हस्तशिल्प उद्योगों में विशिष्ट स्थान रखता है। मुख्यतः बनारसी शिल्प में ब्रोकेड, भदोही व मिर्जापुर में कालीन, लखनऊ में चिकन तथा आगरा का कलात्मक संगमरमर का समान, मुरादाबाद तथा वाराणसी में पीतल के पात्र, फिरोजाबाद में कलात्मक काँच की वस्तुये एवं काँच की चूडियॉ तथा सहारनपुर में नक्काशीदार लकडी का सामान आदि की मांग अन्तर्राष्टीय बाजार में अधिक है। देश के कुल निर्यात में हस्तशिल्प की सहभागिता लगभग 60 प्रतिशत है।वर्तमान में प्रदेश में लगभग 30 लाख हस्तशिल्पी अनुमानित है। राज्य सरकार ऐसे हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये अनवरत रूप से प्रयत्नशील रही है तथा इसके समुचित विकास हेतु योजनाबद्ध रूप से निम्न योजनायें चलायी जा रही हैं।

4.1–विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजना

वर्ष 1977–78 से प्रारम्भ इस योजना का नाम वर्तमान में डा0 राम मनोहर लोहिया विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों को उच्च–कोटि की कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना है। इसी उद्देश्य से उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों को गुण–दोष के आधार पर चयन कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में से प्रत्येक वर्ष 40 हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत किया गया

क्र0सं0	योजना का नाम	पुरस्कार की सं0	पुरस्कार की धनराशि	पात्रता
1	2	3	4	5
1	राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार	20	रू0 25000/– प्रति हस्तशिल्पी	उ0प्र0 के हस्तशिल्पी जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
2	दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार	20	रू0 15000/– प्रति हस्तशिल्पी	

4.2–अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का मनाया जाना

यह योजना वर्ष 1961–62 से प्रारम्भ की गई। प्रदेश के विभिन्न हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की लोकप्रियता में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष विकास आयुक्त (हस्त0), भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार देश एवं प्रदेश में एक साथ दिनांक 8 दिसम्बर से 16 दिसम्बर तक अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री पर विशेष छूट प्रदान की जाती है तथा प्रदर्शनी/गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है तथा जनपद के ख्याति प्राप्त अनुभवी शिल्पकारों की कार्य शालाओं का आयोजन किया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 38, 38 एवं 26 प्रदर्शनी/गोष्ठियों का आयोजन किया गया।

4.3–अल्प संख्यक समुदाय के दस्तकारों की सहायता करने तथा हस्तकला उन्नयन से सम्बन्धित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परियोजना अन्तर्गत सहायता योजनाः–

समाज के अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों के उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1984 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सामान्य सुविधा केन्द्र (सी0एफ0सी0) तथा प्रशिक्षण–

कम–उत्पादन–कम–प्रसार केन्द्र (टी0पी0ई0सी0) को स्थापना हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा रू0 38.88 लाख के अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर योजना प्रारम्भ की गयी थी। यह योजना शिल्पियों के कार्यो को आधुनिक मशीनों/औजारों/उपकरणों के माध्यम से जनपद अलीगढ़ में गृह उद्योग के रूप में चल रहे ताला उद्योग के कारीगरों को ताला उद्योग के आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कार्य दशा में सुधार लाने तथा उनसे सम्बन्धित अन्य उद्योगों आदि को बढ़ाया देने में सहायक सिद्ध हुई है। योजना के अन्तर्गत अब तक प्रशिक्षण प्राप्त लाभाथियों में से लगभग 80 प्रतिशत लाभार्थी विभिन्न उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर चुके अथवा स्वयं का उद्योग प्रारम्भ कर चुके हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में से प्रत्येक वर्ष 58 प्रशिक्षार्थियों को पुरस्कृत किया गया।

4.4– हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना

(अ)–हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना

यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ की गयी है। हस्तशिल्प क्षेत्र में परम्परागत विधा से हो रहें कार्य को धीरे धीरे बेहतर तकनीकी से कराना एवं इस हेतु उनके कौशल विकास की दृष्टि से प्रशिक्षण कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य हैं। यह योजना प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य वाले जिलों में संचालित की जाती है जिसके अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होते है किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष तक की शिथिलता दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत परम्परागत शिल्पकारों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें नवीनतम तकनीक एवं उन्नत किस्म के औजारों व उपकरणों के उपयोग भी सिखाये जाते हैं। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 650, 700 एवं 700 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में 700 हस्तशिल्पियों को उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया ।

(ब)निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना

यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ की गयी है। उत्तर प्रदेश से कुल निर्यात में हस्त शिल्प उद्योग क्षेत्र की सहभागिता 60 प्रतिशत से अधिक है परन्तु सभी उत्पाद परम्परागत डिजाइनों तक सीमित एवं उन पर आधारित है, जिन्हे निरन्तर विकसित हो रही माँग के अनुरूप बनाये जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही प्रमुख निर्यात परख हस्तशिल्प ट्रेडों में डिजाइन वर्कशाप का आयोजन किया जाता है। यह योजना प्रदेश के ऐसे प्रमुख हस्तशिल्प बाहुल्य क्षेत्रों में, जहाँ हस्तशिल्पियों द्वारा निर्यात योग्य उत्कृष्ट कला कृतियां बनाई जा रही हैं, संचालित कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में से प्रत्येक वर्ष 1040 हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1040 हस्तशिल्पियों को मैपडाईटेक्स संस्था कानपुर एवं उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया ।

4.5–विशिष्ट शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना

शिल्पियों की बहुलता एवं उनके कला कौशल ने प्रदेश की शिल्प विधा एवं कलाकृतियों को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, किन्तु अपनी कार्य–परिस्थितियों व अस्वास्थ्यकर परिवेश में कार्य करने के कारण दस्तकारों की शारीरिक क्षमता अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष समय से पहले ही कम हो जाती है। वे गिरते स्वास्थ्य एवं बढ़ती आयु के कारण शारीरिक रूप से शिथिल हो जाते हैं। फलतः उनकी आय जनन क्षमता

भी घट जाती है। अतः उनके अनुत्पादक शेष जीवनकाल में राज्य सरकार से आर्थिक सहयोग आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विशिष्ट शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना संचालित की जा रही है जिसके अर्न्तगत प्रतिमाह पेंशन स्वरुप रू0 1000 पात्र शिल्पकारों/दस्तकारों को दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 160, 176 एवं 185 हस्तशिल्पियों को पेंशन दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 193 विशिष्ट हस्तशिल्पियों को पेंशन धनराशि निफ्ट के माध्यम से सीधे हस्तशिल्पी के बैंक खाते में माह नवम्बर–2016 तक उपलब्ध करायी जा चुकी है।

4.6 हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख हस्तशिल्पी हैं। अधिकांश हस्तशिल्पी हुनरमन्द तो है परन्तु अत्यन्त गरीब है। इन हस्तशिल्पियों को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिल्प मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु कार्यशाला से प्रदर्शनी स्थल तक माल भाड़े पर आने वाले व्यय तथा स्टॉल किराये में सहायता देने के उद्देश्य से यह योजना स्वीकृत की गयी है। इसके अन्तर्गत आच्छादित होने वाले शिल्पियों को मेले/प्रदर्शनी में कार्यशाला से प्रदर्शनी स्थल तक ले जाने वाले माल भाड़े पर आने वाले परिवहन व्यय एवं स्टॉल के किराया की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रू0 10,000/– राज्य सहायता प्रदान की जाती है। यह सुविधा वर्ष में एक शिल्पकार को दो बार प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 936, 2129 एवं 2612 हस्तशिल्पियों को आच्छादित किया गया।

5.एकल मेज व्यवस्था

एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था का उद्देश्य उद्योगों को विभिन्न विभागों से अनुमोदन, स्वीकृतियां, आपत्तियों, लाईसेन्स आदि के सम्बन्ध में आवेदन पत्र का निस्तारण एक ही स्थान पर केन्द्रीयकृत तथा समयबद्ध रूप से सम्पन्न करना है ताकि उद्यमियों को विभिन्न विभागों में उपरोक्त कार्य हेतु बार–बार चक्कर लगाने की कठिनाई से मुक्त किया जा सके।

उद्यमियों से नवम्बर, 2016 तक प्राप्त 192238 आवेदन पत्रों में से 192140 आवेदन पत्रों का निस्तारण कराया गया है।

तालिका–8.04

एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत वर्षवार प्रगति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	मद		वर्ष		
			2013–14	2014–15	2015–16
1	कुल प्राप्त आवेदन पत्र जो नोडल अधिकारियों द्वारा पूर्ण पाये गये।		68152	85089	95323
2	निस्तारित आवेदन पत्र		68149	84987	95218
	(अ)	निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत	68149	84987	95218
	(ब)	समय सीमा के उपरान्त	–	–	–
3	अनिस्तारित आवेदन पत्र		3	102	105
	(अ)	जो निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत	3	102	105
	(ब)	समय सीमा के अधिक	–	–	–
4	योजनान्तर्गत प्राप्त बजट		54.00	54.00	54.00
5	प्राप्त बजट के व्यय की स्थिति		54.00	54.00	54.00

6– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना पर टिप्पणी

औद्योगिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से यह योजना प्रदेश के समस्त 75 जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से पूरे प्रदेश में संचालित की जा रही हैं। योजना स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्त पोषित है। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार नवयुवकों को एकमाह का सैद्धान्तिक व तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण नोटीफाइड 17 ट्रेडों में स्थानीय आवश्यकतानुरूप अन्य किसी भी ट्रेड में दिया जाता है तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को रू0 500/–के संबंधित ट्रेडों की टूल किट उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना में 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी का प्राविधान है। प्रशिक्षार्थी की आयु 18–45 वर्ष होनी चाहिए। तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु 8वीं पास तथा गैर तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु लिखने–पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। समस्त प्रशिक्षार्थियों को शत– प्रतिशत रोजगार उपलब्ध की जिम्मेदारी प्रशिक्षणदायी संस्था व संबंधित उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र की संयुक्त रूप से है। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में प्रत्येक वर्ष 5421 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

7– उत्तर प्रदेश से निर्यात के प्रोत्साहन हेतु संचालित योजनाएं

राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ''**निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो**'' के माध्यम से त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है जिसके अधीन विभिन्न 5 उप योजनायें है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

(1). त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना

1.1–(अ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता

इस योजना में निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में प्रतिभाग करने पर स्टाल मद में किराये का 60 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.00 लाख एवं इकोनामी क्लास हवाई हेतु भाड़े का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 50000/– विदेशी क्रेता को नमूने भेजे जाने पर कोरियर व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 50000/– निर्यात उत्पाद के प्रचार–प्रसार हेतु कुल व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रू0 60000/– तथा गुणवत्ता मानक प्राप्त करने पर कुल व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 75000/– की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 1690 इकाईयों, 1762 इकाईयों एवं 575 इकाईयों को विपणन सहायता दी गयी।

1.1–(ब) राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता

प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक इकाईयों के विपणन वृद्धि हेतु यातायात परिवहन सहायता योजना क्रियान्वित की गई है जिसका लाभ टाईनी सेक्टर, लघु उद्योग, क्षेत्र की इकाईयां जो नई एम.एस.ई. डी. एक्ट के अन्तर्गत आती है, को विशेष रूप से लाभान्वित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 334, 324 एवं 282 इकाईयों को विपणन सहायता प्रदान की गई।

1.2–गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान

योजनान्तर्गत वर्तमान में गेटवे पोर्ट तक आई.सी.डी./सी.एफ.एस. द्वारा निर्यात माल के परिवहन पर आने वाले माल भाड़े पर रू0 5000/– के स्थान पर रू0 6000/– प्रति टी.ई.यू. (20 फुट कन्टेनर) रू0 10000/– के स्थान पर रू0 12000/– प्रति टी.ई.यू. (40 फुट कन्टेनर) अधिकतम रू0 10.00 लाख के स्थान पर रू0 12.00 लाख प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। योजना में सूक्ष्म, लघु उद्यम के अतिरिक्त मध्यम क्षेत्र के उद्यमों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 266, 402 एवं 726 इकाईयों को अनुदान प्रदान किया गया।

1.3 निर्यातकों की क्षमता का विकास

प्रदेश के निर्यातकों/भावी निर्यातकों तथा विभागीय अधिकारियों को निर्यात की विभिन्न प्रक्रियाओं, नीतियों, क्रियाप्रणाली आदि के सम्बन्ध में तकनीकी/शैक्षिक विषय विशेषज्ञों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इसके अन्तर्गत जनपद स्तर, मण्डल स्तर एवं प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण

कार्यक्रमों/गोष्ठियों का आयोजन कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 10, 11 एवं 06 कार्यक्रम/गोष्ठियां आयेजित की गयी।

1.4–निर्यात पुरस्कार

प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट निर्यातकों को विभिन्न 25 श्रेणी के निर्यात उत्पादों हेतु श्रेणीवार एक–एक प्रथम व द्वितीय पुरस्कार तथा सभी श्रेणियों के अन्तर्गत एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मा. जनेश्वर मिश्र राज्य निर्यात पुरस्कार योजनान्तर्गत प्रति वर्ष प्रदान किये जा रहे है। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 14, 23 एवं 23 निर्यातकों को पुरस्कार प्रदान किया गया।

1.5– अध्ययन, सर्वे, ब्राण्ड प्रमोशन एवं आंकड़े उपलब्ध कराना

योजना के माध्यम से अध्ययन आधारित कार्यों, डाटा संग्रहण कार्यों, ब्यूरो मैगजीन का प्रकाशन एवं जी. आई. पंजीकरण प्राप्त करने आदि कार्य करते है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 05, 02 एवं 02 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी।

(2) वायुयान भाड़ा सहायता योजना

योजनान्तर्गत मैन्यूफैक्चर्रस एवं मर्चेन्ट निर्यातकों द्वारा वायुयान के माध्यम (उत्तर प्रदेश में स्थित एयर कार्गो अमौसी/बाबतपुर) से विदेशी क्रेता को निर्यात हेतु भेजे जाने वाले माल भाड़े पर रू0 50/–प्रति कि. ग्रा. अथवा वायुयान किराये का 20 प्रतिशत जो भी कम हो दिये जाने का प्राविधान है जिसकी प्रति निर्यातक को प्रति वर्ष वित्तीय सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा रू0 2.00 लाख है। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 16, 19 एवं 16 निर्यातकों को सहायता प्रदान की गयी।

(3) निर्यात सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं एवं अन्य क्रिया कलापों के विकास हेतु राज्य को सहायता (एसाइड) योजना

निर्यात से जुड़े अवस्थापना विकास/सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2002 से लागू है ताकि निर्यात की गुणवत्ता में सुधार के फलस्वरूप निर्यात में अभिवृद्धि हो सके। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 06, 13 एवं 17 परियोजनाएं पूर्ण की गयी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 से एसाइड योजना को भारत सरकार द्वारा डी–लिंक्ड किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत निर्यात अवस्थापना सुविधाओं का विकास अब प्रदेश सरकार से प्राप्त राज्यांश बजट धनराशि द्वारा किया जा रहा है।

(4) निर्यात नीति 2015

उत्तर प्रदेश की निर्यात नीति 2015 का प्राख्यापन किया जा चुका है, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है–

1 निर्यात नीति का उद्देश्य निर्यात में तेजी और सतत विकास के लिए उच्च परिणामजनक बुनियादी सुविधाओं का सृजन करना।

2. मौजूदा निर्यात परक उद्योंगो पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें निर्यात करने के लिए और बढ़ावा देने हेतु आवश्यक समर्थन प्रदान करना।

3. बेहतर निर्यात क्षमता वाले उत्पादों के उद्योंगो को प्रोत्साहित करना तथा नई निर्यात उन्मुख इकाइयों को उत्तर प्रदेश में अपना आधार स्थापित करने हेतु एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना।

4. हस्तशिल्प, कालीन और हथकरघा वस्त्र जैसे पारंपरिक निर्यात क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन और गुणात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिक, डिजाइन विकास और कौशल उन्नयन प्रदान करना।

5. गैर परंपरागत क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रानिक्स और सॉफटवेयर, सेवाओं, जैव प्रौद्योगिक आदि के क्षेत्र में निर्यात की क्षमता बढ़ाना।

6. बागवानी उत्पाद, अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों और अनाज, कुक्कुट एवं अण्डा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद के क्षेत्र की निर्यात क्षमता बढ़ायी जायेगी।
7. निर्यात में निरन्तर उन्नयन के लिए क्षमता विकास को प्रोत्साहित करना।
8. मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
9. विशेष ट्रेडों में मानव संसाधन प्रतिभा के पूल के विकास के लिए संस्थागत ढ़ांचा प्रदान करना।
10. निर्यात में निर्बाध विकास के लिए एक सरल, पारदर्शी और उत्तरदायी विनियामक वातावरण विकसित करना।
11. भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति अन्तर्गत प्रदेश के निर्यात प्रधान नगरों को "टाउन ऑफ एक्सीलेन्स" योग्य बनाना।

परियोजनाओं के क्रियान्वयन/पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के अर्न्तगत रू0 62.50 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई।

8–उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति–2014

प्रदेश के परम्परागत हस्तशिल्प उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते हुये राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मांग के अनुरूप विकास के नये आयामों तक पहुँचाना तथा हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर में निरन्तर गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम बार हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु **"उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति–2014"** बनाई गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत मई, 2016 से प्रदेश के समस्त जिलों में 02 चरणों में हस्तशिल्पियों का सर्वेक्षण कार्य सम्पादित किया जा रहा है। पहले चरण में हस्तशिल्प बाहुल्य 25 जनपदों में मई, 2016 से अगस्त, 2016 तक सर्वेक्षण कार्य कराया गया, जिनमें लगभग 3.73 लाख हस्तशिल्पियों को चिन्हित किया गया। द्वितीय चरण में अवशेष 50 जनपदों में अगस्त, 2016 से सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें अक्टूबर, 2016 तक कुल 58013 हस्तशिल्पियों को चिन्हित किया गया है।

9–जनपद भदोही में कार्पेट बाजार की स्थापना

जनपद भदोही में कार्पेट बाजार की स्थापना का प्रस्ताव लाया गया। जनपद भदोही में कारपेट बाजार की स्थापना होने से कालीन उत्पादक इकाइयों एवं निर्यातकों को भदोही में ही अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए उपयुक्त स्थल मिल सकेगा एवं देशी तथा विदेशी क्रेताओं का भदोही में आवागमन होगा जिसका यहाँ के निर्यात पर निश्चय ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसे दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2014–15 में जनपद भदोही में कार्पेट बाजार (एक्सपो मार्ट) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। परियोजना निर्माण लागत रू0 124.78 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 1500.00 लाख का बजट स्वीकृत किया गया, जो कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करा दिया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 5000.00 लाख का बजट स्वीकृत किया गया, जो कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उनकी मांग के अनुसार रू0 5000.00 लाख उपलब्ध करा दिया गया।

10– एम0एस0एम0ई0 पोर्टल का विकास

सूचना तकनीक का अधिकतम उपयोग करते हुए प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र एमएसएमई पोर्टल के रूप में एक ऐसा व्यवसायिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है जहां उद्यमियों को उद्यम स्थापना के संबंध में एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने के साथ ही वह अपने आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों का प्रदर्शन कर सकेंगे। एमएसएमई पोर्टल के विकास के लिए वर्ष 2015–16 में रू0 10.00 लाख की बजट स्वीकृति शासन द्वारा की गई।

11–एम.एस.एम.ई.नीति

फरवरी, 2016 में एम. एस. एम. ई. नीति–2016 का प्रख्यापन किया गया है। इस नीति में एम. एस.एम.ई. की वार्षिक दर 12 प्रतिशत ई–गवर्नेंस का समुचित उपयोग तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देना, एम.एस.एम.ई. क्षेत्रों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना, प्रदेश में उपयुक्त औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं उच्चीकरण करना तथा एम.एस.एम.ई. हेतु विभाग के फैसिलीटेटर की भूमिका के निर्वहन के साथ–साथ एम.एस.एम.ई. क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा विकलांगों की भागीदारी की प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा दिया जायेगा।

12–केन्द्रीय दर अनुबन्ध योजना

1–मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत सामग्री क्रय में प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को क्रय वरीयता प्रदान करने के आदेश निर्गत किए गये।

2–दर अनुबन्ध के अन्तर्गत सामग्री क्रय में प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को क्रय वरीयता प्रदान करने के आदेश निर्गत किए गये।

3–केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध की व्यवस्था उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन स्तर पर लागू की गई है तथा उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन को राज्य क्रय संगठन(एसपीओ) नामित किया गया है।

4–उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रक्योरमेंट आफ गुड्स) का प्रख्यापन किया गया है।

13–उ0प्र0 निर्यात संवर्धन परिषद का गठन

निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2015 के प्राविधानान्तर्गत प्रदेश में निर्यात एवं हस्तशिल्प क्षेत्र की इकाईयों को बढ़ावा देने, उन्हें संरक्षण प्रदान करने, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में उत्तर प्रदेश के ब्राण्ड प्रमोशन के उद्देश्य से नवम्बर, 2015 द्वारा प्रदेश स्तर पर ''उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल'' का गठन किया गया।

उक्त परिषद द्वारा नई निर्यातक इकाईयों के लिए हितकारी परिवेश, बेहतर विपणन सुविधायें, नये बाजारों से सम्बन्धित अवसरों की पहचान, गुणवत्ता एवं पैकिंग के अन्तराष्ट्रीय मानको का अंगीकरण आदि कार्यो हेतु आई.सी.डी.सी.एफ.एस. के उच्चीकरण एवं रेल/रोड़ नेटवर्क से कनेक्टीविटी, विदेशी बाजारों मे वेयर हाउस एवं शो रूम्स की स्थापना, डिजाइन सेन्टर, डिजाइन लैब, डिजाइन बैंक, टूल रूम आदि की स्थापना, निर्यातकों के स्वयं सहायता समूहों का गठन, निर्यात हेतु नवाचार को प्रोत्साहन एवं रॉ–मैटेरियल बैंकों की स्थापना के महत्वपूर्ण कार्य किये जायेंगे।

****

अध्याय–9
सेवा क्षेत्र

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन संग्रहण तथा संचार, व्यापार होटल एवं जलपान गृह, बैंक व्यापार तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाए खण्ड सम्मिलित है। सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक क्रियाकलाप आते हैं जिनकी कई विशेषताएं तथा आयाम हैं। कुछ सेवाएं उच्च प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता की हैं तो कुछ सामान्य सेवाएं यथा बाल कटिंग तथा वस्त्र धुलाई आदि भी हैं। इसी प्रकार से कुछ सेवाएं संगठित तथा कुछ असंगठित हैं। इस कारण इस क्षेत्र के योगदान को आंकने हेतु प्रदेश स्तर पर आंकड़ों की उपलब्धता मुख्य चुनौती है।

सेवा खण्ड का निष्पादन

आधार वर्ष 2011–12 पर जारी प्रदेश के वर्ष 2015–16 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के वर्गीकरण में तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, का प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में स्थायी भावों पर लगभग 48.6 प्रतिशत का अंशदान है जबकि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 24.0 प्रतिशत तथा 27.3 प्रतिशत है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र का महत्व स्वयं सिद्ध है। वर्ष 2014–15 व वर्ष 2015–16 में इस क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 9.8 प्रतिशत तथा 7.3 प्रतिशत रही है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 में 45.5 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2015–16 में 48.6 प्रतिशत हो गया है।

तालिका–9.01

प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र की वृद्धिदर तथा प्रतिशत वितरण

(स्थायी भावों पर)

मद	वर्ष				
	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15*	2015–16#
1	2	3	4	5	6
वृद्धि दर	–	5.5	7.1	9.8	7.3
प्रतिशत वितरण	45.5	45.9	46.6	48.5	48.6

*अनन्तिम अनुमान #त्वरित अनुमान

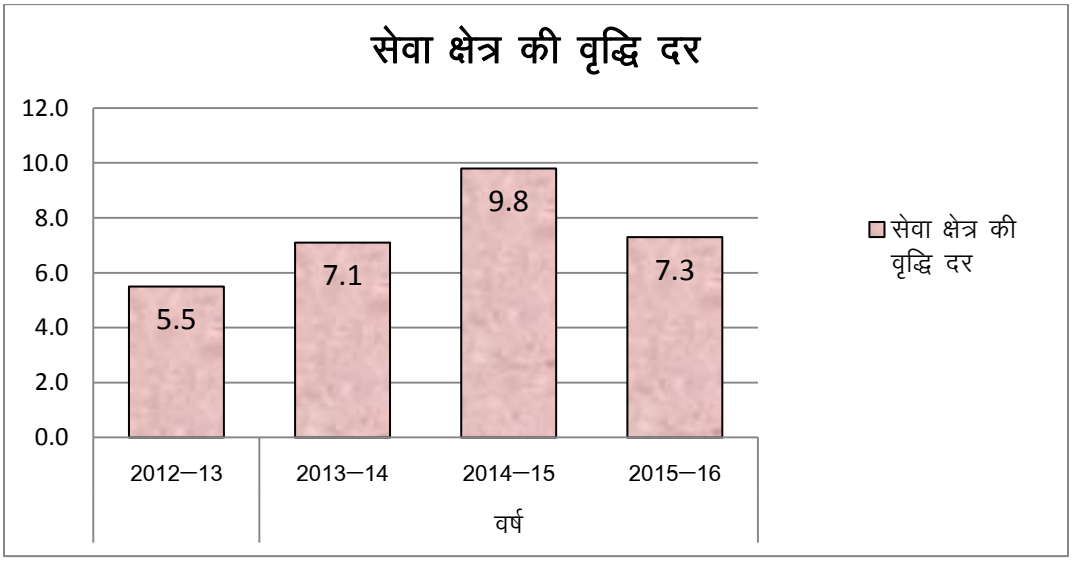

उप–खण्डवार सेवा क्षेत्र का विश्लेषण

(1)परिवहन संग्रहण तथा संचार

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के वर्गीकरण के अनुसार परिवहन संग्रहण तथा संचार के अन्तर्गत अधिसंरचनात्मक क्षेत्र यथा रेलवे, वायुयान परिवहन तथा वित्तीय सेवाएं आदि, भण्डारण, सूचना एवं संचार संबन्धी सेवाएं रेलवे के अतिरिक्त अन्य परिवहन सेवाएं शामिल की जाती हैं। इस खण्ड में वर्ष 2015–16 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में सकल मूल्य वर्धन रू० 40481 करोड़ था जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर रू० 68038 करोड़ हो गया है। वर्ष 2014–15 व वर्ष 2015–16 में इस खण्ड में क्रमशः 25.0 तथा 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रचलित भावों पर राज्य के सकल मूल्य वर्धन में इस खण्ड का योगदान वर्ष 2011–12 में 5.9 प्रतिशत था जो बढ़कर 2015–16 में 7.4 प्रतिशत हो गया है।

भण्डारण का वर्ष 2015–16 में सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 1339 करोड़, सूचना एवं संचार संबन्धी सेवाओं का मूल्य वर्धन रू० 17153 करोड़ था जो विगत वर्ष 2014–15 से क्रमशः 3.1 प्रतिशत तथा 4.5 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय है कि प्रसारण सम्बन्धी सेवाओं को नई श्रृंखला में शामिल किया गया है। प्रदेश में यह क्षेत्र एक विकास की प्रेरक शक्ति के रूप में सामने आया है।

तालिका–9.02

परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़ रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	40481.42	40481.42	–
2012–13	49198.74	46044.82	13.7
2013–14	61021.26	51443.13	11.7
2014–15	73778.75	64306.15	25.0
2015–16	79143.01	68037.87	5.8

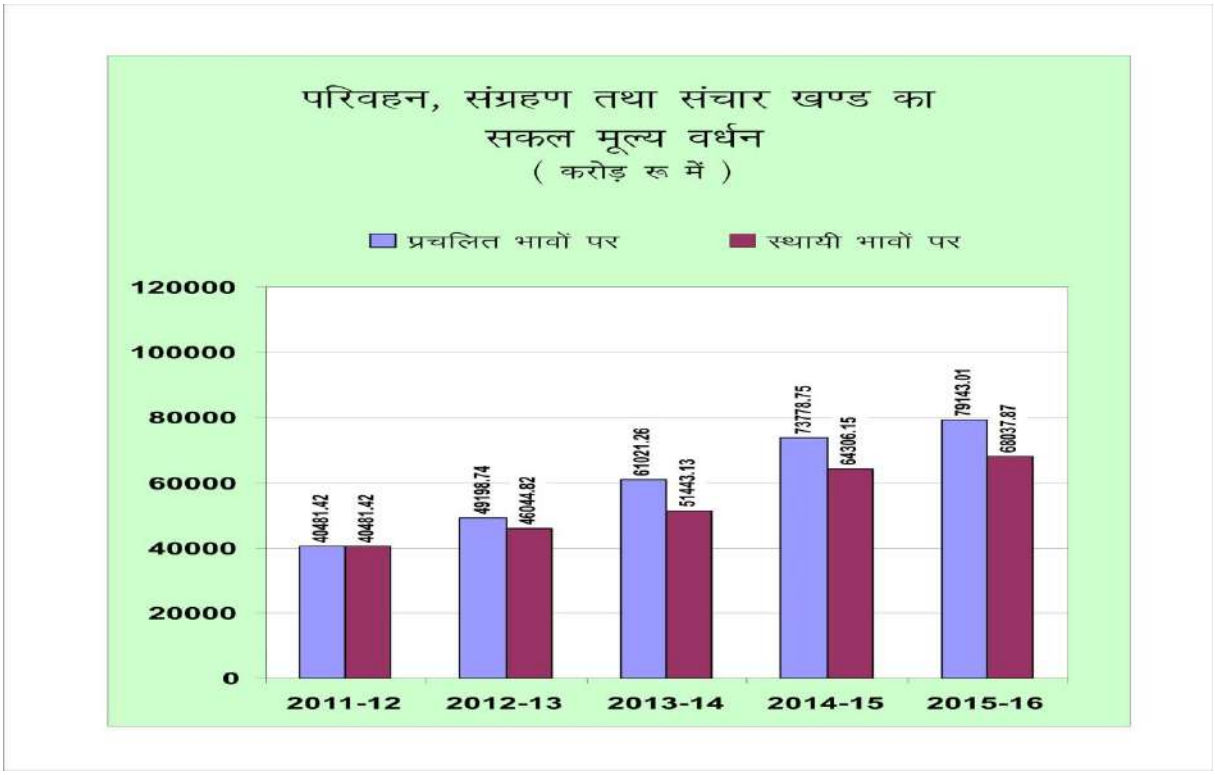

(2) व्यापार होटल एवं जलपान गृह

इस खण्ड में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह के साथ पर्यटन उद्योग भी शामिल है। वर्ष 2015–16 के त्वरित अनुमानों के अनुसार इस खण्ड का सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 मे रू० 69466 करोड़ था जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर रू० 86295 करोड़ हो गया है। वर्ष 2014–15 व वर्ष 2015–16 में इस खण्ड में क्रमशः 6.3 व 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 10.2 प्रतिशत था, जो घटकर वर्ष 2015–16 में 9.2 प्रतिशत रह गया है।

प्रदेश अपने पर्यटन क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का प्रयोग कर इस खण्ड की वृद्धि दर तथा योगदान को बढ़ा सकता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा दर्शाये गये आंकड़ों के आधार पर भारत वर्ष में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में उत्तर प्रदेश को तृतीय स्थान तथा भारतीय पर्यटकों में द्वितीय स्थान दर्शाया गया है। प्रदेश में वर्ष 2015 में कुल पर्यटक 2079.93 लाख में भारतीय पर्यटकों की संख्या 2048.88 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 31.04 लाख सम्मिलित हैं। पर्यटन उद्योग का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अग्रगामी तथा पश्चगामी प्रभाव होता है तथा यह क्षेत्र विकास के उत्प्रेरक के रुप में कार्य कर सकता है। प्रदेश में पर्यटन में विकास एवं रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन क्षेत्र की महत्ता के दृष्टिगत पर्यटन नीति 2016 का निर्माण किया गया है जिसमें प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध चुनौतियों को चिन्हित करते हुए पर्यटन नीति 1998 में चिन्हित प्रदेश के 7 पर्यटन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य नवीन क्षेत्रों की पहचान कर समस्त पर्यटन क्षेत्रों मे आधारभूत संरचना के विकास पर बल दिया गया है।

तालिका–9.03

व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का सकल मूल्य वर्धन

(करोड रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	69466	69466	–
2012–13	74725	69468	0.0
2013–14	87132	76469	10.1
2014–15	94476	81259	6.3
2015–16	97732	86295	6.2

(3) वित्तीय सेवाएं

इस खण्ड के अन्तर्गत समस्त वित्तीय सेवाएं सम्मिलित हैं। इस खण्ड में वर्ष 2015–16 के त्वरित अनुमानों के साथ सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में रू० 25182 करोड़ था जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर रू० 29429 करोड़ हो गया है। इस खण्ड में वर्ष 2014–15 व वर्ष 2015–16 में क्रमशः 3.8 प्रतिशत व 4.0 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 3.7 प्रतिशत रहा जो वर्ष 2015–16 में 3.4 प्रतिशत हो गया है। उल्लेखनीय है कि इस खण्ड के अनुमान हेतु प्रदेश स्तर पर आंकड़ों की उपलब्धता नहीं है, ये आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त होते हैं जो रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

तालिका–9.04

वित्तीय सेवायें खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	25182	25182	–
2012–13	28626	26523	5.3
2013–14	31334	27270	2.8
2014–15	33840	28297	3.8
2015–16	36345	29429	4.0

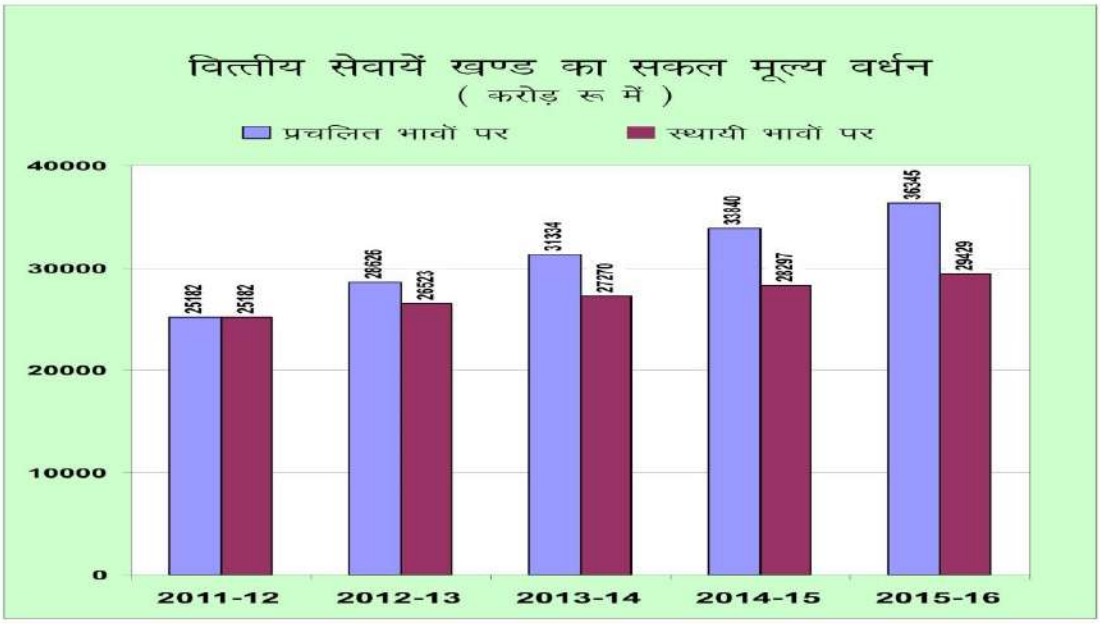

(4) स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं

इस खण्ड के अन्तर्गत स्थावर संपदा, कम्प्यूटर तथा सूचना सम्बन्धी सेवाएं, व्यवसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां, शोध एवं विकास गतिविधि सहित, प्रशासनिक तथा सहायक सेवाओं सम्बन्धी गतिविधियां, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस खण्ड में वर्ष 2015–16 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में रू० 97454 करोड़ था जो बढ़कर वर्ष 2015–16 में रू० 129395 करोड़ हो गया है। इस खण्ड में वर्ष 2014–15 व वर्ष 2015–2016 में क्रमशः 8.9 प्रतिशत व 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 14.3 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2015–16 में 15.8 प्रतिशत हो गया। सेवा खण्ड के अन्तर्गत इस उपखण्ड का योगदान सर्वाधिक है।

तालिका–9.05

स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	97454	97454	–
2012–13	115278	102406	5.1
2013–14	130185	109603	7.0
2014–15	149263	119403	8.9
2015–16	168275	129395	8.4

(5) सार्वजनिक प्रशासन

सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं के अन्तर्गत प्रदेश सरकार, प्रदेश की समस्त ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थाएं तथा छावनी परिषद को सम्मिलित किया जाता है। इस खण्ड में वर्ष 2015–16 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 42348 करोड़ था जो कि वर्ष 2015–16 में बढ़कर रू० 54727 करोड़ हो गया है। वर्ष 2014–15 व वर्ष 2015–16

में इस खण्ड में क्रमशः 4.6 प्रतिशत तथा 8.0 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में इस खण्ड का योगदान 6.2 प्रतिशत रहा है।

तालिका–9.06
सार्वजनिक प्रशासन खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	42348	42348	–
2012–13	50587	47261	11.6
2013–14	54835	48468	2.6
2014–15	59514	50689	4.6
2015–16	66356	54727	8.0

(6) अन्य सेवाएं

इस खण्ड के अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धी सेवाओं के साथ ही मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक, खेल–कूद गतिविधियां, संघों की सदस्यता सम्बन्धी गतिविधियां, व्यक्तिगत सेवाएं यथा वस्त्र उत्पाद की साफ–सफाई, बालों की कटिंग तथा अन्य ब्यूटी सैलून, दर्जी आदि की सेवाएं भी सम्मिलित है। इस प्रकार इस खण्ड में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं, जिनकी कई विशेषताएं और आयाम हैं। इस खण्ड में वर्ष 2015–16 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 35401 करोड़ था जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर रू० 45221 करोड़ हो गया है। वर्ष 2014–15 व वर्ष 2015–2016 में इस खण्ड में क्रमशः 9.9 प्रतिशत तथा 9.8 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुयी है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान 5.2 प्रतिशत था जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गया है।

तालिका–9.07
अन्य सेवाएं खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	35401	35401	–
2012–13	38629	35688	0.8
2013–14	43180	37466	5.0
2014–15	50083	41167	9.9
2015–16	57552	45221	9.8

सेवा क्षेत्र एवं रोज़गार

प्रदेश में सेवा क्षेत्र प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार मार्च, 2015 को सेवा क्षेत्र में 12.71 लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं।

तालिका–9.08

प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	243003
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	351
"जे"	सूचना एवं संचार	22888
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	102936
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	0
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	20506
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	357
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	541183
"पी"	शिक्षा	230910
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	102753
"आर"	कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	2155
"एस"	अन्य सेवा कार्य	3551
योग		**1270593**

****

अध्याय–10
अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार

अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत परिवहन, संचार, ऊर्जा तथा पेयजल विकास सम्बन्धी भौतिक सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इन सुविधाओं की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था के बिना समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। अवस्थापना सुविधाओं पर किया जा रहा निवेश, कृषि, उद्योग तथा व्यापार के विकास हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। राज्य में परिवहन एवं संचार व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाने की दृष्टि से प्रदेश में सड़क मार्गों, रेल मार्गों, वायु मार्गों, जल मार्गों एवं मेट्रो रेल के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है।

परिवहन

परिवहन एवं व्यापार सम्बंधी क्रिया–कलापों का विकास एवं विस्तार सड़कों के विकास पर भी निर्भर करता है। कृषि एवं औद्योगिक विकास में सड़क एवं संचार जैसी अवस्थापनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कच्चे मालों की आपूर्ति तथा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिये परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

सड़क

सड़क नेटवर्क अर्थव्यवस्था के निरन्तर और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक है। यह देश भर में यात्री की आवाजाही और माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है। परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाईल कनेक्टीविटी की भूमिका के वजह से प्रमुख है। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में भारत में यात्री और माल की आवाजाही तेज़ी से सड़क परिवहन क्षेत्र की ओर स्थानान्तरित हुआ है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में 28 राज्यों के आंकड़े जारी किये गये है जिसके अनुसार वर्ष 2011–12 में उत्तर प्रदेश में प्रतिलाख जनसंख्या पर सड़क घनत्व 195.54 किमी जबकि राष्ट्रीय औसत 387.57 किमी था इसी प्रकार प्रति सौ वर्ग किमी क्षेत्रफल पर सड़क घनत्व 161.98 किमी था जबकि राष्ट्रीय औसत 142.68 किमी था। प्रतिलाख जनसंख्या पर सड़क घनत्व में उत्तर प्रदेश 25वें एवं प्रति सौ वर्ग किमी के क्षेत्रफल पर सड़क घनत्व में 9वें स्थान पर रहा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2011–12 में सड़क परिवहन एवं रेलवे द्वारा कुल यात्रियों की आवाजाही में से 86 प्रतिशत यात्री सड़क परिवहन द्वारा आवाजाही किये। माल की ढुलाई के सम्बन्ध में यह आंकड़ा 64.5 प्रतिशत था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2001–2011 के मध्य वाहन संख्या की वृद्धि दर 10 प्रतिशत रही जबकि इस अवधि में सड़क नेटवर्क में 3.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है फलस्वरूप कई हिस्सों पर सड़क की क्षमता संतृप्त हो गयी।

प्रदेश के विकास के लिये अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्गों एवं सेतुओं की भी विशेष भूमिका है। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत मार्गों की कुल लम्बाई सम्बन्धी आंकड़ें तालिका–10.01 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.01

उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत पक्की सड़कों की लम्बाई

(कि.मी. में)

सड़कों का वर्गीकरण	वर्ष के अन्त में	सीमेन्ट कंक्रीट	तारकोल	कंकड़ पत्थर की सतह	सीमेन्ट कंक्रीट ट्रैक्स	योग
1	2	3	4	5	6	7
राष्ट्रीय राज मार्ग	2014–15	–	3588	–	–	3588
	2015–16	–	2267	–	–	2267
राज्य राज मार्ग	2014–15	39	7489	11	4	7544
	2015–16	–	7147	–	–	7147
जिले की अन्य सड़कें	2014–15	3265	207523	741	64	211594
	2015–16	–	216679	–	–	216679
कुल सड़कें	2014–15	3304	218601	753	68	222725
	2015–16	–	226093	–	–	226093

– शून्य या नगण्य।

स्रोतः– प्रमुख अभियन्ता मार्ग सर्वेक्षण खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग, उ.प्र.।

वर्ष 2015–16 में प्रति लाख जनसंख्या पर लोक निर्माण विभाग के अधीन पक्की सड़कों की लम्बाई 104.12 किलो मीटर थी, वहीं प्रति हजार वर्ग किलो मीटर क्षेत्रफल पर लोक निर्माण विभाग के अधीन पक्की सड़कों की लम्बाई 938.15 किलो मीटर थी।

सड़क निर्माण को अवस्थापना घटक मानते हुए प्रदेश में विभिन्न सड़क निर्माण/मरम्मत सम्बन्धी योजनायें संचालित की जा रही हैं जिनका विवरण निम्नवत है–

1.जिला मुख्यालयों को चार लेन मार्गों से जोड़ना

प्रदेश को सुगम यातायात उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से समस्त जिला मुख्यालयों को 4 लेन चौड़े मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2012–13 में प्रारम्भ की गयी थी। प्रदेश के 30 जिला मुख्यालय 4 लेन/2 लेन विद पेव्ड शोल्डर मार्ग से पूर्व से ही जुड़े हुए हैं तथा 10 जिला मुख्यालय भारत सरकार की स्वीकृत योजना (एनएचडीपी) के अन्तर्गत प्रस्तावित 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गो से जुड़ जायेंगे तथा 9 जिला मुख्यालय 2–लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं जो 2–लेन विद पेव्ड शोल्डर किए जाने हेतु भारत सरकार की स्वीकृत योजना (एनएचडीपी) एवं 02 जिला मुख्यालय (बहराइच एवं सिद्धार्थनगर) एन0एच0 के अन्तर्गत ई0पी0सी0 मोड पर प्रस्तावित 2 लेन (विद पेव्ड शोल्डर) राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जायेंगे।

03 जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्ग से जोड़े जाने का कार्य उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) के अन्तर्गत प्रस्तावित/निर्माणाधीन हैं। लो0नि0वि0 बजट द्वारा 03 जिला मुख्यालय (चित्रकूट, महोबा एवं कुशीनगर) जो राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित हैं उन्हे लो0नि0वि0 बजट से एन0एच0 द्वारा 2 लेन मार्ग से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। 18 जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्ग से इस प्रकार कुल 21 जिला मुख्यालयों को जोड़ने का कार्य लो0नि0वि0 के अन्तर्गत प्रस्तावित/निर्माणाधीन है।

वर्ष 2015–16 में लो0नि0वि0 द्वारा सम्भल, श्रावस्ती तथा फर्रूखाबाद को जोड़ा गया तथा एन0एच0ए0आई0 द्वारा हमीरपुर, हाथरस, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़ व बुलन्दशहर को फोर लेन मार्ग से

जोड़ा गया तथा वर्ष 2016–17 में लो0नि0वि0 द्वारा अन्य मार्ग से अब तक शामली जनपद को फोर लेन मार्ग से जोड़ा जा चुका है।

2.ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ना

प्रदेश सरकार की सम्पर्क मार्गो से असंतृप्त समस्त बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़े जाने की प्राथमिकता है।

तालिका–10.02

2016–17 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लक्ष्य एवं प्रगति

क्र.सं.	कार्य/योजना का नाम	इकाई	2016–17 का लक्ष्य	2016–17 में अद्यतन उपलब्धि
1.	ग्रामीण मार्गों का नव निर्माण/पुनर्निर्माण	किमी0	6087	2989
2.	ग्राम /बसावटों को जोड़ा जाना	संख्या	2165	1184
3.	विभिन्न श्रेणी के मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	किमी0	7511	3652
4.	जिला मुख्यालय को 4 लेन मार्ग से जोड़ा जाना	संख्या	9	2
5.	नदी सेतुओं का निर्माण कार्य	संख्या	170	80
6.	रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण	संख्या	39	8
7.	कोर नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण	किमी0	5278	4104

इन बसावटों को निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है–

(i) डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना

राजस्व ग्रामों के चहुँमुखी विकास हेतु प्रदेश में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना वर्ष 2012 में लागू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में 1598 तथा उसके पश्चात अनुवर्ती 04 वर्षों में 2100 ग्राम प्रतिवर्ष अर्थात कुल 9998 राजस्व ग्रामों का चयन किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य उन राजस्व ग्रामों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, जो विकास के आधारभूत सुविधाओं यथा सम्पर्क मार्ग, पेयजल इत्यादि से वंचित हैं। योजनान्तर्गत 9998 चयनित ग्रामों में सम्पर्क मार्गो हेतु वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 से अधिक आबादी की समस्त बसावटों को सम्पर्क मार्गो से जोड़ा जाना लक्षित है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 420.00 करोड़ बजट प्राविधान था। वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत 1189.02 किमी0 लम्बाई एवं लागत रू0 499.34 करोड़ से 674 ग्रामों की बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 800.00 करोड़ (एक मुश्त व्यवस्था) का बजट है। वर्ष 2016–17 में इस योजनान्तर्गत 1269 कार्यों, जिनकी लम्बाई 1363.75 कि0मी0 एवं लागत रू0 642.6522 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(ii) श्री राम शरण दास ग्राम सड़क योजना

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं कृषि विपणन सुविधाओं को बढ़ाने हेतु प्रदेश में 6221 ऐसी बसावटें जिनकी आबादी 500 अथवा उससे अधिक है (जो पी.एम.जी.एस.वाई. से आच्छादित नहीं हैं) को श्री राम शरण दास ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु योजना संचालित है। वर्ष 2016–17 में लो0नि0वि0 द्वारा 1327 बसावटें, लम्बाई 1330.77 किमी0, लागत 562.4442 करोड़ से जोड़ी गईं।

(iii) अनुसूचित जाति सब प्लान/ट्राईबल सब प्लान

अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत ऐसी बसावटों जिनकी आबादी 250 अथवा उससे अधिक है एवं जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है, को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा रहा है तथा एस0सी0पी0 के अन्तर्गत पूर्व से निर्मित परन्तु ध्वस्त हो चुके सम्पर्क मार्गों का भी पुनर्निर्माण किया गया है। वर्ष 2014–15 में 1055 बसावटों/मजरों को, लम्बाई 805.15 किमी0, रू0 365.09 करोड़ की लागत से सम्पर्क मार्ग से संतृप्त किया गया है। वर्ष 2015–16 में रू0 30.00 करोड़ की लागत से बसावटों के सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण किया गया है।

तालिका–10.03
बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की वर्तमान स्थिति

	1000+	500.999	250.499	<250	योग
कुल बसावटों की संख्या	41170	49319	55301	69307	215097
पूर्व से जुड़ी हुई बसावटों की संख्या	28232	20440	15060	13401	77133
अनजुड़ी बसावटों की संख्या	12938	28879	40241	55906	137964
पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत जोड़ी गई बसावटों की संख्या	6815	4700	709	478	12702
अन्य योजनाओं अन्तर्गत जोड़ी गई बसावटों की संख्या	6123	24174	25900	30225	86422
अवशेष अनजुड़ी बसावटों की संख्या	0	5	13632	25203	38840

3.मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

समस्त एक लेन चौड़े राज्य मार्ग तथा महत्वपूर्ण मुख्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्गों को यातायात की माँग के अनुसार चरणबद्ध रूप से 02 लेन किये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त भारी यातायात के कारण क्षतिग्रस्त ऐसे प्रमुख/अन्य जिला मार्ग जो नवीनीकरण/विशेष मरम्मत योग्य नहीं हैं, उनका सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में राज्य योजना के अन्तर्गत 416.80 कि0मी0 राज्य मार्ग, 425.37 कि0मी0 प्रमुख/अन्य जिला मार्ग, राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत 568.61 कि0मी0 राज्य मार्ग तथा 1436.52 कि0मी0 प्रमुख /अन्य जिला मार्ग, एवं अन्य योजनाओं से 1849.15 कि0मी0 मार्ग, इस प्रकार कुल 4696.45 कि0मी0 मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया गया। वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के अन्तर्गत 890.62 कि0मी0 राज्य मार्ग, 1577.07 कि0मी0 प्रमुख/अन्य जिला मार्ग, राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत 755.64 कि0मी0 राज्य मार्ग तथा 1873.21 कि0मी0 प्रमुख/अन्य जिला मार्ग, एवं अन्य योजनाओं से 2763.72 कि0मी0 मार्ग इस प्रकार कुल 7860.26 कि0मी0 मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जाना लक्षित था जिसके सापेक्ष 5914.54 किमी0 का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया है।

4.कोर रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण

प्रदेश में महत्वपूर्ण मार्गों का एक कोर रोड नेटवर्क के अन्तर्गत 16545 कि0मी0 लम्बाई के मार्गों को चिन्हित किया गया है जिसमें 7530 किमी0 राज्य मार्ग, 5761 किमी0 प्रमुख जिला मार्ग तथा 3254 किमी0 अन्य जिला मार्ग सम्मिलित हैं। वर्ष 2016–17 हेतु 4306.45 कि0मी0 लम्बाई सुदृढ़ीकरण हेतु लक्षित है। इस हेतु रू0 100.00 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है। इसके अतिरिक्त 971.47 किमी0 लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य किया जाना लक्षित है। इस प्रकार वर्ष 2016–17 में कुल लक्षित 6497.65 कि0मी0 में से 4104.43 कि0मी0 मार्गों की दशा का सुधार कर लिया गया है।

5.पी0पी0पी0 माडल पर उपशा द्वारा मार्ग निर्माण

वर्ष 2004 में राज्यमार्ग एवं अन्य मार्गों के निर्माण व अनुरक्षण हेतु उपशा का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया था। पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत उपशा द्वारा दिल्ली सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग, बरेली अल्मोड़ा मार्ग तथा वाराणसी शक्तिनगर मार्ग कराया जा रहा है। बरेली–अल्मोड़ा मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2015–16 तक वाराणसी–शक्ति नगर मार्ग पर लक्ष्य 113.44 किलो

मीटर के सापेक्ष 84.18 किलोमीटर का निर्माण हो चुका हैं। दिल्ली–सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग पर अब तक लक्ष्य 206.09 किलो मीटर के सापेक्ष 3.9 किलो मीटर का निर्माण कराया जा चुका है।

6.सेतु व रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत 60 मीटर से अधिक लम्बाई के दीर्घ सेतुओं का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा तथा 60 मीटर से कम लम्बाई के लघु सेतुओं का निर्माण लो0नि0वि0 द्वारा किया जाता है। रेल उपरिगामी सेतुओं के अतिरिक्त सभी पहुँच मार्ग लो0नि0वि0 द्वारा निर्मित किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 120 लघु सेतु, 100 दीर्घ सेतु तथा 17 रेल उपरिगामी सेतुओ को पहुँच मार्ग सहित पूर्ण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में 70 दीर्घ सेतु, 100 लघु सेतु व 39 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष 37 दीर्घ सेतु, 43 लघु सेतु तथा 08 रेल उपरिगामी सेतु का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

7.इण्डो नेपाल बार्डर मार्ग

उत्तर प्रदेश में भारत–नेपाल सीमा पर मार्ग निर्माण की परियोजना का सैद्धान्तिक अनुमोदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2010 में अनुमोदित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग उत्तर प्रदेश के सात जनपद क्रमशः पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्वार्थनगर तथा महराजगंज से होकर गुजरता है।

इस परियोजना की मूल अनुमोदित लम्बाई 640.00 कि0मी0 तथा लागत रू0 1621.00 करोड़ है। विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को कुल 28 डी0पी0आर0, लम्बाई 574.59 कि0मी0 एवं आंकलित लागत रू0 2805.56 करोड़ गठित कर प्रेषित की गयी। इसके विरूद्ध कुल 12 डी0पी0आर0 लम्बाई 257.01 कि0मी0 एवं लागत रू0 735.83 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार द्वारा निर्गत कर दी गयी है, जिसमें भारत सरकार का अंश रू0 659.74 करोड़ एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाला अंश रू0 76.09 करोड़ है। तदुपरान्त उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा निर्गत स्वीकृति के अनुसार कुल स्वीकृत लागत रू0 756.10 करोड़ के सापेक्ष भारत सरकार का अंश रू0 667.85 करोड़ तथा राज्यांश रू0 88.26 करोड़ है।

स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मात्र मार्ग निर्माण पर आने वाले व्यय का ही वहन किया जायेगा, जबकि संरक्षण पर आवश्यक भूमि अध्याप्ति, वन एवं वन्य जीव पूर्वानुमति के फलस्वरूप एन0पी0वी0 का भुगतान एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग पर आने वाला व्यय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत 12 कार्यों का अनुबंध गठित किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत कुल लंबाई 252 कि0मी0 में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। स्वीकृत/अनुबंधित कार्यो पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। मार्च, 2016 तक निर्माण कार्यो पर रू0 258.36 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में निर्माण कार्यो हेतु रू0 72.68 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी है, जिसके सापेक्ष सितम्बर, 2016 तक रू0 3.00 करोड़ की धनराशि का व्यय किया जा चुका है।

परियेाजना के अंतर्गत आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किये जाने हेतु जनपदवार कुल रू0 173.52 करोड़ के आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। परियोजना के अंतर्गत आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किये जाने का कार्य प्रगति पर है। मार्च, 2016 तक रू0 76.02 करोड़ की धनराशि का व्यय करते हुये 88.44 कि0मी0 लम्बाई में 128.29 हेक्टेअर भूमि का क्रय किया जा चुका है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली द्वारा अनुमोदित इण्डो–नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के स्वीकृत कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 350.00 करोड़ एवं वर्ष 2016–17 में रू0 31.57 करोड़ कुल रू0 381.57 करोड़ की धनराशि उत्तर प्रदेश शासन के पक्ष में अवमुक्त की जा चुकी है।

8.जनपद आगरा, लखनऊ, इटावा तथा मथुरा में साइकिल ट्रैक का निर्माण

राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं आर्थिक स्तर पर लाभदायक साइकिल के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु तथा साइकिल सवारों की सुरक्षा हेतु अलग से साइकिल ट्रैक का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार का मत है कि साइकिल यातायात के मुख्य यातायात से अलग होने पर दुर्घटनाओं में भी उल्लेखनीय कमी आयेगी। वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में जनपद आगरा, लखनऊ, इटावा तथा मथुरा अन्तर्गत लगभग 80 कि0मी0 लम्बाई में साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया जाना था, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 में 56.96 किमी0 लम्बाई में साईकिल ट्रैक का निर्माण कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में साईकिल ट्रैक का निर्माण कार्य का लक्ष्य 48.00 कि0मी0 निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष सितम्बर, 2016 तक 24.34 किमी0 लम्बाई में साईकिल ट्रैक का निर्माण कराया जा चुका है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुगम परिवहन सेवायें सुलभ कराने के उददे्श्य से उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गयी हैं। इन सेवाओं से सम्बंधित आंकड़े तालिका–10.04 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.04

उत्तर प्रदेश में राजकीय सड़क परिवहन परिचालन के आंकड़े

मद	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16*	2014–15 की अपेक्षा 2015–16 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1–औसत परिचालित बसे **(सं0)**	8634	9318	9128	9269	1.5
2–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्ग **(संख्या)**	2428	2403	2384	2647	11.0
3–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की औसत लम्बाई **(कि0मी0)**	237	241	236	236	0.0
4–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की कुल लम्बाई **(हजार कि.मी.)**	576	580	562	625	11.2
5–दैनिक कुल परिचालित दूरी **(हजार कि0 मी0)**	3052	3220	3169	3238	2.2
6–प्रतिदिन ले जाये गये यात्री **(लाख)**	14.43	14.67	14.90	15.19	1.9
7–दुर्घटनायें **(प्रति लाख कि0मी0)**	0.09	0.08	0.08	0.07	(–)12.5
8–कुल दुर्घटनायें **(संख्या)**	798	766	726	630	(–)13.2

***अनन्तिम**

स्रोतः– उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण आवागमन एवं यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरुप मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में राजकीय एवं निजी क्षेत्रों के गाड़ियों से सम्बंधित आंकड़े तालिका 10.05 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.05

उत्तर प्रदेश में सड़क पर चल रही मोटर गाड़ियां (राजकीय व निजी क्षेत्र)

मद	मोटर गाड़ियों की संख्या (31 मार्च को)				2014–15 की अपेक्षा 2015–16 में प्रतिशत वृद्धि	गाड़ियों का प्रतिशत अंश	
	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16*		2014–15	2015–16
1	2	3	4	5	6	7	8
1–मोटर साईकिल	13724495	15395363	17398458	19258791	10.7	80.4	80.5
2– कार	1205374	1686747	2063230	2330459	13.0	9.5	9.7
3– बस	49830	55127	51866	57939	11.7	0.3	0.2
4–टैक्सी	284684	312520	350855	380024	8.3	1.6	1.6
5–ट्रक	400226	401283	445675	494714	11.0	2.1	2.1
6–ट्रैक्टर	1088058	1147190	1197985	1276927	6.6	5.5	5.3
7– अन्य	305108	126252	127461	137512	7.9	0.6	0.6
कुल	**17057775**	**19124482**	**21635530**	**23936366**	**10.6**	**100.0**	**100.0**

***अनन्तिम**

स्रोतः–परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम।

मेट्रो रेल

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना (एल0एम0आर0सी0)

प्रदेश की राजधानी में तीव्र, सुखद, सुरक्षित तथा मितव्ययी मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया। यह परियोजना राजधानी वासियों एवं आगन्तुकों को एक सुविधा जनक, सुरक्षित, विश्वसनीय तथा किफायती मल्टी मॉडल ट्रांस्पोर्ट सिस्टम प्रदान करेगी।

इस हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन वर्ष 2013 में हुआ है, जोकि भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विशेष प्रयोजन साधन उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरणवार निष्पादन के दायित्व के साथ स्थापित की गई है।

अवस्थिति

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण (फेज–1ए)– नार्थ–साउथ कॉरिडोर (चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया) 22.878 किमी. तक शहर की व्यस्त व्यवसायिक तथा आवासीय क्षेत्रों हेतु चिन्हित किया गया है।

नार्थ–साउथ कॉरिडोर की लम्बाई 22.878 किमी. है जोकि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से लेकर मुंशी पुलिया तक है। 22.878 किमी. में से भूमिगत मेट्रो की दूरी 3.440 किमी. है जो कि चारबाग से लेकर के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम तक होगा तथा शेष 19.438 किमी. मेट्रो भूमि से ऊपर एलिवेटेड के रूप में होगी।

लागत

तालिका–10.06

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना लागत

परियोजना लागत	
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	रू0 5590 करोड़
अनुमोदित समापन लागत	रू0 6880 करोड़
परियोजना की अनुमानित समापन लागत	रू0 6880 करोड़

तालिका–10.07

वित्त पोषण के अन्तर्गत विशेष प्रयोजन साधन मॉडल (केन्द्रीय करों के साथ)

विवरण	धनराशि (करोड़ में)	अंशदान (प्रतिशत में)
भारत सरकार की अंशपूंजी	1003	15.43
भारत सरकार– केन्द्रीय करों हेतु सबऑर्डिनेट ऋण	297	4.57
भारत सरकार द्वारा कुल अंशदान	**1300**	**20.00**
उ0प्र0 सरकार की अंशपूंजी	1003	15.43
उ0प्र0 सरकार– केन्द्रीय करों हेतु सबऑर्डिनेट ऋण	449	6.91
स्थानीय निकायों से अनुदान	245	3.77
द्विपक्षीय/बहुपक्षीय ऋण	3502	53.89
योग	**6499**	**100.00**
उ0प्र0 सरकार–भूमि हेतु सबऑर्डिनेट ऋण	381	
कुल योग	**6880**	
ऋण प्रदायी संस्था द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर निर्माण के समय ब्याज के रूप में अतिरिक्त सहायता के माध्यम से पारित धनराशि	48	
कुल योग	**6928**	

प्रगति

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना पर वर्तमान में दिनांक 30.08.2016 तक रू० 410.00 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना हेतु निम्नलिखित धनराशियाँ उपलब्ध करायी जा चुकी है।

- वित्तीय वर्ष 2013–14 20 करोड़
- वित्तीय वर्ष 2014–15 145 करोड़
- वित्तीय वर्ष 2015–16 825 करोड़
- वित्तीय वर्ष 2016–17 814 करोड़

अगस्त, .2016 में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की अवस्थिति

(i) नार्थ–साउथ कॉरिडोर की भौतिक प्रगति (22.878 किमी.) – 36.43 %
(एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया)
(ii) नार्थ–साउथ कॉरिडोर की वित्तीय प्रगति (22.878 किमी.) – 39.08 %
(एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया)

प्रभाव

नगरीय अधोसंचना को विकसित करने में यह परियोजना सहायक सिद्ध होगी। यह परियोजना पर्यावरण के दृष्टिगत सकारात्मक प्रभावी होगी जैसे कि यातायात अवरोध में कमी, कम समय में लम्बी दूरी की यात्रा, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण में कमी, ईंधन का कम उपभोग तथा सड़क दुर्घटना इत्यादि में कमी आएगी। लखनऊ के अतिरिक्त कानपुर, वाराणसी, मेरठ तथा आगरा मे भी मेट्रो परियोजना प्रस्तावित है। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन (एल0एम0आर0सी0) को ही इन शहरों में भी मेट्रो की डीपीआर तैयार करने हेतु समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। उक्त के अतिरिक्त झांसी तथा गोरखपुर में भी मेट्रों संचालित करने की योजना है।

विद्युत

राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। **12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017)** में इस मद हेतु 49839.95 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत है, जिसमें से उक्त मद पर वर्ष 2013–14 में 6975.00 करोड़ रुपये व्यय किये गये। वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में उक्त मद पर व्यय (आंतरिक संसाधनों एवं अन्य स्त्रोतों से व्यय सम्मिलित) क्रमशः 7486.52 एवं 10052.66 करोड़ रुपये रहा।

तालिका–10.08
उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2014–15	2015–16	
1	2	3	4	5
1	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	6159.0	6159.0	0
2	उपभोग (मिलियन यूनिट)	63396.8	68825.1	8.6
3	कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	26369.1	28043.5	6.3
4	उपभोक्ताओं की संख्या(हजार में)	16418.0	17169.0	4.6
5	राजस्व वसूली (करोड़ रु0)	26323.5	31487.9	19.6
6	विद्युत बकाया (करोड़ रु0)	23130.2	25029.5	8.2

स्रोत– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नियोजन स्कन्ध, लखनऊ।

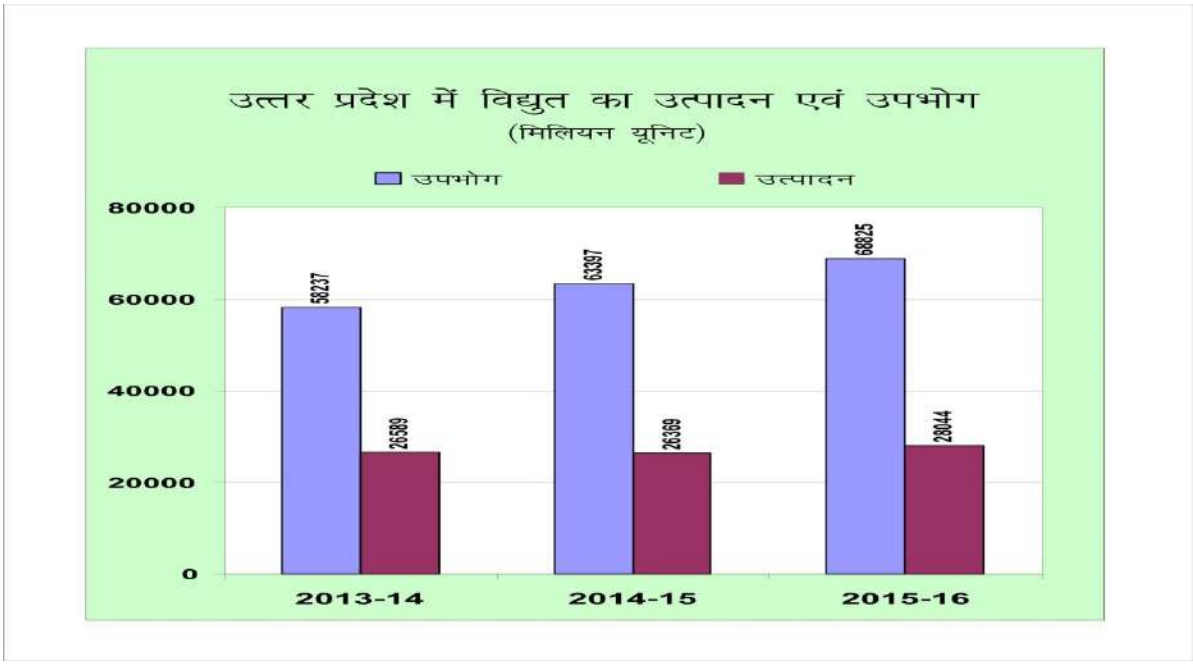

वर्ष 2013–14 में तापीय विद्युत परियोजनाओं द्वारा 25321 मिलियन यूनिट, जल विद्युत परियोजनओं द्वारा 1268 मिलियन यूनिट, कुल 26589 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया। सहायक संयत्रों मे खपत की मात्रा 2445 मिलियन यूनिट को घटाने के पश्चात कुल शुद्ध उत्पादन 24144 मिलियन यूनिट रहा तथा इसी अवधि में कुल आयात (केन्द्र एवं अन्य) 58568 मिलियन यूनिट किया गया। इस प्रकार 2013–14 में बसबार पर कुल विद्युत उपलब्धता 82712 मिलियन यूनिट रही।

तालिका–10.09

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग की संख्या सम्बन्धी आंकड़े–2014–15

क्र.सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन (कि.वा.घंटा)	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि.वा.घंटा)
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	399	1040
2	बिहार	3	203
3	झारखण्ड	245	835
4	गुजरात	1482	2105
5	हरियाणा	1028	1909
6	कर्नाटक	876	1211
7	केरल	214	672
8	मध्य प्रदेश	603	813

9	छत्तीसगढ़	1362	1719
10	महाराष्ट्र	983	1257
11	ओडिशा	548	1419
12	पंजाब	1133	1858
13	राजस्थान	787	1123
14	तमिलनाडु	832	1616
15	पश्चिम बंगाल	385	647
16	उत्तर प्रदेश	229	502
17	उत्तराखण्ड	654	1358
18	हिमांचलप्रदेश	1553	1336
19	आसाम	62	314
20	गोवा	6	1803
भारत		**902**	**1010**

स्रोत–केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार।

विद्युतीकृत ग्राम–

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या वर्ष 2014–15 में 96285 है, जो कि उत्तर प्रदेश में कुल आबाद ग्रामों का 98.44 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, सिक्किम एवं गोवा ऐसे राज्य हैं जहाँ शत–प्रतिशत ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। उ0 प्र0 में इस ओर और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के गांवों और अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाता है। प्रदेश में कुल आबाद ग्रामों में से वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के अन्त तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 87086 ही रही। वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के अन्त तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या बढ़कर क्रमशः 87207 एवं 87585 हो गयी।

अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण

प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों की दशा सुधारने के लिये उनमें विद्युतीकरण हेतु यथोचित प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के अन्त तक क्रमशः 99173, 99461 एवं 99461 अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण कार्य किया जा चुका है। वर्ष 2015–16 के अन्त तक उक्त संख्या बढ़कर 99462 हो गयी।

नलकूल/पम्प सेट्स का ऊर्जीकरण

सिंचाई के सुनिश्चित साधनों के प्रसार हेतु प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक नलकूल/पम्प सेट्स का ऊर्जीकरण किया जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के अन्त तक उत्तर प्रदेश में उर्जीकृत नलकूपों/पम्पसटों की संख्या 11.08 लाख करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2012–13 के अन्त तक उक्त संख्या बढ़कर 10.06 लाख वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के अन्त तक उर्जीकृत नलकूपो/पम्पसेटों की संख्या बढ़कर क्रमशः 10.36, 10.57 एवं 10.86 लाख हो गयी है।

पारेषण लाइनों का विस्तार

प्रदेश में विद्युत उपभोग की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पारेषण लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के अन्त तक पारेषण लाइनों का विस्तार 36845 सर्किट/कि.मी. तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उक्त लम्बाई वर्ष 2012–13 में 26058 सर्किट/कि0मी0 थी। वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में पारेषण लाईनों की लम्बाई क्रमशः 27627 सर्किट/कि0मी0 29105 सर्किट/कि0मी0 एवं 30150 सर्किट कि0मी0 हो गयी।

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं आपूर्ति मे सुधार हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण

1. प्रदेश में समुचित एवं सुचारु विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये पारेषण तंत्र के 765 के0वी0 के 2, 400 के0वी0 के 15, 220 के0वी0 के 32 एवं 132 के0वी0 के 50 उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य चल रहा है।

2. विजन 2016 के अर्न्तगत राज्य सरकार के माह अक्टूबर 2016 से महानगर/जनपद मुख्यालय एवं तहसीलों या ग्रामीण क्षेत्रों को क्रमशः न्यूनतम 24/22 घण्टे एवं 16 घण्टे सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति देने के निर्णय के क्रम में प्रणाली सुदृढीकरण हेतु 329 नग नये 33/11 केवी उपकेन्द्रों, संबंधित 33 केवी लाईन तथा 4800 कि0मी0 11 केवी लाइनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से माह अक्टूबर 2016 तक 215 नग नये 33/11 केवी उपकेन्द्रों एवं संबंधित लाईन का निर्माण किया जा चुका है।

3. (अ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (11वीं योजना)

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण (11 वीं योजना) के अर्न्तगत प्रदेश के 22 जनपदों में 300 से अधिक आबादी वालें ग्रामों/मजरों की रू0 4621 करोड़ की लागत से 630 अविद्युतीकृत ग्राम व 32031 अविद्युतीकृत मजरों का सघन विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। माह अक्टूबर, 2016 तक 25478 मजरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 413286 बी0पी0एल0 कनेक्शन निर्गत किये जा चुके है।

(ब) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12 वीं योजना)

12 वीं योजना के अर्न्तगत 64 जनपदों के 100 से अधिक आबादी वालें 140651 मजरों के सघन विद्युतीकरण के कार्य हेतु रू0 7282 करोड़ की योजना चल रही है। माह अक्टूबर, 2016 तक 56965 मजरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 540652 बी0पी0एल0 कनेक्शन निर्गत किये जा चुकें है।

4. नगरों/शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति देने, लाईन हानियों में कमी लाने उपभोक्ताओं की संतुष्टि तथा नगरों के सौन्दर्यीकरण हेतु 36 नगरों (रामपुर, ब्रह्मपुरी, कन्नौज, तिर्वा, सैफई, हमीरपूर, महोबा, मैनपुरी, ललितपुर, उरई, चित्रकूट, वृन्दावन, गोवर्धन, परिक्रमा मार्ग, चरखारी, शमशाबाद, अलीगढ़, सैफई टनल, फिरोजाबाद, कानपुर, महमूदाबाद, बहराइच, बदायूं, सहसवां, बाराबंकी, फैजाबाद, एवं अयोध्या, लखनऊ–लेसा, लखनऊ–चौक, मऊ–आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, इलाहाबाद, कुशीनगर, बस्ती, एवं हरैया) में अण्डरग्राउन्ड केबिलंग का कार्य लक्षित है जिसमें रू0 1826.97 करोड़

का व्यय होगा। इनमें से चार स्थानों (तिर्वा, सैफई, चित्रकूट एवं वृन्दावन) पर कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

5. **(अ)** प्रदेश की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु विद्युत उत्पादन बढ़ाया जाना लक्षित है। इस के लिए कई बड़े विद्युत उत्पादन केन्द्रों (पावर हाउसों) की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की क्षमता 4933 मेगावाट है जिसमें वर्ष 2022 तक कुल 6000 मेगावाट की वृद्धि होने की सम्भावना है।

(ब) ललितपुर पावर प्रोजेक्ट की 1980 मेगावाट को उत्पादन क्षमता की इकाई की स्थापना की जा चुकी है जिसमें से 660 मेगावाट का उत्पादन 20 सितम्बर, 2015 से प्रारम्भ हो गया है एवं शेष ईकाईयों से उत्पादन अक्टूबर 2016 से प्रारम्भ हो गया है।

(स) बारा ताप विद्युत गृह की प्रथम एवं द्वितीय इकाई से उत्पादन क्रमशः फरवरी 2016 एवं सितम्बर 2016 से प्रारम्भ हो गया है एवं तीसरी इकाई से उत्पादन फरवरी 2017 में प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

(द) विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु 2525 मेगावाट के क्रय अनुबन्ध हस्ताक्षरित हो चुके है जिससे 740 मेगावाट बिजली मिलना शुरू हो गया है एवं शेष 1785 मे0वा0 की विद्युत आपूर्ति **(पी0जी0सी0आई0एल0)** द्वारा **(एम0टी0ओ0ए0/एल0टी0ए0)**कें क्रमवार कमीशनिंग के साथ प्रारम्भ हों जाएगी। 3800 मेगावाट विद्युत क्रय हेतु प्रक्रिया चल रही है।

सुधारात्मक कदम–

विद्युत क्षेत्र में हानियों को कम करने हेतु उठाए गये सुधारात्मक कदम निम्नवत् है–

(1) विद्युत चोरी रोकने हेतु छापा, विच्छेदन तथा प्राथमिकी दर्ज (एफ0आई0आर0) करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) अपेक्षा कृत अधिक विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं के यहाँ आटोमेटेड मीटर रीडिंग की व्यवस्था की गयी है।

(3) कटिया कनेक्शन रोकने हेतु ए0बी0सी0 कन्डक्टरर्स को इन्स्टॉल किया जा रहा है।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों के नवीन विद्युतीकरण में एच0वी0डी0एस0 प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है।

(5) यांत्रिक मीटर के स्थान पर इलेक्ट्रानिंक मीटर लगाये जा रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संग्रह हेतु फ्रेन्चाइजी व्यवस्था की स्वीकृति।

(6) लागत आधारित फ्रेन्चाइजी व्यवस्था का क्रियान्वयन।

(7) विद्युत बिलों के भुगतान हेतु ऑन लाइन पेमेन्ट गेटवे की शुरूआत आदि।

उक्त सुधारात्मक कदमों के परिणाम स्वरूप टी0 एण्ड डी0 हानियां 40 प्रतिशत से घटकर 29 प्रतिशत हो गयी है। राजस्व संग्रह क्षमता भी बढ़कर 92 प्रतिशत हो गयी है।

वैकल्पिक ऊर्जा

प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए ऊर्जा की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के परम्परागत स्त्रोतों में निरंतर कमी होने एवं उनके अधिकाधिक उपयोग से बढ़ती पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या के निदान हेतु ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्रोतो के उपयोग को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। इस परिपेक्ष में वर्ष 1983 में प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण (यू0पी0नेडा) का गठन किया गया।

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अभिकरण द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एवं ऊर्जा सरंक्षण जैसे अनेको ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकी के विकास एवं प्रचार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) में रू0 1500 करोड का परिव्यय स्वीकृत है। जिसमें से वर्ष 2012–13 में रू0 33.82 करोड. 2013–14 में रू0 41.35 करोड.,

2014–15 में रू0 99.30 करोड. एवं 2015–16 में 452.67 करोड. रूपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रम में व्यय की गयी। वित्तीय 2016–17 में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु रू0 259.60 करोड. की धनराशि का प्राविधान है।

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन(ग्रिड संयोजित)

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2013 प्रख्यापित की गयी है, यह नीति मार्च 2017 तक प्रभावी है। इस नीति के अन्तर्गत मार्च, 2017 तक कुल 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियेाजनाओं की अधिस्थापना लक्षित है जिसके सापेक्ष प्रदेश में कुल 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की अधिस्थापना का आवंटन किया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित की जा रही परियोजनाओं के ग्रिड संयोजन के लिए पारेषण लाईन एवं विद्युत निकासी के अवस्थापना निर्माण पर व्यय वहन किया जा रहा है। सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत अधिस्थापित की जा रही परियोजनाओं से उत्पादित सौर पावर के क्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा जनरेशन बेस्ड इन्सेटिव यूपी पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जा रही है।

वर्ष 2015–16 में कुल 50 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनायें अधिस्थापित की गयी। प्रदेश में अब तक कुल 185 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं की अधिस्थापना करायी जा चुकी है। शेष कुल 315 मेगावट क्षमता की सौर पावर परियोजनाओं की अधिष्ठापना का कार्य प्रगति पर है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0प्र0 द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

यूपीनेडा एवं एनएचपीसी का संयुक्त उपक्रम

यूपीनेडा एवं एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम द्वारा 50 मेगावाट क्षमता का जनपद उरई में परियोजना स्थापित की जानी प्रस्तावित है। सौर ऊर्जा नीति 2013 के अन्तर्गत लक्षित 500 मेगावाट क्षमता के सापेक्ष उक्त परियोजना का सौर ऊर्जा नीति में प्राविधानित प्रोत्साहन एवं यूपीपीसीएल से पीपीए करने हेतु पावर पर्चेजिंग एग्रीमेन्ट किया जाना है। तत्क्रम में यूपीनेडा एवं एनएचपीसी के मध्य संयुक्त उपक्रम बनाने हेतु प्रमोटर्स अनुबन्ध व आर्टिकल आफ एसोसियेशन हस्ताक्षरित करते हुए संयुकत उपक्रम बनाने की कार्यवाही की जा रही है। 50 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजना की स्थापना एवं कमीशनिंग की कार्यवाही प्रगति पर है।

सोलर पार्क

प्रदेश की प्रख्यापित सौर ऊर्जा नति में सोलर पार्क स्थापित किये जाने का भी प्राविधान है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश में सोलर पार्क विकसित किये जा रहे हैं। प्रदेश में कुल 440 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्को की स्थापना जनपद जालौन में 265 मेगावाट, मिर्जापुर में 75 मेगावाट, इलाहाबाद में 50 मेगावाट एवं कानपुर देहात में 50 मेगावाट की जा रही है। सोलर पार्को में भूमि विकास के अतिरिक्त स्थापित सोलर पावर प्लाण्टों से उत्पादित विद्युत की निकासी संबंधित समस्त अवस्थापना व्यवस्था उपलब्ध होगी तथा सौर विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित सौर पावर को सोलर इनर्जी कारपोरेशन (एस0ई0सी0आई0) के माध्यम से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा क्रय किया जायेगा।

रूफटाप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्लाण्ट का कियान्वयन

प्रदेश सरकार द्वारा कैपटिव उपयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट नीति 2014 प्रख्यापित की गयी। इस नीति के अन्तर्गत मार्च, 2017 तक 20 मेगावाट क्षमता के ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना लक्षित है जिसके सापेक्ष अब तक प्रदेश में विभिन्न निजी आवासों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सरकारी/अर्द्धसरकारी एवं निजी संस्थानों व अन्य के भवनो के रूफटाप पर नेट मीटरिंग पर आधारित कुल 18 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की अधिस्थापना की गयी।

मिनी–ग्रिड सोलर पावर प्लान्ट परियोजना कार्यक्रम

विद्युत ऊर्जा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। विद्युत की पर्याप्त एवं विश्वसनीय उपलब्धता के बिना कोई भी क्रियाकलाप संभव नही हैं। प्रदेश में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र विद्युतीकरण से वंचित है तथा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रिड अत्यंत सीमित मात्रा में उपलब्ध हो पा रही है जिसके समाधान हेतु मिनी ग्रिड सोलर पावर प्लांट के माध्यम से स्थानीय एवं विकेन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध अक्षय ऊर्जा स्रोतो से विद्युत ऊर्जा उत्पादित कर उस क्षेत्र को विद्युतीकृत कर ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में मिनीग्रिड परियोजना की स्थापना हेतु निजी विकासकर्ताओं को प्रोत्साहन किये जाने हेतु प्रदेश में प्रथम बार उत्तर प्रदेश मिनी ग्रिड नीति–2016 18 फरवरी 2016 को प्रख्यापित की गयी।

वर्ष 2015–16 में निजी विकास कार्यकर्ताओं एवं राज्य सरकार द्वारा कुल 1.73 मेगवाट की 50 परियोजनाओं की अधिस्थापना करायी गयी। वर्तमान में कुल 2 मेगवाट की 14 मिनी ग्रिड सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

सोलर स्ट्रीट लाइट योजना

सार्वजनिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था एक मूलभूत की आवश्यकता है जिसकी पूर्ति हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्र एक उपयोगी संयंत्र है। इन संयंत्रों की स्थापना ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर करायी जाती है।

प्रदेश सरकार की प्राथमिकता की योजना डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना अन्तर्गत चयनित ग्रामों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुनिश्चित कराये जाने हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना करायी जा रही है। वर्ष 2015–16 में 2100 लोहिया समग्र ग्रामों में 27696 सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना का कार्य कराया गया। अब तक प्रदेश के 8127 लोहिया समग्र ग्रामों में कुल 101945 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना करायी जा चुकी है। इसी प्रकार श्री जनेश्र मिश्र ग्रामों में वर्ष 2015–16 में 15968 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना करायी गयी। वर्ष 2016–17 में 4784 सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है।

सोलर पावर पैक योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति नियमित नहीं होने के कारण वहां सायंकाल की गतिविधियां जिसमें विशेष रूप से बच्चों की शिक्षा तथा आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आवश्यकता मुख्य रूप से प्रकाश, मनोरंजन तथा पंखे हेतु है जिसको सोलर पीवी संयंत्रों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत रूप से सुगमतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। वर्तमान में प्रदेश के गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा तथा आर्थिक गतिविधियां विद्युत के अभाव में प्रभावित न हों इसको दृष्टिगत रखते हुये उन्हे सब्सीडाइड सोलर पावर पैक सुविध उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2015–16 में श्री जनेश्वर मिश्र ग्रामों में 7274 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना का कार्य कराया गया है।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में आर.ओ. वाटर संयंत्र कार्यक्रम

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु अभिकरण द्वारा सोलर आर.ओ.वाटर प्लाण्ट की परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में 1.1 किलोवाट के सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कराकर उससे 05 पंखे, 01 डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प तथा 100 लीटर प्रति घंटा का एक आर0ओ0 वाटर संयंत्र संचालित कराया जाता है।

वर्ष 2015–16 में प्रदेश के जनपद के प्राथमिक विद्यलायों में 300 सोलर आर0ओ0 वाटर संयंत्रों की स्थापना का कार्य कराया गया।

वर्ष 2016–17 में 100 प्राथमिक विद्यालयों में संयंत्र की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है।

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

प्रदेश सरकार द्वारा इनर्जी कन्जर्वेशन एक्ट–2001 के प्राविधान को प्रदेश में क्रियान्वित कराये जाने हेतु उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण (यूपीनेडा) को स्टेट डेजिगनेटेड एजेन्सी(एसडीए) नामित किया गया है जिसके अन्तर्गत अभिकरण द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं। अभिकरण द्वारा ईट भट्ठों में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं। अभिकरण द्वारा ईट भट्ठों में ऊर्जा संरक्षण के उपाय, डिमान्ड साइड मैनेजमेंट, ऊर्जा संरक्षण हेतु स्टीम कुकिंग, इनर्जी एफीशिएन्सी टेक्नालाजी फार कोल्ड स्टोरेज जैसे विषयों पर वर्कशाप आयोजित की गयी है।

प्रदेश में जनसामान्य के मानस पटल पर ऊर्जा संरक्षण की महत्ता को प्रभावी रूप से अंकित करने हेतु जागरूकता अभियान के रूप में वेबसाइट www.upsavesnergy.com प्रारम्भ की गयी जिसमें ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों के टिप्स दिये गये हैं। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के माध्यम से 1.23 लाख से अधिक छात्र–छात्रओं द्वारा पंजीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त छात्र–छात्राओं में ऊर्जा संरक्षण द्वारा पंजीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त छात्र–छात्राओं में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु ब्यूरो आफ इनर्जी एफीशिन्सी (बी0बी0ई0) द्वारा अभिकरण के सहयोग से पेंटिग प्रतियोगिता करायी गयी। वर्ष 2015 में 18 लाख से अधिक प्रतिभागियों द्वारा पेन्टिंग प्रतियोगिता में भाग लिया गया तथा वर्ष 2016–17 में प्रदेश में 25 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। डोमिस्टिक इफीसियेन्ट लाइटिंग प्रोग्राम (डी0ई0एल0पी0) योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 1.40 करोड़ से अधिक डी0 ई0एल0टी लाइट वितरित की गयी जिससे 421 मिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत हो रही है।

संचार

डाकघर

संचार माध्यमों के अन्तर्गत डाकघरों का अत्यधिक महत्व है, क्योकि इनके माध्यम से जनसामान्य को सस्ती एवं सुलभ संदेशवाहन सेवा उपलब्ध होने के साथ ही अल्पबचत कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2004–05 में कुल डाकघरों की संख्या 17658 थी जिनमें 1959 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15699 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत् थे। वर्ष 2015–16 में इनकी संख्या बढ़कर 17662 हो गयी, जिनमें 1933 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15729 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध थे। उत्तर प्रदेश में डाकघरों की स्थिति तालिका–10.10 में दर्शायी गयी है–

तालिका–10.10

उत्तर प्रदेश में डाकघरों की संख्या (31 मार्च को)

मद	2004–05	2011–12	2013–14	2014–15	2015–16
1	2	3	4	5	6
डाकघरों की संख्या	17658	17669	17680	17655	17662
(क) नगरीय	1959	1925	1933	1925	1933
(ख) ग्रामीण	15699	15744	15747	15730	15729

दूरभाष

दैनिक जीवन तथा व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक क्रिया–कलापों में दूरभाष सेवाओं का बड़ा महत्व है। वर्ष 2014–15 में उत्तर प्रदेश में कुल 756411 बेसिक टेलीफोन तथा 3110 टेलीफोन

एक्सचेंज कार्यरत् थे। वर्ष 2015–16 में बेसिक टेलीफोन कनेक्शन तथा टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या घटकर क्रमशः 654806 एवं 3103 हो गयी। मोबाइल सेवा के वृहद् विस्तार के परिणामस्वरूप ही बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में कमी होना प्रतीत होता है। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में उत्तर प्रदेश में इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की संख्या क्रमशः 103047 तथा 2471 हजार थी जो वर्ष 2015–16 में क्रमशः 276766 एवं 12099 हजार हो गयी। उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की स्थिति तालिका–10.11 में दर्शायी गयी है–

तालिका–10.11

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की स्थिति

वर्ष	बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या	इन्टरनेट सब्सक्राइवर की संख्या	मोबाईल कनेकशन की संख्या (हजार)
1	2	3	4	5
2014–15	756411	3110	103047	2471
2015–16	654806	3103	276766	12099

स्रोत :– चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य महाप्रबन्धक दूर संचार, भारत संचार निगम लि. उ.प्र. पूर्वी एवं पश्चिमी परिमण्डल।

प्रदेश में पर्यटन–विकास

पर्यटन के बहुआयामी आकर्षणों से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है, जहां पर्यटन–विकास के साथ–साथ निजी क्षेत्र के लिए भी पूंजी–निवेश हेतु विपुल सम्भावनाएं विद्यमान हैं। ऐसी विशेषताओं के कारण ही इस प्रदेश में हर आयु, वर्ग, सम्प्रदाय तथा क्षेत्र के पर्यटक प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में भ्रमणार्थ आते हैं। वर्ष 2015 में कुल पर्यटक 2079.92 लाख में भारतीय पर्यटकों की संख्या 2048.88 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 31.04 लाख सम्मिलित हैं।

प्रदेश में पर्यटन–विकास हेतु किये गए प्रयास

सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पर्यटन–आकर्षणों का वृहद स्तर पर प्रचार–प्रसार कराया जाता है। प्रचार–प्रसार हेतु राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्र–पत्रिकाओं में विज्ञापनों का प्रकाशन, पर्यटन–साहित्य व पोस्टरों का प्रकाशन, फिल्म–सी0डी0 का निर्माण व वितरण तथा स्थान–स्थान पर होर्डिंगों एव साइनेज की स्थापना व समय–समय पर प्रदर्शनियों, मेले/महोत्सवों के आयोजन एवं गणतन्त्र दिवस के अवसर पर विभागीय झांकी का प्रदर्शन करवाया जाता है।

हेरिटेज आर्क का प्रचार–प्रसार

इसके अन्तर्गत लखनऊ एयरपोर्ट पर होर्डिंग के माध्यम से, दिल्ली में स्थित बस क्यू शेल्टर्स के माध्यम से, चेन्नई, कोलकाता, गोवा, दिल्ली, मुम्बई एयरपोर्ट पर बैकलिट डिस्प्ले तथा विडियों स्क्रीन के माध्यम से तथा सोशल मीडिया–फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूब, वेबसाइट आदि के माध्यम से हेरिटेज आर्क को वृहद स्तर पर प्रचार–प्रसार कराया जा रहा है।

दिल्ली एवं मुम्बई एअरपोर्ट पर वीडियो वॉलस्क्रीन के माध्यम से आगरा, लखनऊ, वाराणसी, झाँसी, बुद्धिस्ट सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट आदि विभिन्न पर्यटन स्थलों का प्रचार–प्रसार। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन व्रैप तथा इनसाइड पैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश पर्यटन के सर्किटों का प्रचार–प्रसार। मुम्बई के सी0एस0टी0 एवं चर्च गेट स्टेशन पर 360 डिग्री एल0ई0डी0 स्क्रीन के माध्यम से पर्यटन स्थलों का प्रचार–प्रसार तथा कोलकाता में मेट्रो ट्रेन पर विनायल डिस्प्ले के माध्यम से उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन का प्रचार–प्रसार। यू.पी. इवेंन्ट एवं विन्ध्य वाराणसी सर्किट के प्रचार–प्रसार हेतु प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से ट्रैवल एण्ड टूरिज्म से सम्बंधित पत्रिकाओं में विज्ञापन का प्रकाशन।

प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रचार–प्रसार हेतु आगरा, लखनऊ, वाराणसी, झाँसी एवं होम ऑफ द ताज टी0वी0सी0 फिल्मों का प्रसारण, हिन्दी–अंग्रेजी न्यूजचैनल, एण्टरटेंमेण्ट चैनल एवं ट्रैवल चैनल्स पर कराया जा रहा है।

ई–गवर्नैन्स के अन्तर्गत सरकार द्वारा कम्प्यूटर के प्रयोग पर विशेष रूप से बल प्रदान किया जा रहा है। इस क्रम में विभाग के पर्यटन कार्यालयों एवं पर्यटन आवास गृहों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों की सुविधा के लिए विभागीय वेबसाइट, ई–मेल एवं ऑन लाइन बुकिंग सुविधाएं भी सुलभ करायी गयी है। सरकार द्वारा ताजमहल, मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, परिपथ, बौद्ध परिपथ उत्तर प्रदेश पर्यटन पर केन्द्रित वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है।

वर्ष 2015–16 में पर्यटन विकास एजेण्डा के अन्तर्गत 4 परियोजनाएं सम्मिलित की गयी थी :–

1– ताज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना।
2– आगरा में ताजगंज का पर्यटन विकास।
3– प्रो–पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट।
4– पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों को लीज कम डेवलपमेण्ट मैनेजमेन्ट तथा मैनेजमेन्ट कान्ट्रेक्ट के माध्यम से संचालित एवं विकसित किया जाना।

टूरिज्म ब्रैन्डिग आफ् उ0प्र0, हेरिटेज होटल नीति तथा पर्यटन एवियेशन पालिसी कार्य पूर्ण हो गया है तथा थीम पार्क/म्यूजियम पार्क की स्थापना का कार्य यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को हस्तान्तरित किया गया।

वर्ष 2016–17 में विकास एजेण्डा :–

1. हेरिटेज आर्क योजना के अन्तर्गत विकास :–

- मुगल म्यूजियम की स्थापना
- ताज ओरिएन्टल सेन्टर की स्थापना
- ताजगंज परियोजना
- लखनऊ एवं सारनाथ (वाराणसी में ध्वनि एवं प्रकाश योजना)
- आगरा, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद एवं चित्रकूट इत्यादि स्थलों पर ऐतिहासिक स्मारकों पर आलोकीकरण।

- हेरिटेज आर्क के अन्तर्गत पब्लिसिटी, मार्केटिंग एवं डिजिटल ब्रांडिग के माध्यम से पर्यटन स्थलों का प्रचार–प्रसार एवं आनलाइन बुंकिग वेब सोशल मीडिया एवं एप इत्यादि के माध्यम से पर्यटन स्थलों का ब्राडिंग एवं प्रमोशन।

2. पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों को लीज कम डेवलपमेण्ट मैनेजमेन्ट तथा मैनेजमेन्ट कान्ट्रेक्ट के माध्यम से संचालित एवं विकसित किया जाना।

3. पर्यटन विकास एवं पर्यटन उत्पादों के विपणन हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेला, महोत्सव एवं सेमिनार का आयोजन एवं भागीदारी।

आर्क योजना (ताजगंज का पर्यटन विकास)

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगरा–लखनऊ–वाराणसी तथा इनके समीपवर्ती पर्यटन स्थलों को हेरिटेज आर्क के रुप में विकसित किया जायेगा तथा अवस्थापना सुविधा विकास एवं पर्यटन से सम्बन्धित गतिविधियो पर विशेष बल दिया जायेगा, जिसके अन्तर्गत आगरा में ताजगंज परियोजना का विवरण निम्नवत् हैः–

- ताजगंज परियोजना के अंतर्गत ताजमहल को जाने वाले पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी मार्गों/प्रवेश मार्गों तथा ताजगंज क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु एक विश्व स्तरीय महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है, जिससे ताजमहल में आने वाले देशी–विदेशी पर्यटकों के अनुभव को बेहतर एवं यादगार बनाया जा सके।
- मुगल म्यूजियम का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें मुगल कालीन इतिहास का विवरण रखा जाएगा, ताकि देश–विदेश के पर्यटक इसका लाभ उठा सके।
- ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर का निर्माण कराया जा रहा है ताकि देशी–विदेशी पर्यटकों को एक छत के नीचे समस्त सूचना उपलब्ध करायी जा सके।
- सार्वजनिक–निजी सहभागिता के अन्तर्गत पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों को लीज कम डेवलपमेण्ट मैनेजमेन्ट तथा मैनेजमेन्ट कान्ट्रेक्ट के माध्यम से संचालित विकास किया जा रहा है तथा तीन स्थानों पर रोप–वे की स्थापना की योजना सम्मिलित है।

प्रो–पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट

विश्व बैंक सहायतित प्रो–पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 300 मिलियन यू0एस0 डालर की एक महत्वाकॉक्षी परियोजना है।

परियोजना की लागत का 70 प्रतिशत विश्व बैंक द्वारा तथा 30 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश के दो प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों आगरा–ब्रज कॉरीडोर तथा बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत पर्यटन विकास संबंधी गतिविधियों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन करने की योजना है।

पर्यटन निगम के द्वारा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में 7 अप्टूअर्स संचालित है तथा अन्य राज्यों में दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, अहमदाबाद तथा चंडीगढ़ में अप्टूअर्स कार्यालय स्थापित है। पर्यटकों को आरक्षण सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अप्टूअर्स एवं निगम की विभिन्न ईकाईयों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया है। कम्प्यूटर नेटवर्किंग की सुविधा से पर्यटकों को आनलाईन आरक्षण की सुविधा एवं पर्यटन सम्बन्धी सूचना उपलब्ध करायी जा रही है।

बजट व्यवस्था

वार्षिक योजना वर्ष **2015–16** के अन्तर्गत रू0 24351.03 लाख बजट व्यवस्था करायी गयी जिसमें राजस्व मद में रू0 1796.00 लाख एवं पूंजीगत के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में रू0 18055.03 लाख,

जिला योजना में रू0 500.00 लाख तथा केन्द्रीय योजना के लिए रू0 4000.00 लाख सम्मिलित है।वर्ष **2015–16** में राजस्व मद के अन्तर्गत रू0 1777.49 लाख तथा पूंजीगत के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में रू0 17946.06 लाख, जिला योजना में रू0 499.29 लाख तथा केन्द्रीय योजना के लिए रू0 1925.74 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी।स्पष्ट है कि राज्य, जिला तथा राजस्व मद में 99.37 प्रतिशत एवं केन्द्र योजना में 48.14 प्रतिशत अर्थात सम्पूर्ण बजट व्यवस्था के सापेक्ष 91 प्रतिशत की स्वीकृति निर्गत की गयी ।

वार्षिक योजना वर्ष **2016–17** के अन्तर्गत रू0 17500.00 लाख बजट व्यवस्था करायी गयी। प्रथम अनुपूरक में रू0 28200.00 लाख बजट आवंटित होने के उपरान्त कुल रू0 45700.00 लाख बजट व्यवस्था हुई, जिसमें राजस्व मद में रू0 3355.00 लाख एवं पूंजीगत के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में रू0 33345.00 लाख, जिला योजना में रू0 500.00 लाख तथा केन्द्रीय योजना के लिए रू0 8500.00 लाख सम्मिलित है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष **2016–17** में माह सितम्बर, 2016 तक राजस्व मद के अन्तर्गत रू0 1600.00 लाख तथा पूंजीगत के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में रू0 10525.35 लाख, जिला योजना में रू0 499.11 लाख एवं केन्द्रीय योजना में रू0 951.45 लाख की स्वीकृतियाँ निर्गत की गयी अर्थात कुल बजट के सापेक्ष लगभग 30 प्रतिशत स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी है।

प्रगति

निम्न आंकड़ों से प्रदेश में पर्यटन विकास एवं रोजगार की झलक प्रतीत होती है।

- वर्ष 2015–16 में होटलों पर लगाये गये सुख–साधन कर के रूप में रू0 5026.05 लाख का राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त हुआ।
- वर्ष 2015–16 में पर्यटन उद्योग/होटल विस्तार निजी क्षेत्र में रू0 2001.42 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ।
- वर्ष 2015–16 में 19 मेले/उत्सव का आयोजन किया।
- राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय माट्र्स/सेमिनारों में भाग लिया गया एवं आयोजन किया गया।
- देशी–विदेशी पर्यटकों को आवासीय सुविधा कराने हेतु पर्यटन निगम की 77 इकाईयॉ हैं।
- प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना के रूप में सुविधा उपलब्ध है।
- पर्यटकों को गाईड सुविधा उपलब्ध कराने हेतु टूरिस्ट गाईड की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।
- उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा पर्यटन पुलिस बल का गठन किया गया है इसके अतिरिक्त कुशीनगर एवं श्रावस्ती में भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत टी0एफ0एस0ओ0 की सुविधा उपलब्ध है।
- सरकार द्वारा अतिथि–सत्कार एवं परिचयात्मक भ्रमण के अन्तर्गत ट्रेवेल ट्रेड से जुड़े लोगों जैसे–ट्रैवेल राइटर ट्रैवेल एजेण्ट, होटेलियर एवं विशिष्ट अतिथियों एवं पर्यटन विकास से सम्बन्धित अतिथियों को अतिथि–सत्कार की सुविधा प्रदान की जाती है।

****

अध्याय–11
शिक्षा

शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मूलाधार है। यह व्यक्ति को सही तथा गलत के मध्य अन्तर करने की अन्तर्दृष्टि प्रदान करती है। शिक्षा से कुशल मानव संसाधन का सृजन होता है और यह कुशल श्रम शक्ति देश तथा प्रदेश के विकास में अपना सकारात्मक योगदान देती है। अतएव राज्य की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को शिक्षण सुविधाएं प्रदान करे। उ0प्र0 सरकार इस दिशा में कृत संकल्प है।

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ो के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जिसमें पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत 77.3 तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 57.2 है जबकि इसी अवधि में भारत का साक्षरता प्रतिशत 73.0 है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार देश में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक केरल राज्य में (94.0 प्रतिशत) रहा, जो भारत के साक्षरता प्रतिशत (73.0) से भी अधिक है। अन्य राज्यों हिमांचल प्रदेश (82.8 प्रतिशत), महाराष्ट्र (82.3 प्रतिशत), तमिलनाडु (80.1 प्रतिशत), उत्तराखण्ड (78.8 प्रतिशत) आदि की तुलना में उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत (67.7) कम है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में (69.3) तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र में (67.4) है। उ0प्र0 में साक्षरता प्रतिशत में सुधार हुआ है– जहां वर्ष 1991 में उ0प्र0 में साक्षरता 40.07 प्रतिशत थी वहीं 15.06 प्वॉइन्ट बढ़कर वर्ष 2001 में 56.03 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में 67.7 प्रतिशत हो गई किन्तु अभी भी प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर की साक्षरता में 5.3 प्रतिशत प्वॉइन्ट का अन्तर है।

शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों के स्तर को प्राप्त करना भी प्रदेश के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। इसी प्रकार से महिला एवं पुरूष के साक्षरता प्रतिशत में भी 20.10 प्वॉइन्ट का अन्तराल है। प्रदेश के अन्दर भी विभिन्न जनपदों के मध्य साक्षरता की स्थिति एक समान नहीं है। जहां गौतमबुद्ध नगर की कुल साक्षरता 80.1 प्रतिशत है वहीं श्रावस्ती की मात्र 46.7 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की विशालता एवं अन्तर्जनपदीय विषमताओं को देखते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में एक समान शैक्षिक सुधार लाना अपने आप में एक चुनौती है। कुछ प्रमुख राज्यों के साक्षरता प्रतिशत के आँकड़े–2001 एवं 2011 व उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत के आँकडे तालिका–11.01 व तालिका–11.02 में दर्शाये गये हैं।

तालिका–11.01

कुछ प्रमुख राज्यों के साक्षरता प्रतिशत के आँकड़े–2001 एवं 2011

		2001			2011		
क्रमांक	राज्य	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हिमांचल प्रदेश	76.5	85.3	67.4	82.8	89.5	75.9
2	पंजाब	69.7	75.2	63.4	75.8	80.4	70.7
3	उत्तराखण्ड	71.6	83.3	59.6	78.8	87.4	70.0
4	हरियाणा	67.9	78.5	55.7	75.6	84.1	65.9
5	राजस्थान	60.4	75.7	43.9	66.1	79.2	52.1
6	उत्तर प्रदेश	56.3	68.8	42.2	67.7	77.3	57.2
7	बिहार	47.0	59.7	33.1	61.8	71.2	51.5
8	अरुणाचल प्रदेश	54.3	63.8	43.5	65.4	72.8	57.7
9	मेघालय	62.6	65.4	59.6	74.4	76.0	72.9

10	आसाम	63.3	71.3	54.6	72.2	77.8	66.3
11	पश्चिम बंगाल	68.6	77.0	59.6	76.3	81.7	70.5
12	झारखण्ड	53.6	67.3	38.9	66.4	76.8	55.4
13	ओडिशा	63.1	75.3	50.5	72.9	81.6	64.0
14	छत्तीसगढ़	64.7	77.4	51.9	70.3	80.3	60.2
15	मध्य प्रदेश	63.7	76.1	50.3	69.3	78.7	59.2
16	गुजरात	69.1	79.7	57.8	78.0	85.8	69.7
17	महाराष्ट्र	76.9	86.0	67.0	82.3	88.4	75.9
18	आन्ध्र प्रदेश	60.5	70.3	50.4	67.0	74.9	59.1
19	कर्नाटक	66.6	76.1	56.9	75.4	82.5	68.1
20	केरल	90.9	94.2	87.7	94.0	96.1	92.1
21	तमिलनाडु	73.5	82.4	64.4	80.1	86.8	73.4
	भारत	**64.8**	**75.3**	**53.7**	**73.0**	**80.9**	**64.6**

तालिका–11.02

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत

क्रम संख्या	आर्थिक क्षेत्र	साक्षरता प्रतिशत 2001			साक्षरता प्रतिशत 2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	पूर्वी	54.3	68.6	39.1	67.4	78.1	56.2
2	पश्चिमी	57.4	68.8	44.0	67.5	76.5	57.2
3	केन्द्रीय	57.6	68.1	45.5	68.3	76.3	59.3
4	बुन्देलखण्ड	59.3	73.1	43.1	69.3	79.9	57.1
	उत्तर प्रदेश	**56.3**	**68.8**	**42.2**	**67.7**	**77.3**	**57.2**
	भारत	**64.8**	**75.3**	**53.7**	**73.0**	**80.9**	**64.6**

नोट– आर्थिक क्षेत्रवार आंकड़े जनपद स्तर पर दिये गये साक्षरता प्रतिशत के आंकड़ों पर आधारित हैं।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर व्यय

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के प्रकाशन उ0प्र0 के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 2016–17 के अनुसार वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में सरकार का शिक्षा पर चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत है–

तालिका–11.03

उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर व्यय

(लाख रुपये)

वर्ष	चालू व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2014-15	3108618 (20.1%)	231961 (3.7%)	3340579 (15.3%)
2015-16	4150097 (20.6%)	404310 (4.0%)	4554407 (15.1%)
2016-17	4728548 (21.7%)	271228 (2.9%)	4999776 (16.0%)

नोट– कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है जो प्रदेश के चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय के सापेक्ष दिया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा पर वर्ष 2016–17 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 21.7 प्रतिशत तथा 2.9 प्रतिशत रहा। वर्ष 2015–16 (पुनरीक्षित अनुमान) में शिक्षा पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 20.6 प्रतिशत तथा 4.0 प्रतिशत रहा। वर्ष 2014–15 (वास्तविक अनुमान) में शिक्षा पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 20.1 प्रतिशत तथा 3.7 प्रतिशत रहा।तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा पर सरकार का चालू व्यय पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक है। शिक्षा के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

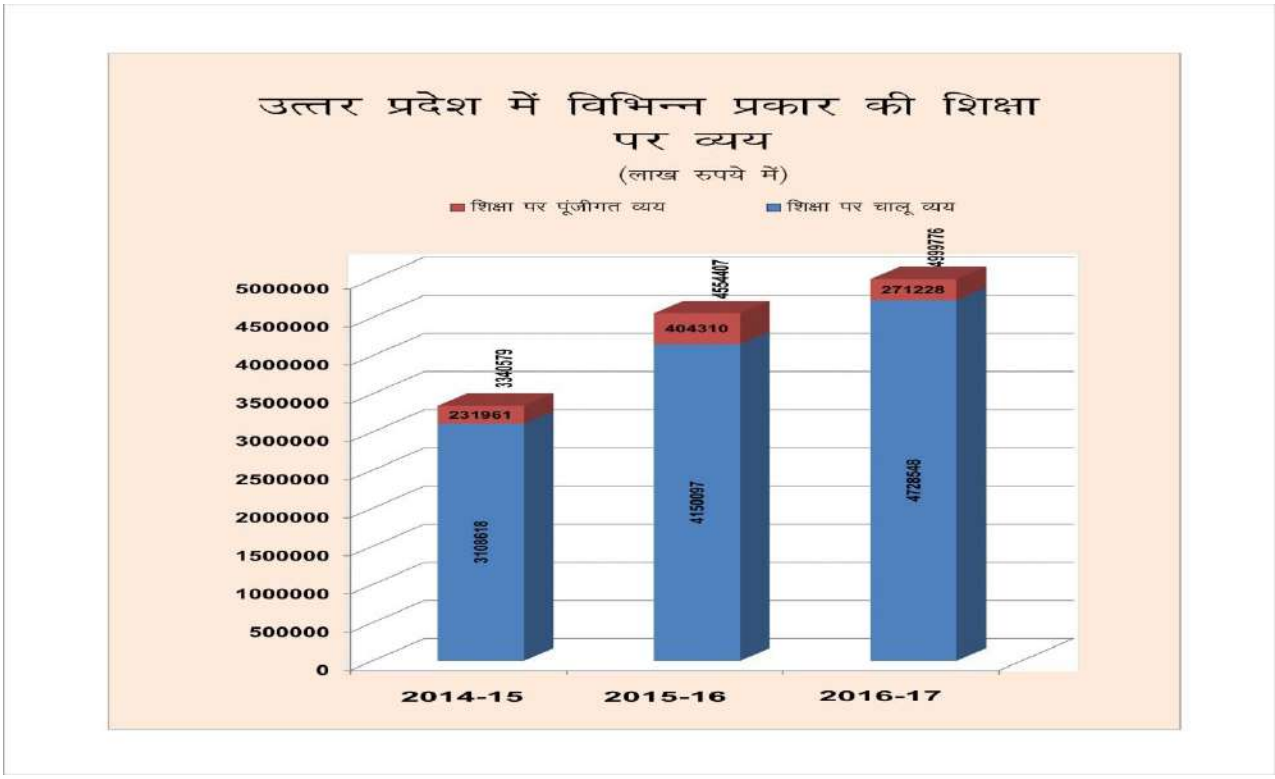

उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर राजस्व व्ययः–

प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर सरकार द्वारा किये जा रहे राजस्व व्यय तालिका–11.04 में दर्शाये गये है–

तालिका–11.04

उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर राजस्व व्यय

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	मद	2014–15 (वास्तविक अनुमान)	2015–16 (पुनरीक्षित अनुमान)	वर्ष 2016–17 (आय–व्ययक अनुमान)
1	2	3	4	5
1	प्राथमिक शिक्षा	23401.12 (73.52%)	30643.31 (76.20%)	37277.11 (77.24%)
2	माध्यमिक शिक्षा	6394.31 (20.09%)	7269.11 (18.08%)	8135.19 (16.86%)
3	उच्च शिक्षा	1643.05 (5.16%)	1789.75 (4.45%)	2154.05 (4.46%)
4	अन्य	390.19 (1.23%)	512.33 (1.27%)	698.16 (1.45%)
	योग	31828.67 (100.00)	40214.50 (100.00)	48264.51 (100.00)

स्रोत– उत्तर प्रदेश आय–व्ययक की रुपरेखा 2016–2017

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर किये गये कुल व्यय का सर्वाधिक अंश प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाता है।

प्रदेश में शिक्षण सुविधायें

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014–15 में जू. बे. विद्यालयों की संख्या 168906 थी जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 168913 हो गयी। इसी प्रकार सी. बे. विद्यालयों की संख्या वर्ष 2014–15 में 76901 थी जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 76909 हो गयी। वर्ष 2014–15 में हा. से. विद्यालयों की संख्या 22750 थी जो वर्ष 2015–16 में 8.34 प्रतिशत बढ़कर 24647 हो गयी।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014–15 में जू.बे. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 393 हजार थी जो वर्ष 2015–16 में 7.38 प्रतिशत बढ़कर 422 हजार हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में सी.बे. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 266 हजार थी जो वर्ष 2015–16 में 2.56 प्रतिशत घटकर 260 हजार हो गयी। वर्ष 2014–15 में हा. से. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 265 हजार थी जो वर्ष 2015–16 में 7.9 प्रतिशत बढ़कर 286 हजार हो गयी।

प्रदेश में विद्यालयों/विद्यार्थियों की संख्या–

वर्ष 2015–16 में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे.वि. की संख्या उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक 100 थी, जबकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में यह सबसे कम 76 थी और इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे. विद्यालयों की संख्या 79 थी।

इसी प्रकार वर्ष 2015–16 में प्रति लाख जनसंख्या पर सी.बे. विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक 50 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम 32 केन्द्रीय क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 36 रही। वर्ष 2015–16 में प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की संख्या पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्र में 7 तथा बुन्देलखण्ड एवं केन्द्रीय क्षेत्र 6 में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 7 रही।

वर्ष 2015–16 में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे. विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक (5117) केन्द्रीय क्षेत्र में तथा सबसे कम (4917) पश्चिमी क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 5026 रही। प्रति लाख जनसंख्या पर सी.बे विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2015–16 में सर्वाधिक (4399) केन्द्रीय क्षेत्र में तथा सबसे कम (3535) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 3970 रही। वर्ष 2015–16 में प्रति लाख जनसंख्या पर हा.से. विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक (6142) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (4580) पश्चिमी क्षेत्र में रही, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 5455 रही।

तालिका–11.05

उत्तर प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों/विद्यार्थियों की संख्या

(2015–16)

आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या			प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यार्थियों की संख्या		
	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री
1	2	3	4	5	6	7
पूर्वी	76	35	7	5093	4279	6142
बुन्देलखण्ड	100	50	6	4969	3535	5613
पश्चिमी	79	37	7	4917	3564	4580
केन्द्रीय	80	32	6	5117	4399	6013
उत्तर प्रदेश	79	36	7	5026	3970	5455

प्राथमिक शिक्षा

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके सुसंस्कृत एवं कुशल मानव संसाधन पर निर्भर हैं। सुसंस्कृत एवं कुशल नागरिकों के निर्माण एवं उनके उचित चौमुखी विकास एवं परिवर्द्धन हेतु बुनियादी शिक्षा अहम है।

तालिका–11.06

प्रदेश में संचालित समस्त विद्यालयों (1 से 8) एवं उनमें नामांकन की स्थिति

वर्ष	कुल विद्यालय	कुल नामांकन
2010–11	201475	32019087
2011–12	221653	35404745
2012–13	239817	37098290
2013–14	240332	36726500
2014–15	243014	36838720
2015–16	246013	36425964

गत वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार परिलक्षित है किन्तु जिस प्रकार उ0प्र0 में साक्षरता प्रतिशत में पर्याप्त अन्तरजनपदीय विषमतायें है। उसी प्रकार से शैक्षिक संकेतांकों में भी विभिन्न जनपदों में पर्याप्त अन्तराल है। उ0प्र0 जैसे क्षेत्रीय विशालता एवं अधिक जनसंख्या वाले एवं व्यापक विविधता तथा सीमित संसाधन वाले प्रदेश में सभी जनपदों में एक समान शैक्षिक सुधार लाना कड़ी चुनौती है।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1.सर्व शिक्षा अभियान

प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1–8) के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को एक निर्धारित समय अवधि में प्राप्त करने के लिये उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्ष 2002–03 से सर्व शिक्षा अभियान, प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है।

2.सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

व्यापक रूप से सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य शिक्षा के स्थायी विकास के लिये प्रदेश, जनपद और उप जनपद स्तर पर प्रबन्धकीय और व्यवसायिक क्षमता का निर्माण करना, 6 से 14 आयु वर्ग (कक्षा 1 से 8) के सभी बालक एवं बालिकाओं को सार्थक व लाभदायक शिक्षा प्रदान करना, ड्रॉप आउट दर को कम करने के साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा की पहुंच में सुधार करना तथा विद्यालयों के प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय तथा जेण्डर गैप को समाप्त करना है।

भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 द्वारा 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। तत्क्रम में उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 27–7–2011 को राज्य नियमावली प्रख्यापित की गयी। उपरोक्त अधिनियम लागू हो जाने के पश्चात अब 6–14 वय वर्ग के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1–8 तक की गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की संवैधानिक प्रतिबद्धता हो गयी है।

3.सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 की वित्तीय प्रगति

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि रू0 13248.48 करोड़ के सापेक्ष रू0 12371.40 करोड़ व्यय किये गये।

4.शिक्षा की पहुंच में सुधार

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों को खोलने, उनके लिए भवनों का निर्माण करने तथा उनके भौतिक स्वरूप को सुदृढ करने के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 01 किमी0 की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 03 किमी0 की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है। नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय के रूप में स्थापित किया जाता है। यदि प्राथमिक विद्यालय के परिसर में भूमि उपलब्ध नहीं है तो नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय को अलग स्थापित किया जाता है। नगर क्षेत्रों में आवासीय कालोनियों के निकट स्कूलों की पहुँच के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मिश्रित स्कूल स्वीकृत किये गये थे। यह बहुमंजिलें स्कूल भवन कक्षा 1 से 8 तक के लिये है।

विगत 15 वर्षो में 26269 नवीन प्राथमिक, 29246 उच्च प्राथमिक एवं 100 नगरीय क्षेत्रों में विद्यालयों के भवन निर्माण हुआ ।

5.विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान के लिए प्रतिवर्ष परिवार सर्वेक्षण कराया जाता है। बच्चों को आयु संगत कक्षा में समायोजित करने हेतु वर्ष 2015–16 में 2903 विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के लक्ष्य के सापेक्ष 2229 केन्द्र संचालित किये गये जिससे कुल 18813 बच्चें लाभान्वित हुये। गत पांच वर्ष में आऊट आफ स्कूल बच्चों की संख्या में कमी आयी है। वर्ष 2010–11 में 194146, वर्ष 2011–12 में 109677, वर्ष 2012–13 में 64442, वर्ष 2013–14 में 78099, वर्ष 2014–15 में 40505 तथा वर्ष 2015–16 में 28899 आऊट आफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये।

6.ठहराव में सुधार

ठहराव में सुधार सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य है जिसको सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित कराये गये। ठहराव में सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 310597 अतिरिक्त कक्षा– कक्ष, 22013 शौचालय, 37307 ओवर हैड टैंक का निर्माण पूर्ण किये गये, 13674 हैण्ड पम्प स्थापित किये गये एवं 296377 बच्चों हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराया गया

7.विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों हेतु समेकित शिक्षा

वार्षिक परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से विद्यालयों में नामांकित विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों का चिन्हीकरण करके उन्हें समीप के विद्यालयों में नामांकित कराया जाता है। वर्ष 2015–16 में 2.94 लाख विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चें चिहिन्त किये गये जिसमें से 2.63 लाख (10576 टोटली ब्लान्ड, 23979 लो विजन, 36017 हियरिंग इम्पेयर्ड, 30701 स्पीच इम्पेयर्ड, 54062 आर्थोपैडिक इम्पेयर्ड, 589022 एम0आर0, 8497 मल्टी डिसेबेल्ड, 3775 सेरीब्रल पैल्सी, 34673 एल0डी0 एवं 1677 ऑटिज्म से प्रभावित)बच्चों को स्कूल में नामांकित कराया गया। वर्ष 2015–16 में कुल 25349 सहायक उपस्कर एवं उपकरण यथा– ब्रेल स्लेट, केन, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर कैलीपर्स, वाकिंग स्टिक, रोलेर्टस एवं श्रवण यंत्र विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को वितरित किये गये।

वर्ष 2015–16 में 10 माह अवधि के कुल 130 आवासीय **एक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प** संचालित किये गये जिसमें 2269 दृष्टिबाधित एवं 4616 श्रवणबाधित – कुल 7285 बच्चों को नामांकित कराया गया।

एस्कार्ट एलाउंस के रूप में 3479 विशिष्ट आवश्यकता वाले दृष्टिबाधित/मानसिक मंदित /सेरेब्रल पैल्सी/जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित बच्चों को रू0 250/– प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु रू0 2500/– दिया गया।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने और उनकी शिक्षा में सहायता प्रदान करने हेतु 5750 शिक्षकों को ब्रेल में एवं 8332 शिक्षकों को साइनिंग लैंग्वेज में, 11587 को एम0आर0 एवं सी0पी0 में तथा 4394 शिक्षकों को **कैरीकुलम एडेप्टेशन** हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

8.स्कूल चलो अभियान

6–14 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में नामांकन कराने के लिए व समुदाय को जागरूक व सक्रिय करने के लिए शैक्षिक सत्र 2015–16 में 1 मार्च से 31 मार्च, 2015 के मध्य तथा शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु 30 मार्च, 2016 से 30 अप्रैल, 2016 तक पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का आयोजन किया गया।

9.निःशुल्क यूनिफार्म

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियमावली 2011 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सहायतित माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त मदरसों में कक्षा 1–8 तक अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं को रू0 400/– प्रति छात्र–छात्रा की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत दो सेट यूनिफार्म प्रतिवर्ष उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के बालकों को उक्त दो सेट यूनिफार्म की उपलब्धता करायी जाती है।

प्रदेश में संचालित बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत नान बी0पी0एल0(गरीबी रेखा से ऊपर) छात्रों (बालकों) को जिन्हें सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क यूनीफार्म का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा था निःशुल्क यूनीफार्म उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम बार वित्तीय वर्ष 2012–13 में लागू की गई है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत रू0 40.00 करोङ की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया जिसके सापेक्ष रू0 38.56 करोङ की धनराशि व्यय हुई तथा 9.64 लाख बच्चे लाभान्वित हुए।

10.निःशुल्क पाठ्य पुस्तक

प्रदेश के समस्त राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सहायतित माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों और सहायता प्राप्त मदरसों में 1–8 तक अध्ययनरत बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। पठन–पाठन में सहायता हेतु कक्षा 1–5 तक के छात्र–छात्राओं को कार्यपुस्तिकायें भी उपलब्ध करायी जाती हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी बालिकाओं को तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा शेष बालकों के लिए राज्य सरकार के बजट से व्यवस्था की जाती है।

11.कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

बालिका शिक्षा के महत्व को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारम्भ वर्ष 2004–05 में किया गया। यह योजना शैक्षिणिक रूप से पिछड़े उन विकास खण्डों में संचालित है जहॉ महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत (46.13 प्रतिशत) से कम तथा जैण्डर गेप राष्ट्रीय औसत (21.59 प्रतिशत) से अधिक है।

रिवाइज्ड गाइड लाइन्स दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के अनुसार ऐसे 79 विकास खण्ड जिनमें ग्रामीण महिला साक्षरता दर 30 प्रतिशत से कम तथा 52 नगर क्षेत्र/शहर जिनमें अल्पसंख्यक महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 53.67 प्रतिशत है और जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है को भी के0जी0बी0वी0 योजनान्तर्गत संचालित किया गया।

इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय तथा बी0पी0एल0 परिवारों की 11–14 वय वर्ग की बालिकायें जो कभी स्कूल नहीं गयी हैं अथवा प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण किये बिना विद्यालय छोड़ दिया है ऐसी बालिकाओं हेतु आवासीय व्यवस्था सहित विद्यालय संचालित है। कुल संचालित 746 के0जी0बी0वी0 में से 734 मॉडल–। तथा 12 मॉडल–।। के हैं। वर्ष 2015–16 में इन विद्यालयों में कुल 72769 बालिकायें नामांकित रहीं हैं जिनमें से 29788 (40.25%) अनुसूचित जाति, 894 (1.2%) अनुसूचित जनजाति, 24922 (33.67%) अन्य पिछड़ा वर्ग, 4672 (6.31%) पी0बी0एल0, 12493 (16.88%) अल्पसंख्यक की छात्राएं रहीं।

12. अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को असहायिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाये जाने की योजना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के द्वारा आस–पास के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को 1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2013–14 से लागू की गई है।

अलाभित समूह में राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार अलाभित समूह की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा निःशक्त बच्चा एवं एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड़ित माता–पिता अथवा अभिभावक का बच्चा एवं निराश्रित बेघर बच्चा रखा गया है। दुर्बल वर्ग में दुर्बल वर्ग की श्रेणी में जिसके माता–पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे, विकलांग/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं या जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रू0 1 लाख तक है, को रखा गया है।

शैक्षिक सत्र 2015–16 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नगर क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में 311 असेवित वार्ड चिन्हित किये गये हैं जिनमें रहने वाले पात्र बच्चे को आस–पास के गैर सहायतित विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का प्रयास किया गया है। उक्त योजना में वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनपदों से प्राप्त सूचनानुसार 3824 बच्चों को प्रवेश दिलाया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत रू0 121.50 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया जिसके सापेक्ष रू0 80.17 लाख की धनराशि व्यय हुई।

शुल्क की प्रतिपूर्ति के फलस्वरूप कक्षा 1 से 8 के बच्चों की शिक्षा पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु विद्यालय द्वारा लिया जाने वाला शुल्क अथवा रु0 450/– प्रति छात्र प्रति माह जो भी कम हो, का प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 400.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

प्रदेश में अभिनव विद्यालय की स्थापना

शिक्षण पद्धति में गुणात्मक सुधार हेतु केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के माध्यम से नवीन शिक्षण प्रणाली को स्थापित किया गया है। केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालयों तथा निजी क्षेत्र में स्थापित कतिपय विद्यालयों द्वारा जिस प्रकार से सुसज्जित परिसरों में आधुनिक शिक्षण प्रणालियों को आत्मसात् किया गया है उसी प्रकार राजकीय विद्यालयों में विद्यमान वर्तमान शिक्षण पद्धति में भी आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा नवीन पद्धति पर विद्यालयों की स्थापना हेतु सम्यक विचारोपरान्त प्रथम बार प्रदेश में अभिनव विद्यालय की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अभिनव विद्यालय में कक्षा–1 से 8 की शिक्षा प्रदान की जायेगी।

उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद लखनऊ के मड़ियांव में 1326.56 लाख एवं जनपद इटावा के सैफई में 1183.93 लाख की धनराशि अभिनव विद्यालय की स्थापना पर आंकलित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत रू0 690.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि स्वीकृत की गयी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजनान्तर्गत रू0 14.20 करोड़ की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

शैक्षिक सुधार की प्रास्थिति

शैक्षिक सुधार के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का संज्ञान गत पांच वर्षों के प्रदेश के मुख्य शैक्षिक संकेतांकों के अवलोकन से किया जा सकता है जो तालिका–11.07 में दर्शाये गये है–

तालिका–11.07

प्रदेश में शैक्षिक सुधार के मुख्य संकेतांक

वर्ष	सकल नामांकन अनुपात (जी0ई0आर0) प्राथमिक	शुद्ध नामांकन अनुपात (एन0ई0आर0) प्राथमिक	सकल नामांकन अनुपात (जी0ई0आर0) उच्च प्राथमिक	शुद्ध नामांकन अनुपात (एन0ई0आर0) उच्च प्राथमिक	ड्राप आउट	ट्रांजिक्शन दर	रिटेन्शन दर
2010–11	105.02	94.02	59.6	47.1	11.1	64.9	71.68
2011–12	114.53	99.61	68.84	61.62	11.9	73.12	80.31
2012–13	115.78	99.67	68.68	59.94	10.62	63.62	87.31
2013–14	108.46	97.92	69.46	52.87	6.96	80.49	88.27
2014–15	108.79	98.35	76.50	67.23	6.0	80.96	88.22
2015–16	107.66	86.95	77.54	61.28	6.74	80.94	79.27

माध्यमिक शिक्षा

आर्थिक दृष्टिकोण से माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजनायें प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश में किसी आर्थिक उपलब्धि की भूमिका में दृष्टिगत नहीं होती है, परन्तु परोक्ष रूप से समाज के 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के उन समस्त बालक बालिकाओं को समाज के विभिन्न क्षेत्रों (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक) के लिए तैयार करके समाज व देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान हेतु तराशने का कार्य माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक शिल्पियों द्वारा किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा (आधारिक शिक्षा) एवं उच्च शिक्षा के बीच सेतु के रूप में कार्य करती है। यहाँ बालक बालिकाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर समाज के विभिन्न

क्षेत्रों हेतु सुशिक्षित, चरित्रवान सुयोग्य मानव संसाधन के रूप में विकसित कर आगे बढ़ाने का कार्य सम्पन्न किया जाता है।

30 सितम्बर, 2015 के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के कुल 24647 (राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त एवं असहायतित) विद्यालयों में कार्यरत 2,85,756 अध्यापकों द्वारा 137220873 छात्र/छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने एवं शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि कर नागरिकों में शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (वेतन एवं गैर वेतन)

भारत सरकार की सहायता से 14–18 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को माध्यमिक स्तर पर गुणात्मक योग्य शिक्षा उपलब्ध कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं की शिक्षा के विशेष उपाय किये जाने हेतु वर्ष 2009–10 से संचालित है। निर्धारित गाइड्लाइन के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रदेश में लागू किया जा रहा है। यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 25 प्रतिशत राज्यांश है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हाईस्कूल के छात्र/छात्राओं के लिये 5 किमी0 की परिधि में माध्यमिक स्तरीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना, माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता विकास के साथ पूर्व से चयनित 1021 विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि के भुगतान, शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन तथा 83 निर्माणधीन विद्यालयों के अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 67860.00 लाख का बजट प्राविधान था। उक्त बजट के सापेक्ष रू0 12825.90 लाख व्यय हुआ।

2. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना (आई0सी0टी0)

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (**आई0सी0टी0**) योजना केन्द्रपुरोनिधानित योजना है, जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 25 प्रतिशत राज्यांश है। वर्ष 2009–10 से प्रदेश में 2500 राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बूट माडल के आधार पर संचालित की जा रही है। चयनित 2500 माध्यमिक विद्यालयों में योजना का क्रियान्वयन, संचालन एवं निस्पादन अनुबन्ध के अनुसार चयनित संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रत्येक चयनित विद्यालय अन्तर्गत चयनित प्रत्येक विद्यालय में अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत 10–10 कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों जैसे फर्नीचर, जर्नेटर, इण्टरनेट एवं स्टेशनरी आदि उपलब्ध कराते हुए एक कम्प्यूटर अनुदेशक को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। वर्ष 2015–16 में योजनान्र्तगत रू0 21434.33 लाख का बजट प्राविधान था इसके सापेक्ष रू0 13723.80 लाख व्यय किया गया है।

3. बालिका विद्यालयों के छात्रावास भवन निर्माण

बालिका छात्रावास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 विकास खण्ड़ों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण प्रावधान है। योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में स्वीकृत 50 छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इसमें 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश रहता है।

4. व्यवसायिक शिक्षा की विभिन्न ट्रेडों का संचालन

रिवाइज्ड व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 100 राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 में एक साथ संचालित 4 ट्रेडों (आटोमोबाइल, सेक्योरिटी, रिटेल तथा आई0टी0) में से प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में दो ट्रेड संचालन की कार्यवाही गतिमान है।

5. असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा कन्या मा0 विद्यालयों की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान

वर्ष 1994–95 में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक विकास खण्ड में बालिकाओं हेतु कम से कम एक हाईस्कूल स्तर का विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। चिन्हित 412 विकास खण्डों में से 65 विद्यालयों सरकार द्वारा तथा 365 विद्यालय उक्त योजन के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 तक खोले गये। 2005 के बाद इस योजना के अन्तर्गत रू0 20.00 लाख की धनराशि (10–10 लाख की दो समान किस्तों में) अनावर्तक अनुदान के रूप में निजी प्रबन्ध तन्त्रों को निर्धारित मानक के पूर्ण होने के पश्चात कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिये प्रदान की जाती है।

6. एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा कन्या मा0 विद्यालयों की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान

वर्ष 2000–01 में असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्ध तन्त्र द्वारा कन्या माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना योजना का विस्तार करते हुए एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबन्धतन्त्र द्वारा कन्या विद्यालय की स्थापना योजना लागू की गयी है। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड को रू0 20.00 लाख की दर से (दो समान किस्तों में निर्धारित मानक को पूर्ण करने पर) अनुदान स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2014–15 तक 400 विद्यालयों को प्रथम किस्त तथा 295 विद्यालयों को द्वितीय किस्त दी जा चुकी है।

7. पुर्नगठित संशोधित कन्या विद्या धन योजना

प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्राओं के लिए "कन्या विद्या धन योजना" वर्ष 2012–13 से लागू की गयी। इसे वर्ष 2015–16 में संशोधित कर पुनर्गठित संशोधित कन्या विद्या धन कर दिया गया। योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में मेधावी छात्राओं के लिए उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद्, सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0सी0, उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद,एवं उ0प्र0 मदरसा शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं के प्राप्तांकों के अवरोही क्रम में मेरिट के अनुसार रू0 30,000/– (रू0 तीस हजार मात्र) की धनराशि दिया जानी है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में समाज के विभिन्न वर्गों की छात्राओं को माध्यमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त उच्च शिक्षा की ओर आकृष्ट करने हेतु प्रोत्साहित करना है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 30000.00 लाख रू0 का आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रू0 29792.08 लाख व्यय किया गया। इससे 77124 छात्राएं लाभान्वित की गयी।

8. 10वीं एवं 12वीं पास मेधावी छात्र/छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना

वर्ष 2012 में आयोजित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर, उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा की परीक्षा, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के इण्टरमीडिएट के समकक्ष आलिम परीक्षा, सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0सी0 से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण कर आगे की उच्च शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त

उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को निःशुल्क लैपटाप प्राप्त कराने की स्वीकृति प्राप्त हुयी थी। वर्तमान परिवेश में विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के दृष्टिकोण से प्रदेश में वर्ष 2012–13 में कुल 1435315 छात्र–छात्राओं को निःशुल्क लैपटाप का वितरण किया गया हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 में यह योजना शासन स्तर से स्थगित रही है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 10000.00 लाख रू0 का आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रू0 10000.00 लाख व्यय किया गया। धनराशि पी0एल0ए0 में रखा है।

9. राजकीय इण्टर कालेजों (बालक/बालिका) में क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल

राजकीय विद्यालयों को आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं से युक्त करने, छात्र/छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने तथा स्वच्छता की ओर अभिप्रेरित करने हेतु प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015–16 योजनान्तर्गत प्रति विद्यालय रू0 50 लाख की दर से 100 विद्यालयों को आच्छादित किया गया है।

विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता ज्ञात करने तथा गुणवत्ता की दृष्टि से कमजोर विद्यालयों को चिहिन्त करके अनुसमर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय विद्यालयों के ऑन लाइन श्रेणीकरण हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये है तथा उक्त मापदण्डों के आधार पर त्रैमासिक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षकों एवम् छात्र–छात्राओं की उपस्थिति पर विशेष बल दिया गया है। शैक्षिक सत्र 2015–16 में प्रदेश के कुल 1404 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का श्रेणीकरण कराया जा चुका है।

10. राजकीय जिला पुस्तकालयों के भवनों का निर्माण

प्रदेश के निर्धन किन्तु प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तकालय निर्माण का निर्णय लिया गया। प्रदेश में 54 जिला मुख्यालयों पर राजकीय जिला पुस्तकालयों की स्थापना की गयी। जिनका संचालन पुस्तकालयध्यक्ष, पुस्तकालय लिपिक तथा पुस्तकालय के अनुचर की देख–रेख में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 16 जनपदों में शासन द्वारा वर्ष 2008–09 में राजकीय जिला पुस्तकालय स्वीकृत किये गये। इन राजकीय पुस्तकालयों के अतिरिक्त 36 सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना है। इनके माध्यम से पठन–पाठन की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 जनपद मऊ, बागपत, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सन्तकबीर नगर, कुशीनगर तथा बलरामपुर में पुस्तकालय स्थापित किये जाने है।

11. नये सैनिक स्कूलों की स्थापना

बच्चों में राष्ट्रीय भावना, शारीरिक विकास एवं दक्षता को बढ़ावा देते हुए उन्हे सैन्य सेवाओं हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से जनपद अमेठी, मैनपुरी एवं झांसी में सैनिक स्कूलों की स्थापना किया जाना है।

12. राजकीय उ0मा0 विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण तथा भूमि/भवन क्रय

वर्तमान में प्रदेश में संचालित कतिपय माध्यमिक विद्यालय जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। इनके निर्माण/पुनर्निमाण की आवश्यकता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनपद अम्बेडकरनगर, झॉसी, फैजाबाद, इटावा, जालौन, मिर्जापुर, सन्तरविदासनगर तथा बलिया में चालू कार्यों को पूर्ण किया जाना है।

13. व्यवसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों के अध्यापन हेतु अतिथि विषय विशेषज्ञों को मानदेय

प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा योजना द्वारा वर्ष 1989–90 से अद्यतन 892 माध्यमिक विद्यालयों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत विभिन्न ट्रेडो में अध्यापन कार्य लगभग 22 सौ अतिथि विषय विषेशज्ञों के माध्यम से कराया जा रहा है। वर्ष 2003–04 के पश्चात भारत

सरकार द्वारा (75 प्रतिशत केन्द्रान्श) मानदेय की धनराशि बन्द किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2004–05 से प्रदेश सरकार द्वारा ही इन अतिथि विषय विषेशज्ञों को देय मानदेय की धनराशि वहन की जा रही है। दिसम्बर, 2008 से इण्टर स्तर पर रू0 100/– प्रति व्याख्यान के स्थान पर रू0 300/– प्रति व्याख्यान अधिकतम रू0 3000/– के स्थान पर रू0 10000/–प्रति माह तथा हाईस्कूल स्तर पर रू0 100/– के स्थान पर रू0 250/– प्रति व्याख्यान अधिकतम रू0 8000/– प्रति माह कर दिया गया है और वर्तमान में बढ़ी हुई दर से अतिथि विषय–विशेषज्ञों को बढ़ी हुई दर से भुगतान किया जा रहा है।

14. विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम

यह योजना वर्ष 2012–13 से संचालित है। एन0सी0सी0 निदेशालय एवं क्षेत्रीय स्थापित 3 यूनिटो (1–31 उ0प्र0 कन्या वाहिनी नोएडा, 2–32 उ0प्र0 कन्या वाहिनी झांसी और 33 उ0प्र0 वाहिनी अमरोहा) में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन–भत्तों का भुगतान किया जाता है।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के तीन प्रमुख उद्देश्य–शिक्षण, शोध एवं प्रसार वैश्विक पर्यावरण निर्माण का आधार निर्मित करते है। प्रदेश के नियोजित विकास में उच्च शिक्षा का विशेष योगदान है। उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार सतत् प्रयत्नशील एवं कृतसंकल्प है। जिसके फलस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा में तीव्र गति से विकास हुआ है, इससे महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लोक कल्याण को प्राथमिकता प्रदान करते हुए शैक्षिक रूप से अविकसित तथा पिछड़े क्षेत्र में महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है।

प्रदेश में स्नातक एवं परास्नातक स्तर की शिक्षण संस्थाएं एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित आंकड़े निम्नवत् है–

तालिका–11.08

उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर की शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या

1	विश्वविद्यालयों की संख्या	वर्ष		
		2013–14	**2014–15**	**2015–16**
	(क) राज्य विश्वविद्यालय	13	13	14
	(ख) मुक्त विश्वविद्यालय	01	01	01
	(ग) डीम्ड विश्वविद्यालय	01	01	01
	(घ) निजी विश्वविद्यालय	21	21	22
2	महाविद्यालयों की संख्या			
	(क) राजकीय महाविद्यालय	138	138	138
	(ख) अशासकीय महाविद्यालय	4085	4608	5020
	योग	**4223**	**4746**	**5158**
3	महाविद्यालयों में छात्र संख्या (हजार में)			
	(क) छात्र	1579	2405	2475
	(ख) छात्राएं	1215	1732	2261

उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख योजनाएं

1. **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान** इस योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित न्यून सकल नामांकन दर वाले 41 जनपदों में से 26 जनपदों में नये मॉडल राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। इन महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए कुल रु0 165.08 करोड़ की धनराशि प्रदेश शासन द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है तथा इन महाविद्यालयों में भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2. **डिस्क्लोजर मैनेजमेन्ट फ्रेमवर्क** इसके अन्तर्गत पारदर्शी तंत्र का विकास करने एवं सभी आवश्यक सूचनायें जन साधारण के लिए उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु ऑल इण्डिया सर्वे ऑन हायर एजूकेशन तथा विश्वविद्यालय की अपनी वेबसाइट पर सभी आवश्यक सूचनायें प्रदर्शित कराने की कार्यवाही की जा रही है।
3. सम्प्रति प्रदेश में 12 विकास खण्ड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में असेवित है। इन विकासखण्डों में भी महाविद्यालयों की स्थापना तथा आवश्यक संकायों को प्रारम्भ किये जाने हेतु अनुदान दिये जाने की योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त असेवित विकासखण्डों में उच्च शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
4. उच्च शिक्षा के विस्तार एवं विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश शासन द्वारा 03 नये राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इनमें सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 से अद्यतन रु0 107.15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।
5. राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत आन्तरिक गुणवत्ता विकास प्रकोष्ठों को सक्रिय करते हुए विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने हेतु भी योजना संचालित है। महाविद्यालयों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के मानकों के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् से मूल्यांकन कराये जाने की प्राथमिकता तय करते हुए यह मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया गया है।
6. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों के ई–बुक्स/ई–पाठ्य सामग्री एवं ई–लाइब्रेरी की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के प्रयास किये जा रहे है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में सेमिनार, वर्कशॉप तथा कान्फ्रेंस के आयोजन हेतु शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है।
7. छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के क्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने को प्राथमिकता दी जा रही है।
8. **राष्ट्रीय सेवा योजना** प्रदेश में भारत सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय सेवा योजना वर्ष 1969–70 में प्रथम बार लागू हुई। सर्वप्रथम यह योजना स्नातक स्तर के 2500 छात्र/छात्राओं पर लागू की गई, जिसमें उतरोत्तर वृद्धि हो रही है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार क्रमशः 7 रू 5 के अनुपात में व्यय वहन करते है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सामान्य कार्यक्रमों के लिए रु0 250 प्रति छात्र और विशेष शिविरों के कार्यक्रम के लिए रु0 450 प्रति छात्र सात दिवसीय विशेष शिविर हेतु अनुदान दिया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2015–16 में रु0 1425.70 लाख व्यवस्था की गयी है।
9. स्नातक एवं परास्नातक छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति एवं प्रतिपूर्ति शुल्क दिये जाने की योजना संचालित है।
10. प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के लिए राज्य पुरस्कार की योजना संचालित है। वर्ष 2012–13 में पुरस्कार की राशि की तीन गुना कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सरस्वती पुरस्कार की राशि रूपये 1.00 लाख से रु0 3.00 लाख कर दिया गया है तथा शिक्षक श्री पुरस्कार की राशि रूपये 50000 से बढ़ाकर रूपये 1,50000 कर दिया गया है।

11. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर बल दिया जा रहा है। इस हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के साथ–साथ राज्य सेक्टर से भी धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।
12. शासन द्वारा अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विस्तार, गुणवत्ता एवं सुधार की दृष्टि से पूर्व में संचालित असेवित अनुदान योजनान्तर्गत योजना में आंशिक परिवर्तन करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुदान हेतु चयनित महाविद्यालयों की कुल संख्या में से मात्रात्मक रूप में 20 प्रतिशत महाविद्यालय उन विकासखण्डों में चयनित किये जायेंगे जो प्रदेश में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल जनपदों के अन्तर्गत आते है।
13. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के विभागों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण एवं उच्च कोटि का शोध कार्य सम्पादित करने–कराने एवं विश्वविद्यालयों को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009.10 से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है।

प्रावैधिक शिक्षा

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्रविधियाँ विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा की विशेष प्रासंगिकता है। प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिये तकनीकी शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समय–समय पर इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की स्थापना कर पर्याप्त तकनीकी जनशक्ति आपूर्ति एवं क्षेत्रीय अंसतुलन को दूर करने की दिशा में राज्य सरकार प्रयत्नशील है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थापित उद्योगों, आधुनिक कृषि तकनीकी एवं उनसे सम्बन्धित कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रावैधिक शिक्षा के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में प्रावैधिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण–पत्र स्तर की त्रिस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

नीति आयोग भारत सरकार द्वारा उभरती हुई प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार किये जाने एवं उपलब्ध मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग किये जाने की प्रबल संस्तुति की गई है। आयोग के उक्त संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, जेण्डर गैप को कम करने तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिये विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी संस्थाएं स्थापित किये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ राज्य के विभिन्न जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट प्लान (एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत केन्द्र के आर्थिक सहयोग से पालीटेक्निक स्थापित किये जाने की प्राथमिकता है। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी पालीटेक्निकों की स्थापना की जा रही है। विभाग द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए संस्थाओं में इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्टाफ, इक्विपमेन्ट एवं भवन) उपलब्ध कराये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

तालिका–11.09
उत्तर प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तर के प्राविधिक संस्थाओं की प्रगति

संस्थायें	2013–14	2014–15	2015–16
1	2	3	4
1– इंजीनियरिंग कालेज की संख्या	10	10	13
(अ) प्रवेश क्षमता	3128	2660	2949
(ब) वास्तविक प्रवेश	2597	2404	2507
2– डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की संख्या	115	118	120
(अ) प्रवेश क्षमता	37320	37770	37170
(ब) वास्तविक प्रवेश	27510	27412	29672

भौतिक उपलब्धियां

1– विभिन्न राज्यों के साथ अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक स्थिति में प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है जिसे निम्न लिखित तुलनात्मक विवरण में दर्शाया गया है :–

तालिका–11.10
अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक विवरण

क्र0सं0	राज्य का नाम	संस्थाओं की सं0 (राजकीय एवं सहायता प्राप्त)	स्थान/रैंक
1	कर्नाटक	147	प्रथम
2	उत्तर प्रदेश	120	द्वितीय
3	आन्ध्र प्रदेश	86	तृतीय
4	तमिलनाडु	85	चतुर्थ
5	महाराष्ट्र	77	पंचम
6	पंजाब	37	षष्टम

अन्तर्राज्यीय स्थिति
(राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक)

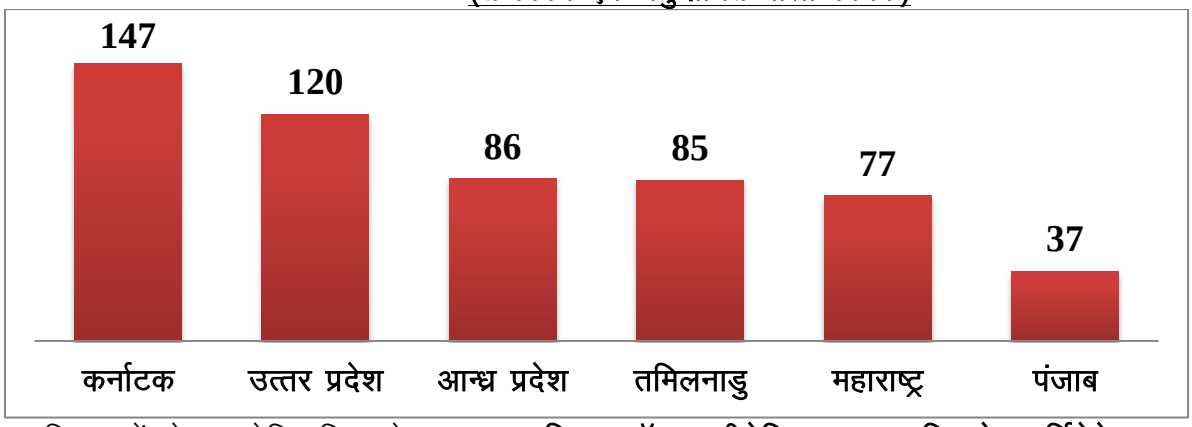

2–विभाग में केन्द्र पुरोनिधानित योजना **"सब–मिशन ऑन पालीटेक्निक अन्डर दि को–आर्डिनेटेड एक्सन फॉर स्किल डेवलपमेन्ट"** संचालित की जा रही है, जिसके निम्नलिखित घटक हैं :–

I–नवीन पालीटेक्निकों की स्थापना।

II–पालीटेक्निकों में महिला छात्रावासों की स्थापना।

III–राजकीय पालीटेक्निकों का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण।

IV–राजकीय पालीटेक्निकों में अवस्थापना विकास।

V–कम्युनिटी डेवलपमेन्ट थ्रू पालीटेक्निक (सी0डी0टी0पी0)।

3–एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ केन्द्र सरकार के आर्थिक सहयोग से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 22 पालीटेक्निक स्थापित किये जा रहे हैं, जिसके लिये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उ0प्र0 को नोडल विभाग नामित किया गया है।

4–केन्द्र सरकार के आर्थिक सहयोग से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 41 नवीन पालीटेक्निक स्थापित किये गये हैं।

5–स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान के अन्तर्गत 19 पालीटेक्निक स्थापित किये गये हैं।

6–प्रदेश में डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं की संख्या में अभिवृद्धि हुई है। वर्तमान में जनपद मैनुपरी, कन्नौज एवं सोनभद्र में एक–एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की गई है साथ ही मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की गई है, साथ ही मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं एच0बी0टी0आई0 को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।

7–राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत जनपद गोण्डा एवं जनपद बस्ती में एक–एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जा रही है।

8–उच्चस्तरीय आई0आई0आई0टी0 तकनीकी संस्थान की स्थापना लखनऊ के चकगंजरिया क्षेत्र में की जा रही है।

नीति आयोग से निर्दिष्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर प्राविधिक शिक्षा की प्रगति एवं विकास की कमियों को पूर्ण करने का प्रयास

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन की अवधारणा से उबरने के लिये प्राविधिक शिक्षा विभाग का यह सतत् प्रयास है कि बुन्देलखण्ड के विभिन्न जनपदों में विकास की कमियों **(डेवलपमेन्ट डेफीसिट)** का आंकलन कर उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाये। इस संदर्भ में विकास की कमियों के आंकलन हेतु नीति आयोग के अन्तर्गत गठित मानव विकास रिपोर्ट के दृष्टिगत प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में प्राविधिक शिक्षा के समरस विकास **(होमोजीनियस डेवलपमेन्ट)** हेतु डिप्लोमा सेक्टर तथा डिग्री सेक्टर में निम्नवत् तकनीकी संस्थान स्थापित किये गये हैं–

डिग्री सेक्टर में स्थापित संस्थान

1–बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी

जनपद–झांसी में **एच0डी0आई0** की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक 0.592 है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र का यह एक अति प्रतिष्ठित डिग्री स्तरीय संस्थान है जिसमें विभिन्न ब्रान्चों में बैचलर आफ टेक्नॉलाजी का शिक्षण–प्रशिक्षण होता है। यह इंजीनियरिंग कालेज डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के छात्रों के तकनीकी शिक्षा के विकास में इस संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है।

2–राजकीय इंजीनियिरिंग कालेज बॉदा

जनपद–बॉदा में **एच0डी0आई0** की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक 0.465 है। स्पेशल कम्पोनेंट सब प्लान के अन्तर्गत इस संस्थान की स्थापना की गई है। वर्तमान में यह संस्थान अपने निजी भवन में संचालित है। पठन–पाठन हेतु आधुनिक लैबों/शाप्स का निर्माण किया गया है जिसमें आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं तथा राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से लगातार साज–सज्जा, उपकरण एवं फर्नीचर की कमियों को दूर किया जा रहा है। यह इंजीनियरिंग कालेज भी डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध है।

इस इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के फलस्वरूप बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों के छात्रों हेतु स्नातक स्तर पर पर्याप्त सीटें उपलब्ध हो गई हैं।

डिप्लोमा सेक्टर में स्थापित संस्थान

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु डिप्लोमा स्तरीय संस्थान भी स्थापित किये गये हैं। वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल 14 राजकीय पालीटेक्निक/महिला पालीटेक्निक संचालित हैं जो तकनीकी शिक्षा की अभिवृद्धि हेतु पर्याप्त है।

उपरोक्त संस्थायें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित हैं तथा इनमें संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों में ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा– स्टाफ, उपकरण एवं स्पेस रिक्वायरमेंट पूर्ण किये जाने की प्राथमिकता रखी गई है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग का यह सतत् प्रयास है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राविधिक शिक्षा के विकास हेतु नवीन तकनीकी संस्थाओं की स्थापना कर **एच0डी0आई0** की वृद्धि में अहम् भूमिका निभा सके। उल्लेखनीय है कि नेशनल ह्यूमन इंडेक्स (0.632) की तुलना में उत्तर प्रदेश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.397 है। अतः प्रदेश के विकास सूचकांक को राष्ट्रीय औसत विकास सूचकांक की श्रेणी तक पहुँचाये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्षवार पालीटेक्निकों की संख्या

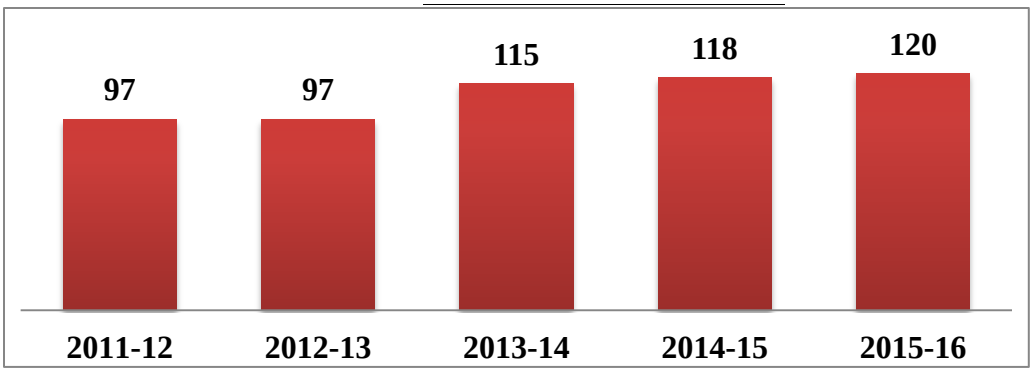

वर्ष–वार प्रवेश क्षमता

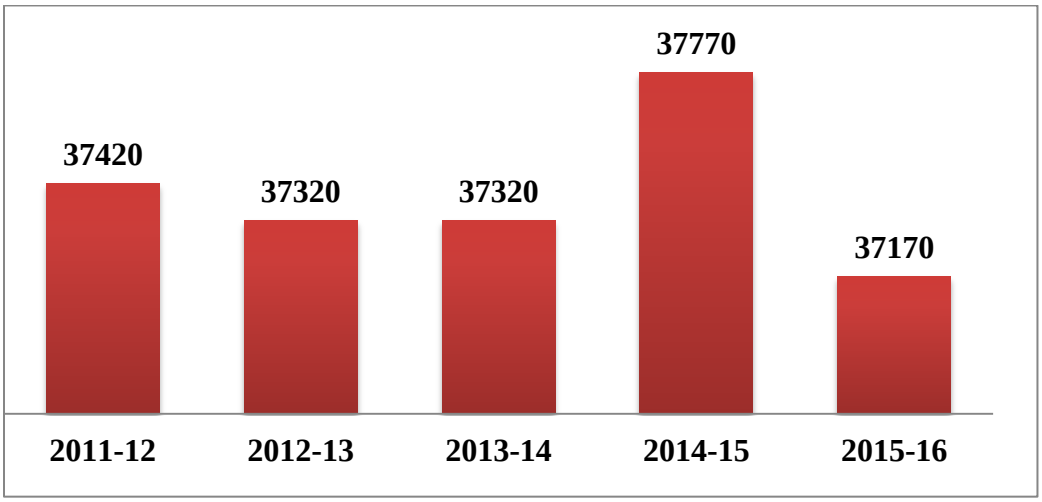

तालिका–11.11

डिप्लोमा सेक्टर में प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश आय–व्ययक प्राविधान एवं व्यय की स्थिति

(रू0 लाख में)

वर्ष	बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय
2011-12	28850.54	21478.35	19407.61
2012-13	28295.80	23687.23	15481.54
2013-14	26828.46	22145.09	21502.62
2014-15	24253.83	19297.16	18225.97
2015-16	19503.26	15317.41	14862.22

****

अध्याय–12
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

लोक कल्याणकारी राज्य की मुख्य प्राथमिकता जनसाधारण को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्डिकेटर की दृष्टि में प्रदेश

प्रदेश सरकार के सतत प्रयास से स्वास्थ्य एवं जनांकिकीय संकेतकों में पर्याप्त सुधार आया है, परन्तु अभी भी उ०प्र० इन संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है, जैसा कि तालिका–12.01 से परिलक्षित हो रहा है।

तालिका–12.01
प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

मद	वर्ष			
	2000		2014	
	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत
जन्म दर	32.8	25.8	27.0	21.0
मृत्यु दर	10.3	8.5	7.4	6.7
शिशु मृत्यु दर	83	68	48	39

स्रोतः– एस.आर.एस. बुलेटिन, महारजिस्ट्रार, भारत सरकार

प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर में कमी लाना सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मातृत्व मृत्यु दर से तात्पर्य प्रतिवर्ष एक लाख जीवित जन्म पर माताओं की मृत्यु दर से है। अद्यतन एस0आर0एस0 बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर मातृत्व मृत्यु दर वर्ष **1997–98** में क्रमशः 606 एवं 398 थी जो घटते हुए वर्ष **2010–2012** में क्रमशः 292 तथा 178 हो गयी। स्पष्ट है कि प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

तालिका–12.02
प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

वर्ष	**मातृत्व मृत्यु दर**	
	उत्तर प्रदेश	**भारत**
1997–98	606	398
1999–2001	593	327
2001–2003	517	301
2004–2006	440	254
2007–2009	359	212
2010–2012	292	178

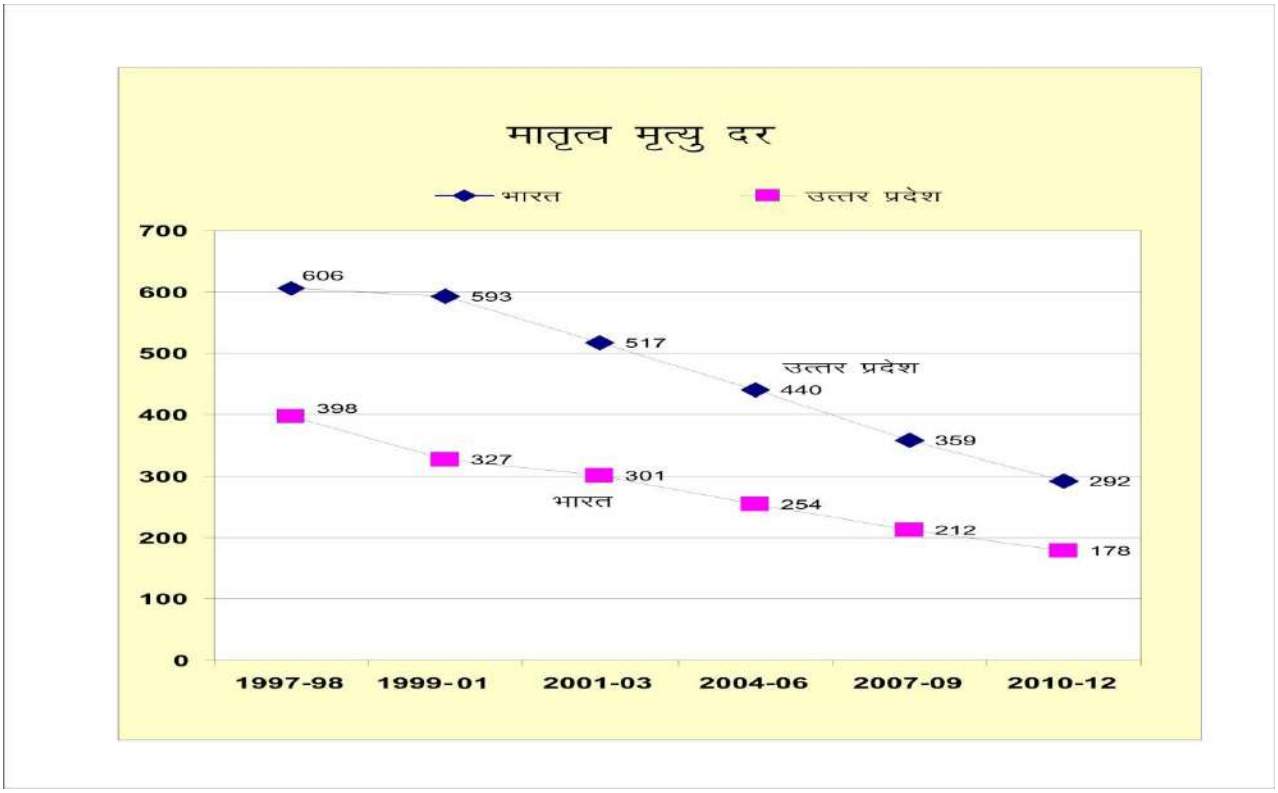

वर्ष 2014–15 में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 3.32 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सब से कम 2.19 केन्द्रीय क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 52.21 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सब से कम 35.87 पश्चिमी क्षेत्र में रही जैसा कि तालिका गत आंकड़ों से स्पष्ट है।

तालिका–12.03

प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या

आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या (2014–15)	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या (2014–15)
1	2	3
पूर्वी	2.55	39.72
बुन्देलखण्ड	3.32	52.21
पश्चिमी	2.20	35.87
केन्द्रीय	2.19	45.68
उत्तर प्रदेश	2.39	39.95

प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं

प्रदेश वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़ें तालिका–12.04 में दर्शाए गए हैं–

तालिका–12.04
उत्तर प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों का विवरण

क्र0 सं0	मद	एलोपैथिक		आयुर्वेदिक एवं यूनानी		होम्योपैथिक	
		1.1.15	1.1.16	2014–15	2015–16	2014–15	2015–16
1	चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या	5102	5102	2370	2370	1575	1575
2	शैय्याओं की संख्या	85204	86399	11077	11077	388	388
3	चिकित्सित रोगियों की संख्या (हजार में)	86033	106214	48556	37994	30425	26116

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के प्रकाशन उ0प्र0 के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 2016–17 के अनुसार वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं पर चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत है।

तालिका–12.05
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय

(लाख रुपये)

वर्ष	चालू व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2014-15	1222192 (7.9%)	83955 (1.3%)	1306147 (6.0%)
2015-16	1570498 (7.8%)	321006 (3.2%)	1891504 (6.2%)
2016-17	1759103 (8.1%)	418490 (4.5%)	2177593 (6.9%)

नोट– कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है जो प्रदेश के चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय के सापेक्ष दिया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर वर्ष 2016–17 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 8.1 प्रतिशत तथा 4.5 प्रतिशत रहा। वर्ष 2015–16 (पुनरीक्षित अनुमान) में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 7.8 प्रतिशत तथा 3.2 प्रतिशत रहा। वर्ष 2014–15 (वास्तविक अनुमान) में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चाल व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 7.9 प्रतिशत तथा 1.3 प्रतिशत रहा।

स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का चालू व्यय पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक है। स्वास्थ्य सेवाओं के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु जनपद लखनऊ स्थित चकगंजरिया क्षेत्र में पी.पी.पी.मोड पर सुपर स्पैशिलिटी अस्पताल/कार्डियालॉजी सेन्टर की स्थापना

देश की जनता को सुपर स्पैशिलिटी अस्पताल वाली सुविधायें, मुख्यतः कार्डियालॉजी से सम्बन्धित उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चकगंजरिया क्षेत्र में दस एकड़ जमीन पर पी.पी.पी. मोड पर कार्डिया लॉजी सेन्टर एवं अन्य सुविधा प्रदान करने हेतु चिकित्सालय का निर्माण किया जा रहा है।

2. ट्रामा सेन्टर की स्थापना

दुर्घटना के उपरान्त घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 36 ट्रॉमा सेन्टर खोले जा रहे हैं। वर्तमान में 21 ट्रॉमा सेन्टर निर्मित हो चुके है। प्रदेश के नवनिर्मित–08 ट्रॉमा सेन्टरों जनपद कानपुर नगर, बाराबंकी, हरदोई, आजमगढ़ बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, उन्नाव एवं सुल्तानपुर की स्थापना/उपकरणों हेतु रुपया 3599.21 लाख की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान की जा चुकी है।

3.डायलिसिस सेन्टर

प्रदेश में गुर्दा रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अक्सर मरीजों को केवल डायलिसिस की ही आवश्यकता होती है, नाकि गुर्दा प्रत्यारोपण की। अतः इन मरीजों को डायलिसिस की सुविधा मण्डल लेवल पर उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक मण्डलीय चिकित्सालयों में पी.पी.पी. मोड पर डायलिसिस सेन्टर चलाने की कार्यवाही की जा रही है। इसमें सी.जी.एच.एस. मूल्य पर सुविधायें दी जायेंगी, जिससे जनमानस को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

एक डायलिसिस यूनिट प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है इस प्रकार प्रदेश में 18 डायलिसिस यूनिट की स्थापना की जानी है।

4.ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा

प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना की नीति निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार 30000 की आबादी पर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना की नीति निर्धारित है। वर्तमान में 818 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3621 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त 1674 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 729 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की निर्माण/स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 336 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 146 समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है।
प्रदेश में ब्लड बैंक– प्रदेश में वर्ष 2015–16 में 75 ब्लड बैंक क्रियाशील है। पोस्ट मार्टम हाउस– वर्ष 2015–16 में प्रदेश में 11 को पोस्ट मार्टम हाउस का निर्माण किया जा चुका है।

5.नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कन्ट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटिज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीसेस एंड स्ट्रोक (एन0पी0सी0डी0सी0एस0)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामान्य गैर संचारी रोंगों पर नियंत्रण एवं रोकथाम करना, उनका प्रारम्भिक निदान करना, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे चिकित्सकों, परिचिकित्सकों एवं उपचारिकाओं को प्रशिक्षण देना तथा प्रशामक उपचार एवं पुनर्वास हेतु क्षमता का विकास करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों एवं गर्भवती महिलाओं का उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्लुकोस्ट्रिप एवं ग्लुकोमीटर के द्वारा मधुमेह एवं रक्तचाप की जांच की जाती है तथा संदिग्ध/गंभीर मरीजों को उपचार एवं निदान हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला चिकित्सालय/उच्च चिकित्सा केन्द्रों पर भेजा जाता है।

वर्तमान में उक्त कार्यक्रम प्रदेश के 28 जनपदों में चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जून, 2015 तक 23 एन0सी0डी0 सेल तथा 23 एन0सी0डी0 क्लीनिक एवं 77 सी0एच0सी0 एन0सी0डी0 क्लीनिक क्रियाशील हैं।

6. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं जिला तम्बाकू प्रकोष्ठ क्रियाशील है। वर्तमान में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम प्रदेश के कुल 10 जनपदों में चलाया जा रहा है वित्तीय वर्ष 2014–2015 में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम– 2003 के अनुपालन में कार्यवाही के फलस्वरूप कुल 657 व्यक्तियों से जुर्माना स्वरूप रू0–82,572.00/का राजस्व प्राप्त किया गया।

7. 102 नेशनल एम्बुलेन्स सेवा

यह सुविधा पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष की आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क घर से चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक तथा एक चिकित्सा इकाई से दूसरे चिकित्सा इकाई तक लाभार्थी को परिवहित करने में भी प्रयोग की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस पहुंचने का अधिकतम समय 30 मिनट तथा शहरी क्षेत्रों में 20 मिनट निर्धारित किया गया है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में पूरे 24 घंटे उपलब्ध है। योजना में कुल 1972 एम्बुलेंस संचालित होनी है। इस योजना से दिसम्बर, 2015 तक कुल 75.62 लाख लाभार्थियों को सुविधा प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में प्रतिमाह 5.50 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं व शिशुओं को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।

8. 108 समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा

रोगियों को आकस्मिक परिस्थितियों में अविलम्ब निकटवर्ती चिकित्सा इकाई तक पहुंचायें जाने हेतु आकस्मिक चिकित्सकीय परिवहन सेवा प्रदान करने हेतु प्रदेश में समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 988 एम्बुलेसों का संचालन पूर्णतया निःशुल्क टोल फ्री नम्बर ''108'' के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश के किसी भी कोने से निःशुल्क टोल फ्री नम्बर ''108'' पर कॉल करने पर शहरी क्षेत्र में 20 मिनट में तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट में एम्बुलेंस को रोगी तक पहुँचायें जाने की व्यवस्था की जाती है तथा उक्त एम्बुलेंस के द्वारा रोगी को निकटवर्ती राजकीय चिकित्सा इकाई तक पहुँचाकर चिकित्सा सेवा सुलभ करायी जाती है। इस सेवा की उपयोगिता को देखते हुये माह दिसम्बर, 2014 से अर्न्तजनपदीय संदर्भन की सेवा भी उपलब्ध करायी जा रही है।

9. परिवार नियोजन कार्यक्रम

परिवार नियोजन कार्यक्रम पूर्णतया स्वैच्छिक कार्यक्रम है। प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1950 के दशक में प्रारम्भ किया गया था, जिसके अन्तर्गत नियोजन की स्थायी व अस्थायी विधियों की सेवायें निःशुल्क प्रदान की जाती है। स्थायी विधियों के अन्तर्गत महिला व पुरूष नसबन्दी की सेवायें प्रदान की जाती है एवं अस्थायी विधियों के अन्तर्गत लूप निवेशन, गर्भ निरोधक गोलियों व कण्डोम का वितरण सेवा केन्द्रों पर निःशुल्क दिया जाता है। प्रदेश के ग्रामीण अंचलो में गर्भ निरोधक सामग्री का वितरण "आशा कार्यकत्रियों" द्वारा लाभार्थियों के द्वार पर किया जाता है।

(अ) नसबन्दी

परिवार नियोजन के अन्तर्गत नसबन्दी कराने वाले महिला लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि रू० 1400/– तथा पुरूष लाभार्थी की धनराशि रू 2000/– है। नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/जटिलता/असफल नसबन्दी के मामलों में लाभार्थी को भुगतान हेतु अप्रैल 2013 से "परिवार नियोजन आईडिमिनिटी योजना" लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण (असफल नसबन्दी) के केसों में रू० 30,000/– तथा नसबन्दी उपरान्त जटिलता के केसों पर अधिकतम् रू० 25,000/– की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जाती है। नसबन्दी उपरान्त मृत्यु के केसों में मुआवजे की धनराशि मिलती है। ऐसे सेवाकेन्द्र जिन पर प्रतिमाह 200 से अधिक प्रसव हो रहे हैं, पर लाभार्थियों की काउन्सिलिंग कर उन्हें परिवार नियोजन विधियों को अपनाने हेतु प्रोत्सहित किये जाने के उद्देश्य से फैमिली वेलफेयर काउन्सलर" की तैनाती संविदा के आधार पर की गयी है।

(ब) आधुनिक गर्भनिरोधक तकनीकों/विधियों का प्रयोग

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015–16 में कुल 252.71 हजार व्यक्तियों ने नसबन्दी कराया जो वर्ष 2014–15 के 293.05 हजार की तुलना में 13.8 प्रतिशत कम था। इनमें वर्ष 2015–16 में नसबन्दी कराने वाले पुरुषों की संख्या 3.10 हजार थी जो गत वर्ष 7.86 हजार की तुलना में 60.6 प्रतिशत कम था। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 में महिला नसबन्दी की संख्या 249.61 हजार थी जो गत वर्ष 285.19 हजार की तुलना में 12.5 प्रतिशत कम था।

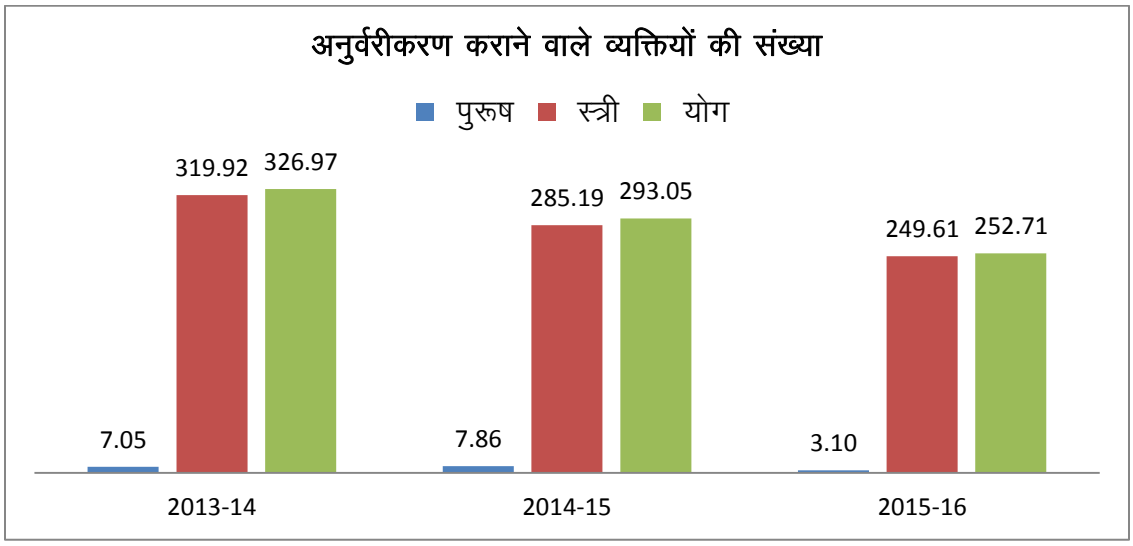

उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में वर्ष 2014–15 में लूप निवेशन तथा कापर टी एवं ओरल पिल्स का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 1450.23 हजार तथा 333.30 हजार थी। वर्ष 2015–16 में लूप निवेशन तथा कापर टी का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 1431.88 हजार तथा 362.96 हजार हो गयी।

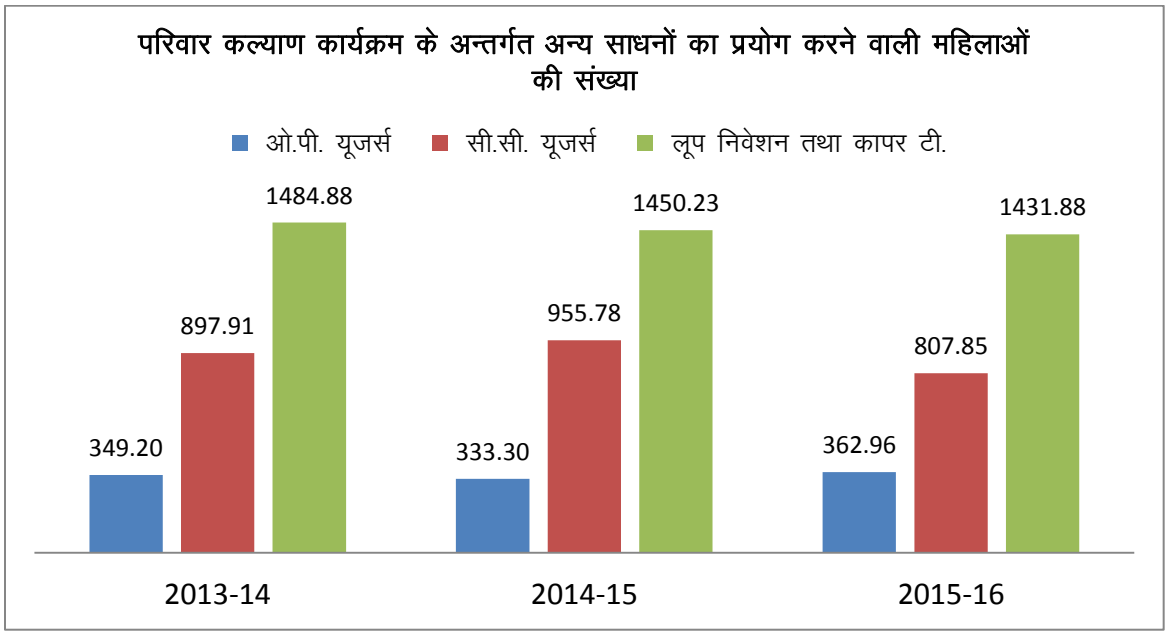

जनपदों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपलब्धियाँ निम्नवत हैः–

तालिका–12.06

क्र०सं०	विधि	2015–16 (नवम्बर–15 तक)	2016–17 (नवम्बर–16 तक)	उपलब्धि प्रतिशत में
1	वैसेक्टामी	2435	3616	–47.78
2	टयूबेक्टामी	63380	75784	–21.30
3	सकल नसबन्दी	65815	79400	–22.22
4	आइ०यू०डी०	875544	877851	4.31
5	सी०सी०यूजर्स	773671	789568	–17.17
6	ओ०पी० यूजर्स	342232	355051	29.98

पूर्ण प्रतिरक्षण

महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को टिटनेस एवं बच्चों को काली खांसी, पोलियो इत्यादि के टीके लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014–15 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 47.27 लाख टी0टी0, 46.19 लाख डी0टी0पी0, 45.29 लाख पोलियो, 48.36 लाख बी0सी0जी0 एवं 45.31 लाख मीजिल्स के टीके लगाए गये। वर्ष 2015–16 में टिटनेस, काली खांसी, पोलियो, बी0सी0जी0 एवं मीजिल्स के टीकों की संख्या क्रमशः 46.91 लाख, 43.92 लाख, 45.05 लाख, 49.94 लाख एवं 45.86 हो गयी। जैसा कि तालिका–12.07 से स्पष्ट हैः–

तालिका–12.07

(लाख में)

क्र0 सं0	मद	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17 (नवम्बर–16 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	टी0टी0 गर्भवती माता	63.90	47.17	64.14	47.27	64.85	46.91	66.13	29.92
2	डी0पी0टी0	54.78	46.59	55.22	46.19	56.01	43.92	–	–
3	पोलियो	54.78	46.16	55.22	45.29	56.01	45.05	57.11	26.90
4	बी0सी0जी0	54.78	47.66	55.22	48.36	56.01	49.94	57.11	31.72
5	मिजिल्स	54.78	47.95	55.22	45.31	56.01	45.86	57.11	29.58
6	हेप्टाइटिस बी	54.78	41.98	55.22	44.53	56.01	43.24	–	–
7	जे0ई0 (38 जनपद)	29.80	20.36	29.95	20.43	30.19	21.79	31.63	14.28

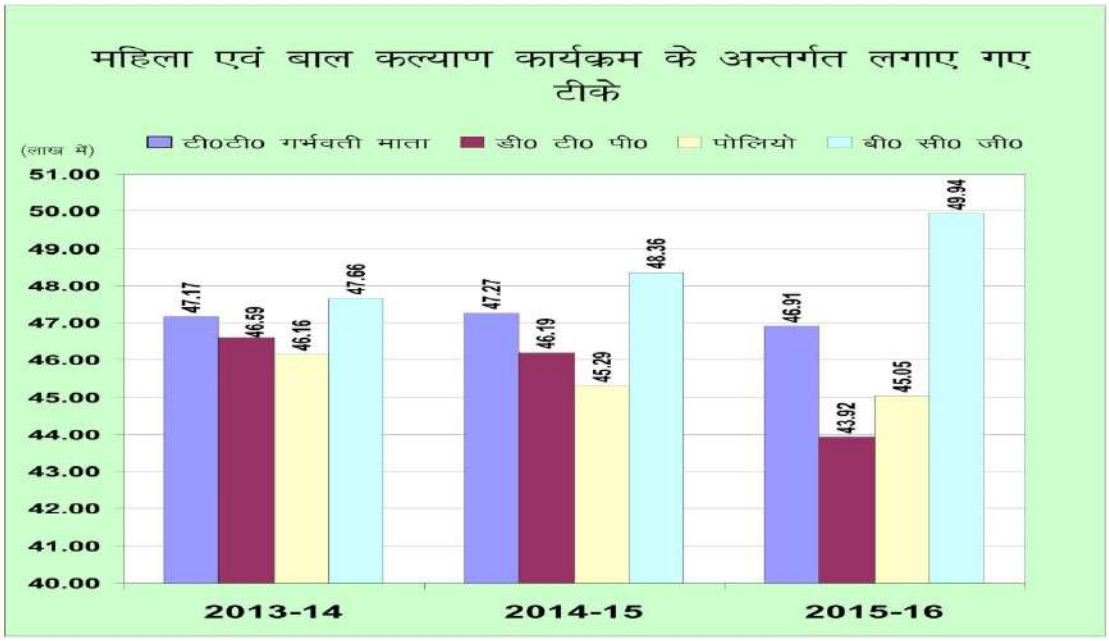

जे०ई० अभियान

प्रदेश के संवेदनशील 38 जनपदों में जे0ई0 से बचाव हेतु बच्चों को जे0ई0 टीकारण से निःशुल्क आच्छादित किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में प्रदेश के 07 जनपदों में जे0ई0 टीकारण विशेष अभियान 15 से 65 वर्ष के वयस्कों हेतु चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 4863366 वयस्कों को आच्छादित किया जा चुका है। प्रदेश के जनपद लखनऊ, मऊ एवं रायबरेली में वर्ष 2016–17 में 01 से 15 वर्ष के बच्चों हेतु जे0ई0 टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत क्रमशः 11823486, 616914 एवं 831981 बच्चों को आच्छादित किया गया। वर्तमान में प्रदेश के 05 जनपदों में 01 से 15 वर्ष के बच्चों हेतु जे0ई0 टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

पोलियो कार्यक्रम

प्रदेश में 21 अप्रैल, 2010 के बाद से पोलियो का कोई केस प्रकाश में नहीं आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू०एच०ओ०) द्वारा साउथ ईस्ट एशिया रीजन के 11 देशों में, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, को मार्च, 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है।

पोलियों विसंक्रमण रोकने हेतु प्रदेश में एन0आई0डी0 (नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) तथा एस0एन0आई0डी0 (सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) चक्र चलाये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक से निःशुल्क आच्छादित किया जा रहा है। साथ ही पोलियों के विसंक्रमण के खतरे के दृष्टिगत आठ देशों– अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, केन्या सीरिया इथोपिया एवं कैमरून आने जाने वाले सभी उम्र एवं सभी वर्ग के यात्रियों को यदि उनके पास पिछले एक वर्ष के अन्दर वैधानिक प्रमाण पत्र न हो तो पोलियों वैक्सीन की एक खुराक से निःशुल्क आच्छादित किया जाता है।

बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह

बच्चों में रतौंधी व रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ाने हेतु वर्ष में दो बार माह जून व दिसम्बर में 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन–'ए' की खुराक से आचछादित किया जाता है। इसके अर्न्तगत जून, 2016 अभियान में कुल 13530911 बच्चों को विटाामिन ए की खुराक से आच्छादित किया गया।

जननी सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित प्रसव एवं संस्थागत प्रसव के लिये प्रोत्साहित करना है ताकि मातृ एवं शिशु मृत्युदर में कमी लाई जा सके। इसके अंतर्गत उपकेन्द्र/पी0एच0सी0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम संदर्भन इकाई/जिला अथवा राज्य स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओ को ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1400/–व शहरी क्षेत्र में रू0 1000/–एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रू0 500/–सहायता राशि के रूप में दिये जाते है।

आशा को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, आयरन फोलिक एसिड की गोली को उपलब्ध कराना, टी0टी0 टीकाकरण व चार प्रसव पूर्व जाँचे कराने के पश्चात् रू0 300/– व सुरक्षित प्रसव/संस्थागत प्रसव कराने के पश्चात् रू0 300/–दिये जाते है। इस प्रकार पंजीकरण से लेकर प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन व प्रसवोत्तर सभी सेवायें उपलब्ध करवाती है तो आशा कार्यकर्त्री को इस कार्य के लिये ग्रामीण क्षेत्र में कुल रू0 600/–दिये जाते हैं। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत प्रगति निम्नवत् हैः–

तालिका–12.08

(हजार में)

2013–14		2014–15		2015–16		2016–17 (सितम्बर–16 तक)	
लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2515.00	2388.40	2669.40	2330.62	2669.40	2401.48	2665.91	1141.40

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदो में संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत गर्भावस्था में दी जाने वाली सेवायें, प्रसव के दौरान तथा प्रसवोपरान्त सेवाएं, महिला तथा उसके नवजात शिशु की देखभाल आदि समस्त सेवाओं का एकीकरण कर लिया गया है एवं यह सेवायें उस महिला के क्षेत्र की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री/आशा कार्यकर्त्री द्वारा अथवा उसकी सहायता से उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को **गारन्टीड कैशलेस प्रसव सेवा** प्रदान करना है जो निम्नवत हैः–

1. प्रसव के दौरान उपयोग में लाये जाने वाली समस्त औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।
2. सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं (सामान्य एवं सिजेरियन प्रसव) को चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन प्रदान किया जा रहा है।
3. महिला से सामान्य अथवा सिजेरियन प्रसव हेतु किसी भी प्रकार का कोई भी यूजर चार्ज नही लिया जा रहा है।
4. सभी जांचे जैसे ब्लड, यूरिन, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
5. आवश्यकतानुसार ब्लड ट्रान्सफ्यूजन भी निःशुल्क किया जा रहा है।
6. इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व घर से चिकित्सा इकाई तक एवं प्रसवोपरान्त चिकित्सा इकाई से घर तक निःशुल्क एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है।

प्रसवों के उपरान्त माँ की 42 दिन तक और बच्चे की एक वर्ष तक पूरी देखभाल/टीकाकरण/बीमार होने पर निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, घर से चिकित्सा इकाई तक एवं चिकित्सा इकाई से घर तक पहुँचाने की निःशुल्क परिवहन सुविधा एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से दी जा रही है।

तालिका–12.09

प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को दी जा रही सुविधाएं

निःशुल्क सुविधाये	वर्ष 2013–14		वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि(अगस्त –2016 तक)
निःशुल्क भोजन	1816840	1550275	1816840	1659841	1557000	1233692	1745042	802054
निःशुल्क ड्राप बैक	1348112	822372	–	1386288	–	1091419	–	1264080
निःशुल्क उपचार	2500000	2767754	4700000	3490437	4800000	2846849	5000000	2102054
निःशुल्क जाँच	2500000	2753430	4771704	3573525	4800000	2880732	5000000	2089661

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 का क्रियान्वयन

वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में पिछले दशक 2001 की तुलना में वृद्धि हुई है जबकि बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र) में गिरावट आयी है। पिछले 03 दशकों के प्रदेश के लिंग अनुपात एवं बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र) का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :–

तालिका–12.10

प्रदेश में लिंग अनुपात एवं बाल लिंग अनुपात

क्र0सं0	वर्ष	उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात	उत्तर प्रदेश का बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र)
01	1991	876	927
02	2001	898	916
03	2011	912	902

कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग परीक्षण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में **''प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994''** पूर्व में ही प्रख्यापित किया जा चुका है, जो उत्तर प्रदेश में भी लागू है।

अधिनियम के क्रियान्वयन की अनुश्रवण व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु एक पृथक वेबसाईट विकसित की गयी है, जिसका शुभारम्भ प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को किया गया।

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के वर्ष 2011–12 व 2012–13 के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात, 0-4 आयु वर्ग में लिंगानुपात व समस्त आयु वर्ग में लिंगानुपात में वृद्धि परिलक्षित हो रही है, जैसाकि तालिका–12.11 से स्पष्ट हैः–

तालिका–12.11

वर्ष	जन्म के समय लिंगानुपात	लिंगानुपात (0–4 आयु वर्ग)	लिंगानुपात (समस्त आयु वर्ग)
2011-12	908	914	944
2012-13	921	919	946

मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम संचालित है। एनुअल हेल्थ सर्वे के बेस लाइन रिपोर्ट (2010–11) में उत्तर प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात 345 प्रति एक लाख जीवित जन्म था जो प्रथम अपडेशन 2011–12 में घटकर 300 प्रति एक लाख जीवित जन्म एवं द्वितीय अपडेशन 2012–13 की रिपोर्ट के अनुसार यह घटकर 258 प्रति एक लाख जीवित जन्म हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2017 तक इसे 200 प्रति एक लाख जीवित जन्म तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। किसी भी प्रदेश में मातृ मृत्यु में कमी लाने के लिये मातृ मृत्यु समीक्षा एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो कि मातृ मृत्यु के विभिन्न कारणों एवं कारकों पर प्रकाश डालता है एवं उनको दूर करने में सहायता करता है।

मातृ मृत्यु समीक्षा (एम0डी0आर) कार्यक्रम में प्रत्येक मातृ मृत्यु के कारणों की गहन छानवीन की जाती है जिससे यह पता चलता है कि मातृ मृत्यु के मेडिकल कारण क्या थे तथा सामाजिक कारण क्या थे। इस प्रकार इस समीक्षा से क्षेत्र विशेष तथा समुदाय विशेष में होने वाली मातृ मृत्यु के विषय में जानकारी प्राप्त कर उसी के अनुसार योजना बनाकर कार्य किया जाता है। मातृ मृत्यु से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़ें तालिका–12.12 में दर्शाए गए हैं–

तालिका–12.12
मातृ मृत्यु से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़ें

वर्षवार	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17 (दिसम्बर–16 तक)
सम्भावित मृत्यु	19168	16906	14021	14620
मातृ–मृत्यु	3274	3861	3040	2259
मातृ–मृत्यु आडिट	2970	3494	2613	1455
प्रतिशत	**17.08**	**22.84**	**21.68**	**15.45**

उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना

विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना का शुभारम्भ 2012–13 में हुआ। परियोजना अवयवों एवं गतिविधियों की अनुमानित लागत 538.55 करोड़ एवं डी0एल0आई0 (डिसर्ब्समेन्ट लिंक्ड इंडीकेटर्स) के आधार पर होने वाली फण्डिंग रू0 225 करोड़ धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल लागत 763.55 करोड़ है। परियोजना लागत 538.55 करोड़ का 85 प्रतिशत अर्थात 457.77 करोड़ का वित्त पोषण विश्व बैंक

आई0डी0के0 क्रेडिट के रूप में करेगी तथा 15 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 80.78 करोड़ की धनराशि राजकोष से 15 प्रतिशत राज्यांश के रूप में देना होगा।

परियोजना के प्रथम वर्ष में महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ में विभिन्न प्रकोष्ठों पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ, गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप प्रकोष्ठ तथा इलेक्ट्रानिक डाटा प्रकोष्ठ की स्थापना हो चुकी है तथा मानव संसाधन उपलब्ध कराते हुए प्रकोष्ठों से सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में प्रदेश की जनता को दी जा रही सेवाओं को बेहतर, गुणवत्ता एवं जवाबदेही तथा सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाये जाने हेतु परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 40 जिला चिकित्सालयों को एन0ए0बी0एच0 मानक तक उच्चीकृत किया जाना है जिससे प्रदेश की गरीब जनता को गुणवत्तापरक चिकित्सकीय सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त आच्छादित 40 चिकित्सालायों में निजी क्षेत्र की सहभागिता से सफाई एवं बागवानी कार्य, विशिष्ट चिकित्सकीय जांच आदि भी किये जाने है। परियोजना अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना प्रणाली एवं तन्त्र को सुदृढ़ किया जाना, हास्पिटल चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण एवं प्रबन्धन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना तथा औषधि एवं उपकरणों के उपार्जन व्यवस्था का सुदृढ़कीरण किया जाना भी है।

1. परियोजनान्तर्गत आच्छादित 40 जिला चिकित्सालयों में एन0ए0बी0एच0 कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु एक परामर्शी संस्था का चयन किया जा चुका है जो समस्त आच्छादित चिकित्सालयों में कार्य कर रही है।
2. एन0ए0बी0एच0 आच्छादित चिकित्सालयों में उपकरण एवं फर्नीचर आदि के पारदर्शी उर्पाजन हेतु एक स्वतंत्र संस्था को चयनित किया जा चुका है तथा उपकरण उपार्जन का कार्य प्रगति पर है।
3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के उपार्जन प्रकोष्ठ के ढांचागत सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता विकास हेतु एक परामर्शी संस्था है जिसके द्वारा विभाग के उर्पाजन प्रकोष्ठ के साथ कार्य आरम्भ कर दिया है।
4. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु परियोजना द्वारा विभिन्न सूचना प्रणाली को विकसित कर लागू किया जा रहा है जैसेः– औषधि उपार्जन एवं वितरण प्रणाली, पर्सनल इनफॉरमेशन सिस्टम, हेल्थ एम0आई0एस0 सिस्टम एवं ई–प्रोक्योरमेन्ट सिस्टम आदि है।
5. परियोजना द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सार्वजनिक–निजी क्षेत्र की सहभागिता से लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं हेतु नीति निर्धारण में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना है। विभिन्न पी0पी0पी0 योजनाओं हेतु परामर्शी संस्थाओं के चयन में तकनीकी सहयोग प्रदान करना तथा पी.पी.पी. के बिड डाक्यूमेंट आदि के सजृन में सहयोग प्रदान करना है। 15 जिला चिकित्सालयों में से 12 जिला चिकित्सालयों में क्लीनिंग एवं गार्डनिंग से सम्बन्धित अनुबन्ध हेतु पी0एस0सी0/पी0जी0बी0 से अनुमति प्राप्त कर ली गई है तथा कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

स्वच्छ पेयजल एवं जलोत्सारण सुविधा

जनसामान्य के स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015–16 में पेयजल सुविधायुक्त नगरों की संख्या 630 तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 436 लाख थी। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 में पेयजल सुविधा युक्त पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या 260110, आंशिक आच्छादित मजरों की संख्या शून्य तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 1670 लाख थी। प्रदेश में वातावरणीय स्वच्छता हेतु जलोत्सारण सुविधा का होना अत्यन्त आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015–16 में जलोत्सारण सुविधायुक्त नगरों की संख्या 55 तथा इनसे लाभान्वित जनसंख्या 40 लाख थी।

तालिका–12.13

उत्तर प्रदेश में हैण्डपम्प इण्डिया मार्क–2 तथा नल द्वारा पेयजल एवं जलोत्सरण सुविधायुक्त नगर एवं मजरे

मद		2014-15	2015-16
1		2	3
1.	पेयजल सुविधायुक्त–		
	(1) नगरों की संख्या	630	630
	(2) लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	436	436
	(3) पूर्ण आच्छादित मजरे	260110	260110
	(4) आंशिक आच्छादित मजरे	0	0
	(5) लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	1650	1670
	(6)अनाच्छादित मजरों की संख्या	0	0
2.	जलोत्सारण सुविधायुक्त नगर–	55	55
	(2) लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	40	40

स्रोत :– उत्तर प्रदेश, जल निगम।

****

अध्याय–13

समाज कल्याण

लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य का मूल उद्देश्य वर्तमान समाज के निर्बल वर्गों के चतुर्दिक विकास की योजनायें बनाना एवं उनको उक्त वर्ग के हितार्थ क्रियान्वित करना है ताकि समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर में सुधार लाते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, महिलाओं हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं यथा छात्रवृत्ति, छात्रावास, आश्रमपद्धति विद्यालय, पेंशन, शोषण के विरूद्ध सहायता एवं भरण पोषण सम्बन्धी योजना आदि का संचालन किया जा रहा है। ये योजनाएं समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्प संख्यक कल्याण, विकलांग कल्याण, महिला कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

समाज कल्याण सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1.समाजवादी पेंशन योजना

भारत वर्ष में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं साक्षरता को समन्वित करते हुए समाज के निर्बल एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2014–15 से सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु इस योजना में प्रदेश के 40 लाख परिवारों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य था, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के 12 लाख लाभार्थी, अल्पसंख्यक वर्ग के 10 लाख लाभार्थी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के 18 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य था। योजना में प्रति लाभार्थी को रू0 500/– की मासिक सहायता अनुमन्य करायी जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं साक्षरता के कतिपय मानकों को पूरा करने के फलस्वरूप सहायता राशि में रू0 50/– की वार्षिक वृद्धि की जाती है।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू० 199935.42 लाख की धनराशि व्यय कर 33.35 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत रू0 257706.71 लाख की धनराशि व्यय कर 42.43 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

2.छात्रवृत्ति वितरण योजना

निर्बल वर्गों का शैक्षिक विकास ही उनके सर्वांगीण विकास की कुंजी है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण समय पर एवं पारदर्शी तरीके से करना राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता एवं समयबद्धता लाने हेतु छात्रवृत्ति योजना का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया गया है। दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति योजना में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से वर्ष 2013–14 से छात्र द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑन लाइन भरने की अनिवार्य व्यवस्था लागू की गयी है।

क. पूर्वदशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग)

कक्षा–1 से 8 तक के अनुसूचित जाति/जनजाति के समस्त विद्यार्थियों तथा सामान्य वर्ग के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों के पुत्र तथा पुत्रियों को छात्रवृत्ति ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति के माध्यम से नकद भुगतान की जाती है। कक्षा 9 व 10 के अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाता है। अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 की कक्षाओं में अध्ययनरत रू0 2.00 लाख वार्षिक आय की सीमा तक के माता–पिता/अभिभावकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति दी जाती है। तालिका–13.01 में विभिन्न वर्षों की प्रगति दिया गया है।

तालिका–13.01

क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (धनराशि रू0 लाख में)
1	2	3	4	5
1	पूर्वदशम् – अनु. जाति/जनजाति	2014–15	193884	434.20
		2015–16	83364	1876.05
	पूर्वदशम् – सामान्य वर्ग	2014–15	21251	152.17
		2015–16	15564	107.07
2	दशमोत्तर– अनु. जाति/जनजाति	2014–15	881742	132536.00
		2015–16	674105	116169.11
	दशमोत्तर– सामान्य वर्ग	2014–15	370913	46849.00
		2015–16	428229	56483.28

3.राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। शिक्षा के साथ–साथ निःशुल्क छात्रावास, भोजन, पाठ्य पुस्तकें, यूनीफार्म, खेल–कूद आदि की व्यवस्था भी की जाती है। इन विद्यालयों में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रवेश की व्यवस्था है। बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक विद्यालय खोले गये हैं। वर्तमान में इन विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है। समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित 85 नवीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों सहित कुल 102 संस्थाओं में कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 30501 एवं 31563 छात्रों को योजना का लाभ दिया गया।

4.राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास

इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रावास के अन्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश में 252 छात्रावास संचालित हैं। वर्ष 2015–16 में इस योजनानतर्गत 990.15 लाख रू० व्यय कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 9428 छात्र/ छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

5.अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा पी0सी0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को भारत सरकार की तद्विषयक नियमावली के अन्तर्गत न्यूनतम 90,000/– रूपये से लेकर 8,25,000/– रूपये तक की सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2015–16 में 3728.22 लाख रू० व्यय कर 10135 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।

6.वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के समस्त पात्र वृद्धजनों को जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित है, को वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है। इस योजना में 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के पेंशनरों को राज्य सरकार अपने संसाधन से रू0 200/– मासिक पेंशन राज्यांश के रूप में तथा भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह रू0 200/– प्रति लाभार्थी की दर से

केन्द्रांश के रूप मे पेंशन दी जाती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों को रू0 500/– प्रति लाभार्थी प्रति माह की दर से भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में पेंशन दी जाती है जबकि वर्ष 2015–16 में 141861.44 लाख रू० व्यय कर 37.86 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया।

7.राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवासरत् परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर रू० 30,000 की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 31052.20 लाख रू० व्यय कर 103507 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

8. पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना

राज्य सरकार द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से जन कल्याण योजना के रूप में "पुत्रियों की शादी अनुदान योजना" का पुनः शुभारम्भ किया गया है। शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 56,460/– तथा ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 46,080/– वाले परिवार इस योजना के पात्रता क्षेत्र में आते है। प्रदेश सरकार द्वारा शादी अनुदान की पूर्व में प्रदान की जा रही राशि रू0 10,000/– को वर्ष 2016–17 से "दोगुना" करते हुए लाभार्थी को जिला स्तरीय चयन समिति से स्वीकृति उपरान्त अनुदान राशि रू0 20,000/– सीधे लाभार्थियो के खाते में अन्तरित की जाती है। शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी वर्गो के गरीब परिवारों को सम्मिलित करते हुए कुल 2 लाख परिवारों को अनुदान राशि प्रदान किये जाने का लक्ष्य है।

9.उत्तर प्रदेश माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं वृद्धाश्रमों का संचालन

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 के अधीन उ0प्र0 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली–2014 के अधीन भरण–पोषण के आदेश पर न्याय निर्णयन और विनिश्चयन करने के प्रयोजन से राज्य के प्रत्येक राजस्व जिलों की प्रत्येक तहसील में भरण–पोषण अधिकरण का गठन तथा प्रत्येक जिले में अपीलीय अधिकरण का गठन किया जा चुका है।

प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में तीन चरणों में 150 की क्षमता का वृद्धाश्रम स्थापित होना है। प्रथम चरण में वर्ष 2014–15 में चयनित 24 जनपदों व द्वितीय तथा तृतीय चरण हेतु निर्धारित 51 जनपदों में से वर्ष 2015–16 में 26 जनपदों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु चुनौतियां एवं प्राथमिकतायें

समाज कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के परम्परागत संचालन में अनेक व्यवहारिक समस्यायें उत्पन्न हो रही थी। योजना संचालन में दलालों/बिचौलियों द्वारा अनधिकृत हस्तक्षेप करते हुए योजना का लाभ सही व्यक्ति को पहुचाने में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था।

योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं पारदर्शिता हेतु किये गये उपाय

- छात्रवृत्ति योजना का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया गया है। वर्ष 2013–14 से छात्र द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑन लाइन भरने की अनिवार्य व्यवस्था लागू की गयी है।
- प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु एकीकृत पेंशन पोर्टल की स्थापना की गयी है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित कराये जा रहे लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध रहेगा।
- जिन लाभार्थियों का मोबाइल नम्बर सिस्टम में अपलोड हो चुका है, उसे एस0एम0एस0 एलर्ट के माध्यम से खाते में धनराशि के अन्तरण की सूचना उपलब्ध करायी जा रही है।
- प्रदेश में प्रथम बार पी0एफ0एम0एस0 का कोषागार के साफ्टवेयर के साथ इन्ट्रीगेशन कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग एवं कोषागार के अधिकारियों को डिजीटल सिग्नेचर उपलब्ध कराये जा चुके हैं, ताकि

समस्त प्रकार की पेंशन के भुगतान में पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली का प्रयोग करते हुए पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके।

- समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों के खाते में पेंशन की धनराशि का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है।
- जनसाधारण की छात्रवृत्ति/पेंशन से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग द्वारा 25 सीटों वाले कॉल सेन्टर/हेल्प लाइन की भी स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से प्रदेश के छात्र–छात्राओं की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। टोल फ्री हेल्प लाइन की दूरभाष संख्या–18004190001 है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को ऑन लाइन करने के उददेश्य से राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र इकाई द्वारा साफ्टवेयर को विकसित किया गया है, जिसका उददेश्य योजना को पूर्णरूपेण पारदर्शी बनाया जाना है। योजनान्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन फार्म भरे जाने की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गयी है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग की लगभग 52 प्रतिशत आबादी के दृष्टिगत उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु राज्य सरकार क्रियाशील है। वर्तमान में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृत्ति, दशमोत्तर, प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति, छात्रावास निर्माण के साथ–साथ बेरोजगार युवक– युवतियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण की योजनायें संचालित की जा रही हैं। उक्त के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार से अनुदान दिलाये जाने की योजनायें भी संचालित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम की चैनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्यरत है, के द्वारा पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को स्वतः रोजगार स्थापित करने के लिए एवम् उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है

पिछड़े वर्ग के विकास हेतु संचालित योजनायें

1.पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की भाँति उन्हीं दरों एवम् शर्तों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसमें अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राएं सम्मिलित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के कक्षा 9 व 10 के 57678 छात्र एवं छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि कुल रू० 4.003 करोड़ एवं कक्षा 10 व 12 के 10.45 लाख छात्र एवं छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि कुल रू० 355.09 करोड़ पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में अन्तरित की गयी।

2.शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को उक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित करते हुए पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के माध्यम से 9.69 लाख छात्र एवं छात्राओं को रू० 617.74 करोड़ की धनराशि उनके बैंक खाते में सीधे अन्तरित की गयी।

3.छात्रावास निर्माण योजना

शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थाओं के परिसर में छात्रावास का निर्माण कराया जाता है। भारत सरकार की नवीन गाइडलाइन के अनुसार बजट व्यवस्था छात्राओं के लिये छात्रावास हेतु 90:10 केन्द्रांश और राज्यांश है,

छात्रों हेतु 60:40 केन्द्रांश और राज्यांश है और एन०जी०ओ० द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास हेतु 45:45:10 केन्द्रांश/राज्यांश/एन०जी०ओ० अंश निर्धारित है।

4. शादी–बीमारी योजना

पिछड़े वर्ग की निःसहाय, निर्धन तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु रू0 10000.00 एवं गम्भीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को रू0 5000.00 की सहायता अनुदान के रूप में दिये जाने का प्राविधान था। इस योजना में विधवा, विकलांग, दैवीय आपदा जनो एवं भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाती है। शादी अनुदान योजना में लड़की की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में कम बजट प्राविधान हाने के फलस्वरूप योजना स्थगित रही है।

5.'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना

अन्य पिछड़े वर्ग के इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करने हेतु 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना भारत सरकार की डोयक सोसाइटी (नीलिट) से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से संचालित है। उक्त योजना हेतु भुगतान की जाने वाली धनराशि अधिकतम रू0 10000.00 प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से संस्था को किये जाने का प्राविधान है। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होती है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजना के अन्तर्गत 7394 हजार प्रशिक्षार्थियों को रू0 7.39 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया।

विकलांग कल्याण

भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकलांगताओं से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत विकलांग व्यक्तियों का विकलांगतावार वर्गीकरण निम्नवत हैः–

तालिका–13.02
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में श्रेणीवार विकलांगों की संख्या

विवरण	ग्रामीण	शहरी	कुल योग
विकलांगजन की कुल जनसंख्या	3166615	990899	4157514
दृष्टि विकलांगता	579182	184806	763988
वाक् विकलांगता	202152	64434	266586
श्रवण विकलांगता	753704	274131	1027835
अस्थि विकलांगता	543203	134510	677713
मानसिक मंदित	140097	41245	181342
मानसिक रूग्ण	57497	19106	76603
अन्य विकलांगता	720020	226416	946436
बहु विकलांगता	170760	46251	217011

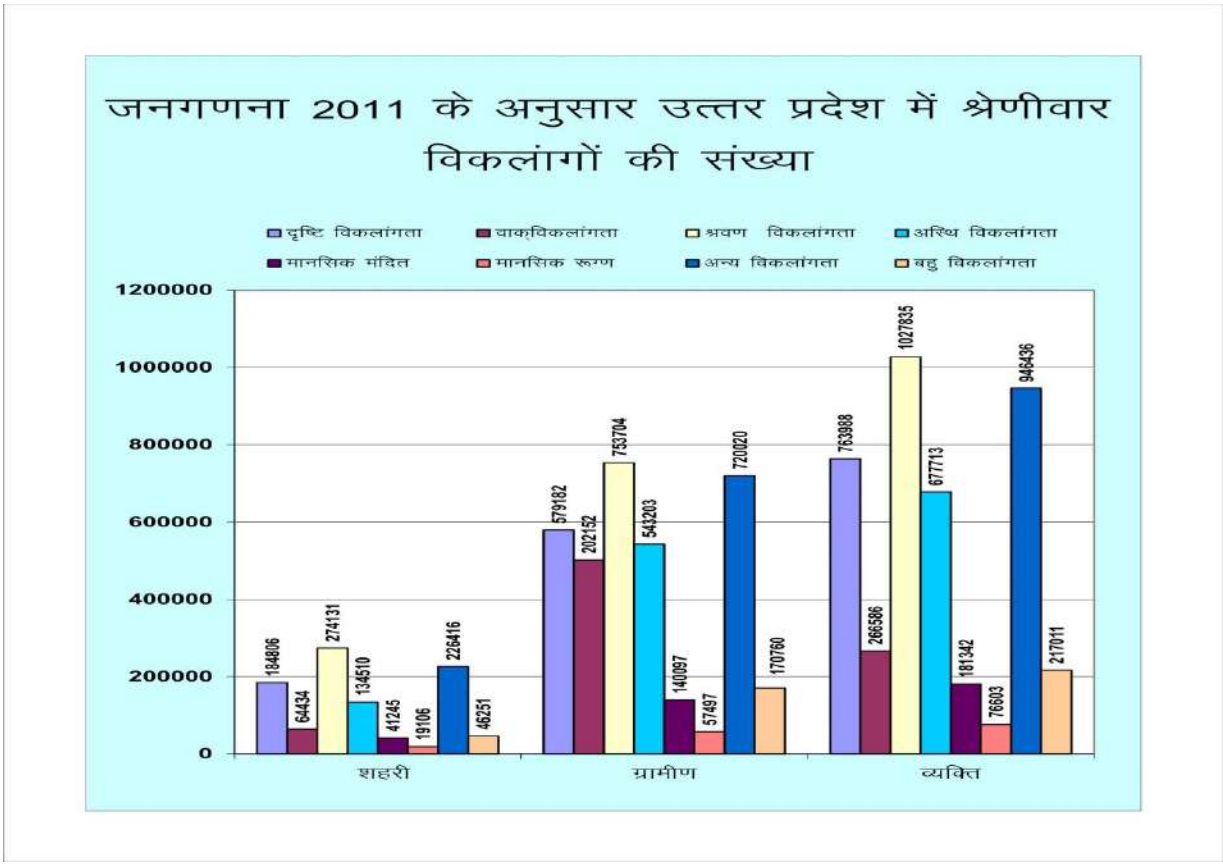

विकलांगों के कल्याण हेतु संचालित योजनायें

1.विकलांग पेंशन योजना

विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत न्यूनतम् 40 प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांगजन, जिनकी मासिक आय रू० 1000/– तक हो को रू० 300/– प्रतिमाह की दर से विकलांग पेंशन दी जाती है। योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 885002 विकलांग जन को लाभान्वित किया गया है ।

इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत न्यूनतम् 80 प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांगजन, जिनकी मासिक आय रू0 1000/– तक हो को रू0 300/– प्रतिमाह की दर से विकलांग पेंशन दी जाती है। योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 116731 विकलांग जन को लाभान्वित किया गया है। इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के उपरोक्त 116731 लाभार्थी विकलांग पेंशन योजना के 885002 लाभार्थियों में सम्मिलित हैं।

2.कुष्ठावस्था पेंशन योजना

विकलांग जन हेतु संचालित विकलांग भरण–पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण विकलांगता से ग्रसित विकलांग जन को भी पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है। कुष्ठ रोग के कारण विकलांग हुए ऐसे सभी आयु वर्ग के विकलांग जन पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तथा बी०पी०एल० आय सीमा के अन्तर्गत आते हों एवं शासन द्वारा संचालित अन्य पेंशन प्राप्त न कर रहे हों, को प्रदेश के सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र (चाहे विकलांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) मान्य होगा को रू० 2500/– प्रति माह लाभार्थी की दर से अनुदान अनुमन्य होगा। वर्ष 2015–16 में कुल 3692 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया ।

3. कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को जिनकी मासिक आय रू०–1000/– तक हो को अधिकतम रू०–6000/– तक की कीमत के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण दिये जाते हैं। योजना अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में कुल 8294 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

4.दुकान निर्माण/संचालन योजना

दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत न्यूनतम् 40 प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांगजन को दुकान निर्माण हेतु रू० 20,000/– एवं दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु रू० 10,000/– की धनराशि प्रदान की जाती है। रू० 20,000/– में रू० 15,000/– की धनराशि 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में तथा रू० 5,000/– अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। इसी प्रकार रू० 10,000/– में रू० 7,500/– की धनराशि 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में तथा रू० 2,500/– अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। योजना अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में कुल 923 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

5. विकलांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

शादी–विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत न्यूनतम् 40 प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांग दम्पत्ति में से पति के विकलांग होने पर रू० 15,000/– तथा पत्नी अथवा दोनों के विकलांग होने पर रू० 20,000/– धनराशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। विकलांगों से विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार उन विकलांग जन/लाभार्थियों को पहले दिया जाता है, जिनका विवाह पहले हुआ हो तथा जो आयकरदाता न हों। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में ऐसे कुल 1272 दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया है।

उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम को विकलांगजन की निःशुल्क बस यात्रा हेतु क्षतिपूर्ति :–

विकलांग व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों से निम्नानुसार निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही हैः–

(क) न्यूनतम् 40% विकलांगता वाले सभी विकलांगजन को।

(ख) 80% या उससे अधिक अथवा बहुविकलांगता से ग्रसित विकलांगजन को एक सहवर्ती के साथ।

6. विभिन्न श्रेणी के विकलांगों हेतु विशेष विद्यालय

विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से ग्रसित बच्चों को आवासीय एवं अनावासीय शिक्षा प्रदान करनें के उद्देश्य से दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं हेतु, जनपद लखनऊ (दो विद्यालय), गोरखपुर (दो विद्यालय), सहारनपुर, बांदा, मेरठ में एक–एक विद्यालय, श्रवण बाधित छात्रों हेतु बरेली, गोरखपुर, लखनऊ एवं फरूखाबाद में, मानसिक मंदित छात्र तथा छात्राओं हेतु लखनऊ, इलाहाबाद में एवं अस्थि बाधित छात्रों हेतु लखनऊ तथा

प्रतापगढ़ में एक–एक विशेष विद्यालय संचालित हैं। दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं को विशिष्ट शिक्षा पद्धति ब्रेललिपि एवं कम्प्यूटर के माध्यम से आधुनिकतम विधा में शिक्षण प्रदान किया जाता है। श्रवण बाधित छात्र/छात्राओं को संकेतिक भाषा के साथ–साथ आधुनिक तकनीकी/विशेष शिक्षा के अनुसार अध्ययन–अध्यापन का कार्य कराये जानें की व्यवस्था की गयी है। मानसिक मंदित छात्र/छात्राओं को एक्टिविटी आफ डेलीलिविंग में उत्तरोत्तर सुधार लानें एवं बौद्धिक क्षमता के विकास के उद्देश्य से विशेष शिक्षा प्रदान किये जानें की व्यवस्था की गयी है। शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को आधुनिक शिक्षा का समावेश करते हुए शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।

7.बचपन नर्सरी स्कूलों का संचालन

03 से 07 वर्ष के विकलांग बच्चों के प्री–स्कूल रेडीनेस हेतु जनपद–लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, में 60–60 बच्चों की क्षमता का तथा जनपद आगरा, बरेली, झांसी, सहारनपुर, गौतमबुद्धनगर में

30–30 बच्चों की क्षमता के बचपन डे केयर सेन्टर्स का संचालन किया जा रहा है। इन सेन्टर्स में विकलांग बच्चों को उनकी विकलांगता की चुनौतियों का सामना करने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण/शिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ उनके निःशुल्क आवागमन, फिजियो–थिरैपी, साईको–काउन्सलिंग, स्पीच– थिरैपी आदि की सुविधायें प्रदान की जाती हैं। जनपद अलीगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़, कानपुर नगर, फैजाबाद, गोण्डा तथा गारेखपुर में 10 नये बचपन डे केयर सेन्टर्स की स्थापना सरकार द्वारा की जा रही है।

डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ) की स्थापनाः–

प्रदेश के विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से ग्रसित छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करनें हेतु उ०प्र० विकलांग उद्धार डा० शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय (लखनऊ) की स्थापना वर्ष 2008 में की गयी है। विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं व्यवसायिक पाठ्क्रमों में समेकित शिक्षा का प्राविधान है जिसमें सभी प्रकार के पाठ्क्रमों में विकलांग छात्र/छात्राओं हेतु 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गयी हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय में स्नातक, परास्नातक कक्षाओं के साथ–साथ विशिष्ट बी०एड०, एम०बी०ए० एवं बी०ए० पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तक रू० 46653.12 लाख का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा कराया गया। वर्ष 2014–15 में उत्कृष्ट संस्था के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किया जा चुका है।

8. विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए कर्मशाला

विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से ग्रसित विकलांग जन को आधुनिकतम रोजगारपरक व्यवसायों यथा–कम्प्यूटर एप्लीकेशन, ब्यूटीशियन, सिलाई कढ़ाई, मोबाइल रिपेयरिंग, टाइपिंग एवं शार्टहैण्ड, फैन्सी मोमबत्ती मेकिंग आदि में प्रशिक्षण देकर उन्हें जीवकोपार्जन करने में सक्षम बनाने के साथ–साथ समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से विकलांग कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के जनपद लखनऊ, गोरखपुर, बांदा, आगरा एवं वाराणसी में आवासीय सुविधा युक्त तथा मुरादाबाद एवं गौतमबुद्धनगर में अनावासीय कौशल विकास केन्द्र विकलांगजन हेतु संचालित किये जा रहे हैं।

9.दक्ष विकलांग कर्मचारियों को पुरस्कार

प्रत्येक वर्ष "विश्व विकलांगता दिवस" 03 दिसम्बर के अवसर पर विकलांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विकलांग व्यक्तियों/कर्मचारियों/सेवायोजकों/सृजनात्मक कार्य/तकनीकी खोज/उत्कृष्ट रोल माडल/उत्कृष्ट प्लेसमेन्ट/बाधारहित वातावरण के निर्माण के लिए/उत्कृष्ट चैनेलाइजिंग ऐजेन्सी/उत्कृष्ट लोकल लेवल कमेटी/उत्कृष्ट शिक्षण तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। गत वर्ष 03 व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के साथ 23 व्यक्तियों के अतिरिक्त 07 संस्थाओं को भी विकलांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया।

10.मनोविकास केन्द्र गोरखपुर

जनपद गोरखपुर में बी०आर०डी० मेडिकल कालेज के आरोग्य भवन में जापानी इन्सेफलाईटिस से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु मनोविकास केन्द्र की स्थापना की गयी है। इस केन्द्र में इन्सेफलाईटिस से प्रभावित व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़नें के उद्देश्य से फिजियोथिरैपी, आक्यूपेशनल थिरैपी व ऑडियोमेट्री एवं विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

11.विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के निर्धन एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा सहायता देने के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान नियमावली वर्ष 2004 में प्रख्यापित करायी गयी है जिसके अनुसार ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनकी तथा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू० 60,000/– से

अधिक न हो को शल्य चिकित्सा हेतु रू 8000/– तक का अनुदान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु कुल 600.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है, जिसमें प्रदेश के 7500 पोलियोग्रस्त विकलांगजन जो सर्जरी के योग्य हैं, को लाभान्वित किया जायेगा।

12.मानसिक मंदित आश्रय गृह

प्रदेश के निराश्रित मानसिक मंदित महिलाओं एवं पुरूषों हेतु तीन मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। यह केन्द्र मेरठ, गोरखपुर में पुरूषों हेतु एवं बरेली में महिलाओं एवं पुरूषों को कौशल विकास प्रशिक्षण, एक्टिविटी आफ डेलीलिविंग (नैत्यिक कार्यों का सम्पादन) आदि के माध्यम से व्यक्तित्व विकास कर उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने का कार्य किया जा रहा है।

13.उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास

उच्च शिक्षा प्राप्त करनें वाले दृष्टिबाधित एवं अन्य विकलांग छात्र/छात्राओं को इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करनें के उपरान्त उच्च शिक्षा प्राप्त करनें में हो रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये उच्च शिक्षा ग्रहण करने के समय आवासीय सुविधा उपलब्ध करानें हेतु लखनऊ में 02 (बालक तथा बालिकाओं के लिए एक–एक), गोरखपुर में 02 (बालक तथा बालिकाओं के लिए एक–एक), इलाहाबाद में 01 (बालक हेतु), एवं मेरठ में 01 (बालको हेतु) कुल 06 छात्रावासों का निर्माण कराया गया है। यह सभी छात्रावास 100–100 कमरों के हैं जिनमें 200 छात्र/छात्राओं हेतु आवासीय व्यवस्था है।

14.दृष्टि बाधित अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र

राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून एवं विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ के परिसर में संयुक्त रूप से अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जा रहा है जहाँ दृष्टिबाधित छात्रों के शिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण के कोर्स संचालित किये जाते हैं।

15– अमरावती पुरूषोत्तम बहुउद्देशीय विकलांग संस्थान वाराणसी का संचालन

मानसिक मंदित विकलांगजन को शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद वाराणसी में अमरावती पुरूषोत्तम बहुउद्देशीय संस्थान की स्थापना की गई है। इस संस्थान में विशेष शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान किये जाने के साथ ही स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। संस्थान में फिजियोथेरेपी आदि की भी सुविधा उपलब्ध है।

16–डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षण

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभाग द्वारा डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अल्पसंख्यक कल्याण

प्रदेश में मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, एवं पारसी समुदायों तथा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों की शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत एवं उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या की तुलना में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का प्रतिशत निम्नवत् है :–

तालिका–13.03

कुल जनसंख्या में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का प्रतिशत

क्र0सं0	समुदाय का नाम	कुल जनसंख्या की तुलना में समुदाय का प्रतिशत	
		भारत	उत्तर प्रदेश
1.	मुस्लिम	13.43	18.49
2.	ईसाई	2.34	0.13
3.	सिक्ख	1.86	0.41
4.	बौद्ध	0.77	0.18
5.	पारसी	नगण्य	नगण्य
6.	जैन	0.41	0.12
	कुल अल्पसंख्यक	18.81	19.33

अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व निम्नवत् हैः–

तालिका–13.04

अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व

क्र0स0	समुदाय	भारत	उत्तर प्रदेश
1	**मुस्लिम**	68.98	95.62
2	**ईसाई**	12.02	0.66
3	**सिक्ख**	9.56	2.10
4	**पारसी**	0.05	नगण्य
5	**बौद्ध**	3.97	0.94
6	**जैन**	2.10	0.64

अल्पसंख्यक कल्याण हेतु संचालित योजनायें

1.पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना

पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की योजना वर्ष 1995–96 से संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत समुदाय के ऐसे सभी छात्र, जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 1.00 लाख है, योजना में आच्छादित हैं। अक्टूबर 2012 से अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण बैंक खाते के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 39268 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

2. दशमोत्तर छात्रवृत्ति

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना वित्तीय वर्ष 2004–05 से प्रारम्भ की गयी है। अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र/छात्राएं, जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 2.00 लाख तक है, योजनान्तर्गत अर्ह/पात्र माने जायेंगे तथा योजनान्तर्गत आय के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को दो वर्गो (नवीनीकृत एवं नये) के रूप में चिन्हीकरण के आधार पर नवीनीकृत छात्रों हेतु गतवर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों को न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा नये छात्रों हेतु गत वर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों को न्यूनतम 60 प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित मासिक दरों पर वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक/के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 313774 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

3.दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र छात्र–छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के साथ–साथ शुल्क प्रतिपूर्ति योजना भी संचालित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे छात्र/छात्राएं, जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 2.00 लाख तक है, को लाभान्वित किया जाता है।

योजनान्तर्गत आय के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को दो वर्गो (नवीनीकृत एवं नये) के रूप में चिन्हीकरण के आधार पर नवीनीकृत छात्रों हेतु गतवर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों को न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा नये छात्रों हेतु गत वर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों को न्यूनतम 60 प्रतिशत के आधार पर वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक छात्र/छात्रा की शिक्षा पर होने वाले वास्तविक व्यय अथवा अधिकतम रू0 50,000/– वार्षिक (जो भी कम हो) को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दिये जाने की व्यवस्था दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 269840 की उपलब्धि प्राप्त की गई।

4.मेडिकल/इंजीनियरिंग की परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को मेडिकल/इंजीनियरिंग की परीक्षा पूर्व तैयारी हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ में 100 छात्र/छात्राओं को मेडिकल/इंजीनियरिंग की कोचिंग योजना के लिये कुल फीस (अधिकतम रू0 15000/– प्रति अभ्यर्थी) दी जाती है। अभ्यर्थी को कोचिंग में प्रवेश के समय 50 प्रतिशत राशि एवं कोर्स समाप्ति पर 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग योजनान्तर्गत 100 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 100 छात्र/छात्राओं पर रू0 15.00 लाख की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

5. अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/निराश्रित अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना

इस योजना के अर्न्तगत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की दो पुत्रियों के विवाह के लिए रू0 10,000/– प्रत्येक के आधार पर आगामी 06 माह के अन्दर प्रस्तावित अथवा गत् 06 माह के अन्दर सम्पन्न विवाह आयोजन हेतु रू0 10,000/– की सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2015–16 में 14527 आवेदकों को लाभान्वित किया गया।

6. अरबी फारसी मदरसों को मान्यता एवं अनुदान सूची पर लिये जाने की योजना

अरबी फारसी मदरसों को मान्यता प्रदान करने तथा इनकी परीक्षाओं को संचालित करने हेतु प्रदेश स्तर पर अरबी फारसी मदरसा बोर्ड स्थापित है। पूर्व में प्रदेश के तहतानियां, फौकानियां तथा उच्च श्रेणी के मदरसों को मान्यता रजिस्ट्रार स्तर से प्रदान की जाती थी। वर्ष 2003 में शासन द्वारा एक महत्वपूर्ण

कल्याणकारी निर्णय लेकर तहतानियां, फौकानिया स्तर तक की मान्यता का अधिकार जनपद स्तर पर दे दिया गया है। अब तक प्रदेश के 7695 मदरसों को मान्यता प्रदान की जा चुकी है।

मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिये शासन द्वारा उपलब्ध संसाधनों को देखते हुये समय–समय पर आलिया स्तर के मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 560 अरबी फारसी मदरसों को शासकीय अनुदान दिया जा रहा है। वेतन का भुगतान सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 560 अनुदानित मदरसों को वेतन अनुदान से लाभान्वित किया गया।

7.प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0)

प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ मदरसों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वोकेशलन ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0) प्रारम्भ की गयी है, जिसके प्रथम चरण में 140 मदरसों में मिनी आई0टी0आई0 की स्थापना कर मदरसा प्रबन्ध–तन्त्र को परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ बालक/बालिकाओं को उनकी अभिरूचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिये राज्य सरकार ने प्रथम् वार वर्ष 2003–2004 के बजट में रू0 285.60 लाख की वित्तीय सहायता दी थी। इस योजना के अन्तर्गत चयनित मदरसों को तीन ट्रेडों पर आधारित मिनी आई0टी0आई0 की स्थापना के लिये तीन इन्स्ट्रक्टर, एक लैब असिस्टेण्ट तथा एक अनुचर के लिये राज्य सरकार द्वारा मानदेय दिया जाता था। इस योजना के अर्न्तगत सम्बन्धित ट्रेडों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से तीन वर्ष निर्धारित की गयी है, जिसको पूरा करने पर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक/बालिकाओं की परीक्षा लेकर उन्हें प्रमाण–पत्र भी प्रदान किये जाते हैं। इस योजना की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये अनुदेशकों आदि के चयन के लिये जिलाधिकारी के स्तर पर चयन समिति बनायी गयी है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों को भी रखा गया है। योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार/तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवक/युवतियों को रोजगार भी मिलेगा।

8.अल्पसंख्यक समुदाय की पुत्रियों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए संचालित योजना ''हमारी बेटी उसका कल''

यह योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से आरम्भ की गयी थी। इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे अभिभावकों जिनकी वार्षिक आय अधिकतम रू0 36,000/–थी, के कक्षा 10 पास पुत्रियो को आगे की शिक्षा अथवा विवाह हेतु रू0 30,000/– एकमुश्त अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। योजनान्तर्गत अधिक से अधिक छात्रायें लाभान्वित हो सके इस हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजनान्तर्गत रू0 20,000/– की एकमुश्त धनराशि दिये जाने की व्यवस्था दी गयी थी। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट में आयोजनागत पक्ष (राज्य योजना) में प्रदेश के 158853 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

9.अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों/अंत्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण हेतु अनुदान

यह योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से आरम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक उपयोग के कब्रिस्तानों एवं अंत्येष्टि स्थलों पर अवैध कब्जों को रोकने एवं कब्रिस्तानों की जमीन की सुरक्षा एवं संरक्षा के उद्देश्य से चहारदीवारी का निर्माण किया जायेगा । प्रदेश में योजना अन्तर्गत 7074 कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों का चयन चहारदिवारी निर्माण हेतु किया गया है जिसमें से 5314 स्थलों पर निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 1121 स्थलों पर निर्माण प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में अल्पसंख्यक समुदाय के 1908 कब्रिस्तान/अन्तेष्टि स्थलों की चहारदीवारी का निर्माण किया गया।

10.अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के बालक/बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के रूप में इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराये जाने तथा उन्हें रोजगार का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शैक्षणिक हब की स्थापना किये जाने की नयी योजना संचालित की गयी है। शैक्षणिक हब के अन्तर्गत माडल इण्टर कालेज की स्थापना उन जनपदों में की जानी है, जहॉ अल्पसंख्यकों की आबादी अधिकतम है। प्रथम चरण में ऐसे 20 जनपदों को चिन्हित करके उनमें दो माडल इण्टर कालेज की स्थापना किया जाना है, जिसमें एक माडल इण्टर कालेज बालिकाओं के लिए होगा। शैक्षणिक हब के अन्तर्गत स्थापित माडल इण्टर कालेज कक्षा–1 से 12 तक के लिए होगा। जहॉ शिक्षा के साथ–साथ कौशल सुधार से संबंधित शिक्षा, कोचिंग एवं रोजगार के अवसर मुहैया कराने से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप भी संचालित किये जायेगें। शासकीय इण्टर कालेज में से एक–एक माडल इण्टर कालेज पश्चिमान्चल, मध्यान्चल एवं पूर्वान्चल क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में किया जायेगा। जिनमें छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध होगी। हब में स्थापित होने वाले माडल इण्टर कालेज में शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षकों की व्यवस्था के साथ–साथ माडल इण्टर कालेज की सम्पूर्ण व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा विभाग की होगी किन्तु अल्पसंख्यक विभाग द्वारा अनावर्ती एवं आवर्ती व्यय की व्यवस्था अपने बजट में की जायेगी। पदों का सृजन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनपद गाजियाबाद में दो, अमरोहा में एक, मेरठ, बागपत में दो, मुरादाबाद में एक, बहराइच में दो एवं पीलीभीत में दो माडल इण्टर कालेज स्थापित करने हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।

11.अरबी फारसी मदरसों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के लिए राज्य पुरस्कार योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ की गयी है। प्रदेश के अरबी फारसी मदरसों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं में अध्यापन कार्य के प्रति रूचि उत्पन्न करने तथा शिक्षण के स्तर में सुधार हेतु उच्च शिक्षा,माध्यमिक शिक्षा एंव बेसिक शिक्षा की भाँति मदरसों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों/अध्यापिकाओं को भी राज्य अध्यापक पुरस्कार से पुरस्कृत किये जाने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत तीन श्रेणी के पुरस्कार होंगे, तहतानिया स्तर के 03, फौकारिया स्तर के 03 एंव आलिया स्तर के 03 कुल 09 अरबी फारसी मदरसों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु प्रति वर्ष चयनित किए जाने की व्यवस्था है।

राज्य पुरस्कार हेतु चयनित अरबी फारसी मदरसों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को रू0 10,000/– नकद पुरस्कार, चाँदी का पदक तथा शाल प्रदान किया जाता है। वर्ष 2014–15 हेतु राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान किये जाने के लिए 09 अध्यापकों को चयनित किया जा चुका है। वर्ष 2015–16 हेतु राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान किये जाने के लिए अध्यापकों के चयन की कार्यवाही की जा रही है।

12.उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति द्वारा हज यात्रियों हेतु व्यवस्था

प्रदेश हज यात्रियों को हज यात्रा हेतु सऊदी अरब भेजने तथा हज सम्बन्धी कार्यों के लिए उ0प्र0 राज्य हज समिति का गठन किया गया है।

2015 में उ0प्र0 से 23106 हज यात्रियों को सऊदी अरब भेजा गया था। वर्ष 2016 में लगभग 24000 हज यात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया जिन्हे पवित्र हज यात्रा पर भेजा जायेगा।

13.हज हाउस का निर्माण

प्रदेश के हज यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में **मौलाना अली मियॉ मेमोरियल हज हाउस** का निर्माण कराया गया है यहॉ से वर्ष 2006 से हज यात्राएं सम्पन्न हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा पश्चिमी उ0प्र0 के हज यात्रियों की सुविधा के लिए गाजियाबाद में **आला हजरत हज हाउस का** निर्माण भी पूर्ण हो रहा है। अभी पश्चिमी उ0प्र0 के हज यात्री दिल्ली राज्य हज समिति द्वारा निर्धारित स्थान से हज यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। गाजियाबाद में **आला हजरत हज हाउस के** निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2013–14 में रू0 2780.01 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 300.00 लाख का प्राविधान कराया गया था ।

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ शासन द्वारा विगत चार वर्षों में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय

1. अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों/अंत्येष्टि स्थलों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु स्थलों का चिन्हीकरण कर एवं उनकी चहार दिवारी(बाउन्ड्री–वाल) कराये जाने का निर्णय।

2. राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजनाओं में अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति के पात्र छात्र–छात्राओं को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्थान पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के स्तर से छात्रवृत्ति दिये जाने का निर्णय।

3. राज्य पोषित अल्पसंख्यक पूर्वदशम् छात्रवृत्ति(कक्षा 9 एवं 10) योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2016–17 से योजनान्तर्गत पात्र छात्र–छात्राओं के अभिभावकों की पूर्व निर्धारित वार्षिक आय रू0 1.00 लाख में वृद्धि कर रू0 2.00 लाख वार्षिक किये जाने तथा छात्रों को छात्रवृत्ति की देय वार्षिक धनराशि रू0 720/– में लगभग तीन गुनी वृद्धि कर रू0 2250/– वार्षिक किये जाने का निर्णय।

4. राज्य पोषित पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 से योजनान्तर्गत पात्र आवेदकों हेतु ग्रामीण क्षेत्र में रू0 19,884/– वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में रू0 25,546/– की पूर्व निर्धारित गरीबीरेखा की वार्षिक आय में वृद्धि कर ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 46,080/– वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56,460/–रू0 वार्षिक किये जाने एवं पात्र लाभार्थियों को पूर्व निर्धारित की देय आर्थिक सहायता की धनराशि रू0 10,000/– में दोगुनी वृद्धि कर रू0 20,000/– वार्षिक किये जाने का निर्णय।

5. केन्द्र–सहायतित ''मदरसा आधुनिकीकरण योजना''के अन्तर्गत आच्छादित मदरसों के योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को मानदेय के रूप में प्राप्त होने वाले केन्द्रांश के सापेक्ष राज्य स्तर से राज्यांश के रूप में स्नातक/ स्नातक के साथ बी0एड0/परास्नातक स्तर के शिक्षकों को रू0 2000/– एवं परास्नातक के साथ बी0एड0 स्तर के शिक्षकों को रू0 3000/– प्रति अध्यापक की दर से अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया तदानुसार शिक्षक लाभान्वित हो रहे है।

6. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग नियंत्रणाधीन मदरसो में कार्यरत शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु संचालित ''मदरसा वेतन अनुदान योजना'' के अन्तर्गत अनुदान सूची में पूर्व से आच्छादित 460 मदरसो के अतिरिक्त 146 मदरसो को अनुदान सूची में लिए जाने का निर्णय लिया गया जिसमें लगभग 100 मदरसे अनुदाानित किये जा चुके है शेष को अनुदान पर किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

7. प्रदेश में संचालित 140 मदरसा मिनी आई0 टी0 आई0 के अन्तर्गत कार्यरत अनुदेशकों/कर्मचारियों को वेतन दिये जाने का निर्णय।

8. मदरसों में शिक्षा में गुणवत्ता के उद्देश्य से अध्यापन कार्य में लगे हुए शिक्षकों को राज्य स्तर पर चिन्हित कर ''राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना'' से गत वर्ष के 9 अध्यापकों को पुरस्कृत किया जा चुका है।

9. अल्पसंख्यकों में शिक्षा एवं शिक्षा से सम्बन्धित क्षेत्र में जागरूकता हेतु एवं समुदाय की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण तथा उन्नयन विकास हेतु प्रदेश के जनपदों में अधिकतम से न्यूनतम अल्पसंख्यक आबादी के आधार पर इण्टरमीडिएट स्तर का एक–एक बालक/बालिका मॉडल विद्यालय के रूप में ''बहुउद्देश्यीय शैक्षणिक हब की स्थापना ''का निर्णय।

10.विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों में 20 प्रतिशत लक्ष्य अल्पसंख्यकों हेतु मात्राकृत करते हुये उन्हें लाभान्वित किये जाने का निर्णय तथा इसकी समीक्षा हेतु अल्पसंख्यक शिक्षा एवं सेवा से सम्बन्धित समिति भी गठित की गई है।

महिला कल्याण

महिला कल्याण कल्याण हेतु संचालित योजनायें

(1) पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान

योजना के अन्तर्गत ऐसी निराश्रित महिलायें जिनके पति की मृत्यु हो व जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46000/– एवं शहरी क्षेत्र में रु0 56000/– वार्षिक है, जिनके बच्चे नाबालिग अथवा बालिग होने के बावजूद भारण पोषण के लिए असमर्थ हैं, को रु0 300 /– प्रतिमाह का अनुदान दिया जाता है जोकि माह अक्टूबर 2016 से 500/– प्रतिमाह हो गया है।

(2) पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान

योजना के अन्तर्गत पति की मृत्यु के उपरान्त अनुदान प्राप्त कर रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु एक मुश्त रु0 10,000/– सहायता/ अनुदान दिया जाता है।

(3)पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं से पुनर्विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार

35 वर्ष से कम आयु की पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने हेतु उनसे विवाह करने पर उस दम्पति को पुरस्कृत करने की योजना संचालित है। दम्पति आयकर दाता न हो। ऐसी दम्पति को विवाह के लिए रु0 10,000 का पुरस्कार दिया जाता है।

(4) दहेज से पीड़ित महिलाओं की आर्थिक सहायता

योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं जिनके द्वारा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो, को रु0 125/– प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है।

(5) दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता

योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली दहेज से उत्पीड़ित महिलाओं जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो को विधिक वाद की पैरवी हेतु रू0 2500/– की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है।

(6) अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अधीन उद्धार संगठनों कीस्थापना

योजनान्तर्गत प्रदेश के 07 मण्डल मुख्यालय में एक–एक उद्धार अधिकारी तैनात है। मण्डल के जनपदों में समय–समय पर पुलिस के सहयोग से वैश्यालयों तथा वैश्यावृत्ति के सम्भावित स्थानों पर छापे मारकर वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को मुक्त कराया जाता है।

(7)परिवीक्षा–सेवा–क्षेत्र

प्रोबेशन आफ अफेन्डर्स एक्ट, 1958 अपराधी मनोवृत्ति को मनोवैज्ञानिक ढ़ंग से बदलने तथा अपराधी को दण्ड के बजाय सुधारात्मक ढ़ंग से परिवर्तन करने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में लागू है साथ ही किशोर न्याय (बालकों की देख रेख) एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 को प्रभावी ढ़ंग से कार्यान्वित करने का दायित्व जिला पर तैनात परिवीक्षा अधिकारियों/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों को सौंपा गया है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं पुनर्वासन की व्यवस्था की जाती है।

(8) किशोर न्याय बोर्ड/ बाल कल्याण समिति की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड के गठन का प्रावधान है जिसे पूर्व अधिनियम के अन्तर्गत किशोर न्यायालय के नाम से जाना जाता था। इसके द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामलों को निपटाया जाता है। इसी प्रकार पूर्व अधिनियम के अन्तर्गत गठित किशोर कल्याण बोर्ड को नये अधिनियम के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति के रुप में पुर्नगठित किये जाने की व्यवस्था है। इनके द्वारा ऐसे बालक–बालिकाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता हो।

(9) संस्थाओं/गृहों का संचालन

किशोर न्याय अधिनियम, 2000 (बालकों की सुरक्षा, देख–रेख एवं संरक्षण) एवं अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत संचालित संस्थायें अपराधिक मानसिकता से जुड़े न होने पर भी अल्पायु वर्ग के बालक, बालिकाएं, किशोरियां अपराधिक परिवेश में आ जाते हैं अथवा कुछ ऐसे बालक–बालिकाएं, किशोर–किशोरियां हैं, जिन्हें माता–पिता अथवा संरक्षण के अभाव के कारण विकास के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते, उन्हें अपराध की दुनिया से निकालने तथा संरक्षण प्रदान करने तथा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दृष्टि से आयु, लिंग तथा प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोरी, राजकीय विशेष गृह किशोरी, राजकीय बाल गृह (बालक), राजकीय बाल गृह (बालिका) पाश्चात्वर्ती देख–रेख संगठन, राजकीय बाल गृह (शिशु) का संचालन किया जा रहा है। उक्त संस्थाओं/गृहों की कार्य संस्कृति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं, आकस्मिक निरीक्षण एवं अनुश्रवण से प्राप्त फीडबैक के आधार पर गृहों का पुनर्गठन किया गया जिससे संवासियों को बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके। पुनर्गठन के उपरान्त 92 गृहों के स्थान पर प्रदेश में अब 47 गृहों/संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत संचालित संस्थाएं, 6 शरणालय एवं प्रवेशालय एवं 5 राजकीय गृह भी विभाग द्वारा संचालित हैं तथा 02 संस्थाएं गैर अधिनियम के अन्तर्गत संचालित हैं।

10.उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष

महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए संवेदनशील बनाना, नारी जीवन का अस्तित्व एवं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना तथा सभी क्षेत्रों, विशेष रुप से आर्थिक स्वावलंबन में महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष" की स्थापना की गयी है। यह कोष जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं जिन्हें तात्कालिक आर्थिक और चिकित्सकीय राहत सुनिश्चित करेगा। इस कोष का उपयोग ऐसी पीडिताओं के भरण–पोषण, शिक्षा और स्वास्थ, पुर्नरुद्धार के साथ–साथ यदि परिस्थितिवश ऐसा अपेक्षित हो, ऐसी पीड़िताओं के अवयस्क बच्चों के भरण–पोषण एवं शिक्षा के लिये भी किया जाएगा।

ऐसी महिलाओं/बालिकाओं को सहायता उपलब्ध कराना जो हिंसा की प्रत्यक्ष शिकार नहीं हैं किन्तु जिन्हें दयनीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण चिकित्सकीय एवं शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है। इस कोष में जन सामान्य के योगदानों को या तो योगदानकर्ता की इच्छानुसार किसी विशिष्ट जिले में किसी विशिष्ट गतिविधि के प्रति या कोष में सामान्य योगदान के रुप में उपयोग किया जा सकता है।

11.समेकित बाल संरक्षण समिति(आई0सी0पी0एस0)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन सम्पूर्ण प्रदेश में किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों एवं विधि निरूद्ध कार्यो में लिप्त बच्चों के देखभाल, सरंक्षण, नैतिक विकास, प्रशिक्षण एवं आवश्यकतानुसार पुनर्वासन हेतु राज्य स्तर से लेकर जनपद स्तर पर संरचनाओं को स्थापित किया जा चुका है। अनाश्रित एवं उपरोक्त उल्लिखित श्रेणी के बच्चों को संस्थागत सेवायें प्रदान करने हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा बालगृहों, शिशु गृहों, दत्तक ग्रहण अभिकरणों, विशेष गृहों संप्रेक्षण गृहों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में बालगृहों एवं उनमें आच्छादित संवासियों के सुदृढीकरण एवं विकास के लिए एक्सपोजर एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

12.उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्र

विभाग द्वारा प्रदेश के 11 जनपदों में हिंसा से ग्रस्त, असहाय एवं आपातकालीन स्थितियों का सामना कर रही महिलाओं उनके बच्चों एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे समन्वित सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन जनपदों यथा लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, आगरा, वाणारसी,, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, गाजीपुर, गाजियाबाद एवं इलाहाबाद में स्थित केन्द्रों में उल्लिखित श्रेणी की महिलाओं उनके बच्चों एवं जरूरतमंद बालिकाओं को आकस्मिक चिकित्सीय सेवाएं, कानूनी सहायता,अल्पकालिक आश्रय, रोजगार प्रशिक्षण, पुलिस एफ0आई0आर0 में सहयोग, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक परामर्श बैकों से समन्वय कर उनका सर्वागीण सशक्तिकरण किया जाना शामिल है। इसके साथ ही विभाग द्वारा आकस्मिक परिस्थतियों में आपत्तियों का सामना कर रही महिलाओं एवं बालिकाओं को सेवाएं प्रदान करने हेतु आशा ज्योति 181 लाइन को भी इन केन्द्रों के साथ जोड़कर संचालित किया जा रहा है। भौतिक सहायता इन जनपदों में उपलब्ध होने के साथ ही साथ 181 के द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में दूरभाष द्वारा आवश्यक परामर्श, रेफरल एवं समन्वय किया जा रहा है।

बाल्य विकास

बाल्य विकास हेतु संचालित योजनायें

1.समेकित बाल विकास सेवा (आई0सी0डी0एस0) योजना

06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों के समन्वित विकास के लिए, प्रदेश के सभी जनपदों में कुल 897 परियेाजनाओं के अन्तर्गत 1,87,997 ऑगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से यह योजना संचालित है। योजना में 06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों एवं गर्भवती/धार्त्री महिलाओं को साप्ताहिक रूप से टेक–होम–राशन के रूप में अनुपूरक पोषाहार दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चों को प्रातःकाल नाश्ता और दोपहर में पका–पकाया भोजन (हॉट कुक्ड फूड) दिया जाता है। केन्द्र पर बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा भी प्रदान की जाती है। अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 322027. 78 लाख रू० की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 303576.03 लाख रू० व्यय किये गये।

2.आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण

योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु स्वयं के ऑगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु रू. 17105.79 लाख प्राविधानित कराये गये थे जिसके सापेक्ष रू. 7415.72 लाख व्यय कर 1604 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है।

3. हौसला पोषण योजना–फीडिंग कार्यक्रम

राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु अपने संसाधनों से वित्तीय वर्ष 2016–17 में हौसला पोषण योजना–फीडिंग कार्यक्रम का शुभारम्भ मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2016 को जनपद श्रावस्ती में किया गया।

गर्भवती महिलाओं के लिए फीडिंग कार्यक्रम

उद्देश्य

- गर्भवती महिलाओं की स्पॉट फीडिंग कराकर, कैलोरी/प्रोटीन के गैप की भरपाई।
- गर्भवती महिलाओं को ऑयरन की 100 गोलियां खिलाना।
- नियमित परामर्श सत्रों के माध्यम से संस्थागत प्रसव/स्तनपान को बढ़ावा देना।
- गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार पर नवजात शिशु को कुपोषण से मुक्त रखना।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अतिकुपोषित बच्चों की माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श।

फीडिंग कार्यक्रम का मीनू

- रू0 19 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की दर से व्यवस्था।
- भोजन के साथ प्रत्येक दिन एक मौसमी फल।
- सप्ताह में तीन दिन भोजन के साथ दही।
- भोजन के साथ आयरन की लाल गोली का सेवन।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श।

06 माह से 06 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों के लिए फीड़िंग कार्यक्रम

उद्देश्य

1. कैलोरी–प्रोटीन एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट के गैप की भरपाई।
2. ग्रोथ चार्ट के माध्यम से कार्यक्रम के फलस्वरूप आये सुधार की नियमित ट्रैकिंग।
3. परिवार एवं समुदाय आधारित परामर्श सत्रों का आयोजन।
4. वी0एच0एन0डी0 के दिन लक्षित बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण कराना।

फीडिंग कार्यक्रम का मीनू

1. रू0 14 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की दर से व्यवस्था।
2. भोजन के साथ प्रत्येक दिन एक मौसमी फल।
3. अति कुपोषित बच्चों को प्रत्येक माह 500 ग्राम देशी घी।
4. 03–06 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को घर पर ग्रहण करने हेतु बिस्किट पैकेट/मुरमुरा चना।

****

अध्याय–14
श्रम शक्ति एवं सेवायोजन

श्रम शक्ति का अभिप्राय 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है और इसी वर्ग के व्यक्तियों से रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष 2011 की जन गणनानुसार प्रदेश में 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्य 1114 लाख थी जो प्रदेश की कुल जन संख्या का अंश 55.8 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 658.15 लाख कुल कर्मकर थे, जिनमें 190.58 लाख कृषक, 199.39 लाख कृषि श्रमिक, 38.99 लाख पारिवारिक उद्योगों तथा 229.19 लाख अन्य कार्यों में लगे कर्मकर थे। कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या क्रमशः 446.35 लाख तथा 211.79 लाख थी। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों में 29.0 प्रतिशत कृषक के रूप में, 30.3 प्रतिशत कृषि श्रमिक के रूप में, 5.9 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग धन्धों में तथा 34.8 प्रतिशत अन्य कार्यों में कर्मकर लगे हैं। कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या से सम्बंधित आंकड़े तालिका–14.01 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–14.01
उत्तर प्रदेश में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकर

(लाख में)

मद	कुल मुख्य कर्मकर	सीमान्त कर्मकर	कुल कर्मकर
1	2	3	4
ग्रामीण	335.38	184.13	519.51
नगरीय	110.97	27.67	138.64
उत्तर प्रदेश	446.35	211.80	658.15

भारत सरकार के पांचवे वार्षिक रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 के प्रतिवेदन में प्रमुख प्रायिक स्तर दृष्टिकोण (यू0पी0एस0) के अनुसार रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति–

- प्रदेश में प्रति हजार परिवारों में 31 परिवार ऐसे पाए गए जिनमें (15 वर्ष या अधिक आयु के) एक भी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या 51 रही। रोजगार प्राप्त एक व्यक्ति वाले परिवारों की संख्या 565, 2 व्यक्ति वाले परिवारों की संख्या 264, 3 व्यक्ति वाले परिवारों की संख्या 102 तथा रोजगार प्राप्त 4 या अधिक व्यक्ति वाले परिवारों की संख्या 38 आंकलित की गयी। राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या क्रमशः 484, 306, 107 एवं 52 रही।

- प्रदेश में प्रति हजार व्यक्तियों (15 वर्ष या अधिक में) की कुल श्रम शक्ति सहभागिता दर (एल0एफ0पी0आर0) 448 आंकलित की गयी। इस सर्वेक्षण के अनुसार स्त्री एवं पुरूषों की एल0एफ0पी0आर0 क्रमशः 112 एवं 745 आंकलित है। राष्ट्रीय स्तर पर यह दर क्रमशः 503, 237 एवं 750 आंकलित की गयी। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की कुल एल0एफ0पी0आर0 466 तथा शहरी क्षेत्र की 380 आंकलित की गयी है।

- प्रदेश में प्रति हजार व्यक्तियों पर (15 वर्ष या अधिक में) कर्मकर जनसंख्या अनुपात (डब्लू0पी0आर0) 415 आंकलित की गयी। स्त्रियों एवं पुरूषों में यह अनुपात क्रमशः 88 एवं 703 आंकलित है। राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात क्रमशः 478, 217 एवं 721 रहा।

- प्रदेश में प्रति हजार व्यक्तियों पर (15 वर्ष या अधिक में) बेरोजगारी दर 74 आंकलित की गयी। पुरूषों एवं स्त्रियों में यह क्रमशः 57 एवं 209 आंकलित है। राष्ट्रीय स्तर पर यह दर क्रमशः 50, 40 एवं 87 रहा।

- प्रदेश में प्रति एक हजार बेरोजगारों में (15 वर्ष या अधिक में) स्नात्तक उत्तीर्ण बेरोजगारों की संख्या 139 तथा परास्नात्तक योग्यताधारी बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 127 आंकलित की गयी। शैक्षिक योग्यता/कौशल के अनुसार रोजगार न प्राप्त करने वाले स्नात्तक एवं परास्नात्तक उत्तीर्ण व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 647 एवं 713 आंकलित की गयी।

- इसी प्रकार प्रति हजार व्यक्तियों पर (15 वर्ष या अधिक में) औद्योगिक वर्गीकरण एन0आई0सी0 2008 के अनुसार कर्मकरों का वितरण निम्नवत् है–

तालिका–14.02

औद्योगिक वर्ग NIC 2008	औद्योगिक वर्गीकरण	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5
"ए"	कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य	452	438	577
"बी"	खान एवं उत्खनन	2	1	3
"सी"	उत्पादन	113	114	104
"डी"	विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति	2	2	1
"ई"	जल आपूर्ति	3	3	0
"एफ"	निर्माण	152	160	76
"जी"	थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटरगाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत	104	110	46
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	45	48	17
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	12	13	7
"जे"	सूचना एवं संचार	5	5	2
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	8	9	3
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	1	2	1
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	9	10	2
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	15	16	9
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	11	11	5
"पी"	शिक्षा	37	30	102
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	8	7	199
"आर"	कला,मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	2	2	2
"एस"	अन्य सेवा कार्य	16	16	12
"टी"	नियोजक के रूप में घरेलू क्रियायें	4	3	11
"यू"	एक्स्ट्रा टेरीटोरियल संगठनों एवं बॉडीस की क्रियायें	–	–	–

स्रोतः– पांचवां वार्षिक रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण वर्ष 2015–16, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, लेबर ब्यूरो, चण्डीगढ़।

• प्रदेश में प्रति हजार व्यक्तियों पर (15 वर्ष या अधिक में) विभिन्न श्रेणी अनुसार कर्मकरों का प्रतिशत वितरण निम्नवत् है–

तालिका–14.03

	श्रमशक्ति में प्रति हजार पर स्वतः नियोजित व्यक्तियों की संख्या		श्रमशक्ति में प्रति हजार पर वेतन भोगी व्यक्तियों की संख्या		श्रमशक्ति में प्रति हजार पर संविदा कर्मियों की संख्या		श्रमशक्ति में प्रति हजार पर कुजुअल कर्मकरों की संख्या	
	प्रदेश	भारत	प्रदेश	भारत	प्रदेश	भारत	प्रदेश	भारत
व्यक्ति	546	466	151	170	31	37	271	328
पुरुष	551	484	150	176	32	38	268	302
स्त्री	505	399	167	148	24	31	304	422

स्रोतः– रोजगार एवं बेरोजगारी पर पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015–16, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, लेबर ब्यूरो, चण्डीगढ़।

श्रम शक्ति की अवधारणा एवं माप

श्रमशक्ति की अवधारणा–

1.श्रमशक्ति सहभागिता दर(एल0एफ0पी0आर0)–एल0एफ0पी0आर0 को प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे श्रमशक्ति में व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\text{एल0एफ0पी0आर0} = \frac{\text{रोजगार प्राप्त एवं बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या}}{\text{कुल जनसंख्या}} \times 1000$$

2.कर्मकर जनसख्या अनुपात (डब्लू0पी0आर0)–डब्लू0पी0आर0 को प्रति एक हजार व्यक्तियों पर रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\text{डब्लू0पी0आर0} = \frac{\text{रोजगार में लगे व्यक्ति की संख्या}}{\text{कुल जनसंख्या}} \times 1000$$

3.बेरोजगारी अनुपात (पी0यू0)– बेरोजगारी अनुपात को प्रति एक हजार व्यक्तियों पर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\text{पी0यू0} = \frac{\text{बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या}}{\text{कुल जनसंख्या(15 वर्ष या अधिक)}} \times 1000$$

4.बेरोजगारी दर(यू0प्रर0)–बेरोजगारी दर को श्रम शक्ति (जिसमें बेरोजगार एवं रोजगार प्राप्त दोनों शामिल है) में प्रति एक हजार व्यक्तियों पर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\text{यू0आर0} = \frac{\text{बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या}}{\text{श्रमशक्ति}} \times 1000$$

श्रमशक्ति की माप

एक ऐसे देश में जहां कर्मकरों की अधिकांश संख्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है और वे एक साथ कई किया कलापों में संलग्न है, श्रम शक्ति का अनुमान लगाना एवं इसके विभिन्न रूपों की माप करना दुष्कर कार्य है। ऐसी स्थिति में किसी एक विधि से श्रम शक्ति का अनुमान लगाना कठिन है। इस सर्वेक्षण में दीर्घ अवधि में श्रम शक्ति से सम्बन्धित विभिन्न पैरामीटर के मापन हेतु दो विधियों का प्रयोग किया गया है।

1. प्रमुख प्रायिक स्तर दृष्टिकोण (यू0पी0एस0)

इसका सम्बन्ध सर्वेक्षण तिथि से पिछले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी व्यक्ति के कार्यकलाप स्तर से है। व्यक्ति द्वारा सर्वेक्षण तिथि से पिछले 365 दिनों के दौरान जिस कार्यकलाप स्तर में अपेक्षाकृत अधिक समय (183 दिन या उससे अधिक) बिताया गया उसे उस व्यक्ति का प्रमुख प्रायिक कार्यकलाप स्तर माना जाता है। किसी व्यक्ति के प्रमुख प्रायिक कार्यकलाप स्तर के निर्धारण हेतु अधिक समय के मापदण्ड के आधार पर सबसे पहले यह देखा जाता है कि वह व्यक्ति संदर्भ अवधि के दौरान श्रम शक्ति के अन्तर्गत आता है या नहीं। इस दृष्टिकोण के तहत बेरोजगार हुआ व्यक्ति पुरानी **(क्रोनिक)** बेरोजगारी को दर्शाता है। वर्तमान सर्वेक्षण में प्रमुख प्रायिक कार्यकलाप स्तर के अनुमान गत 12 महीने की संदर्भ अवधि के लिए प्राप्त किये गये हे। उदाहरणार्थ–यदि किसी परिवार का सर्वेक्षण जनवरी, 2014 में किया जाता हे, तो सूचना संग्रह के लिए संदर्भ अवधि जनवरी, 2013 से दिसम्बर 2013 है।

2. प्रमुख एवं सहायक प्रायिक स्तर कार्यकलाप दृष्टिकोण(यू0पी0एस0एस0)

यह विधि दीर्घ समय अवधारणा एवं अल्प समय (किसी आर्थिक कियाकलाप में 30 दिन या अधिक) अवधारणा दोनो का सम्मिश्रण है। इस प्रकार इस विधि में यदि किसी व्यक्ति ने विगत 12 महीनों में किसी आर्थिक क्रिया कलाप को 30 या अधिक दिन तक सम्पन्न किया है तो उसे रोजगार युक्त समझा जाएगा। इस विधि में भी संदर्भ अवधि 12 माह ही निर्धारित है।

प्रदेश की श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। इस हेतु सेवायोजन कार्यालयों द्वारा मुख्य रूप से बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु पंजीयन तथा उन्हें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वैतनिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित रिक्तियों की पूर्ति हेतु सम्प्रेषित करना, व्यवसाय मार्ग निर्देशन कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार बाजार में उपलब्ध प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा के अवसरों के सम्बन्ध में बेरोजगार अभ्यर्थियों को सम्यक एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना, स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना, समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवानियोजकता तथा कौशल में वृद्धि करना, रोजगार/बेरोजगारी के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में सूचनाओं का एकत्रीकरण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 75 जनपदों में सेवायोजन कार्यालय, 16 जनपदों में विकलांगो हेतु विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय, 13 विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, 01 नगर सेवायोजन कार्यलय तथा मुख्यालय स्तर पर 01 व्यवसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय स्थापित हैं। सेवायोजन से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े तालिका 14.04 में दिये जा रहे हैं–

तालिका–14.04
उत्तर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार सृजन सम्बन्धी आंकड़े

क्रम संख्या	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2014	2015	
1	2	3	4	5
1.	पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	455689	757637	66.26
2.	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	2151	1631	(–)24.17
3.	अधिसूचित रिक्तियों में सम्प्रेषण	22300	30098	34.97
4.	सवेतन रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	38870	43025	10.69
5.	स्वतः रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	1490	827	(–)44.50
6.	वर्ष के अन्त में सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या (हजार में)	7372	3403	(–)53.84

स्वतः रोजगार/नियोजन कार्यक्रम

वैतनिक रोजगार के सीमित अवसरों को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अनेक योजनायें कार्यान्वित की जा रही सेवायोजन कार्यालयों द्वारा भी इस क्षेत्र में प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है। सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वतः रोजगार के उपयुक्त व्यवसाय तथा स्वतः नियोजन के प्रोन्नयन के लिये बनायी गयी विभिन्न योजनाओं की भली–भांति जानकारी कराकर उन्हें स्वतः रोजगार के क्षेत्र में अपना रोजगार आरम्भ करने के लिये उत्प्रेरित किया जाता है। वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेरोजगार अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र, वित्तीय संस्थाओं को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से भी अग्रसारित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 में 1490 तथा वर्ष 2015 में 827 अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजित कराया गया। स्वतः नियोजन कायक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण तालिका–14.05 में दर्शाया गया हैः–

तालिका–14.05
उत्तर प्रदेश में स्वतः नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2014	2015	
1	2	3	4	5
1.	स्वतः नियोजन हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	4168	2694	(–)35.36
2.	स्वतः नियोजन हेतु प्रार्थना पत्रों का अग्रसारण	3056	1487	(–)51.34
3.	स्वतः नियोजन कराये गये व्यक्तियों की संख्या	1490	827	(–)44.50
4.	स्वतः नियोजन हेतु आयोजित सामूहिक वार्ताएं	4082	3138	(–)23.13
5.	स्वतः नियोजन हेतु आयोजित गोष्ठियों/बैठकों की संख्या	896	648	(–)27.68

प्रदेशवासियों को सवैतनिक रोजगार सुलभ कराने में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों से सम्बन्धित आंकड़ा तालिका 14.06 में दर्शाया गया है–

तालिका–14.06

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्षेत्र	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
	मार्च, 2014	मार्च, 2015	
1	2	3	4
1.केन्द्र सरकार	734	726	(–)1.09
2.राज्य सरकार	8389	8383	(–)0.07
3.अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	5524	5563	0.71
4.अर्द्ध सरकार (राज्य)	1596	1603	0.44
5.स्थानीय निकाय	1309	1325	1.22
योग	**17552**	**17600**	**0.27**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में मार्च 2014 से मार्च, 2015 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अधिष्ठानों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रदेश में मार्च, 2014 के अन्त में 17552 अधिष्ठान सेवायोजक पंजिका पर उपलब्ध थे, जो 0.27 प्रतिशत बढ़कर मार्च, 2015 में 17600 हो गये। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अधिष्ठानों की संख्या में 48 की वृद्धि हुई है।

रोजगार सुलभ कराने में निजी क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के सेवायोजकों से संबंधित आंकड़े तालिका 14.07 में दिये जा रहे हैः–

तालिका–14.07

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्रमांक	अधिष्ठान वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2014	मार्च, 2015	
1	2	3	4	5
1	एक्ट अधिष्ठान	5345	5417	1.35
2	नान एक्ट अधिष्ठान	3422	3421	(–)0.03
	योग	**8767**	**8838**	**0.81**

तालिका संख्या 14.08 से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार एवं अर्द्ध सरकार (केन्द्र) को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में गत वर्ष की अपेक्षा मार्च, 2015 में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि 2.73

प्रतिशत स्थानीय निकाय के क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में हुई है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या तालिका–14.08 में दी जा रही है:–

तालिका–14.08

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2014	मार्च, 2015	
1	2	3	4	5
1.	केन्द्र सरकार	321929	318644	(–)1.02
2.	राज्य सरकार	697113	701319	0.60
3.	अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	167282	162710	(–)2.73
4.	अर्द्ध सरकार (राज्य)	330715	332148	0.43
5.	स्थानीय निकाय	107038	109958	2.73
योग		1624077	1624779	0.04

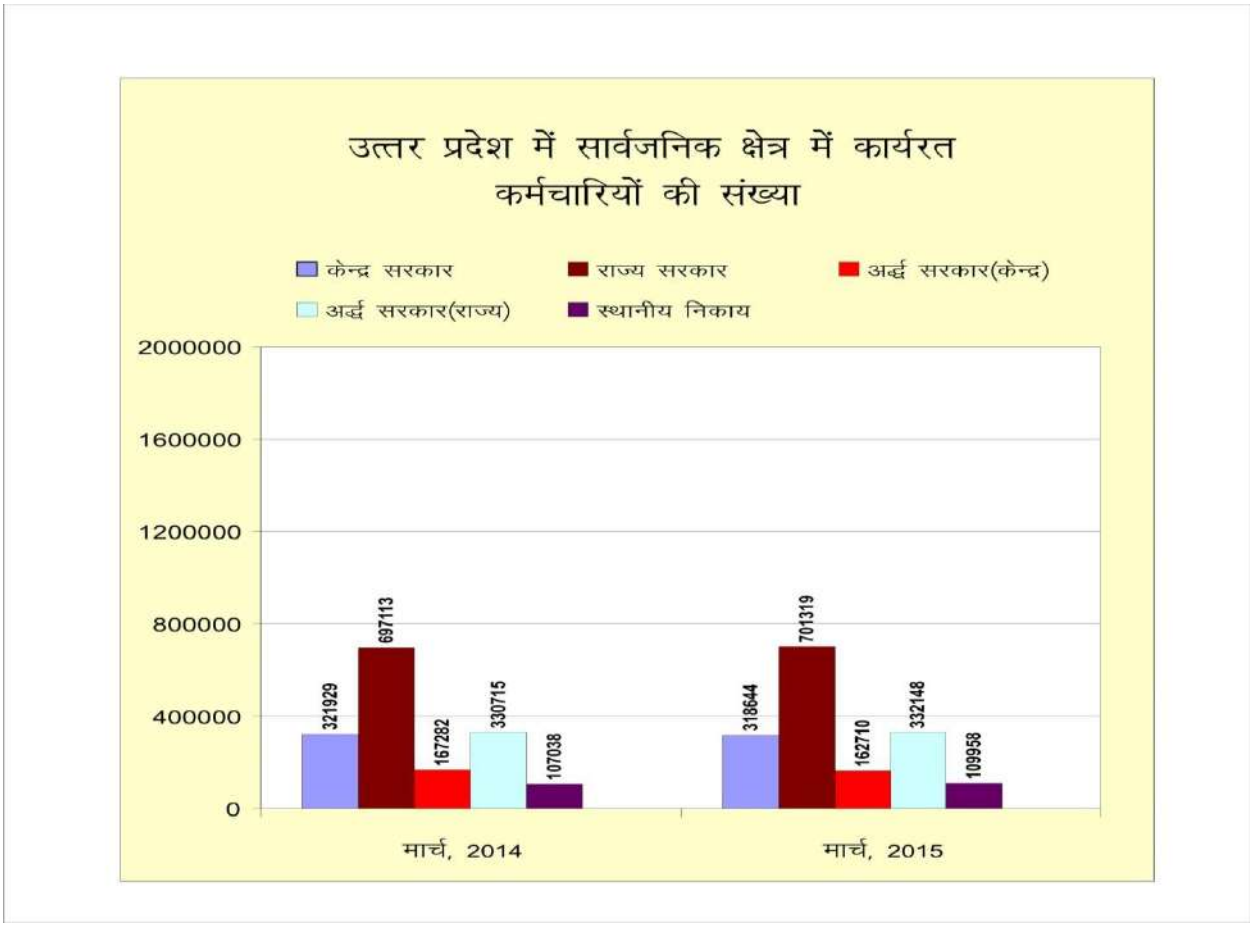

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में मार्च, 2015 में गत वर्ष की अपेक्षा 3.01 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। निजी क्षेत्र में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े तालिका 14.09 में दिये गये है–

तालिका–14.09
उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

कमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2014	मार्च, 2015	
1	2	3	4	5
1	एक्ट अधिष्ठान	569027	588215	3.37
2	नानएक्ट अधिष्ठान	49025	48470	(–)1.13
योग		**618052**	**636685**	**3.01**

औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में मार्च, 2015 में गत वर्ष की अपेक्षा कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में 0.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण तालिका 14.10 में दिया गया है–

तालिका–14.10
उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत् कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2014	मार्च, 2015	
1	2	3	4	5
"ए"	कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य	40941	39016	(–)4.70
"बी"	खान एवं उत्खनन	4497	4625	2.84
"सी"	उत्पादन	96161	96967	0.84
"डी"	विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति	47386	47218	(–)0.35
"ई"	जल आपूर्ति	18811	22015	17.03
"एफ"	निर्माण	127612	128384	0.60
"जी"	थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटरगाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत	13032	15961	22.48
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	246434	243003	(–)1.39
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	555	351	(–)36.76
"जे"	सूचना एवं संचार	19775	22888	15.74
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	103224	102936	(–)0.28
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	0	0	0

"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	17610	20506	16.45
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	202	357	76.73
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	537098	541183	0.76
"पी"	शिक्षा	239948	230910	(–)3.77
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	106094	102753	(–)3.15
"आर"	कला,मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	1578	2155	36.57
"एस"	अन्य सेवा कार्य	3119	3551	13.85
"टी"	नियोजक के रूप में घरेलू क्रियायें	0	0	0
"यू"	एक्स्ट्रा टेरीटोरियल संगठनों एवं बॉडीस की क्रियायें	0	0	0
योग		**1624077**	**1624779**	**0.04**

तालिका–14.10 से स्पष्ट है कि कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य, विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति, परिवहन एवं भण्डारण, आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें, वित्तीय एवं बीमा क्रियायें, शिक्षा तथा मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य वर्ग को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के शेष वर्गो में मार्च, 2015 में कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि सर्वाधिक 76.73 प्रतिशत प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें वर्ग में हुई।

औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार निजी क्षेत्र में मार्च, 2015 में गत वर्ष की अपेक्षा कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में 3.01 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण तालिका–14.11 में दिया गया है–

तालिका–14.11
उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत् कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2014	मार्च, 2015	
1	2	3	4	5
"ए"	कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य	827	667	(–)19.34
"बी"	खान एवं उत्खनन	62	60	(–)3.22
"सी"	उत्पादन	308888	315750	2.22
"डी"	विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति	4228	5383	27.32
"ई"	जल आपूर्ति	0	0	0
"एफ"	निर्माण	373	364	(–)2.41
"जी"	थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटरगाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत	10456	11911	13.91
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	3490	3178	(–)8.94
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	8452	9059	7.18

"जे"	सूचना एवं संचार	10321	10551	2.23
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	7794	7479	(–)4.04
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	25260	25976	2.83
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	325	379	16.61
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	19844	29479	48.55
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	0	0	0
"पी"	शिक्षा	205996	204328	(–)0.80
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	9808	10018	2.14
"आर"	कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	623	781	25.36
"एस"	अन्य सेवा कार्य	1305	1322	1.30
"टी"	नियोजक के रूप में घरेलू क्रियायें	0	0	0
"यू"	एक्स्ट्रा टेरीटोरियल संगठनों एवं बॉडीस की क्रियायें	0	0	0
योग		**618052**	**636685**	**3.01**

तालिका 14.11 को देखने से स्पष्ट होता है कि कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य, खान एवं उत्खनन, निर्माण, परिवहन एवं भण्डारण, वित्तीय एवं बीमा क्रियायें तथा शिक्षा वर्ग को छोड़कर शेष सभी वर्गो में मार्च, 2015 में कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और सर्वाधिक वृद्धि प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें वर्ग में 48.55 प्रतिशत हुई।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या मार्च, 2015 में गत वर्ष की अपेक्षा 1.24 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में 4.7 प्रतिशत अधिक रही जबकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर देखने से इनमें उक्त अवधि में गतवर्ष की अपेक्षा 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। इन्हें तालिका 14.12 से देखा जा सकता हैः–

तालिका–14.12
उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत् महिला कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2014	मार्च, 2015	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	सार्वजनिक क्षेत्र	202453	204959	1.24
2	निजी क्षेत्र	88635	92846	4.7
योग		**291088**	**297805**	**2.3**

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा सेवायोजन हेतु संचालित कार्यक्रम

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा प्रदेश के बेरोजगार अभ्यार्थियों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं–

1. कैरियर काउन्सिलिंग

कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यार्थियों को रोजगार अवसरों की जानकारी प्रदान कराना, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना तथा योग्याताओं/क्षमताओं में वृद्धि हेतु अल्पकालिक/पूर्णकालिक प्रशिक्षणों एवं पाठ्क्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है।

2. रोजगार मेला

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र में भी बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाता है। बेरोजगारों एवं नियोजकों को एक ही स्थान पर एकत्र कर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें नियोजक अपनी संस्था के कार्य के उपयुक्त बेरोजगारों का चयन करते हैं तथा बेरोजगारों को भी अपनी इच्छानुसार संस्थान का चयन करने की सुविधा भी उपलब्ध रहती है।

तालिका–14.13

वर्ष	रोजगार मेला		कैरियर काउन्सिलिंग	
	मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5
2014	660	38204	973	102507
2015	667	42653	2539	290725
अक्टूबर, 2016 तक	376	35060	1418	207388

3. शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र

केन्द्र का मुख्य उद्देश्य समाज के निर्बल वर्ग यथा अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के बेरेजगारों को मार्ग दर्शन प्रदान कर उन्हें रोजगार हेतु स्वावलम्बी बनाना है। इसमें भाषा, सचिवीय पद्धति, कम्प्यूटर, आशुलिपि एवं सामान्य–ज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी सेवायोजकता में वृद्धि की जाती है। वर्तमान में प्रदेश के 52 जनपदों में शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र स्थापित है। प्रदेश के लिए इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तथा प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है व इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जन जाति के प्रशिक्षार्थियों को मानदेय, निःशुल्क प्रतियोगी साहित्य उपलब्ध कराया जाता है एवं साथ ही स्वतः नियोजन हेतु प्रेरित किया जाता है।

तालिका–14.14
शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों में प्रशिक्षित अभ्यार्थियों सम्बन्धी प्रगति

वर्ष	सेवायोजित	स्वतः नियोजित	कुल
1	2	3	4
2013	82	23	105
2014	106	38	144
2015	106	34	140

4. सेवायोजन वेब–पोर्टल

प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग द्वारा www.sewayojan.org वेबपोर्टल का विकास कराया गया है। इस वेबपोर्टल में बेरोजगार अभ्यार्थियों के आनलाइन पंजीयन के साथ ही साथ सेवायोजकों को भी आनलाइन पंजीकृत करने का प्रविधान किया गया है, इससे रोजगार अभ्यार्थियों को जहाँ रोजगार के अधिक से अधिक अवसर होगें वहीं सेवायोजको को भी योग्य एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेगें। सरकार द्वारा इस पोर्टल में यह भी प्राविधान कराया गया है कि प्रदेश के अन्तर्गत समस्त नियमित एवं संविदा पर होने वाली सरकारी रिक्तियों/भर्तियों की सूचना भी प्रदर्शित की जाए।

5.माडल कैरियर सेन्टर की स्थापना

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में कार्यरत् कैरियर काउन्सिलिंग सेल तथा जिला सेवायोजन कार्यालय, गाजियाबाद में माडल कैरियर सेन्टर की स्थापना की जानी है। माडल कैरियर सेन्टर का कार्यक्षेत्र पूरे प्रदेश के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं तथा प्रशिक्षण संस्थानों के अध्ययन कर रहे प्रशिक्षार्थियों से संबंधित है। इस सेन्टर द्वारा वर्तमान परिवेश में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के नए उभरते व्यवसायों की जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ उनकी सेवायोजकता में वृद्धि सम्बन्धी कार्य किए जाने हैं।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत लाभार्थी श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली योजनायें

1. शिशु हितलाभ योजना

उद्देश्य–इस बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों के नवजात शिशुओं को उनके जन्म से दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पौष्टिक आहार की व्यवस्था कराया जाना।

पात्रता–सभी पंजीकृत कर्मकर (महिला एवं पुरूष) (लाभ अधिकतम दो बच्चों तक देय होगा)।

हितलाभ– वर्ष में एक बार एक मुश्त(लड़का होने पर 10,000 लड़की पर 12,000 प्रति शिशु की दर से) दो वर्ष की आयु तक ही देय है।

2. मातृत्व हितलाभ योजना

उद्देश्य– बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी महिला कर्मकारों को प्रसव के उपरान्त पौष्टिक आहार की व्यवस्था कराया जाना।

पात्रता–सभी पंजीकृत महिला श्रमिक या पुरूष कर्मकार की पत्नी लाभ अधिकतम दो प्रसवों तक ही देय होगा।

हितलाभ–रू0 12,000/– दो किश्तों में पंजीकृत महिला कर्मकार को और रू0 6,000/– दो किश्तों में पुरूष कर्मकार की पत्नी को प्रथम किश्त–प्रसव के उपरान्त एवं द्वितीय किश्त बी0सी0जी0 टीकारण पूर्ण होने पर।

3. बालिका मदद योजना

उद्देश्य– बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी कर्मकारों की पुत्रियों की आर्थिक मदद कर आत्म निर्भर बनाना।

पात्रता–

- सभी पंजीकृत महिला/पुरूष निर्माण श्रमिक जो न्यूनतम 01 वर्ष से सदस्य हो ताकि अंशदान जमा किया हो।
- परिवार में जन्मी पहली बालिका को लाभ मिलेगा, दूसरी को तभी मिलेगाा जब दोनों सन्तानें बालिका हों। यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रसव में एक से अधिक बालिकाएं जन्मती है तो सभी को लाभ अनुमन्य होगा।
- कानूनी रूप से गोद ली हुई बालिका को प्रथम बालिका मानते हुए लाभ अनुमन्य होगा।
- बालिका के जन्म का पंजीकरण जन्म–मृत्यु पंजिका पर होना अनिवार्य है।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यादि पुत्री का निधन हो जाता हे तो सावधि जमा की रकम बोर्ड को वापस हो जायेगी।
- भारत/उ0प्र0 सरकार द्वार चलाई जा रही किसी अन्य योजना में लाभ न लिया हो।

हितलाभ–

- रू0 20,000 एकमुश्त बतौर सावधि जमा, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही परिपक्व होगा।
- भुगतान अविवाहित रहने पर ही देय है।
- परिवार के निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र पर बालिका के जन्म से 01 वर्ष के अन्दर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

4. अक्षमता पेंशन योजना

उद्देश्य– बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी कर्मकारों के दुर्घटना/बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षम हो जाने पर लाभार्थी व उसके परिवार के भरण–पोषण हेतु नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता–

- सभी पंजीकृत श्रमिक जो दुर्घटना/बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से (50 प्रतिशत व अधिक) अक्षम हों।

प्रतिबन्ध–

- लाभार्थी कर्मचारी राज्य बीमा येाजना के अन्तर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र न हो
- पूर्ण स्थायी अक्षमता 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
- लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक के स्वयं अक्षम होने की स्थिति में ही देय होगा।

हितलाभ– रू0 1000/– बतौर पेंशन लाभार्थी के अक्षम हो जाने पर जीवन काल तक देय होगा

- बीमारी से तात्पर्य लकवा, कुष्ठ रोग कैंसर, तपेदिक एवं अन्य गम्भीर बीमारी जिससे श्रमिक अक्षम हो गया हो।

5. मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना

उद्देश्य–पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना हो जाने पर तत्कालिक सहायता हेतु लाभार्थी श्रमिक व उसके आश्रितों को तत्कालिक अनुग्रह राशि प्रदान किया जाना।

पात्रता–सभी पंजीकृत लाभार्थी कर्मकार या उनके आश्रितों (पति, अविवाहित पुत्रियां, अवयस्क पुत्रों तथा निर्भर माता–पिता) को देय होगा।

(क) कार्यस्थल पर कार्य के दौरान या इतर मृत्यु पर

(ख) महिला कर्मकार की प्रसव के दौरान मृत्यु पर।

हितलाभ–रू0 5,00,000/– एकमुश्त कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को देय होगा।

- रू0 3,00,000/– कर्मकार की स्थायी पूर्ण अपंगता पर रू0 2,00,000/– स्थायी आंशिक विकलांगता पर बतौर अनुग्रह धनराशि देय होगा।

6.पुत्री विवाह अनुदान योजना

उद्देश्य– बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों के विवाह संस्कार को सुगमता से सम्पन्न करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता–सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक (महिला एवं पुरूष)।

- श्रमिक का न्युनतम 03 वर्ष तक नियमित सदस्य होना अनिवार्य है तथा नियमित अंशदान जमा हो।

हितलाभ–रू0 40,000/– निर्माण श्रमिक की सभी पुत्रियों को प्रति पुत्री की दर से अनुमन्य होगा।

7. अंत्येष्टि सहायता योजना–

उद्देश्य– बोर्ड के निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसकी अन्तेष्टि एवं अंतिम संस्कार को सुगमतापूर्वक सम्पन्न किए जाने हेतु तत्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।

पात्रता–

- पंजीकृत मृतक निर्माण श्रमिक के आश्रित।
- यह सहायता आत्महत्या जैसी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगी।

हितलाभ–रू0 15000/– अंतिम संस्कार व्यय के रूप में।

- रू0 1 लाख एकमुश्त तात्कालिक सहायता राशि के रूप में आश्रितों को दी जायेगी।

8. कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना

उद्देश्य– निर्माण श्रमिकों को उनमें कौशल संबंधी दक्षता विकास एवं तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से आवश्यक प्रशिक्षण सुलभ कराया जाना है। ऐसे प्रशिक्षण में हुए व्यय तथा मजदूरी के नुकसान की प्रतिपूर्ति करना है।

पात्रता–पंजीकृत श्रमिक अथवा पत्नी एवं आश्रित अविवाहित पुत्री व 21 वर्ष से कम आयु वाले पुत्रों को ही मिल सकेगा परन्तु यह कि यदि किसी लाभार्थी का पुत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय 21 वर्ष से कम आयु का है और प्रशिक्षण के उपरान्त उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो जाती है तो इस योजना का लाभ उसे भी अनुमन्य होगा। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण का कार्य व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के कौशल विकास मिशन के तहत कराया जाएगा।

हितलाभ–

- प्रशिक्षण की दशा में संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क, पाठ्य पुस्तकें एवं प्रशिक्षण से संबंधित अन्य लेखन सामग्री के व्यय की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी।

- श्रमिक के स्वयं प्रशिक्षण में भाग लेने पर प्रशिक्षण अवधि की अनुमन्य मजदूरी भी मिलेगी जबकि आश्रित पुत्र/पुत्रियों को अनुमन्य नहीं होगी।

9. आवास सहायता योजना

उद्देश्य– अधिकांशतः निर्माण श्रमिक गरीब होते हैं, परन्तु बी0पी0एल0 सूची में उनका नाम न होने से आवास लाभ नहीं मिलता, वस्तुतः वे पात्र होते हैं। अतः योजना का मूल उद्देश्य पंजीकृत कर्मकारों को आवासीय सुविधा हेतु अनुदान उपलब्ध कराना है।

पात्रता–

- गत वित्तीय वर्ष में सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे। लाभार्थी नियमित अंशदान जमा करता हो।
- परिवार एक ईकाई के रूप में लिया जाएगा।
- लाभार्थी के पास स्वयं का अथवा परिवार का पक्का आवास न हो।
- केन्द्र/प्रदेश सरकार की अन्य योजना में आवास हेतु सहायता का लाभ पाने वाले श्रमिक इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- उन श्रमिकों को लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं अथवा परिवार के नाम समुचित भूमि उपलब्ध हो।
- कार्य स्थान/ निवास एक ही जिले में होने पर वरीयता प्रदान की जाएगी।
- श्रमिकों को इस योजना का लाभ सम्पूर्ण जीवन में केवल एक बार ही मिलेगा।
- पति/पत्नी दोंनो पंजीकृत हैं तो लाभ में पत्नी को वरीयता दी जाएगी।

हितलाभ–रू0 1,00,000/– की धनराशि 02 किश्तों में।

- मरम्मत हेतु रू0 15000/– की धनराशि मिलेगी।
- परन्तु एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ नहीं दिया जाएगा।

10. पेंशन योजना

उद्देश्य–पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, जिनकी आयु 60 वर्ष हो गई है और जिनका वार्षिक अंशदान अद्यतन जमा हों, को एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। अतः लाभार्थी की नियमित आय में हो रही क्षति की प्रतिपूर्ति करने तथा उसकी आजीविका के सुगम संचालन की दृष्टि से इस योजना की संकल्पना की गयी है।

पात्रता–

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकर अधिनियम–1996 के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना।
- 60 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं तत्समय् न्युनतम पॉच वर्ष तक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत एवं अद्यतन अंशदान दिया जाना।
- किसी अन्य बोर्ड या पेंशन योजना का सदस्य न होना एवं आयु पूर्ण करते समय उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करना।

हितलाभ– प्रत्येक पात्र निर्माण–श्रमिक को प्रतिमाह की दर से रू0 500/– की धनराशि उसके जीवित रहने तक उसे स्वयं और उसकी मृत्यु के पश्चात् प्रथमतः उसकी पत्नी/पति को या द्वितीयः उसके आश्रित, माता/पिता को यदि वह किसी पेंशन योजना के अंतर्गत यह धनराशि पेंशन के रूप में देय होगी। पेंशन की धनराशि का भुगतान लाभार्थी के बैंक–खाते के माध्यम से किया जाएगा। एक वर्ष के पश्चात् ऐसे निर्माण श्रमिक को या उसकी मृत्यु के पश्चात उसके आश्रित को पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने जीवित होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. सौर ऊर्जा सहायता योजना

उद्देश्य– पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों एवं उनके परिवार की ऊर्जा/प्रकाश संबंधी आवश्यकता पूर्ण करना है जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी एवं आश्रित बच्चों को अध्ययन में सहायता मिलेगी।

पात्रता–

- सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक लाभार्थी होंगे।
- किसी अन्य योजना में सोलर लाइट/लालटेन का लाभ न प्राप्त किया हो। परिवार को एक इकाई माना जाएगा (स्वयं, पति/पत्नी, आश्रित माता पिता, 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री)।

हितलाभ– सोलर लाइट/ लालटेन (एल0ई0डी0/सी0एफ0एल0) मिलेगी एवं रख–रखाव/सर्विस चार्ज के लिए नेडा उ0प्र0 से सम्पर्क करना होगा।

- किसी भी धनराशि का भुगतान नहीं होगा।
- सम्पूर्ण जीवन में केवल एक बार लाभार्थी को लाभ मिलेगा, यदि दोनों पति/पत्नी पंजीकृत हो तो भी।

12. साईकिल सहायता योजना

उद्देश्य– निर्माण कामगारों को कार्य हेतु अपने आवास से काफी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें उन्हें पैदल चलना पड़ता है और अपनी सीमित आय में से धनराशि खर्च करनी पड़ती है। कामगारों को कार्यस्थल पर पहुंचने में सुविधा ईधन/व्यय में बचत हो। इसका मूल उद्देश्य कामगारों को साईकिल की सुविधा उपलब्ध कराना है।

पात्रता–

- श्रमिक के रूप में कम से कम 06 माह से पंजीकृत हो।
- केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजना में साईकिल की सुविधा प्राप्त करने वाला पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।

हितलाभ–

- बोर्ड द्वारा साईकिल क्रय हेतु रू0 3000/– की धनराशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। बाकी धनराशि लाभार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं दी जाएगी।
- भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर श्रमिक स्वयं उसका सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय से करवायेगा तथा ऐसा न करने पर उससे वसूली की कार्यवाही अपनाई जाएगी एवं उसकी सदस्यता समाप्त करने पर विचार किया जाएगा।

13. गम्भीर बीमारी सहायता योजना

उद्देश्य– पंजीकृत कर्मकार की स्वयं अथवा पारिवारिक सदस्य को गम्भीर बीमारी की स्थिति में सरकारी चिकित्सालय में कराये गए इलाज के उपरान्त किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कराया जाना है।

पात्रता–सभी निर्माण श्रमिक (गत वित्तीय वर्ष से पंजीकृत) स्वयं एवं पारिवारिक सदस्य पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत हृदय आपरेशन, गुर्दा ट्रान्सप्लान्ट, लीवर ट्रान्सप्लान्ट, मस्तिक आपरेशन, रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन, पैर के घुटने बदलना, कैंसर इलाज, एड्स बीमारी आदि ही लाभान्वित होंगी।

हितलाभ–

- लाभार्थी स्वयं या पारिवारिक सदस्य की गम्भीर बीमारी में प्रदेश के किसी सरकारी स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज पर व्यय की शत प्रतिशत पूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी।
- लाभार्थी गम्भीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्र स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार(सी0जी0एच0एस0 व ई0एस0आई0) द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज कराते हैं तो इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को दी जायेगी।

14. मेधावी छात्र योजना

उद्देश्य– इस योजना का मूल उद्देश्य उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी श्रमिकों के मेधावी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना एवं उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है।

पात्रता–इस योजना के लिए यह सभी कर्मकार प्राप्त होंगे सन्निर्माण अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हैं तथा उनके पुत्र एवं पुत्रियों ने कक्षा 05 से 08 तक 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों तथा कक्षा 09 से 12 तक 60 प्रतिशत हो।

हितलाभ–

- कक्षा 5 से 7 तक जिनका प्राप्तांक 70 प्रतिशत है उन्हें रू0 4,000/–(पुत्र को) तथा रू0 4,500/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
- कक्षा–8 जिनका प्राप्तांक 70 प्रतिशत है उन्हें रू0 5,000/–(पुत्र को) तथा रू0 5,500/–(पुत्री को) दो किश्तों में एवं कक्षा 9 एवं 10 जिनका प्राप्तांक 60 प्रतिशत है उन्हें रू 5,000/–(पुत्र को) तथा रू0 5,500/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
- कक्षा 11 से 12 तक जिनका प्राप्तांक 60 प्रतिशत है उन्हें रू0 8,000/–(पुत्र को) तथा रू0 10,000/–(पुत्री को) दो किश्तों में बतौर हित लाभ देय है।
- बी0ए0/बी0कॉम/बी0एस0सी0,एम0ए0/एम0कॉम0/एम0एस0सी0,एल0एल0बी0, पालिटेक्निक डिप्लोमा, इन्जीनियरिग/चिकित्सा डिग्री हेतु प्राप्तांक 60 प्रतिशत हो तब देय हितलाभ रू0 10,000/–से 22,000 में उपरोक्त शिक्षा के लिए निर्धारित है।

15. मध्यान्ह भोजन सहायता योजना

उद्देश्य– निर्माण श्रमिक अपने कार्य की तलाश में दूर–दराज के राज्यों तथा जनपदों से आते हैं तथा उनके पास न तो रहने का स्थान होता है और न ही भोजन बनाने की कोई उचित व्यवस्था जिसके अभाव में उनकी कार्यकुशलता प्रभावित होती है तथा उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अतः ऐसे श्रमिको को उनके कार्यस्थल के आसपास एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराये जाने से उनके स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा।

पात्रता–इस योजना में भवन सन्निर्माण कर्मकार(रोजगार नियेाजन सेवा शर्त) अधिनियम, 1996 की धारा–12 के अंतर्गत पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।

हितलाभ– पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों को निर्धारित मूल्य रू0 10/– अथवा समय समय पर संशोधित मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। भोजन के मूल्य का भुगतान श्रमिक द्वारा सीधे नकद के रूप में किया जाएगा। श्रमिक द्वारा भुगतान किये गये उक्त रू0 10/– के अतिरिक्त अवशेष लागत की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा सब्सिडी के रूप में संस्था को की जायेगी।

16. आवासीय विद्यालय योजना

उद्देश्य– प्रायः निर्माण–श्रमिकों के बच्चे अपने माता–पिता के साथ कार्य स्थल पर ही रहते है। माता–पिता की गरीबी तथा साधनहीनता के कारण ऐसे बच्चे किसी विद्यालय में प्रवेश ही नहीं ले पाते हैं अथवा प्रवेश लेने के बाद अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते है। निर्माण–श्रमिकों के ऐसे बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता अनुभव करते हुए आवासीय विद्यालय योजना प्रस्तावित की गयी है। योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण–श्रमिकों के 06 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है।

पात्रता–उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (विनियमन एवं सेवाशर्तें) अधिनियम 1996 की धारा 12 के अन्तर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत सभी निर्माण–श्रमिकों के ऐसे पुत्र/पुत्रियां, जिनकी आयु 06 से 14 वर्ष के मध्य हैं, आवासीय विद्यालयों में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।

हितलाभ–पंजीकृत सभी निर्माण– श्रमिकों के ऐसे पुत्र/पुत्रियाँ, जिनकी आयु 06 से 14 वर्ष के मध्य हैं, आवासीय विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते है।

****